राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 09] चौदहवीं विधान सभा के नवें सत्र का तीसरा दिवस [संख्या: 03

बुधवार,
25 अक्टूबर 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। आप सोए तो आराम से? रात्रि को आप सोए तो आराम से? सोए तो आराम से? प्रश्न काल होने दीजिए। प्रश्न काल।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माफ करो भाई माफ करो...

भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्य: कांग्रेस को साफ करो।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी सीटों से सदन में नारे)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): साफ करो भाई साफ करो..

भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्य: कांग्रेस को साफ करो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): खतम करो भाई खतम करो...

भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्य: कांग्रेस को खतम करो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बाहर करो भाई बाहर करो...

भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्य: कांग्रेस को बाहर करो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। जो मैं प्रश्न पूछूं, प्रश्नकर्ता और प्रश्न के उत्तर देने वाले मंत्री महोदय, इसके अलावा एक भी शब्द जो है, प्रश्नकर्ता और

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न का उत्तर देने वाले मंत्री के अलावा कोई बात रिकार्ड नहीं की जाए, कोई भी बिलकुल।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री विद्याशंकर नन्दवाना।

कोटा शहर में ऑटो चालकों का पुलिस वैरिफिकेशन

27. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा शहर में कितने ऑटो चालक स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का कार्य करते हैं? थानावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कितने ऑटो चालकों का पुलिस द्वारा वैरिफिकेशन किया गया है? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कोटा शहर के निजी स्कूल संचालकों द्वारा उनके स्कूलों में चल रहे ऑटो का वैरिफिकेशन करवाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) कोटा शहर में 215 ऑटो चालक स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का कार्य करते हैं जिनका विवरण परिशिष्ट- 'अ' के कॉलम संख्या-4 पर अंकित है।

(2) कोटा शहर में 38 ऑटो चालकों का पुलिस द्वारा सत्यापन किया गया है जिनकी सूची परिशिष्ट- 'अ' के कॉलम संख्या-5 पर अंकित है।

(3) कोटा शहर के निजी स्कूल संचालकों द्वारा उनके स्कूलों में चल रहे ऑटो का वैरिफिकेशन करवाया गया है जिनकी सूची परिशिष्ट- 'अ' के कॉलम संख्या-7 पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न- एक।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कोटा शहर में 215 आटो स्कूली बच्चों को लाने के लिए बताये हैं।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग ऐसे बच्चों को लाने ले जाने के लिए एक बाल-वाहिनी के रूप में परमिट इश्यू करती है और परिवहन विभाग द्वारा एक भी आटो को परमिट जारी नहीं किया हुआ है, फिर यह 215 की संख्या कहां से आई?

मेरा इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से यही अनुरोध है कि स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने के लिए परिवहन विभाग बाल-वाहिनी के नाम से परमिट जारी करता है और उसका कलर भी निश्चित है।

मेरे दूसरे बिंदु के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने 38 ऑटो चालकों के पुलिस वेरिफिकेशन की बात की है जबकि 17.09.2017 को कोटा के एक समाचार-पत्र ने इस संबंध में एक समाचार प्रकाशित किया और कई पुलिस थानों के इंचार्ज से इस संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने यह साफ कहा कि इस संबंध में हमारा कोई लेना देना नहीं है, यह सब वैरिफिकेशन का काम परिवहन विभाग करता है, फिर पुलिस ने इन 38 ऑटो चालकों का वैरिफिकेशन किस प्रकार से कर लिया?

तीसरे बिंदु में माननीय मंत्री महोदय ने निजी स्कूलों के वैरिफिकेशन करवाने की बात कही है। जब मैं यह मान रहा हूं कि वैरिफिकेशन के लिए उन्हीं का वैरिफिकेशन हो सकता है जो वैरिफिकेशन के लायक हो, जब हमारा एक भी ऑटो, कोटा शहर में सात हजार ऑटो चलते हैं और वह सात हजार ऑटो में से एक भी ऑटो इसके लिए अधिकृत नहीं है।

इसलिए, मेरा माननीय मंत्री महोदय से एक ही अनुरोध है, माननीय मंत्री महोदय, जब मैने यह क्वेश्चन लगाया तो पुलिस विभाग ने आनन-फानन में प्राइवेट स्कूलों की सूची मांगी और आनन-फानन में ही थानों से उन स्कूलों में स्टाफ को भेजकर ऑटो की लिस्टें मांगी और उसके बाद में यह वैरिफिकेशन रिपोर्ट और यह ऑटो की संख्या, इस प्रकार से मुझे यह प्रश्न का उत्तर दिया गया।

मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, कोटा शहर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में यह ऑटो चालक बच्चों को शिक्षा के लिए ले जाते हैं और लाते हैं, जिनके लिए हमारे पास में कोई नियम नहीं है और वह अपने स्वार्थ के लिए बड़ी संख्या में बच्चों

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

को ऑटो में भरते हैं और जिस प्रकार से बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, मेरा इस प्रश्न को लगाने के पीछे मूल भाव भी यही था कि राज्य सरकार इस ओर गंभीरता से जाए और जो ऑटो बाल-वाहिनी के रूप में काम करते हैं, उनका कलर निश्चित हो, बड़ी बसों की तरह उन पर भी बाल-वाहिनी लिखा जाए और सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो, यह सारी व्यवस्था माननीय मंत्री महोदय, करने का कष्ट करें, यही मेरा भाव था।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। आराम से धीरे-धीरे। आराम से जवाब दीजिए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय सदस्य का प्रश्न लगने के बाद हमने प्रत्येक थाने से प्रत्येक विद्यालय में चलने वाले आटो को लिस्टेड किया है और मैंने यह सारी लिस्ट जो 215, विभिन्न स्कूलों में और विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो ऑटो अभी बच्चों को लाने ले जाने का काम करता है उसकी सूची तो मैंने विद्यालयवाइज और थानेवाइज आपको दी है जो 215 है।

यह बात सच है कि अब तक हमारे यहां केवल 38 आटो चालक ही, एक तरह से उनका वैरिफिकेशन हुआ था कि वह चलाने वाला कौन है, क्या है, कैसा है, यह बातसच है कि 38 लोगों का ही वैरिफिकेशन हुआ था, जब तक इनका प्रश्न लगा था या भेजा था। लेकिन कोर्ट का भी एक आदेश हुआ था 18 तारीख को और कोर्ट ने विशेषकर कोटा में यह आग्रह कर कहा था कि जितने भी ऑटो विद्यालय के बच्चों को ले जाते हैं, लाते हैं, उनका आप वैरिफिकेशन करो, उनका यह आदेश था 18 का, मैंने 19 को यहां से यह आदेश दिया कि 19 के बाद यह जितने भी आटो 215 चलते हैं इनका, कौन चला रहा है, कैसा व्यक्ति है, उसका आप वैरिफिकेशन करो और माननीय सदस्य को यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि 18 से लेकर आज अपन 25 है, केवल इन दिनों में हमने 99 आटो का और वैरिफिकेशन करके अब तक 137, जो पहले केवल 38 थे, हमने 137 का वैरिफिकेशन करा दिया है और मैं आश्वस्त करता हूं कि एक सप्ताह में यह जो 215 ऑटो स्कूलों में चल रहे हैं, उनका वैरिफिकेशन हो जाएगा, हंड्रेड परसेंट।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इसके साथ ही, राजस्थान में जितने भी बच्चों को लाने के लिए ऑटो चल रहे हैं, केवल आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से सम्पूर्ण राजस्थान के एस.पी. को मैं इस बात के लिए पाबंद कर रहा हूं कि जहां भी विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो ऑटो उपयोग में आ रहा है, उसका वैरिफिकेशन एक महीने के अंदर-अंदर करके राजस्थान में यह कहने की स्थिति में रहें कि अब विद्यालय में जाने वाला कोई भी ऑटो चालक हमारे वैरिफिकेशन से बाहर नहीं होगा, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और जो बाल-वाहिनियां हैं, वह तो सारी की सारी परिवहन के द्वारा वेरिफाइड हैं, उनका सारा डिटेल है। बाल-वाहिनियों का संकट नहीं है लेकिन जो ऑटो है उनका मैं एक महीने में, केवल कोटा का ही नहीं, राजस्थान के सभी विद्यालय में जहां पर भी ऑटो चल रहे हैं, उनका वैरिफिकेशन थाने के अनुसार पूरा करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, उन ऑटो का कलर भी बड़ी बसों की तरह कलर हो और उन पर भी बाल-वाहिनी लिखा रहे, यह व्यवस्था भी साथ की साथ हो और इसके अतिरिक्त मेरे कोटा शहर में सात हजार ऑटो चूंकि, शिक्षा नगरी होने के कारण वहां पर बड़ी संख्या में ऑटो हैं, उनके लिए कुछ ऐसे नियम बनें जो मनमाने रूप से वसूली नहीं कर पाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी उपस्थिति में सदन को आश्वस्त करता हूं कि ऑटो का वैरिफिकेशन ही नहीं कराऊंगा बल्कि साथ में ऑटो के द्वारा जो कुछ भी शुल्क लिया जाता है, वह निश्चित और निर्धारित सीमा में ही हो, उस सीमा से अधिक नहीं हो। उस विद्यालय को भी इस बात के लिये बाध्य करूंगा कि विद्यालय इस बात को तय करके हमको देगा कि उसके बच्चों को लाने के लिये अधिकतम शुल्क क्या लगेगा, उसको वैरिफाई करके वह अपनी सूची पर, अपने विद्यालय के पटल पर लगायेगा कि उस ऑटो से कितने किलोमीटर से आ रहा है, कितना उसका शुल्क होता है और कितना शुल्क उसे देना है।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो ऑटो चालक की ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह कोई ऑटो कान्ट्रेक्ट नहीं हो रहा है। अब इसकी कोई वकत नहीं रही आपके। ..(व्यवधान)...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): जो ट्रांसपोर्ट कम्पनियां हैं, एक मालिक के दस ऑटो हैं मान लो, अब उसमें ड्राइवर फिक्स होना चाहिये। ड्राइवर का भी वैरिफिकेशन होना चाहिये। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप +++ करते ही रहो। अब इसकी कोई वकत नहीं रही। ...(व्यवधान)...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): जिस ऑटो के लिये जो ड्राइवर होगा, उसका भी वैरिफिकेशन थानों में होना चाहिये। दूसरी बात, हमारे यह जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, इनके लिये भी कोई बाल-वाहिनी है क्या? इनको कहीं पढ़ने के लिये भेज सकते हैं अपन।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया, वह निश्चित रूप से वैरिफिकेशन में उस आटो का जो चालक है, उसके करेक्टर का सारा वैरिफिकेशन निश्चित रूप से होगा। वही ऑटो जो हमारे इन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम करेंगे। केवल ऑटो का नहीं, उसको चलाने वाले व्यक्ति का भी वैरिफिकेशन एक महीने में केवल कोटा ही नहीं, राजस्थान के जिन भी विद्यालयों में यह ऑटो चलते हैं, उनका वैरिफिकेशन थाने के अनुसार पूरा कराएंगे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न श्री चन्द्रभान 'आक्या'।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, यह जो ऑटो चालक हैं, इनकी ड्रेस भी होनी चाहिये और उनके मोबाइल नम्बर भी उन

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

ऑटो के आगे और पीछे लगने चाहिये और उनका आई कार्ड भी उनके गले में होना चाहिये। अगर इस तरह से कोटा के अनुसार पूरे राजस्थान में हो जाता है तो उनको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आयेगी। इसके अलावा जो दूसरे ऑटो हैं, उनके लिये भी पाबन्द करें और उनके नम्बर भी आगे-पीछे रहेगा तो उससे अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा।

श्री अध्यक्ष: दे दीजिये जवाब मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और हाउस को यह आश्वस्त कर रहा हूं कि यह केवल कोटा में ही नहीं, अपितु राजस्थान में जहां भी विद्यालय में ऑटो के द्वारा बच्चे जा रहे हैं, थाने अनुसार प्रत्येक विद्यालय के अनुसार उनका वैरिफिकेशन होगा। उनका पूरा रिकार्ड रहेगा। उसमें चलाने वाला जो ड्राइवर है या व्यक्ति है, उसका वैरिफिकेशन होगा और प्रत्येक थाने पर उसकी सूची होगी और विद्यालय में सूची होगी।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा, तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन वाहनों में स्कूली बच्चे जाते हैं, उन वाहनों की फिटनैस, वह कितने पुराने हो चुके हैं, वह दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो जाएंगे तथा साथ ही उनमें कितना पॉल्यूशन है, उनके द्वारा जो पॉल्यूशन निकल रहा है, उससे बच्चों को तो हानि नहीं होगी। इन सारे विषयों की समय-समय पर जानकारी के लिये राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है? साथ ही प्रदेश में लापता बालक-बालिकाओं की तलाश के लिये राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था। क्या यह अभियान वर्तमान में चल रहा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार समय समय पर इस अभियान को चलाने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऑपरेशन मुस्कान के बारे में यह अलग से सवाल है। आज इस ऑपरेशन मुस्कान में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, लेकिन वह ऑपरेशन आज चल रहा है। ऑपरेशन मुस्कान का

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

काम आज भी उसी गति से चल रहा है, लेकिन जो इन्होंने कहा, वह ट्रांसपोर्ट विभाग से सीधा सम्बन्धित है। मैं इनकी भावनाओं को ट्रांसपोर्ट मंत्री को विभाग की तरफ से निश्चित रूप से भेज दूंगा ताकि वह वाहन प्रदूषण फैला रहा है या नहीं, या उसकी फिटनैस है या नहीं है, वह विभाग इसके बारे में देखेगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कूप में में धरना, भारी शोरगुल एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: लोकतंत्र का इससे ज्यादा भद्दा मजाक आज तक देखने को नहीं मिला। यह दस-बीस आदमी 200 विधायकों के अधिकार पर अतिक्रमण कर रहे हैं और किस तरह की +++ करते हैं। यह सीनियर लोग बैठे हैं, टुकुर-टुकुर देख रहे हैं यह। वह भी टुकुर-टुकुर देख रहे हैं। यह ठीक हो रहा है क्या? क्या मजाक बना रखी है दस-बीस आदमियों ने। सारा सदन चाहता है कि सदन चले और यह दस-बीस लोग +++ करने आ गये। यह +++ हो रही है। लोकतंत्र की गद्दारी हो रही है, लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है। अगला प्रश्न श्री मोहनलाल गुप्ता।

प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के दर्ज प्रकरण

28. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण दर्ज किये गये? उक्त में से कितने प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कितने प्रकरणों में से कितने अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में जांच लम्बित हैं? उक्त जांच कब तक पूर्ण कर दोषियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) (राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो मंत्री के स्थान पर): (1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विगत तीन वर्षों में भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध निम्नांकित प्रकरण दर्ज किये गये हैं:-

(गृह मंत्री)

क्र.सं.	सेवा संवर्ग	अधिकारियों की संख्या	ब्यूरो में दर्ज प्रकरणों की संख्या
1.	आईएएस	10	18
2.	आर.ए.एस.	50	54
	योग	60	72

उक्त प्रकरणों में से 10 प्रकरणों में चालान एवं 6 प्रकरणों में अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। विवरण परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

(2) आलोच्य अवधि में दर्ज 56 प्रकरणों में उक्त अधिकारियों के विरुद्ध जांच लम्बित है एवं जिन प्रकरणों में मा. न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, उनमें से 5 प्रकरणों को सीआरपीसी की धारा 173(8) में लम्बित रखा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज प्रकरणों में अंकित आरोप जटिल प्रकृति के होते हैं, जिनकी जांच में विभिन्न कानूनी पहलुओं से परीक्षण, सम्बंधित विभागों से अभिलेखादि एकत्रित/अवलोकन करने एवं उनका नियमों के अनुरूप विश्लेषण/परीक्षण करने तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण करवाने इत्यादि में समय लगना स्वभाविक है। अत: प्रकरणों की जांच पूर्ण कर दोषियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत करने के संबंध में ब्यूरो द्वारा निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती है, इसके बावजूद ब्यूरो द्वारा त्वरित गति से प्रकरणों में जांच पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल गुप्ता, पूरक प्रश्न नम्बर एक। आप नौटंकी भी करते रहें, जो आनन्द आता रहे। यहां राजनीतिक नौटंकी का खेल हो रहा है। राजनीतिक नौटंकी से अधिक कुछ नहीं है यह। अपनी एक बात रख दी, लेकिन अब लगातार नौंटकी कर रहे हैं। लगातार नौटंकी करते रहो। ...(व्यवधान) नौटंकी करो। खड़े होकर करो नौटंकी। ...(व्यवधान)... खड़े होकर करो नौटंकी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना, भारी शोरगुल एवं नारे)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जांच जल्दी पूरी करके और कब तक अंतिम प्रतिवेदन उनके खिलाफ प्रस्तुत कर दिया जाएगा। क्योंकि काफी मामले यहां लम्बित हैं, काफी मामले पैंडिंग हैं और उन पैंडिंग मामलों के कारण न्याय मिलने में विलम्ब होता है, अत: कृपया इस प्रक्रिया को सरकार कब तक पूरी करके अंतिम प्रतिवेदन तक पहुंच जाएगी, यह बताने का कष्ट करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वर्षवार जो प्रकरण हमने दर्ज किये हैं, 2014 में 29 प्रकरण दर्ज हुए, उनमें से 5 में चालान कर दिया और केवल 3 में एफ.आर. लगी है, बाकी अभी में इंक्वायरी पैंडिंग है। 2015 में 21 प्रकरण दर्ज हुए, 2 में चालान कर दिया, 2 में एफ.आर. दी है, बाकी पैंडिंग इंक्वायरी है। 2016 में 19 प्रकरण दर्ज हुए, 3 में चालान, एक में एफ.आर. लगी है, बाकी पैंडिंग है। 2017 में 3 केसेज कुल ही दर्ज हुए हैं, उन तीनों में अभी जांच चल रही है। कुल 72 प्रकरण दर्ज हुए, उनमें से 10 में चालान और 6 में, यह 56 प्रकरण अभी हमारे पास जो पैंडिंग हैं, मैं सोचता हूं इसमें समय लगना तो स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी राजस्थान एक तरह से पैंडेंसी की दृष्टि से मैं बताता हूं, हिन्दुस्तान में पैंडेंसी विशेषकर के हमारी जो पैंडेंसी है, वह राजस्थान में चौथे नम्बर की पैंडेंसी है। हमारे से ऊपर महाराष्ट्र और दो राज्य हैं, बाकी राज्यों में राजस्थान की पोजीशन काफी अच्छी है। थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी पैंडेंसी हमको मिली थी 2014 में, 197 पैंडेंसी हमको मिली थी आज हमारे पास जो पैंडेंसी है नये केस आने के बाद भी, वह 121 ही रही अर्थात् जितने नये केस आये, उसकी तुलना में पुराने केसेज का भी हमने डिस्पोज ऑफ किया है। हमारे पास 6 माह से अधिक से कम वाली जो पैंडेंसी है, वह 73 है और 6 माह से अधिक वाले केवल 48 केस पैंडिंग है, बाकी सारे केसों का निस्तारण करके 121 केस केवल पैंडिंग है।

राजस्थान इस दृष्टि से बहुत भाग्यशाली राज्यों में से है कि राजस्थान में जो सज़ा है उस सज़ा की दृष्टि से भी हम हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर हैं। जितने भी केसेज हमारे पास आते हैं और आपको यह सुन कर के बहुत संतोष होगा कि पिछली सरकार के समय में सज़ा का जो परसेंटेज था

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वो 18 था, 26 था और 33 था, आज हमारा सज़ा का परसेंटेज 57 है, 46 है, 46 प्रतिशत है। सज़ा का परसेंटेज अधिक है, चालानी परसेंटेज अधिक है, हमारी पैंडेंसी कम है। इसके साथ ही संगीन केस राजस्थान ने आई.ए.एस. के ऊपर भी जो बनाया है, मैं सोचता हूं हिन्दुस्तान में पहला राज्य है राजस्थान जो टॉप आई.ए.एस. जिनको भी हमने जेल के सींख़चों में डाला है और हमने उनके खिलाफ कार्यवाही की है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे? श्रीमती द्रोपती, आप पूरक प्रश्न कीजिए।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हम कल से देख रहे हैं, ये कांग्रेसी भाई इस तरह से बोल रहे हैं, ये सदन के अन्दर दो बोर्ड लगे हुए हैं, इस बोर्ड पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभा के अन्दर प्रवेश करते वक्त अगर किसी ने अपशब्द बोले हों या गलत बोले हों तो वो पापी होता है, और ये लोग पहले गलती करते हैं और फिर माफी मांगते हैं, तो यह कहां का न्याय है?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी मैं यह बात कहना चाहूंगी कि ये कांग्रेसी भाई किसानों की बात कर रहे हैं, पिछली बार इनकी सरकार थी भारत के अन्दर और राजस्थान के अन्दर, पूरे भारत में, तो इन्होंने जो किसानों के हित की बात की, मैं कह रही हूं कि यूरिया की किल्लत थी राजस्थान में, उस वक्त यह कहां गये थे जो आज किसानों की चिंता कर रहे हैं। आज यह खुद किसान बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये कांग्रेसी भाई यह सदन क्यों नहीं चलने दे रहे?

जो यह क्वेश्चन है उसमें मैं पूछना चाहूंगी कि हनुमानगढ़ जिले में वर्ष 2014 से आज तक कितने भ्रष्टाचार के प्रकरण कौन-कौनसे अधिकारियों पर दर्ज किये गये? कितने दोषी अधिकारियों को सरकार ने दंडित किया? हनुमानगढ़ जिले में भ्रष्टाचार के दर्ज प्रकरणों में कितने अधिकारी/कर्मचारी माननीय न्यायालय से बरी हुए हैं और क्या सरकार ने माननीय न्यायालय से बरी हुए कर्मचारियों को वेतन का लाभ दे दिया है? यदि हां, तो कौन-कौनसे अधिकारी/कर्मचारी को और किस बजट खर्च से किया गया है? यह

(श्रीमती द्रोपती)

बताने की कृपा करें। धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 2008 से लेकर के 2016 और 31 जुलाई, 2017 तक हमारी जो पैंडेंसी है वो पैंडेंसी मैंने वर्षवार दे रखी है। जो 1400 पैंडेंसी थी, आज की तारीख में 3025 केस हमारे पास हैं, चालान हुए 171, सज़ा का परसेंटेज मैंने आपको बताया। प्रत्येक जिले के अनुसार मेरे पास केस नहीं हैं। अगर यह केवल हनुमानगढ़ जिले के ही केस चाहेंगे तो इसमें केवल आर.ए.एस. और आई.ए.एस. के बारे में ही प्रश्न था, बाकी डिपार्टमेंट की संख्या तो मेरे पास है लेकिन इंडिविजुअल एक-एक आदमी के बारे में मेरे पास डिटेल नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगी तो मैं उनके जिले की डिटेल एक-एक केस कहां तक है, जहां तक आई.ए.एस. और आर.ए.एस. की सज़ा का परसेंटेज जैसा मैंने बताया, राजस्थान में आज भी, एक तरह से हमने 2014 में एक आई.ए.एस. को सज़ा दिलायी और एक दोष मुक्त हुआ। इसी तरह से 2015 में दो आर.ए.एस. को सज़ा दिलायी और 2016 में अभी तक कोई भी दोष किसी का नहीं है और 2017 में भी अभी तक किसी का दोष नहीं हुआ।

यह फीगर केवल आई.ए.एस. और आर.ए.एस. के हैं, बाकी लोगों के लिए सज़ा का परसेंटेज तो मेरे पास है लेकिन इंडिविजुअल एक-एक आदमी की सज़ा की डिटेल मेरे पास नहीं है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल। पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो प्रश्न यह है कि साफ करो भाई साफ करो।

अनेक माननीय सदस्य: कांग्रेस को साफ करो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): साफ करो भाई साफ करो।

अनेक माननीय सदस्य: कांग्रेस को साफ करो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): साफ करो भाई साफ करो।

अनेक माननीय सदस्य: कांग्रेस को साफ करो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बाहर करो भाई बाहर करो।

अनेक माननीय सदस्य: कांग्रेस को बाहर करो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जो प्रकरण रजिस्टर हुए हैं उसमें से ऐसे कितने प्रकरण हैं जिन प्रकरणों में पी.ओ. की जांच होने के उपरान्त भी, चालान स्टेज आने के बावजूद भी चालान प्रस्तुत नहीं हुए हैं और कितने समय से वो केसेज पैंडिंग हैं?

दूसरा। अन्य अधिकारियों के विरुद्ध जो पैंडिंग है, सरकार की अनुमति देने में कितना विलम्ब हो रहा है? कृपया इसको भी स्पष्ट करें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अभी हमारे पास आई.ए.एस. के जो कुल प्रकरण हैं वो हमारे पास 58 दर्ज हुए हैं, 11 में चालान हो गया, 23 में एफ.आर. लगी है और 24 अभी पैंडिंग हैं। इसी तरह से आर.ए.एस. में 318 केस 2014 से लेकर अब तक दर्ज हुए हैं, 120 में चालान हुआ है, एफ.आर. 112 की लगी है और 86 अभी तक लम्बित हैं।

राजस्थान में मैंने बता दिया छह महीने और छह महीने से अधिक कितने केस अभी तक पैंडिंग हैं, वो संख्या मैंने पहले बता दी थी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री रामहेत सिंह यादव।

जिला परिषद् अलवर द्वारा स्वीकृत कार्य

29. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास):- क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला परिषद अलवर द्वारा गत दो वर्षों में किस-किस मद में कब-कब, क्या-क्या एवं कितनी-कितनी राशि के कार्य करवाये गये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों को जिला परिषद अलवर द्वारा किस-किस प्रक्रिया/नियम के द्वारा स्वीकृत किये गये? प्रक्रिया/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जिला

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

परिषद अलवर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित समस्त विकास योजनाओं में गत दो वर्षों में किये गये कार्यों की संख्या, राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) परिशिष्ट-1 में अंकित स्वीकृत समस्त कार्य राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं की मार्गदर्शिका व समय-समय पर जारी परिपत्रों के आधार पर ही स्वीकृत किये गये है। मार्गदर्शिका की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने जवाब में जो सूची संलग्न की है अगर उसको हम गौर फर्माएं तो उस सूची में जो स्वीकृति दी है उसमें भी जिला परिषद् में डिले हुआ है, वित्तीय स्वीकृति में भी डिले हुआ है और उस काम की प्रगति देखें तो बहुत धीमी है।

मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आपने जो सूची दी है, ऐसे बहुत सारे विधायक के मेवात के या अन्य योजनाओं के काम हैं जो तीन-तीन साल के विलम्ब से हैं, क्या आप इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे? इसके लिए क्या उपाय करेंगे?

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, बघाना, मेरी पंचायत समिति कोटकासिम में प्राइमरी स्कूल है, जन सहभागिता में उसमें 2013 में राशि सैंक्शन हुई, भवन बनने लगा, वो गिर गया और गिरने के बाद तत्कालीन सरपंच के खिलाफ रिकवरी जारी हुई। इसी तरह से राज्य सभा के माननीय सदस्य द्वारा कतोपुर में एक स्कूल के भवन बनाने के लिए राशि जारी की और वो हॉल था वो झुक गया। दोनों स्थितियों की जांच पैंडिंग है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं जांच पैंडिंग है, कब तक रिकवरी कर लेंगे? और दोनों विद्यालयों के जो भवन हैं, तकनीकी रूप से ठीक है कि नहीं, बघाना में गिर गया है तो उन जनप्रतिनिधियों से, उन अधिकारियों से उसकी वसूली कब तक करेंगे? वसूली नहीं होने की स्थिति में क्या एफ.आई.आर. दर्ज करेंगे? पहला क्वेश्चन यह है।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

दूसरा मेरा निवेदन है कि जिला परिषद में एस.एफ.सी. पंचम 2016-17 की अगर सूची देखेंगे तो विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ को 10 लाख, मुण्डावर को 16 लाख 50 हजार, थानागाजी को 10 लाख, कठूमर को 91 लाख 50 हजार और विधान सभा क्षेत्र बहरोड़, बानसूर में एक पैसा नहीं दिया। यह जो राशि का बंटवारा जिला परिषद पर किया गया है, इस असमानता के क्या कारण हैं और क्या इसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं आती? इसकी आप चांज कराएंगे?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

दूसरा, राज्य वित्त आयोग पंचम में जिला परिषद द्वारा पांच प्रतिशत मद की राशि की हम चर्चा करें तो तिजारा में एक करोड़ 75 लाख, कठूमर में एक करोड़ 48 लाख, मुण्डावर में 82 लाख, कोटकासिम में मात्र 52 लाख 73 हजार, किशनगढ़ में मात्र 57 लाख और बहरोड़, बानसूर, थानागाजी में एक पैसा नहीं दिया गया। ऐसा लगता है कि जिला परिषद में राशि के वितरण में घोटाला हुआ है।

मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इस राशि में असमानता क्यों रहीं? इसके क्या कारण हैं? अगर कोई करप्शन हुआ है तो उसकी जांच कराएंगे?

तीसरा, हम देखें कि जो नई ग्राम पंचायतें थीं उनमें से बहुत सारी ग्राम पंचायतों की सूची दी है, जिनमें भूमि का आबंटन नहीं हुआ। 2-2 साल के बाद भी अगर वहां भवन नहीं बनते हैं तो वहां पंचायतों को चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कब तक इनकी भूमि को अलॉट करा करके नए पंचायत भवन बना देंगे?

माननीय मंत्री महोदय, जो मैंने आपसे निवेदन किया है कि बघाना और कतोपुर की जांच कराकर के, कब तक इनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? इनसे राशि वसूल करके यह बन जाएंगे? जो एसएफसी और राज्य वित्त आयोग की राशि में भेदभाव हुआ है इसके बारे में राज्य सरकार क्या एक्शन लेगी, यह भी बताएं?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अलवर जिले में 2 वर्षों में विभिन्न योजनाओं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में जो राशि स्वीकृत हुई है, उसके बारे में जानकारी चाही है। अध्यक्ष महोदय, 2016-17 में पंचायत राज और ग्रामीण विकास इन दोनों को मिलाकर के 449 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई और इसमें से 317 करोड़ रुपए की राशि व्यय हुई। यानी कुल मिलाकर के जितनी राशि 2016-17 में स्वीकृत हुई, उसका 70 प्रतिशत व्यय हुआ। अध्यक्ष महोदय, 2016-17 में अलवर जिले में 10822 काम स्वीकृत हुए और उसमें से 8303 काम पूरे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, हां यह सही है कि आज भी अलवर जिले के अंदर 2016-17 के 2865 काम ऐसे हैं जो स्वीकृत हो गए परंतु पूर्ण नहीं हुए। मैंने खुद माननीय सदस्य के साथ चर्चा की थी। इसी 03.10.2017 को अलवर में जाकर के मीटिंग ली थी। जो 2016-17 के अपूर्ण काम हैं, जिनकी संख्या 3865 है, इनको एक अभियान चलाकर के जल्दी पूरा कराएंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार 2017-18 के अंदर जो राशि अभी तक उपलब्ध हुई है, वह 318 करोड़ रुपए है और इसमें 176 करोड़ रुपए की राशि वह है जो कि 01.04.2017 की अधिशेष थी। इसमें अभी 97 करोड़ की राशि खर्च हुई है। यानी 30 प्रतिशत राशि इसमें से खर्च हुई है। कुल स्वीकृत काम जो 7137 थे, उसमें से 1913 पूर्ण हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि आपने यह जानना चाहा था कि 2 वर्ष के अंदर अलवर में कितने काम स्वीकृत हुए और उसमें कितनी राशि दी? पिछले 2 वर्षों में 17959 कार्य स्वीकृत हुए और इसमें से 9216 कार्य पूर्ण हुए हैं। इसके लिए 767 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और 404 करोड़ रुपए का काम पूरा हुआ है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने राज्य वित्त आयोग पंचम के अंदर जो 5 परसेंट की राशि जिला परिषद को मिलती है, उसके बारे में जानकारी चाही है। आपने यह भी जानकारी चाही है कि राज्य वित्त आयोग से राशि का आवंटन किस फार्मूले से होता है। इसमें यह है कि जो पूरे राजस्थान का टोटल टैक्स रेवेन्यू है, उसका 7.18 परसेंट पंचायत राज

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एवं स्थानीय शहरी निकायों को राज्य वित्त आयोग द्वारा दिया जाता है। उसमें भी 75.1 फीसदी पैसा पंचायत राज को और 24.9 फीसदी पैसा स्थानीय निकायों को दिया जाता है। इसके आवंटन के लिए एक फार्मूला बना हुआ है। इसके मापदंड बने हुए हैं। इसमें जिले की जनगणना का 40 परसेंट, भौगोलिक परिस्थिति, क्षेत्र कैसा है उसका 15 परसेंट, चाइल्ड सैक्स रेश्यो, एस.सी., एस.टी. पॉपुलेशन, आईएमआर, एमएमआर इनका आधार बना हुआ है। यह जो टोटल पैसा राज्य वित्त आयोग पंचम से प्राप्त होता है, उसमें ग्राम पंचायत को सीधी 80 परसेंट राशि जाती है। पंचायत समिति को 10 परसेंट जाती है और जिला परिषद को 5 परसेंट जाती है।

अध्यक्ष महोदय, 2015-16 के अंदर अलवर जिले में जिला परिषद को जो राशि मंजूर हुई वह 4.93 करोड़ थी। मुझे अफसोस इस बात का है, मैं इसकी जांच भी करवा रहा हूं कि एक भी काम 2015-16 में अलवर जिले में जिला परिषद मद में स्वीकृत नहीं हुआ। 2016-17 के अंदर 5.77 करोड़ की राशि मंजूर हुई और उसमें से सिर्फ 1 करोड़ 35 लाख के 28 काम स्वीकृत हुए। उसमें भी सिर्फ 67 लाख का व्यय हुआ है। इसी तरह से अगर 2017-18 को देखूं तो 5 करोड़ 78 लाख रुपया, इस 5 परसेंट की राशि में अलवर जिले को जो मिली उसमें से 2 करोड़ 79 लाख की स्वीकृति जारी हुई है। यानी अगर सारा देखें तो आज अधिशेष राशि अलवर जिले में 9 करोड़ 35 लाख अनस्पैंड पड़ी है। कुल मिलाकर इसी वित्तीय वर्ष में हमें 15 करोड़ 13 लाख की स्वीकृति जारी करनी है।

मैं माननीय सदस्य आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने जिस असमानता का जिक्र किया है, अगर किसी भी विधान सभा क्षेत्र और पंचायत समिति में जनसंख्या के अनुपात में राशि वितरित नहीं की गई और किसी भी प्रकार की असमानता रहेगी तो निश्चित रूप से उसको दिखाएंगे। उस असमानता को दूर करने का काम करेंगे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय मंत्री महोदय ने मेरा जवाब नहीं दिया। 2013 के अंदर स्कूल भवन की राशि स्वीकृत हुई और

(श्री रामहेत सिंह यादव)

वह भवन गिर गया। सरपंच के खिलाफ रिकवरी निकल गई, 3 साल तक वह रिकवरी नहीं हुई और न ही भवन बना। राज्य सभा के माननीय सदस्य ने कतोपुर स्कूल में जो साढ़े 5 लाख दिए थे उसमें से मात्र 1 लाख 66 हजार की एम.बी. भरी है। रिकार्ड को भी सरपंच और सैक्रेटरी लेकर के चले गए, 3 साल से मैं कह रहा हूं कि उनके खिलाफ आप कार्यवाही करो, तो यह कार्यवाही कब तक होगी? कब तक टेक्निकल रूप से देखकर के क्या एफ.आई.आर. दर्ज कराएंगे, क्या प्रोपर्टी अटैच करेंगे, कितने समय में करेंगे, यह आप बताएं। इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए क्या उपाय करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राज्य सभा के माननीय सदस्य के माध्यम से स्थानीय सांसद विकास मद के अंदर राशि स्वीकृत होने के बाद फर्जी आधार पर एम.बी. भरने एवं पैसा खुर्द-बुर्द करने की बात कही है। मैं सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप मुझे डिटेल में लिखकर के दे दें, मैं निश्चित रूप से आने वाले 20 दिन में इसकी सी.ई.ओ. स्तर के अधिकारी से जांच करवाकर के, इसमें जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे और जो वसूल योग्य राशि है वह उससे वसूलने का काम भी करेंगे।

आपने दूसरा सवाल खड़ा किया कि जो नई ग्राम पंचायतें बनी हैं, उनमें से कई ग्राम पंचायतों में अभी भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। भवन निर्माण के लिए भू-आबंटन की आवश्यकता है। कई जगह भू-आबंटन को लेकर विवाद भी हो जाते हैं। मैंने स्वयं ने देखा है और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि अलवर जिले में जिन ग्राम पंचायतों में भवन बनने की स्वीकृति जारी हो गई और भू-आबंटन के कारण कार्य रुका हुआ है, उनको निश्चित रूप से सीमाबद्धता के साथ कार्य पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी बताना उचित समझता हूं कि जब से यह सरकार आई है, राज्य के अंदर ग्रामीण विकास को बड़ी गति मिली है। उसका कारण भी है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही लक्ष्य है कि गांव का विकास हो, मुख्य मंत्रीजी का भी यही लक्ष्य है कि गांव का विकास हो। इसलिए जो हमें पैसा मिलता है स्टेट फाइनैन्स कमीशन से, सेंटर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

फाइनैन्स कमीशन से, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि जो 2010 से 2015 तक फोर्थ फाइनैन्स कमीशन था, जिसके अंदर यह सामने बैठे लोग जो आज धड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जिन्होंने राजस्थान के किसान की दुर्दशा की, जिन्होंने आजादी के बाद 56 साल तक राज किया। किसान एक दिन में ही कर्जे में नहीं डूबा। अगर किसान कर्जे में डूबा है, तो इनकी नीतियों के कारण डूबा है, 56 वर्ष तक राज करने वाले लोग आज चुनाव के समय में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका समय था ...(व्यवधान)... आपने कितने किसानों को कर्जा दिया?

अध्यक्ष महोदय, यह दस्तावेजों में लिखा हुआ है। यह रिकार्ड में लिखा हुआ है, 5 साल तक इनका राज था। यह 5 साल में किसानों को जीरो इंट्रेस्ट पर लोन देने की लोक-लुभावनी बातें करते रहे। इन्होंने 23 हजार करोड़ रुपए का लोन बड़ी मुश्किल से दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी मुख्य मंत्रीजी को और सहकारिता मंत्री जी को जिन्होंने 3 साल में 56 हजार करोड़ का जीरो परसेंट पर लोन राजस्थान के किसान को देकर उसकी बहबूदी की बात की है ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप विधायक हो ...(व्यवधान)... विधायक की मर्यादाओं को तो रखो ...(व्यवधान)... यह मर्यादा थोड़ी ही है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सदन का समय जाया कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह मर्यादा थोड़े ही है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसमें 341 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान का ग्रामीण विकास कोई रोक नहीं सकता। राजस्थान के किसानों की बहबूदी के लिए राजस्थान की सरकार ने जो कुछ किया आज राजस्थान का किसान इसको अच्छी तरह से जानता है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, हो गया। हो गया। श्री बनवारी लाल सिंघल। श्री बनवारी लाल सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोग ...(व्यवधान)...

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इनको मर्यादा तो सिखाओ ...(व्यवधान)... यह विधायक हैं ...(व्यवधान)...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): देवनानी जी, मंत्री जी ...(व्यवधान)...

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेवात विकास बोर्ड के व्यय के नियम में बिन्दु 5, सब सैक्शन 5 पर यह प्रोविजन है कि रेलवे अंडर ब्रिज बनाएंगे, मेरे यहां सिवाना गांव है, जिसमें शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रेलवे फाटक बंद रहता है। क्या मेवात विकास फंड से सिवाना गांव के लिए रेलवे अंडर ब्रिज बनाएंगे, यह मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित सवाल किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि किशनगढ़बास में जो आपका विधान सभा क्षेत्र है उसमें 2015-16 में 216 काम स्वीकृत हुए, 13 करोड़ रुपए उन पर व्यय हुए, 2016-17 में 431 काम स्वीकृत हुए और 6 करोड़ 99 लाख रुपए उन पर व्यय हुआ। 2017-18 में 20 करोड़ के 637 काम स्वीकृत हुए। आपने जो काम बताया है उसका निश्चित तौर पर परीक्षण कराएंगे और ग्रामीण विकास की किसी न किसी योजना में उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना, नारे व व्यवधान)

...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके पेट में मरोड़े आ रहे हैं, यह इनका कसूर नहीं है, यह राजस्थान की विधान सभा क्षेत्र के माध्यम से राजस्थान की कल्याणकारी सरकार की बातें राजस्थान के आवाम तक नहीं चली जाएं, इसलिए इन्होंने यह बात की है। अगर इनमें हिम्मत हो तो तर्कों के आधार पर बहस करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य घबरा रहे हैं, इनको बाहर निकाला जाए। इनकी आवाज भी बंद हो रही है। ...(व्यवधान)...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अलवर में पिछले कांग्रेस के राज में अलवर की तत्कालीन जिला परिषद की अध्यक्ष, जिला प्रमुख के द्वारा ...(व्यवधान)... मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से मंजूर किए गए मेवात बालिका आवासीय छात्रावास में गलत तरीके से ...(व्यवधान)... एक धार्मिक स्थल को दे दी गई, ...(व्यवधान)... जिसकी मैंने शिकायत की, ...(व्यवधान)... वह काम आज तक बंद है। मेरे विधान सभा क्षेत्र, तत्कालीन नियम के मुताबिक मेवात विकास बोर्ड का पैसा अलवर में निवेशित नहीं हो सकता था आबादी के अनुपात में लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने गलत तरीके से, मेवात बालिका छात्रावास मंजूर किया, पैसा लगाया और धार्मिक स्थल बनाने की कोशिश की। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं उसका काम अभी तक बंद है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के पटरी पार क्षेत्र में गर्ल्स सीनियर सैकंडरी स्कूल की आवश्यकता है जिसके लिए जगह उपलब्ध नहीं है, क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग इस गैर कानूनी तरीके से बने हुए आवासीय विद्यालय का नाम था, मेवात बालिका छात्रावास था, इसको क्या आप शिक्षा विभाग को देकर इसमें गर्ल्स सीनियर सैकंडरी स्कूल खोलने की मंशा रखते हैं क्योंकि यह बालिका छात्रावास नहीं होकर गैर कानूनी तरीके से एक धार्मिक स्थल का निर्माण हो रहा था, जिसके फोटो भी मैंने तत्कालीन मंत्रीजी से प्रस्तुत किए थे। माननीय मंत्रीजी मैं यह चाहता हूं कि इस धार्मिक स्थल के रूप में उस गलत तरीके के निवेश को रोक कर इसको क्या शिक्षा विभाग को देने का विचार रखते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेवात क्षेत्रीय विकास योजना माननीय अध्यक्ष महोदय, 1987-88 से चल रही है। इस योजना में अलवर जिले के 598 गांव और भरतपुर जिले के 381 गांव हैं। कुल मिलाकर इस योजना की राशि 979 गांवों में लग सकती है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सदस्य ने कहा कि इस योजना की राशि का दुरुपयोग करते हुए शहर में किसी प्रकार के धार्मिक स्थल का निर्माण कराया है। अगर यह बात सही निकली तो निश्चित तौर पर इसकी जांच करवाएंगे क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थल का कोई निर्माण शहर के अंदर इस मेवात क्षेत्र विकास योजना से नहीं किया जा सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2017-18 के अंदर हमने अभी-अभी 1875 काम 90 करोड़ 88 लाख की राशि से अनुमोदित कराएं हैं। अभी राज्य सरकार ने जो बैठक की उसमें 2018-19 के अंदर 1132 काम 54 करोड़ की लागत से अनुमोदित कराएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूतो न भविष्यति, अलवर जिले के अंदर मेवात क्षेत्र में 145 करोड़ के काम तो 2017-18, 2018-19 में है, 3060 कामों को हमने अनुमोदित किया है जिन पर हम काम करने की बात करेंगे।

आपने जो प्रश्नगत विद्यालय की बात की है। आप मुझे लिखकर दें, अगर किसी प्रकार के निर्माण का काम, किसी प्रकार के धर्म स्थल का काम, अगर मेवात विकास बोर्ड ने कराया है तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्रीजी, आप इसकी जांच के लिए कमेटी गठित करने की घोषणा कर दें। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मेवात विकास बोर्ड के काम से, पैसों से किसी भी धार्मिक स्थल का कोई भी निर्माण अलवर शहर में करवाया गया है तो निश्चित तौर पर उसकी जांच भी करवाएंगे और जांच के आधार पर उत्तरदायित्व भी निर्धारण करेंगे और आवश्यक कार्यवाही भी करेंगे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कमेटी गठन की घोषणा कर दें माननीय मंत्रीजी, कमेटी गठन की। ...(व्यवधान)... मंत्रीजी, कमेटी गठन की घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीरसिंह भायल। ...(व्यवधान)... आप विराजिए। ...(व्यवधान)... मैंने हमीरसिंहजी को बुला लिया है। इनके अलावा कोई और पूरक प्रश्न नहीं। ...(व्यवधान)... हमीरसिंहजी। ...(व्यवधान)...

सिवाना के स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

30. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सिवाना में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्ष 2013 में शय्याओं में वृद्धि की गई थी? यदि हां, तो कौन-कौनसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदड़ी में 30 से 50 शय्याओं में वृद्धि की गई है? यदि हां, तो अब तक शय्याओं में वृद्धि नहीं करने के क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिणधरी व सिवाना में भी शय्याओं में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिवाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पादरू एवं मोकलसर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.03.2013 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समदड़ी में 20 शय्याओं की वृद्धि कर 30 से 50 किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी।

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.03.2013 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समदड़ी में 20 शय्याओं की वृद्धि कर 30 से 50 किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) कस्बा सिणधरी व सिवाना में वर्तमान में 30-30 शय्याओंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। सिणधरी में वर्ष 2016 में स्वीकृत शय्याओं का उपयोगिता प्रतिशत (बी.ओ.आर.) 88.89 प्रतिशत रहा एवं सिवाणा में वर्ष 12016 में स्वीकृत शय्याओं का उपयोगिता प्रतिशत (बी.ओ.आर.) 96.04 प्रतिशत रहा है। उक्त संस्थानों पर आगामी वित्तीय वर्षों

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शैय्याओं में वृद्धि किए जाने पर विचार किया जाएगा।

(4) ग्राम पादरू एवं मोकलसर पंचायत समिति, सिवाना जिला बाड़मेर के अंतर्गत आता है। उक्त ग्राम में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंडानुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंडानुसार आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर पंचायत समिति, सिवाना में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के प्रयास किए जाएंगे।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 2013 में समदड़ी में प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में भी 30 बैड से 50 बैड करने का आदेश देने के बाद भी आज तक नहीं होना, यह ग्रामीण जनता के लिए और समदड़ी एक ऐसा जंक्शन लगता है कि रेलवे का जंक्शन से लगाकर सौ गांवों से घिरा हुआ है, वहां 50 बैड का इसको किया जाना अति आवश्यक है। सिवाना विधान सभा क्षेत्र में सिवाना और सिणधरी भू-भाग में इतने बड़े हैं कि वहां पर भी 30 बैड से 50 बैड अति आवश्यक है। मैं आपके मार्फत मेगा हाईवे से लगता हुआ जो सिणधरी का बैल्ट है, पंजाब से बीकानेर होती हुए कांडला तक जो मेगा हाईवे है वहां सिणधरी के अंदर ट्रोमा सेंटर होना अति आवश्यक है। साल में एक्सीडेंट से सैंकड़ों मौतें हो जाती है, इसके कारण वहां कोई नजदीक में ट्रोमा सेंटर नहीं होने की वजह से जो एक्सीडेंट होता तो उन घायलों की मृत्यु ही होती है, इसलिए मेहरबानी करके सिणधरी में ट्रोमा सेंटर खोला जाए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जाते-जाते 2013 में बिना वित्तीय स्वीकृति के 37

(श्री कालीचरण सराफ)

सीएचसी और पीएचसी में 990 बैड बढ़ाने की घोषणा कर दी, प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी पर वित्तीय प्रावधान कुछ भी नहीं किया, इसके कारण यह सब अटका हुआ है, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने जो स्वास्थ्य केन्द्र सिवाना में बैड बढ़ाने की बात कही है हमने वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेज दिया है जल्दी ही इनके यहां वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही यह शय्याएं 30 से 50 कर दी जाएंगी। जहां तक ट्रोमा सेंटर का सवाल है, आप लिखित में दे दीजिए, हम उसको एक्जामिन करवा कर कहां ट्रोमा सेंटर खोला जा सकता है उस पर हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रोमा सेंटर के लिए मैं लिखित में कई बार दे चुका हूं। आप जो फरमा रहे हैं, पादरु मोकलसर से लगाकर ओपीडी के आधार पर पीएचसी से सीएचसी करने की अगर सरकार मंशा रखती है तो ओपीडी इतनी है, ग्रामीण क्षेत्र में आप लाख की आबादी का विवरण दे रहे है, मेरे यहां पादरु के 50 किलोमीटर दायरे में कोई पीएचसी नहीं है। वहां सीएचसी की आवश्यकता है।

दूसरा, सिवाना में 108 एक साल से नहीं होने की वजह से वहां जितने भी मरीज हैं वे परेशानी के शिकार बनते हैं। मेहरबानी करके एक 108 तुरन्त उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही 8-9 साल से हमारे वहां की ग्रामीण क्षेत्र की एएनएम और नर्स बाहर बैठी हैं उन्हें हमारे बाड़मेर जिले में खाली स्थान पर लगाने की कृपा करें।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 108 एम्बुलेंस के लिए कहा है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नवम्बर के फर्स्ट वीक में आपके यहां एक एम्बुलेंस भेज दी जाएगी। आपने जो ट्रोमा सेंटर के लिए कहा है, मैंने जैसा कहा है एग्जामिन करके वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आपके यहां निश्चित रूप से ट्रोमा सेंटर अगले सत्र में खुले इसका प्रयास हम करेंगे।

इसी प्रकार से पादरू में सीएचसी क्रमोन्नत किये जाने की जहां तक बात है उसे भी हम एग्जामिन करवा रहे हैं। एक लाख से ऊपर जितनी

(श्री कालीचरण सराफ)

जनसंख्या है वहां हम निश्चित रूप से सीएचसी खोले जाने का प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे और आपके यहां सीएचसी खोली जाए इसका प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। फिर भिण्डरजी, आपका नम्बर है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से सवाल करना चाहूंगी कि पूरे राजस्थान में वर्ष 2013 में कितनी सीएचसी ऐसी थीं जिनमें शय्याओं का विस्तार किया गया? क्या इसी क्रम में रामगंजमण्डी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी आता था, यदि आता था और उसमें वृद्धि की गयी तो आज तक सरकार के द्वारा क्या सुविधा उसमें मुहैया करवायी जा रही है, यह मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जैसा मैंने कहा, पिछली सरकार ने 990 शय्याएं बिना किसी वित्तीय प्रावधान के घोषणा कर दीं और उनके लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया। हम एक-एक का एग्जामिन कर रहे हैं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर हम बैड बढ़ाने की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री रणधीर सिंह भिण्डर।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जिले में जिन सीएचसीज् में ओपीडी सबसे ज्यादा है और 75 बैड के होस्पिटल्स हैं वहां पर भी बहुत-सी पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं, दो-तीन डॉक्टरों से ही काम चल रहा है। इन पोस्टों को आप कब तक भरेंगे, यह जानकारी दें।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम निरन्तर इस प्रयास में हैं कि डाक्टर्स के पद भरे जाएं। अभी हमने 911 डॉक्टर्स की पोस्टिंग की, परन्तु उसमें से केवल 462 डाक्टर्स ने ज्वाइन किया। उसके बाद हमने 252 डाक्टर्स की वेटिंग लिस्ट में से नियुक्ति की, लेकिन उसमें से कोई ज्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। हम दुबारा जो वैकेंट पोस्ट हैं,

(श्री कालीचरण सराफ)

उनके लिए पोस्ट विज्ञापित करके जल्दी से जल्दी और डाक्टर्स के पद भरे जाएं इसका प्रयास कर रहे हैं, परन्तु डाक्टर्स सलेक्ट होने के बाद भी ज्वाइन नहीं करते, इसका हमारे पास कोई तरीका नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चिकित्सक के पद भरे जाएं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हरिसिंह रावत।

भीम के बग्गड़ में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

31. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र भीम के बग्गड़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटित होने के उपरान्त भी उक्त रीको औद्योगिक क्षेत्र अभी तक प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): (1) रीको द्वारा विधानसभा क्षेत्र भीम के ग्राम बग्गड़ में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। इस हेतु ग्राम बग्गड की 660-16-10 बीघा राजकीय बिलानाम भूमि रीको को राज्य सरकार द्वारा आवंटन दिनांक 03.06.2010 को किया गया। इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति दिनांक 19.09.2016 को जारी हो चुकी है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है।

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र को प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण रहा कि 3 जून, 2010 में भूमि आवंटित हुई और पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लगभग 6 साल लगे? क्या इसी तरह पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए भी कोई समय लगेगा या कोई समय निर्धारित

(श्री हरिसिंह रावत)

है तो थोड़ा स्पष्ट करें कि यह पर्यावरणीय स्वीकृति कब मिल जाएगी और कब काम प्रारंभ कर दिया जाएगा?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 2006 में जमीन सैट अपार्ट हुई थी। 2006 के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, इण्डस्ट्रियल एरिया को एस्टेब्लिश करने के कई प्रोसिजर हैं, इण्डस्ट्रियल एरियाज् की कैटेगरीज् हैं और इण्डस्ट्रियल एरियाज् की कैटेगरी के हिसाब से वेरियस क्लीयरेंसेज लिये जाने की जरूरत है। यह सही है कि 2010 में जमीन के अलॉटमेंट के बाद में राज्य स्तरीय पर्यावरण इम्पैक्ट असेसमेंट समिति के सामने इस मामले को ले जाया गया। तब यह माना गया कि यह इण्डस्ट्रियल एरिया बी कैटेगरी का इण्डस्ट्रियल एरिया होगा। लेकिन यह इण्डस्ट्रियल एरिया बी कैटेगरी का नहीं था क्योंकि जब राज्य स्तरीय समिति ने मौका-मुआयना किया, उसका निरीक्षण किया तो उस समय मालूम पड़ा कि यह रावली-टॉडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में यह इलाका आता है। इसलिए यह कैटेगरी-ए का इण्डस्ट्रियल एरिया हो गया और कैटेगरी-ए का इण्डस्ट्रियल एरिया होने के कारण पर्यावरण की स्वीकृति गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के एनवायरमेंटल फोरेस्ट डिपार्टमेंट और साथ में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्वीकृति के बाद ही इण्डस्ट्रियल एरिया खोला जा सकता है। अब मैं आपको इतना निवेदन कर सकता हूं कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्वीकृति 19.09.2016 को जारी हो गयी है और साथ में पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष जो प्रस्तुतीकरण किया गया था उसके बाद एक सब-कमेटी ने आपके यहां निरीक्षण किया, जिसमें आप भी शामिल थे, 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक सब-कमेटी ने उसका निरीक्षण कर दिया है और साथ में 16 अक्टूबर, 2017 को समिति की मीटिंग में पूरा प्रजेंटेशन रख दिया गया है। उसकी मिनिट्स अभी नहीं आयी है। मैं समझता हूं मिनिट्स आने के साथ ही आपको पर्यावरण की स्वीकृति मिल जाएगी और जल्दी ही काम शुरू कर देंगे।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न नहीं करेंगे? श्री शंकरसिंह। श्री शंकरसिंह, पूरक प्रश्न।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार भीम में उद्योग लगे हुए हैं, अन्य क्षेत्रों में भी छोटे-छोटे उद्योग लगे हुए हैं उनमें मिनरल व्यवसाय के भी काफी उद्योग हैं और यहां का रॉ-मैटेरियल राजस्थान में ही सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान से रॉ-मैटेरियल सीधा अभी गुजरात में जाना चालू हो गया है, अन्य स्टेट में भी जाना चालू हो गया है। वहां पर मिल, यहां की 20 मिल के बराबर, इतनी बड़ी-बड़ी मिल वहां गुजरात में लगी हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि यहां के जितने भी उद्योग लगे हुए हैं, ये सब चौपट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और यहां की लेबर भी जो उन उद्योगों में काम करती है वह भी बेरोजगार हो जाएगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इन उद्योगों के लिए जो रॉ-मैटेरियल यहां से गुजरात जा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। माननीय मंत्री महोदय, रोक लगाने के लिए आश्वस्त करेंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी रॉ-मैटेरियल के दूसरे स्टेट में जाने पर कोई रोक संभव नहीं है। सवाल केवल एक है कि जिस रॉ-मैटेरियल का उपयोग गुजरात में जाकर हो रहा है उस रॉ-मैटेरियल के उपयोग के उद्योग की स्थापना राजस्थान में किस प्रकार से की जा सके। सिरेमिक इण्डस्ट्री है, सिरेमिक इण्डस्ट्री का मेजर रॉ-मैटेरियल राजस्थान से गुजरात को जाता है। हमने रीको के तहत एक सिरेमिक हब बनाया है और सिरेमिक हब के माध्यम से जिस मैटेरियल से राजस्थान के बाहर जाकर उद्योगों की स्थापना की जा रही है उन रॉ-मैटेरियल का इस्तेमाल करते हुए राजस्थान में उद्योग किस प्रकार से लगाये जाएं इसके लिए हम वैरिएस क्लस्टर्स की स्थापना कर रहे हैं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। आप पूरक प्रश्न कीजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में डर्बी टैक्सटाइल है वह काफी लम्बे अरसे से बंद पड़ी है। वहां सारी लेबर ऐसे ही बैठे रहती है। इतनी गंदगी हो जाती है, उसका कोई समाधान

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)
नहीं है। सूरसागर के अंदर सारी डर्बी टैक्सटाइल पानी से भर जाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर ऐसी स्थिति है। लम्बे अरसे से बंद है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, पानी से भर जाती है। वहां पर इतनी लेबर है, उस लेबर का कोई पेमेंट नहीं किया है, वे ऐसे ही बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहूंगी कि वे इसका क्या रास्ता निकाल सकते हैं, वह निकालें। सारी कालोनी गंदी हो रही है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में जो.......

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(12.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन पैरों पर है कुछ तो गरिमा रखो। आसन पैरों पर है, कुछ गरिमा तो रखो भगवान के लिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में इस तरह से नारेबाजी करके नियमों और सारे......

अनुपस्थिति अनुमति

राजकुमारी दियाकुमारी, सदस्या, को दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 से सत्रांत तक

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि राजकुमारी दियाकुमारी, सदस्य, विधान सभा ने निजी पारिवारिक कारणों से विदेश यात्रा पर जाने के कारण दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) डा. किरोड़ी लाल (लालसोट), सदस्य की ओर से सरिस्का एवं रणथम्भौर अभयारण्य क्षेत्र की वन भूमि एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा कब्जा कर निर्माण कार्य कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर), सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले के शांता गांव निवासी बीरमाराम की हत्या की जांच एसओजी से कराये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विश्व प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेले में घोड़ों सहित अन्य पशुओं को प्रवेश नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य डा. किरोड़ी लाल, श्री हनुमान बेनीवाल एवं श्री धीरज गुर्जर को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री भंवरसिंह (कोलायत), सदस्य की ओर से जिला बीकानेर में मूंगफली की खरीद समर्थन मूल्य पर किए जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर), सदस्य की ओर से जिला श्रीगंगानगर की क्षतिग्रस्त लाइनिंग की मरम्मत करने व जल वितरण में समानता लाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना), सदस्य की ओर से भीलड़ी-समदड़ी-जोधपुर रेल मार्ग पर बने अंडर ब्रिज के स्थान पर समपार फाटक लगाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की तहसील घड़साना में छप्पर वाले गरीब परिवारों का पुन: सर्वे करवाकर दुकानें आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री नवनीत लाल (घाटोल), सदस्य की ओर से जिला प्रतापगढ़ की पंचायत समिति पीपलखूंट के ग्राम रोहनिया व पृथ्वीपुरा के बीच पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमंडी के मुकन्दरा टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत विस्थापित परिवारों को केन्द्र से मिलने वाले पैकेज के अतिरिक्त राज्य सरकार की तरफ से भी सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण), सदस्य की ओर से कोटा शहर में जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण करने एवं चिकित्सा स्टाफ की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर), सदस्य की ओर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति खरीद प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(9) मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र तिजारा में औद्योगिक इकाइयों द्वारा दूषित पानी आवासीय क्षेत्र व खेतों में छोड़े जाने से फसलों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़), सदस्य की ओर से दौसा सिविल लाइन क्षेत्र में आबादी क्षेत्र से होकर गुजर रही 132 एच.टी. लाइन को शिफ्ट किए जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में अनावृष्टि/सूखे से प्रभावित किसानों की फसलों का उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर), सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा 5 हॉर्स पावर के सोलर प्लांट में दी जा रही सब्सीडी सीधे किसानों के खाते में डाले जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 22 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नांकित हैं:-

क्र.सं.	**नाम माननीय विधायक**	**विषय**
1.	श्री खेमाराम (सुजानगढ़)	विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।
2.	श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर)	कोटा शहर में डेंगू एवं स्वाइन फ्लू रोगों पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में।
3.	डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर)	विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार किये जाने तथा रिक्त पद भरे जाने के सम्बन्ध में।
4.	श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी)	प्रतापगढ़ जिले के जाखम बांध से 554 गांवों के लिए बनाई गई पेयजल योजना को शीघ्र प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में।

डा. किरोड़ी लाल। डा. किरोड़ी लाल।

अनुरोध एवं मांग

किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा का अनुरोध

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि दो दिन से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य उद्वेलित हैं और वैल में हैं। आप मांग कर रहे हैं किसान की बहबूदी की, तो आप समय तय कर दें कि किसानों पर अगर चर्चा करना चाहें तो सरकार तैयार है। कर्जे माफी पर चर्चा करना चाहें तो सरकार तैयार है। किसी भी बात पर, किसान से सम्बन्धित किसी भी चर्चा के लिए सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तैयार है। मैं आपसे, आसन से निवेदन करना चाहूंगा कि यह संदेश जाना चाहिए राजस्थान के अवाम को कि ये चर्चा नहीं करना चाहते। यह संदेश जाना चाहिए राजस्थान के अवाम को कि ये चर्चा नहीं करना चाहते, हम चर्चा करना चाहते हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप समय तय कर दें, हम चर्चा कराने को तैयार है। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): इनको अगर किसान की चिंता है, किसान के हितैषी हैं तो सामने आएं और चर्चा करें आप।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, आप तो समय तय करो।

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह तो हल्ला करने वाली ब्रिगेड है, इस हल्ला करने वाली ब्रिगेड से आप समझदारी की उम्मीद कैसे कर रहे हैं इसलिए चलने दीजिये। इनका हल्ला चलने दीजिये और अपनी कार्यवाही चलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में यह आपसे निवेदन कर रहा हूं। हम चाहते हैं कि किसान के कर्जे की माफी पर प्रतिपक्ष चर्चा करे, हम जवाब देंगे। आप समय का निर्धारण कर दें। अगर किसान के कर्जे के माफी, किसान को सस्ती दरों पर.... (व्यवधान) इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप समय तय करें अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप जीरो ऑवर में अभी समय तय कर दें, आप अभी समय फरमा दें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप समय तय करा दें। बिना मतलब के यह संदेश जा रहा है और अगर ये सीरियस हैं किसी मामले में, अगर ये किसानों के प्रति गम्भीर हैं तो चर्चा में भाग लें, सरकार उत्तर देना चाहती है, सरकार चर्चा करना चाहती है और ये चर्चा से भागना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किरोड़ी लाल जी, आप बोलेंगे?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकने के लिए इस तरह से नारेबाजी कर रहा है। अगर ये चाहते हैं कि वास्तव में किसान का कर्जा माफ हो तो आप

(श्री कालू लाल गुर्जर)
आइये चर्चा में। जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप तैयार क्यों नहीं हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलिये, आपकी आवाज वैसे भी तेज है। आपकी आवाज वैसे ही तेज है, बोलिये आप। इन सब पर आप भारी पड़ेंगे।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): लेकिन आपको तो हल्ला करना है, किसानों का तो अब आपको लाभ लेना नहीं है, किसानों से आपको कोई लेना-देना नहीं है। केवल आपकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं। (व्यवधान) यह दादागीरी नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनको बार-बार कहने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यदि वास्तव में ये गम्भीर हैं और हिम्मत है तो चर्चा करने के लिए तैयार हो जाओ आप। (व्यवधान) हिम्मत है तो आओ। चर्चा करिये, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आपमें हिम्मत नहीं है, केवल घड़ियाली आंसू बहाते हो किसानों के नाम पर। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): किसानों के प्रति गम्भीर हैं तो आप चर्चा करिये। (व्यवधान) हम चाहते हैं कि किसानों के मामले में चर्चा करें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): कल सिंचाई पर चर्चा थी, कल महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा थी और आप हल्ला करते रहे, कुछ भी नहीं बोले। केवल हंगामा करना, यह आपका मकसद है। हिम्मत है तो चर्चा करो। आओ, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप समय फर्माएं, हम चर्चा करना चाहते हैं और ये चर्चा से भागना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग +++ हो गये हैं, इनको इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आओ, हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): इसलिए ऐसे +++ को विधान सभा से बाहर भेजकर इलाज कराया जाए। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वहां रहने से कुछ नहीं होगा, किसानों की बात पर आइये। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): केवल किसान के नाम पर राजनीति करना और घड़ियाली आंसू बहाना, उसके ऊपर चर्चा कर लो कभी भी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप समय फर्माइये अध्यक्ष महोदय चर्चा के लिए। समय नियत करें चर्चा के लिए। हम किसान पर चर्चा करना चाहते हैं। किसान के कर्जों पर चर्चा करना चाहते हैं। कर्जा माफी पर चर्चा करना चाहते हैं। आप समय फर्माएं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अगर किसानों के हितैषी हो तो चर्चा से क्यों डर रहे हो? चर्चा करो। अगर आप चर्चा करना चाहते तो... (व्यवधान) कर्जा माफ कराना चाहते हो तो चर्चा करो। डर क्यों रहे हो? (व्यवधान) हो-हल्ला क्यों कर रहे हो? +++ की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: शर्म करो। (व्यवधान) साफ करो, साफ करो इनको। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आओ, भाग लो। हाउस की डिबेट में आइये। आपने क्या किया किसानों के लिए, आइये, डिबेट में भाग लेने को हम तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हमें चुनौती स्वीकार है। आप चुनौती स्वीकार करो और चर्चा में भाग लो। किसानों के हितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हो। है कुछ नहीं आपके पास। न आपने कुछ किया, न आप कुछ करवाना चाहते हो। केवल हंगामा करना चाहते हो और सुर्खियों में आना चाहते हो। किसान हितैषी होने का नाटक कर रहे हो केवल, केवल नाटक कर रहे हो। आज बिजली पर भी चर्चा होगी। हिम्मत है तो आओ न। सदन के अंदर चर्चा करो न। केवल नाटक करने से काम नहीं

(श्री मदन राठौड़)

चलेगा। केवल अखबारों की सुर्खियों में आने से, किसान कभी भी आपका और विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए हिम्मत है तो चर्चा करने के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन करो। हम तैयार हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं। आइये न हिम्मत है तो, चर्चा करने के लिए आओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): समय तय करवाओ। (व्यवधान) ये अपनी सीटों पर जाएं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप समय तय करो माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पता लगेगा कि ये कितने सही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हम चर्चा के लिए तैयार हैं। (व्यवधान) ये घड़ियाली आंसू बहाना चाहते हैं। ये गुमराह करना चाहते हैं राजस्थान के अवाम को। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हमारे मंत्रीजी तैयार हैं। सरकार तैयार है। हम तैयार हैं। आइये, चर्चा में भाग लीजिये।

श्री हीरालाल (निवाई): इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये क्या चर्चा करेंगे। पूरे राजस्थान की जनता देख रही है। वह इनको माफ करने वाली नहीं है। पूरे राजस्थान की जनता आपको देख रही है। (व्यवधान) आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरे राजस्थान की जनता आपको देख रही है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप बोलिये। आपकी बोलती बंद क्यों हो गई। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की समस्याओं के बारे में, किसानों के कर्जे माफी के बारे में आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने हाई पावर कमेटी का गठन किया है और इसके बाद भी यदि ये चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार की ओर से हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जब भी चाहे, ये समय ले लें और ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये कोई जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। किसानों के बारे में पाँच साल तक,

(श्री प्रभू लाल सैनी)
जब इनका शासन था, तब कुछ नहीं किया। आज फिर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप चर्चा पर तो आओ। चर्चा पर तो आओ। घोषणा करेंगे कि नहीं करेंगे, चर्चा पर तो आओ। सीटों पर जाओ। आप सीट पर जाकर बोलो। (व्यवधान) चर्चा तो करो। शुरू तो करो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों में से कुछ लोग +++ हो गये हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्यों में कुछ माननीय सदस्य +++ हो गये हैं। इसलिए इनका इलाज कराने के लिए इनको एसएमएस अस्पताल भेजा जाये। एसएमएस अस्पताल भेजा जाये, इनका इलाज कराया जाये नहीं तो ये +++ तो हो ही गये हैं। और कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाने लग जाएंगे। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं, आप हाउस में केवल हाय-हाय और हो-हो करने आये हो क्या? चर्चा करना नहीं चाहते आप। आप किसानों पर चर्चा नहीं करना चाहते। किसानों के हितों पर चर्चा नहीं करना चाहते। कर्ज माफी पर चर्चा नहीं करना चाहते। स्वामीनाथन आयोग पर चर्चा नहीं करना चाहते। क्या इच्छा है आप लोगों की? क्यों हंगामा कर रहे हो? आइए ना, चर्चा में भाग लीजिये। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। हिम्मत है तो आओ, चर्चा करो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हंगामा करने के लिए भेजा है इनको। आइये, बात कीजिये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अपने स्थान पर जाकर बोलो तो सही। (व्यवधान) केवल हंगामा कर रहे हो।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्षजी, ये कांग्रेस के लोग अपना इतिहास नहीं जानते। इन लोगों ने किसानों के साथ 2010 में जो अन्याय किया... (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन कांग्रेस के लोगों ने 50 साल तक राज किया, 50 साल में इन्होंने एक फूटी पाई कभी माफ की हो, तो वह साल बता दो और वह नेता बता दो, जिसने कर्जा माफ किया। अगर पहली बार कर्जा माफ किया है तो भैरोंसिंह शेखावत ने 10,000 करोड़ रुपया माफ किया। एक पाई माफ नहीं करना... बोलना-वोलना कुछ नहीं, आता-जाता कुछ नहीं। इनके पास कोई कहने को बात नहीं। केवल और केवल, केवल यहां घड़ियाली आंसू बहाने है। अगर आपमें दम हो न, अगर आपके पास दम हो तो आओ, डिस्कस करो न। राजस्थान की जनता आपके +++ को देख रही है। आपके +++ को राजस्थान की जनता देख रही है। (व्यवधान) हमारे जन प्रतिनिधि कितने गिरे हुए हैं। न ये बात करना चाहते हैं, न कुछ नहीं करना चाहते हैं। (व्यवधान) 50 साल में एक पाई भी माफ नहीं की। (व्यवधान) आप सब मिलकर भी, मेरे फेफड़ों में इतना दम है। मैं आप सबको मिलकर कर सकता हूं। एक पाई जिस कांग्रेस ने, 50 साल तक राजस्थान में राज किया जिस कांग्रेस ने, एक पाई जिसने नहीं छोड़ी, वह कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही है। कर्जा माफ अगर किसी ने किया न, तो भारतीय जनता पार्टी का नेता भैरोंसिंह शेखावत ने माफ किया। आओ न, चर्चा में आओ न। अगर कुछ कहना चाहो तो आओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अपनी सीटों पर जाओ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): खाली झूठी बातें हैं। यह गुण्डागर्दी है। यह क्या तरीका है। न बात करना चाहते हो। (व्यवधान) केवल हो-हो करके यहां... याद रखना, भगवान ने अगर जिंदा रखा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारे जैसे कितनों की शक्ल दुबारा दिखेगी। यह मैं तुम्हें बता देता हूं। (व्यवधान) तुम इस जोश में मत आओ। जनता तुमको और हमको देख रही है। तुम जिस तरह का आचरण कर रहे हो। जिस तरह का व्यवहार कर रहे हो। जिस तरह से तुम बात कर रहे हो। जिस तरह से मखौल उड़ा रहे हो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इस सदन का, केवल हो-हो करके, एक की शक्ल यहां दिखाई नहीं देगी। दुबारा जब चुनाव होगा न, तब मिलेंगे, तब बताऊंगा कि कितनों की शक्ल दुबारा दिखाई दी। हो-हो कर रहे हैं। काम की बात करो न। बात करो न। कम से कम तर्क से तो बात करो। यहां हाउस हाका करने के लिए नहीं है। यह हाउस है अपने तर्क से अपनी बात समझाने का लेकिन दुर्भाग्य है इन लोगों का, या तो आप इनको बाहर निकालो, या इनकी यहां से छुट्टी करो। क्या मतलब है यहां। सदन का मखौल बना रखा है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप कुछ तो सुधरो। (व्यवधान) लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं है। (व्यवधान) ऐसे स्कूल के बच्चे भी नहीं करते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): यहां हाउस को मखौल बना रखा है। (व्यवधान) केवल तीन साल के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की सरकार ने 13,647 करोड़ रुपया किसानों का आनलाइन पेमेंट किया जो इनके 50 साल के पीरियड में कभी नहीं हुआ। (व्यवधान) यह मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं। तुम 50 साल भी जोर लगा लो न, राजस्थान के तीन साल में इस... (व्यवधान) करोड़ रुपया माफ किया। (व्यवधान) तुमने 50 साल में नहीं किया। इतना पैसा वसुन्धराजी की सरकार ने तीन साल में माफ किया है। खाली घड़ियाली आंसू बहाकर जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हो। जनता को मूर्ख बनाने का धंधा है क्या? यह हाउस किसके लिये है? यह हाउस चर्चा करने के लिए है। यह जूते खाने के लिए नहीं है। आओ न, तर्क से आओ। आओ न, तर्क से आओ न। मांग तो कुछ है नहीं पास में, बोलने के लिए चार शब्द नहीं है। बोलने के लिए कोई तुम्हारे पास साहित्य नहीं। तुम्हारे पास कोई चर्चा नहीं। केवल हो-हो करने के लिए यहां आये हो। (व्यवधान) यह कोई तरीका है?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): तैयारी करते नहीं, पढ़ते नहीं। केवल हंगामा करना, यह ठीक बात नहीं है। अभी तो 22 आये हो न, अगली बार दो भी नहीं आओगे। साफ हो जाओगे बिलकुल। ये जानते-वानते कुछ नहीं, पढ़ते नहीं है। कुछ भी नहीं तैयारी करते हैं। केवल हंगामा करना....

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक बार आ गये, दुबारा नहीं आओगे। यह पहली बार आये हो, इस हाउस की शक्ल नहीं देखोगे कभी। (व्यवधान) ज्यादा हेकड़ी करते हो। राजस्थान की जनता तुम्हारे आचरण को देख रही है कि हमारा जन प्रतिनिधि क्या व्यवहार करता है विधान सभा के अंदर। जो बात कहनी चाहिए, उसकी जगह किस प्रकार का व्यवहार करता है।

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी, विराजिये। गृह मंत्रीजी, विराजिये। विराजिये विराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर हम समय नहीं दें, अगर हम चर्चा नहीं करें... (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने सदन को हाईजैक कर रखा है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को हाईजैक नहीं किया जाना चाहिए। इनको बाहर निकाला जाए और सदन की कार्यवाही नियमित रूप से चलाई जाए। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही नियमित रूप से चलाई जाए और इनको बाहर किया जाए। इस तरह का व्यवहार सहन नहीं है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका काम ही केवल हंगामा करना है। कोई लेना-देना नहीं है। कोई इनके पास बात है नहीं। (व्यवधान) इन्होंने कभी किसी का कर्जा माफ किया नहीं। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया और यहां आकर आंसू बहा रहे हैं। लोगों को केवल अपनी राजनीति रोटियां सेंकने के अलावा और कोई मकसद नहीं है। (व्यवधान) इनका मकसद केवल राजनैतिक रोटियां सेंकना है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे राजनैतिक रोटियां सेंकने वाले लोगों को आप बाहर करें और सदन को वापस आर्डर में लाकर आगे की कार्यवाही विधिवत रूप से आप प्रारम्भ करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): हम कह रहे हैं कि चर्चा करो न। घबराने की क्या बात है। हम कह रहे हैं कि चर्चा करो न। (व्यवधान) राजस्थान की सात करोड़ जनता आपको हमको दोनों को देख रही है। 50 साल तक राज करने वाली पार्टी एक पाई माफ नहीं करे और हम लोगों को

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
कह रही है। (व्यवधान) यह सब भगवान ने अगर जिंदा रखा तो आपके सामने आकर दुबारा देखूंगा कि... (व्यवधान) तुम इस हेकड़ी में मत रहो। (व्यवधान) सदन का समय बर्बाद कर रहे हो। अगर आपमें हिम्मत है तो आओ बहस करो। एक-एक विषय पर बहस करने के लिए तैयार हैं। हाउस चर्चा के लिए है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये नहीं मानते तो इनको बाहर किया जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आसन से प्रार्थना है। मैं आसन से प्रार्थना कर रहा हूं कि इनसे पूछ लो। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है, इनसे पूछ लो। ये कर्जा माफी पर बहस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? आप इनसे पूछ तो लो ताकि राजस्थान की अवाम को मालूम तो पड़ जायेगा...

आप इनसे पूछ तो लो, ताकि राजस्थान के आवाम को मालूम पड़ जाएगा। इनसे पूछ लो ये बहस करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। आप बहस करना चाहते हो? कर्जा माफी पर आप बहस करना चाहते हो? चाहते हैं कि नहीं यह पूछ तो इनसे, माननीय अध्यक्ष महोदय। पूछ तो लो एक बार बहस करना चाहते हैं कि सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2010 में यूपीए गवर्नमेंट किसानों के खिलाफ सिविल लायबिलिटी कानून लायी। ...(व्यवधान)...

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): माननीय मुख्यमंत्री ने ढाई हजार करोड़ रुपये ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि में मुआवजा दिया। ...(व्यवधान)...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष जी, 2010 में ये काला कानून लाये। ...(व्यवधान)... किसानों पर अत्याचार किया। ...(व्यवधान)... इमरजेंसी चली गयी तब ये आये हैं। इन्होंने पाप किया 2010 में।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी

(श्री विश्वनाथ)

ने ढ़ाई हजार करोड़ रुपये ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि में दिया। बिजली में कर्जा माफी की। अभी भी हमारी सरकार ने यू.पी. में कर्जा माफी की। आपने कभी जिन्दगी में कर्जा माफी की हो तो बात करें आप।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष जी, 2010 में सिविल लायबिलिटी का कानून लाये। किसानों से करोड़ों रुपये वसूल किये गये। वीसीआर भरी गयी। किस मुंह से बोल रहे हैं ये 2010 में ये कानून लाये सिविल लायबिलिटी का, 6-6 गुना पैनल्टी लगाई किसानों पर और आज कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): ...(व्यवधान)... उनको खातेदारी देने के लिए फैसला कर चुके हैं। आपने पचास साल तक कस्टोडियन वालों को रोके रखा। आप उनको खातेदारी नहीं दे सके। हमने खातेदारी के लिए फैसला कर दिया। उन लोगों को खातेदारी मिलेगी। आपके जमाने में एक भी कस्टोडियन जमीन का फैसला नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): ढ़ाई हजार करोड़ रुपये का ओलावृष्टि में मुआवजा दिया किसानों को।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष जी, सिविल लायबिलिटी का कानून ये ही लाये थे। इनसे पूछो सिविल लायबिलिटी का कानून कौन लाया 2010 में। सिविल लायबिलिटी से किसानों से करोड़ों रुपये वसूल किये इन्होंने। अभी भी केस चल रहे हैं बेचारों के वीसीआर के। ...(व्यवधान)... लेवी लाए। इमरजेंसी हटी तब लेवी हटी। किसानों पर लेवी लगाई इन्होंने और इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने डेढ़ रुपये क्विंटल का बढ़ाया। हमने आज डेढ़ सौ रुपये बढ़ाये हैं। इनको शर्म नहीं आती डेढ़-डेढ़ रुपये किसानों के बढ़ाये। आज हिमायती बन रहे हैं ये लोग। इन्होंने इमरजेंसी में डेढ़ रुपये क्विंटल का बढ़ाया जो डेढ़ पैसा होता है, डेढ़ पैसा बनता ही नहीं था फिर भी इन्होंने इस प्रकार के अत्याचार किये। पाप का घड़ा भरा हुआ है इनका। ये किसानों के पापी लोग हैं। जितने टैक्स लगे हैं आज तक इंडिया में किसानों पर वो कांग्रेस ने लगाये हैं अगर माफ किसी ने किया तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सरिस्का व रणथम्भौर अभयारण्यों में अतिक्रमण

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किसानों की कर्जा माफी का जो मामला है यह अपने-आप में बहुत गम्भीर है। मैं मेरे विषय पर बोलने से पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसान के कर्जे पर एक सार्थक बहस विधान सभा में हो और एक संकल्प पारित करके केन्द्र को भेजा जाए जिससे किसानों का कर्जा माफ करने की दृष्टि से केन्द्र का सहयोग मिल सके और राज्य के किसानों को राहत मिल सके।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): कांग्रेस कतई तैयार नहीं है। कांग्रेस किसानों का भला करना नहीं चाहती। आपका सुझाव हमें स्वीकार है। किरोड़ी लाल जी मीणा का सुझाव हमें स्वीकार है हम बहस कराने को तैयार हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में विशेष कर सरिस्का एवं रणथम्भौर अभयारण्य की वन भूमि पर एवं सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर कब्जे हो रहे हैं जिसके कारण वन उजड़ रहे हैं। वन उजड़े नहीं और सैंक्चुअरी एरिया में गैर वानिकी एक्टीविटी नहीं चले इस दृष्टि से...।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: ऐसा है मैं एक रास्ता निकालता हूं। किसानों की समस्या पर बहस चालू कर दें, जो नारेबाजी आप कर रहे हो। आप बैठ जाइये। किसानों की समस्या पर, ...(व्यवधान)... कर्जे की नहीं समस्याओं पर। नो-नो। समस्याओं पर बहस करने को तैयार हो? समस्याओं पर, किसानों की समस्याओं पर बहस के लिए आप तैयार हो तो मैं बहस कराने को तैयार हूं बाकी आप हो-हल्ला करोगे उससे कुछ नहीं निकलेगा। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... नो, घोषणा नहीं होगी। किसानों की समस्याओं पर मैं फिर कह रहा हूं किसानों की समस्याओं पर विचार के लिए क्या प्रतिपक्ष तैयार है? किसानों की समस्याओं पर विचार के क्या प्रतिपक्ष तैयार है?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हम तैयार हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): किसानों की समस्याओं पर बहस के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। ...(व्यवधान)... और उसके साथ-साथ यह मांग करते हैं कि बाकी राज्यों में जो कर्ज माफी हुई है राजस्थान में भी किसान की कर्ज माफी का एलान हो।

श्री अध्यक्ष: आप सब अपनी बैंच पर चले जाइये और किसानों की समस्या पर चर्चा चालू कर सकते हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल की तारीख में समय तय किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको कि आपने सरकार के प्रस्ताव को मंजूर किया और आपने किसानों की समस्या पर बहस के लिए समय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर प्रतिपक्ष चाहता है तो बहस इनकी तरफ से प्रारंभ हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की तरफ से बहस प्रारंभ हो जाए। हमारी तरफ से सहकारिता मंत्री और कृषि मंत्री जी जवाब दे देंगे। बहस आप प्रारंभ कराइये, माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रतिपक्ष पहल करे बहस के लिए। बहस में बोलना प्रारंभ करे। हम जवाब दे देंगे इधर से। बोलिये आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से बोलने वाले माननीय सदस्यों की सूची अभी सचेतक महोदय आपके पास पहुंचा देंगे। आप इनके सचेतक से सूची मंगवा लें और बहस प्रारंभ कराइये।

श्री प्रद्‌युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप घोषणा करने को तैयार हो क्या?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सूची भी तैयार है यदि विपक्ष चाहता है तो तैयार हो जाएं, बहस के लिए आ जाइये आप। विराजो।

श्री प्रद्‌युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने कमेटी बना दी, क्या आप घोषणा करने को तैयार हो? हम बहस करने को तैयार हैं। आप करिये घोषणा। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहले बहस कीजिये। बहस के बाद इसका उत्तर आएगा। सरकार क्या घोषणा करती है क्या नहीं करती। सरकार के मुंह में शब्द नहीं डाल सकते। बहस के बाद

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
उत्तर दे देगी सरकार। आप सीट पर चलो न। यह कोई बात थोड़ी है। बहस के बाद, सारगर्भित बहस होगी और सरकार की तरफ से उत्तर आ जाएगा।

श्री प्रद्‍युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने एक महीने का टाइम लेकर कमेटी बना दी। आप घोषणा करो हम तैयार हैं। आप घोषणा करो।

श्री अध्यक्ष: किसी भी घोषणा से पहले बहस होना जरूरी है। आप क्या बहस के लिए तैयार हैं, प्रद्‍युम्न सिंह जी। किसी भी घोषणा से पहले बहस होना जरूरी है आप बहस के लिए तैयार हैं यह बताइये। बहस तो करना नहीं चाहते घोषणा चाहते हैं।

श्री प्रद्‍युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप सुनिये, आप क्यों सरकार बन रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): बहस करने के बाद ही नतीजा निकलता है। बहस के बाद ही निर्णय होता है। यह कभी भी नहीं होता कि पहले निर्णय दे दो फिर बहस करोगे। यह उलटी रीति कैसे चला रहे हैं आप?

श्री प्रद्‍युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप घोषणा कीजिये हम तैयार हैं यहां पर। करिये घोषणा आप। आप घोषणा कीजिये हम तैयार हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहस कराइये। ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस सदन का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को छोड़ कर पूरा सदन किसानों के लिए बहस करने को तैयार है।

...(व्यवधान)... इससे यह साबित होता है कि यह मात्र अख़बार में छपने के लिये यह बवाल कर रहे हैं। पूरा सदन, सारे निर्दलीय विधायक, सभी पार्टी के सभी दल किसानों की समस्याओं पर बहस करने को तैयार है, कांग्रेस के लोग तैयार नहीं है। कांग्रेस खाली इस मुद्दे को लेकर अख़बार में छाने का काम कर रही है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): हम सब चाहते हैं कि किसान के मुद्दों पर चर्चा करें, बहस करें। ...(व्यवधान)... इन्होंने क्या किया

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है इनका खुला चिट्ठा हम भी रखना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...(व्यवधान)... हमारी सूची तैयार है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान)... किसानों के बहुत शुभ चिंतक मत बनो, झूठमूठ में किसानों के शुभ चिंतक बन रहे हो, सब जानते हैं असलियत क्या है। ...(व्यवधान)... किसान के हितैषी हो तो जाओ चेयर पर और बहस करने के लिये तैयार हो जाओ ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...(व्यवधान)... हम सब तैयार हैं चर्चा करने को ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): नारे लगाने से कुछ नहीं होता, बहस करने के लिये ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: ऐसा है मैं सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिये स्थगित करता हूं। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष किसानों की समस्या के बारे में आपसी चर्चा करके फिर विधान सभा में अपन चर्चा करेंगे। आधा घंटे के लिये स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.32 बजे 13.02 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(13.02 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री किरोड़ी लाल जी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सरिस्का व रणथम्भौर अभयारण्यों में अतिक्रमण

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, Forest Right Act, 1980 एवं 12.12.1996 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों में स्पष्ट है कि वन क्षेत्र में गैर वानिकी गतिविधि नहीं चल सकती। रणथम्भौर में होटल, माधोपुर द्वारा व्यावसायिक गतिविधि चलाई जा रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन जब स्थगित हुआ था तो आपसे प्रार्थना की थी कि सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तैयार है। (व्यवधान) श्रीमान के सामने सत्ता पक्ष की तरफ से भाग लेने वाले माननीय सदस्यों के नाम भी आ गए हैं।

श्री अध्यक्ष: इनको मेरा प्रस्ताव समझ में नहीं आया। इनको आप करने दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इन्होंने मना कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये किसानों की समस्या पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इनको नारे लगाने दो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): उच्चतम न्यायालय ने गैर वानिकी कार्यों पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के बावजूद सरिस्का क्षेत्र में रजिस्ट्री कर दी गई (व्यवधान) कृष्णा पैलेस, अमनबाग रिसोर्ट ..। (व्यवधान) रणथम्भौर नेशनल पार्क में भी अमनबाग, शेर बाग़ (व्यवधान) की कामर्शियल एक्टिविटी चल रही है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ये किसानों पर चर्चा नहीं करना चाहते। यह शर्मनाक बात है। केवल हंगामा करते हो। हो-हा करते हो। जब अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी कि किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हो जाओ। जब सत्ता पक्ष तैयार और विपक्ष तैयार नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है? केवल नाटक करते हो। केवल नौटंकी करते हो। यह बात ठीक नहीं है। मैं देखता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति राजस्थान के इतिहास में कभी भी नहीं हुई। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अमनबाग रिसोर्ट सरिस्का बाघ परियोजना की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है। सरकार ने 2005 में सदन में माना कि ग्राम अजबगढ़ के आराजी खसरा नं. 681, 682, 683, 685, 688, 690, 693, 695, 703, 723, 724 की वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन की आज्ञा शिरोधार्य है और रिकार्ड में यह बात चली जाए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि सरकार बहस करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने नहीं की। आसन की व्यवस्था शिरोधार्य है। आपने कह दिया, पर यह रिकार्ड चला जाए कि ये बहस नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये हल्ला करने ही आए, बहस करने के लिए नहीं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अवैध कब्जा करके निर्माण भी कर लिया है, जबकि रियासतकाल से ही आरक्षित वन खण्ड है। इस अमनबाग होटल ने एक दलित रमेश बलाई, निवासी-अजबगढ़ की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं. 833, 834, 842, 843, 856, 857 तथा 8 पर कब्जा कर रखा है। ऐसे ही जनजाति के भरतराम, निवासी-पिपलाई, तहसील थानागाजी की अजबगढ़ में काश्त की जमीन के खसरा नं. 757, 761, 765, 766 तथा 04 रकबा 1.3 हैक्टेयर पर कब्जा कर रखा है। पीड़ितों द्वारा बार-बार शिकायत करने के बाद भी रिसोर्ट मालिक द्वारा कब्जा नहीं छोड़ा गया। उक्त अमनबाग रिसोर्ट ने सिंचाई विभाग की भूमि पर कब्जा कर डाउन स्ट्रीम में एक पाँच सितारा होटल बना रखी है। 1995 में कलेक्टर, अलवर द्वारा सिंचाई विभाग की करीब 40 बीघा जमीन मात्र 38 हजार रुपए की एकमुश्त राशि होटल से जमा कराकर लीज पर दे दी गई। जिसकी राज्य सरकार से अप्रूव्ल ली गई। सिंचाई विभाग से भी कोई एन.ओ.सी. नहीं ली गई। लैंड यूज भी चेंज नहीं किया गया। नाले के बहाव क्षेत्र पर होटल का निर्माण कर दिया गया। बाँध को टूरिस्ट के लिए काम में लिया जा रहा है। होई कोर्ट की डी.बी. में पी.आई.एल. रिट नं. 11153/2011 में रामगढ़ सुओमोटो में हाई कोर्ट के तीन इंटरिम आदेश हुए। रामगढ़ सुओमोटो का यह फिट केस है। ग़रीबों के मकान ढहाए जा रहे हैं और अमीरों की होटल का सरकार बाल भी बांका नहीं कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फाइल भी गायब है। फाइल को ढूंढा गया तो यह बताया कि फाइल कलक्ट्रेट, अलवर में उपलब्ध नहीं है और राजस्व विभाग से जांच करने पर यह पाया गया कि जिला कलक्टर के आदेश में अंकित सरकार का आदेश क्रमांक 28.06.1994 राज्य सरकार की पत्रावलियों में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक 5386 दिनांक 04.07.1994 में राज्य सरकार की जिस पत्रावली का हवाला दिया गया है, वह पत्रावली कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित है।

(डा. किरोड़ी लाल)

इसी प्रकार से हैरिटेज होटल के पक्ष में जारी लीज में भी भारी अनियमितताएं की हैं। लीज के बिंदु संख्या 5 में लिखा गया है कि बीस वर्ष की अवधि के बाद लीजधारी की लैसी वी इच्छा पर लीज को रिन्यू किया जाना आवश्यक है अर्थात वह लीज हमेशा रहेगी।

हैरिटेज होटल के नाम जारी लीज की अवधि 2015 में समाप्त होने पर दिनांक 18.03.2015 को यह लीज राज्य सरकार द्वारा नवीनीकृत की गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा मूल पत्रावली को नहीं देखकर पार्ट फाइल से नवीनीकरण किया गया है।

सिंचाई विभाग के नाम दर्ज भूमि को सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत समर्पित किये बिना किसी अन्य को आबंटित करना अपने आप में भारी अनियमितता है तथा पत्रावली का गलत हवाला दिया जाना एवं अब किसी भी पत्रावली का कहीं भी उपलब्ध नहीं होना मामले को अत्यंत गंभीर बना देता है।

अत: निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रामगढ़ सुओमोटो में दिये गये आदेशों की पालना करते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा दिए गए वचन को निभाते हुए नदी के बहाव क्षेत्र में विधि विरुद्ध रूप से बनाये गये होटल की लीज को निरस्त कर सरकार कब्जा पुन: लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डैम के बिलकुल किनारे बहाव क्षेत्र में आलीशान होटल अमनबाग बना दी गई है, जिसमें फोरेस्ट की जमीन पर भी कब्जा है और सिंचाई विभाग की जमीन पर भी कब्जा है। सिंचाई विभाग की एन.ओ.सी. नहीं ली गई और मूल पत्रावली नहीं मिल रही है। माननीय मंत्री महोदय, यहां पर बैठे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस गंभीर प्रकरण में किसी प्रकार का आशवासन सदन को दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रेस्पाड करेंगे क्या, रेस्पाड करें आप?

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय

(डा. रामप्रताप)

सदस्य ने जो बात रखी है इसमें सच्चाई है। यह काम 1994-95 में हुआ है। उसके बाद रामगढ़ वाले केस का हवाला दिया है उस हिसाब से मैंने इसको सरसरी तौर पर देखा है। 1994-95 में रेवेन्यू विभाग ने यह जमीन उनको दी। हमारे विभाग से कोई एनओसी भी नहीं ली गई है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि इसको रेवेन्यू विभाग से जानकारी करके, जो भी उचित कार्यवाही होगी निश्चित तौर पर करेंगे। ...(व्यवधान)...

बाड़मेर के शांता गांव निवासी बीरमाराम की हत्या की जांच

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं बाड़मेर जिले के शांता प्रकरण, जिसमें बीरमाराम की हत्या हुई थी उसकी तरफ, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विशेषकर गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, 03 अप्रैल, 2016 को बाड़मेर जिले के बागरासर थाने में एक एफआईआर19/2016 दर्ज हुई। उक्त मामले में आईपीसी की धारा 147, 148, 341, 323, 360 व 149 में मुकदमा दर्ज हुआ। करीब आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों को एफआईआर के अंदर आरोपित किया गया। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, यह मामला बाड़मेर जिले के शांता गांव की सरहद पर हुआ। जहां सरपंच के चुनाव को लेकर आधा दर्जन लोगों ने बीरमाराम पर हमला किया और उसके गंभीर चोटें आई। 24 सितम्बर, 2017 को मथुरादास माथुर हास्पिटल के अंदर बीरमा राम की मृत्यु हो गई और परिजन वहां शव लेने को तैयार नहीं थे। बड़ा आंदोलन हुआ, तब वहां के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनको आश्वस्त किया गया कि इसके अंदर 302 की धारा जोड़ देंगे। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, उक्त मामले में पहली बार बागरासर थानाधिकारी, दूसरी बार डीएसपी चौहटन, तीसरी बार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, चौथी बार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फलौदी, पांचवी बार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भीनमाल, छठी बार सी. आई. डी. सी बी के एक अधिकारी, सातवीं

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बार सी.आई.डी. सी बी के एक दूसरे अधिकारी ने जांच की है। 307 के अंदर पहले दो मुलजिमों का गिरफ्तार किया गया, अब इस जांच को अलग रूप दिया जा रहा है। सुनने के अंदर आया है कि इस जांच को एक्सीडेंट का रूप देने जा रही है सी.आई.डी. सी बी। ...(व्यवधान)... मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि बीरमाराम के चोटें लगी थीं, जिसकी वजह से वह कोमा में चला गया और 18 महीने बाद उसकी मौत हुई थी। अध्यक्ष महोदय, 23 अक्टूबर, बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शांता प्रकरण में बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद भी उपस्थित थे। पूर्व सांसद भी उपस्थित थे। जाट समाज के अंदर इस मामले को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर रोष है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, 15 नवम्बर की तारीख वहां के समाज ने दे रखी है कि 15 नवम्बर तक अगर धारा 302 नहीं जोड़ी और सरपंच प्रतिनिधि तेजदान जो इस गांव का सरपंच प्रतिनिधि है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया और बाकी बचे मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो बाड़मेर कलेक्ट्रेट का घेराव होगा। ...(व्यवधान)... मैं गृह मंत्रीजी से इस मामले में इतना ही निवेदन चाहता हूं कि इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए, आप एक जांच दल एस ओ जी का वहां भेजे। आप इसे गंभीरता से लें। आप इसे हल्के के अंदर नहीं लें। कहीं ऐसा नहीं हो कि चुनावी साल के अंदर आप विकास कार्य गिनाते-गिनाते इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कर दो कि आपको चुनाव के अंदर भारी नुकसान उठाना पड़े। गृह मंत्री महोदय, आज जोधपुर रेंज और अजमेर रेंज के अंदर जितना अपराध बढ़ा है, आपने ऐसे-ऐसे आई जी वहां लगाकर बैठा दिए जो यहां से बैठे-बैठे फरमान जारी करते हैं और वहां के एस पी को तो कोई समझता भी नहीं है। ...(व्यवधान)...

गृह मंत्री जी, मैं आपसे अपील करता हूं कि मुलजिमों को भारतीय जनता पार्टी का एक नेता संरक्षण दे रहा है। आप शीघ्र उनकी गिरफ्तारी कराएं। सरपंच प्रतिनिधि को गिरफ्तार करके धारा 302 इस मामले के अंदर जोड़ें, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, राजस्थान का जवान किसान सड़कों पर आएगा और सरकार को बाद में मजबूर होकर काम करना पड़ेगा। गृह

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मंत्रीजी से यह मेरी विशेष रूप से अपील है कि राजस्थान के अंदर हमारे समाज की आस्था को चोट लगी है।...(व्यवधान)... आपको इस मामले के अंदर बड़े अधिकारियों से, एस ओ जी के अधिकारियों से जांच कराकर, बीरमाराम के हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, यह मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री रेस्पाड करेंगे? ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है वह वास्तव में सही है। एफआईआर 19/16 दर्ज हुई थी बागरसर थाने में। थाने में जो जांच थी उस जांच के साथ ही दो लोगों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया था। अन्य कई अपराधियों के नाम एफआईआर में लिए हुए हैं लेकिन उसके लिए बार- बार जांच, अन्य अपराधी है या नहीं है इसके कारण से कई बार जांच चेंज हुई है यह भी बात सच है। यह सांचौर में भी हुई है। ...(व्यवधान)... हमारे यहां से लास्ट में अभी सीआईडी में इसकी जांच गई है। सीआईडी में पहले सी आई को दे दिया उसको बदलकर क्योंकि पहले आलरेडी एडिशनल एस पी स्तर के तीन लोगों ने इसकी जांच की है। इसलिए इस जांच को उससे नीचे के स्तर पर देने का काई अर्थ नहीं है। निश्चित रूप से एडिशनल एस पी सीआईडी का जो भी है उसे यह जांच करवाने के आदेश कर दिए हैं, वह इस जांच को करेगा। इसमें अगर 302 की धारा उसकी डैथ के बाद बनती है, निश्चित रूप से जुड़ेगी। किसी भी अपराधी को बचाने का कोई कारण नहीं हो सकता है। हमारी जांच में से बार-बार इस बारे में, कभी कोई अपराधी बताता है, कोई उसको अपराधी नहीं बताता है, इसके कारण से जांच एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार चेंज हुई इसमें कोई दो राय नहीं है। ...(व्यवधान)... प्रारम्भिक जांच में ही दो लोगों को पकड़ लिया है, वह जेल में हैं। अभी भी उसमें जांच निश्चित रूप से कराऊंगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अगर आपको यह लगता है कि एडिशनल एस पी सीआइडी से भी आप जांच को पुख्ता नहीं मानते हो तो जिसे आप कहेंगे हम जांच देकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही करने में कोई कोताही न ही पहले बरती, न ही अब बरतेगें, न आगे बरतेगें। ...(व्यवधान)...): इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एस ओ जी से करवा दे साहब। ...(व्यवधान)... एस ओ जी से जांच ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक-एक मुकदमें को, एस ओ जी के पास इतना मैन पावर नहीं है, इतना स्टाफ नहीं है कि एक-एक केस का एस ओ जी देख पाए। एस ओ जी के पास इतना न पावर नहीं होने से नहीं करा पाऊंगा, बाकी आप जहां भी चाहेंगे एक एडिशनल एस पी या उसके स्तर के ऊपर के व्यक्ति से जांच कराने के लिए मैं तैयार हूं।...(व्यवधान)... जिन धाराओं में भी, अगर 302 जोड़ना है तो निश्चित रूप से जोड़ेगे। यह बात जरूर है कि बार-बार जांच बदलने के कारण से जांच का परिणाम, आगे लोगों को ना मुलजिम मानते हैं, उनके बारे में संदेह की स्थिति बनी रही। मैं आपके माध्यम से हाउस को आश्वस्त करता हूं, एस ओ जी इस जांच को कर नहीं पाएगी, उसके पास मैन पावर नहीं है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो मैं दूंगा, वहां पड़ा रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसका निर्णय एक-डेढ़ महीने में फाइनल होकर निकल जाए। उस जांच के लिए जिसे भी आप ठीक समझेंगे एडिशनल एस पी से, उससे ऊपर के, जिसको चाहोगे मैं कराने को तैयार हूं। सच्चाई तक निश्चित पहुंचूंगा यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर। आपने इनसे अलग होकर यह प्रस्ताव कैसे दे दिया ...(व्यवधान)... अनुशासन तोड़ा है इसने। इसने कैसे दे दिया ...(व्यवधान)... स्थगन प्रस्ताव दिया। आप सब तो यहां बैठे थे और जाकर दे आया, देखो कैसा आपका अनुशासन है ...(व्यवधान)... आप सब तो यहां बैठे हो।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। ये सब पढ़ी हुई मानी गई हैं। पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

पर्ची के माध्यम से, श्री खेमाराम।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सुजानगढ़ में पेयजल समस्या

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पानी की भयंकर समस्या है उसका ध्यान, मैं सदन में माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा। ...(व्यवधान)...

हमारे सुजानगढ़ खण्ड पर छह एईएन की पोस्ट है, उसमें मात्र तीन पोस्ट पर ही एईएन है। एईएन की पोस्ट खाली होने के कारण से पानी की भयंकर समस्या पैदा हो गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं तीन एईएन शीघ्र से शीघ्र वहां लगाए जाए ताकि पानी की समस्या का समाधान हो सके। ...(व्यवधान)... इसके साथ-साथ पीएचईडी की रैगुलर स्कीम है उस स्कीम के अंतर्गत लाडनूं स्कीम से पानी आता है, मगलूना स्कीम से पानी आता है। लाडनूं के अंदर भयंकर हालत है, पानी बहुत नीचा चला गया है। वहां पर 22 टयूबवैल में से मात्र 08 टयूबवैल से पानी आ रहा है, जो बहुत ही कम है। लीकेज के कारण से सुजानगढ़ सिटी में पानी की भयंकर समस्या हो गई है। ...(व्यवधान)...

अत: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां उसके लिए नये टयूबवैल की व्यवस्था करके सुजानगढ़ को अतिशीघ्र पेयजल की व्यवस्था कराएं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में मंगलूना गांव से, जहां 22 ट्यूबवैलों की स्वीकृति है, 22 ट्यूबवैलों से पानी आता था, वहां मात्र 10 ट्यूबवैलों से पानी आ रहा है, 12 ट्यूबवैल वहां बंद पड़े हैं। उसके कारण से आसपास के गांवों में सालासर होते हुए पानी आता है। वहां पानी की भयंकर समस्या पैदा हो गई है। मैं चाहूंगा कि उन 22 ट्यूबवैलों को वहां वापस चालू करवाएं। ताकि इन गांवों के अन्दर पानी की समस्या का समाधान हो सके। इसके साथ-साथ, पहले आपने हमारे 18 ट्यूबवैल सैंक्शन किये थे। उनमें से 4 ट्यूबवैल अभी बाकी पड़े हैं। वह काम नहीं हुआ है। वहां के ठेकेदारों की वजह से काम की कमी है। इसके अलावा आपने 22 ट्यूबवैल जो सैंक्शन

(श्री खेमाराम)

किये हैं, उनका कार्य अभी चालू नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि वह कार्य भी आप अतिशीघ्र चालू करवाएं। इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ट्यूबवैल फैल हो गये हैं। मैं चाहूंगा कि फैल हुए ट्यूबवैलों के अगेंस्ट में आप अगर हमें दूसरे नये ट्यूबवैल दे देंगे तो बिजली वही है, ट्यूबवैल के अन्दर मशीन और पाइप लाइन, वे सब काम आ जाएंगी। हमें फेल ट्यूबवैलों के अगेंस्ट में 20 ट्यूबवैलों की आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय, आप हमारे को इसके बदले में ये देने की कृपा करें।

इसके साथ-साथ हमारे वहां आपणी योजना, सैकिण्ड फेज का काम चल रहा है। वह काफी समय से चल रहा है और उसकी बार-बार तारीखें चेंज हो रही हैं। काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अभी भी कामों में बहुत समय लगने की सम्भावना लग रही है। हमारे विशेष तौर से धन्नासर और सरदारशहर की जो लाइन है, उस लाइन के कारण से हमें वहां पानी नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि धन्नासर और सरदारशहर की लाइन को आप अतिशीघ्र चालू कराएं। ताकि हमारे रतनगढ़, सुजानगढ़ और लक्ष्मणगढ़ में पानी की व्यवस्था हो सके। इसके लिये एल.एण्ड टी. कम्पनी काम कर रही है। यह बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। जो आप बारबार उनको समय दे रहे हैं, उसके कारण से भी यह डिले हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इस कम्पनी से आप अतिशीघ्र इस स्कीम को पूर्ण कराएं और उसमें जो पानी, जो हमारी एस.आर. बनी हुई है, जो पानी के जलाशय बने हैं, उनका अब तक टैस्टिंग नहीं हुआ है। न उनमें पानी के लिये अब तक कोई लाइन डाली गई है। अभी यह सारा काम अधूरा पड़ा है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगने की सम्भावना है। अत: इस योजना को शीघ्र से शीघ्र पूरा कराने की कृपा करें।

एक मैं और निवेदन है करना चाहता हूं कि आपणी योजना के अन्तर्गत हमारे 18 गांव ऐसे हैं जो हजार से छह हजार के बीच आबादी के है।

(श्री खेमाराम)

उनके लिये हमें घर-घर कनेक्शन योजना की आवश्यकता है। पेयजल की इस आपणी योजना के अन्तर्गत आप अगर चार हजार से ज्यादा की आबादी के जो 18 गांव हैं, उनके लिये प्रपोजल आपके पास भेजे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय आप अभी सदन में ही इस बारे में आप जरूर वक्तव्य देंगे और उसमें हमारे 18 गांव जो चार हजार और छह हजार के बीच की आबादी के हैं, उनको स्वीकृत करायें, ताकि उन गांवों के अन्दर घर-घर पानी मिल सके। यह मैं कहना चाहता हूं। पानी की और जो समस्या है, हमारे सुजानगढ़ में फ्लोराइडयुक्त पानी है। आपने हमारे वहां सोलर से और पानी को मीठा करने के लिये जो स्कीम बना कर भेजी है, अभी उसकी क्रियान्विति सही ढंग से नहीं हो पाई है। मैं चाहूंगा कि वह भी आप अतिशीघ्र उसकी व्यवस्था कराएं और हमारे जो आपने सिस्टम लगाये हैं, उन सिस्टमों को शीघ्र से शीघ्र चालू करा कर सुजानगढ़वासियों को स्वच्छ पानी पिलाने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप रेस्पांड कर रहे हैं। एक मिनट।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सुजानगढ़ की पेयजल समस्या के बारे में जिक्र किया। मैं मानता हूं, यह बात सही है कि सुजानगढ़ के अन्दर 22 नलकूप खुदे हुए हैं, 42 सिंगल फेस के नलकूप खुदे हुए हैं, 7 हैण्ड-पम्प खुदे हुए हैं। करीब 74 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से 72 घण्टे के हिसाब से पानी दिया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से भी सहमत हूं कि पानी की समस्या है, पर उस समस्या के निदान के लिये हमने कस्बा सुजानगढ़, बीदासर की नियमित पेयजल आपूर्ति वर्तमान में वृहत पेयजल योजना, रतनगढ़-सुजानगढ़ की अनुमानित लागत 971 करोड़ 21 लाख की स्वीकृत की है और योजना का कार्य प्रगति पर है। प्रगतिरत योजना का कार्य माह मार्च, 2018 तक पूर्ण होना लक्षित है। योजना का कार्य पूर्ण होने पर कस्बा सुजानगढ़ और बीदासर की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान होगा। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कस्बा सुजानगढ़ के लिये केन्द्र सरकार की अमृत योजना भी सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत कस्बा सुजानगढ़ के लिये 13.02

(श्री सुरेन्द्र गोयल)
लाख की योजना स्वीकृत है, जिसका कार्यादेश जारी किया जा चुका है, कार्य प्रगति पर है। उसके जून, 2019 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की इन्होंने बात की है। इनके कुल 116 गांव हैं, जिनमें 48 पी.एण्ड टी. की स्कीमें हैं, 10 पाइप स्कीमें हैं, 57 क्षेत्रीय योजनाएं हैं और एक जनता जल योजना है। इसके अन्दर हमने करीब 7 आर.ओ. लगाने की व्यवस्था की है। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2015-16 के अन्दर 23 योजनाओं की संख्या थी, जिनमें स्कीम्स स्वीकृत की थीं, उसके अन्दर 22 योजनाओं का काम पूरा कर लिया है। एक अपूर्ण है, करीब 5 करोड़ 82 लाख की स्वीकृतियां जारी की थीं। उसके अगेंस्ट में 3 करोड़ 77 लाख 77 हजार का काम पूरा हो चुका है। 2016-17 के अन्दर करीब 35 योजनाएं स्वीकृत की थीं, उनके अगेंस्ट में 26 पूर्ण कर ली हैं, 9 अपूर्ण हैं और 8 करोड़ 44 लाख, 85 हजार की योजनाओं की राशि स्वीकृत की थीं, उसके अगेंस्ट में 3 करोड़ 24 लाख 95 हजार का काम पूरा हो चुका है। अभी 2017-18 में आप लोगों की अभिशंसाओं पर करीब 13 योजनाओं की स्वीकृत की हैं। जिनके ऊपर करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपये खर्च होंगे। तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार पेयजल के मामले में हमेशा गम्भीर रह कर काम करती है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमने करीब 101 सिंगल फेस नलकूप भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये हैं, 22 नलकूप शहरी क्षेत्रों में, जो चालू हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करुं कि जैसे आपने ए.ईएन. के तीन पदों के लिये कहा। आप निश्चित रहिये, 3 ए.ईएन. तो आपके लगे हुए हैं, और भी आएंगे तो, जब भी ट्रांसफर्स से प्रतिबंध हटेगा उस समय आप लोगों की व्यवस्था करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो 971.21 करोड़ की योजना है, उसको जल्दी से जल्दी सुजानगढ़ और बीदासर को पानी पिलाने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

कोटा में डेंगू व स्वाइन फ्लू पर प्रभावी नियंत्रण

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के

(श्री प्रहलाद गुंजल)
माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोटा शहर, और कोटा शहर ही नहीं पूरे राजस्थान में इस समय डेंगू, स्वाइन फ्लू और स्क्रब टाइफस की इतनी जबरदस्त बीमारी फैली हुई है। यह बीमारी धीरे-धीरे महामारी का रूप लेती जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख को जिस रोज विधान सभा का सत्र आहूत हुआ, हम इस सदन की हमारी एक माननीय सदस्या, जिनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे थे, आप शोकाभिव्यक्ति पढ़ रहे थे, हमारे सामने एक गम्भीर सवाल उस शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर खड़ा था कि राजस्थान की विधान सभा के इस सदन की माननीय सदस्य को स्वाइन फ्लू की बीमारी से हम बचा नहीं पाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस रोज हम इस सदन में श्रद्धांजलि दे रहे थे, उस रोज, 23 अक्टूबर को कोटा शहर में डेंगू और स्वाइन फ्लू के लगभग 100 केस मेडिकल जांच में सामने आये। हालत यह बन गई कि सरकारी अस्पतालों में दो महीने से एक भी बैड भर्ती करने के लिये खाली नहीं। सरकारी अस्पतालों की ही यह हालत नहीं, निजी अस्पतालों में भी डेंगू, स्वाइन फ्लू, स्क्रब टाइफस के इतने केस आ रहे हैं कि लोगों को अस्पतालों की गैलेरियों में लेट कर इलाज कराना पड़ रहा है। एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी के हालात राजस्थान में बन गये। हमारी विधायक स्वाइन फ्लू से चली गयीं। लगातार चिकित्सकों के बयान आ रहे हैं कि हमने पहली बार ऐसा देखा कि डेंगू के मच्छर का वायरस इतना ताकतवर हो गया, कभी 50 सालों के चिकित्सा के इतिहास में इस प्रकार का उदाहरण देखने को नहीं मिला कि जहां पर डेंगू के वायरस से मरीज को पैरालिसिस अटैक हो जाये। मरीज को अंधता हो जाये। मरीज का मल्टी-आर्गन फेल्योर हो जाये। इस प्रकार की गम्भीर परिस्थिति से राजस्थान का मरीज गुजर रहा है, कोटा में मरीज गुजर रहा है और राजस्थान की सरकार के चिकित्सा विभाग और सरकार के स्तर पर कोई बहुत गम्भीरता इसमें नजर नहीं आ रही। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, स्वाइन फ्लू की जांच के लिये कोटा के मेडिकल कॉलेज में, पूरे हाड़ौती सम्भाग में केवल एक पी.सी.आर. मशीन है, जिसमें 24 घण्टे में केवल 24 सैम्पल जांचे जा सकते हैं। क्या सरकार इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं करती कि महामारी का रूप लेते स्वाइन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

फ्लू को, इस तरह की बीमारी के लिये सम्भाग के एक-एक अस्पताल को जांच के लिये पी.सी.आर. मशीन उपलब्ध कराई जाये।

24 सैम्पल जांचने के बजाए इससे कहीं चार गुणा अधिक सैम्पल 24 घंटे में कैसे जांचे जा सकते हैं, इस बात की समुचित व्यवस्था की जाए। हमारे इंतजाम नाकाफी हो गये। चिकित्सा महकमा हाथ खड़ा करके बैठ गया। कोटा के महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में डेंगू के सैकड़ों हजारों, मरीज केवल सरकारी आंकड़ों से नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कोटा के एक-एक प्राइवेट अस्पताल में, 10 बैड के अस्पताल में जाइये, रोज लोगों की हालत यह है कि भर्ती करवाने के लिए सिफारिश करनी पड़ रही है, प्राइवेट हास्पिटल में। डेंगू का मरीज है, भर्ती करिये। हाथ खड़े कर देते हैं लोग, बैड नहीं है, नीचे लेटा कर इलाज करेंगे। इस हालात के चलने के बाद केवल और केवल एस.डी.पी. तैयार करने वाली महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में दो मशीनें हैं और एक एस.डी.पी. तैयार करने में पाँच से छह घंटे का समय लगता है। इस प्रकार से हजारों मरीजों को इससे राहत दिलायी जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.डी.पी. के साथ-साथ, केवल और केवल एम.बी.एस. अस्पताल में दो मशीनें हैं और आर.डी.पी. बनाने की एम.बी.एस. अस्पताल और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में एक मशीन। इतना भंयकर रोग फैल जाए, एस.डी.पी. के लिए आदमी तीन-तीन, चार-चार दिन तक इंतजार करें। हालात यह हो गये कि आज जांच और एस.डी.पी. के इंतजार करते-करते लोगों के प्राण चले गये और जो सरकारी रिकार्ड में आंकड़ा दर्ज है, सरकारी अस्पतालों का उससे कहीं पाँच गुणा ज्यादा मौतें डेंगू और स्वाइन फ्लू से हो गयीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन सरकार, हमारे सामने उदाहरण है, यह मौसम आता है डेंगू फैलता है, यह मौसम आता है स्वाइन फ्लू फैलता है और स्वाइन फ्लू और डेंगू जैसी प्राण-घातक बीमारियां, मैं आज सवाल खड़ा करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कैसे प्रिवेन्टिव मेजर्स हैं कि हम हमारी विधायक को नहीं बचा पाए स्वाइन फ्लू से, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? इसीलिए आज मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अब वर्तमान में राजस्थान में

(श्री प्रहलाद गुंजल)
कोटा जिले में मेडिकल इमरजेंसी घोषित की जाए। सरकार सम्पूर्ण रूप से संसाधन झोंके, कैसे डेंगू की जांच, कैसे एस.डी.पी. और आर.डी.पी. तैयार करने की मशीनें बहुतायत में किस प्रकार से उपलब्ध करवायी जाएं। जांचों के लिए लाइन लगी हुई है। तीन-तीन दिन तक मरीजों को जांच नहीं मिल रही और तीन दिन में उसका उपचार प्रारंभ हो, उससे पहले उसके प्राण-पखेरू उड़ जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तकलीफ इस बात की नहीं है कि महामारी फैल गयी, तकलीफ इस बात की है कि लगातार दो महीने से यह हालात होने के बाद भी जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मौजूदा सिस्टम है, उस सिस्टक और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं, कहीं कोई सरकार और प्रशासन की इच्छा शक्ति नजर नहीं आती कि हम दृढ़ता के साथ इस महामारी पर नियंत्रण करेंगे। सवाल खड़ा हो रहा है, हम सरकार में बैठे हैं, लगातार अखबारों में जिस प्रकार का विकराल स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय, बनता जा रहा है, ऐसा लगता है कि हम हमारी जवाबदेही पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस पर सम्पूर्ण नियंत्रण करने के लिए हमारे पास बजट पड़ा है कोटा में, एस.डी.पी. की मशीन खरीदने के लिए ब्लड बैंक के पास, नई मशीन खरीदने के लिए ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा, बहुत गंभीर समस्या है। सारा राजस्थान जूझ रहा है, विधायक को खो दिया है। अच्छा होता विधायक को यहां पर श्रद्धांजलि देने के साथ यह इच्छा शक्ति और संकल्प पारित करते कि हम स्वाइन फ्लू से लड़ेंगे, राजस्थान से विदा करेंगे। हम डेंगू से लड़ेंगे, राजस्थान से विदा करेंगे।

मैं मंत्री महोदय से यह उम्मीद करूंगा कि अब आने वाले समय में, अब यह तुरंत नियंत्रण के लिए संसाधन झोंके। एक फॉगिंग मशीन लेकर आदमी चला जाता है, उससे अब कंट्रोल संभव नहीं है। क्या कुछ किया जा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सकता है, सारी ताकत लगाएं और आने वाले समय के लिए कितने प्रिवेन्टिव मेजर्स लिये जा सकते हैं और क्या-क्या सुविधाएं एस.डी.पी., आर.डी.पी., स्वाइन फ्लू जांच के लिए कोटा के अस्पतालों को स्ट्रेंथनिंग की जा सकती है। मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराव भीमसिंह चिकित्सालयों में 476 के अगेंस्ट 670 बैड चल रहे हैं अभी नीचे गैलरियों में लोग पड़े हैं, क्यों नहीं आप बैड बढ़ाते हो, क्यों नहीं अस्पतालों की सुविधा बढ़ाते हो, क्यों नहीं वहां पर ओ.पी.डी. का नया निर्माण करते हो? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे संसाधन नाकाफी पड़ गये, मरीज बढ़ गये, इस पर सरकार गंभीर बने और जरूरत पड़े तो इस हालात से निपटने के लिए मेडिकल इमरजेंसी कोटा में घोषित करें।

इतना भयानक रूप डेंगू और स्वाइन फ्लू ने ले रखा है और भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए कोटा के मेडिकल सिस्टम को साउंड करें, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: चिकित्सा मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से और कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने 295 के जरिए स्वाइन फ्लू और डेंगू के मामले में जो बात कही है, मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा कि कोटा शहर में 01 जनवरी, 2017 से 24 अक्टूबर, 2017 तक स्वाइन फ्लू के 246 केस पॉजिटिव पाये गये और उनमें से 11 रोगियों की मृत्यु हुई। कोटा शहर में 01 जनवरी, 2017 से 24.10.2017 तक डेंगू के 970 केस पॉजिटिव पाये गये जिनमें से तीन रोगियों की मौत हुई।

कोटा शहर में मच्छरों का नियंत्रण, एंटी लार्वा एवं एंटी एडल्ट हेतु गतिविधियां की जा रही है। फॉगिंग हेतु चिकित्सा विभाग की 8 एवं नगर निगम की 2 बड़ी और 4 छोटी फॉगिंग मशीनें कार्यरत हैं जिनके द्वारा हाई रिस्क एरिया में प्रति दिन सुबह और शाम फॉगिंग की जा रही है। कोटा शहर में 23 रेपिड रेस्पांस टीम कार्यरत है, इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज से भी विशेषज्ञों की एक टीम कार्य कर रही है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में मौसमी बीमारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। दवाइयों एवं अन्य

(श्री कालीचरण सराफ)

संसाधनों की व्यवस्थाएं पर्याप्त है। मेडिकल कॉलेज में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं। आई.सी.यू. वार्ड में अलग से बैड की व्यवस्था की गयी है। जिले को अतिरिक्त बजट एवं संसाधन आवश्यकतानुसार आबंटित किया जा रहा है/ किया गया है। मौसमी बीमारियों के बचाव हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और जहां तक स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट का सवाल है, पहले 24 घंटे में स्वाइन फ्लू की जांच रिपोर्ट आती थी अब हमने राउंड द क्लॉक सैम्पल कलेक्शन के लिए यह निर्देश दे दिये हैं और अब छह-सात घंटे में स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट आ जाती है इसलिए कहीं कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है।

स्वाइन फ्लू में समय रहते जो व्यक्ति हास्पिटल में भर्ती होता है उसका निश्चित रूप से इलाज होता है, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में वहां मौसमी बीमारियों के लिए कमेटी बनाई हुई है। कोई भी बजट की, कहीं भी संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। कहीं पर कोई भी, किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी इसके लिए सरकार तैयार है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डा. फूलचन्द भिण्डा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की व्यवस्था चरमरा गयी और अब प्राइवेट अस्पतालों में भरमार पड़ी है। सारे शहर में त्राहि-त्राहि हो रही है।

श्री अध्यक्ष: आप मिल लीजिए। आप मिल लीजिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): समूचा आंकड़ा इकट्ठा करें। सरकारी अस्पतालों से भरोसा ही उठ गया कि यहां इलाज भी होगा या नहीं होगा। प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजों पर लंबी लाइन लगी हुई है। अख़बार लिख रहे हैं। त्राहिमान-त्राहिमान हो रहा है। सरकार की संवेदनाएं जनता के सामने आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: डा. फूलचन्द भिण्डा। प्रहलादजी, आप बैठिये। डा. फूलचन्द भिण्डा।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): गुंजल साहब, आपने यह जो बात कही है, कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में हमने टीम

(श्री कालीचरण सराफ)
बना रखी है इसके अलावा भी आपको कहीं भी आवश्यकता महसूस हो, आप मुझे बता दीजिए, उस प्रकार की टीम और बना देंगे।

विराटनगर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विराटनगर अरावली के जो दोनों शाखाएं हैं, उनके बीच स्थापित है। गरीब लोग रहते हैं। पिछले दस साल से मैं बारबार यह विषय उठा रहा हूं कि मापदंड के अनुसार विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं। पावटा और विराटनगर दो पंचायत समिति है। पावटा पंचायत समिति में एक लाख 88 हजार की जनसंख्या है, 2011 में जो अब दो लाख को पार गयी है। विराटनगर में भी एक लाख 76 हजार 2011 में जनसंख्या थी, वह भी दो लाख को पार हो गयी लेकिन मापदंड के अनुसार चार सी.एच.सी. होनी चाहिए लेकिन केवल दो सी.एच.सी. है और बिखरा हुआ क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, एस.बी.सी. की अगर सबसे ज्यादा पापुलेशन जयपुर जिले में हैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है इस कारण से, सी.एच.सी. नहीं खोली गयी, बारबार इसको टाला जा रहा है। मैं आशा करता था जब सरकार पलटी क्योंकि कांग्रेस तो भेदभाव ही करती रही है। मैं आशा करता था लेकिन वर्तमान सरकार ने भी नहीं किया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 4 सी.एच.सी. की जाएं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में धरना एवं नारे)

इसके अलावा विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में दो नेशनल हाइवे गुजरते हैं। एक हाइवे नम्बर-8 और एक 248-ए, एक हाइवे 55 किलोमीटर जाता है, एक में 28 किलोमीटर है, लेकिन एक भी ट्रोमा सेंटर नहीं है। इस कारण से विराटनगर में, जो अलवर और गुड़गांव को हाइवे जाता है और एक दिल्ली को हाइवे जाता है, दोनों पर जो प्रागपुरा थाना क्षेत्र है, उसमें ट्रोमा सेंटर खोला जाये। एक विराटनगर में ट्रोमा सेंटर खोला जाए।

इसके अलावा कई ऐसे स्थान हैं, ऐसे पंचायत हैडक्वार्टर हैं, जहां पाँच-पाँच, छह-छह किलोमीटर तक भी पी.एच.सी. नहीं हैं, इस कारण से मंडा और छापड़ाकलां, यह दो स्थान हैं, जहां आठ-आठ किलोमीटर तक की दूरी पर भी पी.एच.सी. नहीं हैं तो दोनों स्थानों पर पी.एच.सी. खोली जाएं।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इसके अलावा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां सी.एच.सी. पावटा में 11 पद हैं, लेकिन केवल दो डॉक्टर कार्यरत हैं, 9 पद खाली हैं। इसके अलावा विराटनगर में भी 11 पद हैं, उसमें भी चार व्यक्ति कार्यरत हैं और 7 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार से 8 ऐसी पी.एच.सी. हैं जिनमें अभी डॉक्टर के पद रिक्त हैं। प्रागपुरा एक ऐसी पी.एच.सी. हैं, जिसमें थाना भी है और एम एल सी केसेज भी आते हैं, वहां भी डॉक्टर नहीं है। एक स्थान ऐसा है पाछुलावा, जिसमें एक महिला डॉक्टर तो शुरू से ही, जिस दिन ज्वाइन किया उसके अगले दिन से ही प्रतिनियुक्ति पर जयपुर में बैठी है। दूसरा डॉक्टर 10 दिन में एक बार जाता है। मैंने आपके माध्यम से सरकार से बार-बार निवेदन किया है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि उस डॉक्टर को हटाकर के रिक्त करके दूसरा डॉक्टर लगाया जाये। सुदूर पूर्व में जो अलवर जिले की पहाड़ी क्षेत्र की पी.एच.सी. है पाछुलावा, उसमें डॉक्टर लगाया जाए और वर्तमान में लगे डॉक्टर को हटाया जाए।

इसी प्रकार मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चार साल से तीन पी.एच.सीज. चल रही हैं लेकिन भवन नहीं है। न बजट दिया गया है, इस कारण से दूधी आमलोदा, कारोली और तेवड़ी, तीनों स्थानों के लिये भवन के लिये तत्काल बजट दिया जाए, जिस कारण से विराटनगर की गरीब जनता को चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें।

इसी प्रकार से मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि डाक्टरों के पद खाली हैं और मेरे क्षेत्र के पाँच डाक्टर जयपुर में डेपुटेशन पर है। यह डेपुटेशन पर क्या करते हैं और जयपुर में वैसे ही बड़े-बड़े हास्पिटल हैं, लेकिन चाहे जब डेपुटेशन कर दिया जाता है। विराटनगर जो, मुख्यालय है, वहां के पाँच कम्पाउंडरों को प्रतिनियुक्ति पर कर दिया गया। प्रतिनियुक्ति पर क्या करते हैं वह डॉक्टर? वह डॉक्टर विराटनगर से तनख्वाह उठाते हैं और वहां की जनता इलाज के लिये तरसती रहती है, पट्टी भी हरिजन बन्धु करता है। इस कारण से मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सारे प्रतिनियुक्ति खतम हो। ए.एन.एम. के 65 पद हैं, उनमें से 38 पद खाली हैं। यह पद भरे जाएं और जो सी.एच.सी. की असुविधा है, उसको ठीक किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय चिकित्सा मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पंचायत समिति विराटनगर का पूरा एवं पंचायत समिति पावटा एवं शाहपुरा का आंशिक क्षेत्र आता है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 49 उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। उक्त चिकित्सा संस्थानों पर चिकित्सकों के 43 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 28 भरे हुए हैं, 15 रिक्त हैं। अराजपत्रित संवर्ग के 145 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 92 पद भरे हुए हैं और 53 पद रिक्त हैं। सीधी भर्ती के रिक्त पदों को आगामी भर्ती से उपलब्ध होने वाले चिकित्सा अधिकारियों, अराजपत्रित कर्मचारियों से एवं पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को भविष्य में आयोजित होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पश्चात् भरे जाने के लिये प्रयास किये जाएंगे। विभाग की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं - जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना, राजश्री योजना, एम एण्ड डी वाई, एम एन जे वाई, इन्टीग्रेटेड एम्बुलैंस सेवा आदि सुचारू रूप से चल रही है एवं इनका लाभ जनसाधारण को दिया जा रहा है। जहां तक ट्रोमा सेंटर की बात है और पी.एच.सी. खोले जाने की बात है, इसको एग्जामिन करा लेंगे और अगले सत्र से यहां ट्रोमा सेंटर हो और पी.एच.सी. हो, इसकी मैं कोशिश करूंगा। इसके साथ ही भवन के लिये बजट का जहां तक सवाल है, आप मुझे बता दीजिएगा किस-किस पी.एच.सी. का बजट स्वीकृत होने के बाद भी अभी तक मिला नहीं, उनको हम जल्दी ही जारी करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब आप बोल चुके।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं सी.एच.सी. की बात कर रहा हूं। सी.एच.सी. चार होनी चाहिये, दो ही हैं, उनके बारे में मंत्रीजी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। सी.एच.सी. चार हों। चार लाख से ज्यादा आबादी है, एक लाख पर एक सी.एच.सी. होती है, मेरे यहां दो ही सी.एच.सी. हैं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ऐसा है सी.एच.सी. के बारे में और पी.एच.सी. के बारे में जैसा मैंने कहा एग्जामिन कर लेंगे और निश्चित रूप से आपके यहां खुले, इसका मैं प्रयास करूंगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री गौतम दक।

जाखम बाँध (प्रतापगढ़) से गांवों के लिए बनाई पेयजल योजना

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि दो वर्ष पूर्व माननीय मुख्य मंत्री महोदया तब प्रतापगढ़ पधारे थे तो उन्होंने प्रतापगढ़ बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के 554 गांवों के लिये जाखम बाँध से पेयजल योजना की घोषणा की थी और उसकी डी.पी.आर. के लिये लगभग ढ़ाई करोड़ रुपये उन्होंने स्वीकृत किये गये थे। साल भर पहले उसकी डी.पी.आर. तैयार होकर विभाग के पास पहुंच गयी थी और इस बार माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने वहां की परिस्थितियां देखते हुए .....(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप आर.एस.एस. की शाखा में रहे हुए हो और आपने वहां बहुत अच्छा काम किया है और जयश्री राम का नारा भी लगाया।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अब इनको कांग्रेस ने निकाल दिया।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अब कांग्रेस निकालें चाहे रखे ...(व्यवधान)

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): इस बजट में प्रतापगढ़ और बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के उन 554 गांवों के लिये उन्होंने उस पेयजल योजना के लिये लगभग 912 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की थी। वह 554 गांव, जो प्रतापगढ़ और बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में आते हैं, छोटी-छोटी ढाणियों में और दूर-दूर के स्थानों पर उन गांवों में लोग रहते हैं तो किस प्रकार से वहां जो लोग रहते हैं, आर्थिक दृष्टि से वह काफी कमजोर लोग हैं। वहां पर आदिवासी भाई भी रहते हैं। ...(व्यवधान)... गरीब आदमी होने से उनके पास न तो स्वयं के कोई ट्यूबवैल के संसाधन हैं, हैण्डपम्प है तो वह भी काफी दूर-दूर लगे हुए हैं। पठारी इलाका होने से जनवरी के बाद वहां का जलस्तर काफी नीचे चला जाता है। हर साल गर्मियों में वहां टैंकर के

माध्यम से पेयजल की सप्लाई होती है और लोगों को पर्याप्त पेयजल सुविधा नहीं मिल पाती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि कई-कई किलोमीटर तक वह आदिवासी भाई पैदल चलकर पेयजल के लिये पानी की व्यवस्था करते हैं।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां जाखम डेम में 800 एम सी एफ.टी. पानी रिजर्व भी रखा है सरकार ने पेयजल के लिये। वहां पेयजल के लिये पानी उपलब्ध है और जो लोग वहां रहते हैं, वहां से 3-4 किलोमीटर दूरी पर, जहां से पानी की असुविधा चालू हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में जिस प्रकार से वहां के लोगों की असुविधा को देखते हुए जो पेयजल योजना स्वीकृत की है, जिसकी डी पी आर भी बन चुकी है, उस योजना को जल्दी से जल्दी चालू करें। मेरा तो आपसे निवेदन है कि कुछ गांव फेजवाइज बनाकर कुछ गांवों को लाभ इसी गर्मी से ही मिलना चालू हो जाएगा तो वहां की जनता को काफी राहत मिलेगी। मेरा आपके माध्यम से यही करबद्ध निवेदन है। धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने प्रतापगढ़, पीपलखूंट, अरनोद के लिये पेयजल की स्कीम के बारे में जिक्र किया। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत उदयपुर संभाग में पधारी थीं 16.08.2014 से 25.08.2014 के दौरान की गयी घोषणा की अनुपालना में जिला प्रतापगढ़ के ब्लॉक प्रतापगढ़, पीपलखूंट व अरनोद के कुल 554 गांवों को जाखम बाँध के पानी से लाभान्वित करने के लिये वृहत् पेयजल परियोजना के संरक्षण एवं डी.पी.आर. तैयार करने हेतु विभाग द्वारा मैसर्स पी.डी.कोर लिमिटेड जयपुर को कार्यादेश जारी किया गया। मैसर्स पी.डी.कोर लिमिटेड द्वारा तैयार की गयी परियोजना का ड्राफ्ट डी.पी.आर. की बजट घोषणा की अनुपालना में दिनांक 12.09.2017 को विभाग की तकनीकी समिति की 657वीं बैठक में तकनीकी क्लियरेंस प्रदान कर दी गयी है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

एवं परियोजना के रुपये 918.32 करोड़ के प्रस्ताव को दिनांक 04.10.2017 को विभाग की नीति निर्धारण समिति की 200वीं बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इस स्वीकृति के क्रम में परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाये जाने के क्रम में प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: मदन जी, अभी नहीं। ...(व्यवधान)... रख लो।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): उक्त जल पेयजल योजना हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा 890 एम.सी.एफ.टी. जल का आरक्षण जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा माही बांध से जाखम बांध नागलिया हैडवर्क्स तक जल निस्तारण करने के कार्य की शेयर लागत वहन करने की शर्त के अधीन जारी किया गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा माही से जाखम में जल निस्तारण तंत्र विकसित कर परियोजना हेतु जल उपलब्ध करवाने में लगने वाले समय एवं शेयर लागत का आकलन कर विभाग को अवगत करवाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 92 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.7(1ए)एफ.डी.-1(1)/एफ.सी.एण्ड ई.ए.डी./एफ. आर. बी.एम./2005 दिनांक 15.09.2017, जिसके द्वारा राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2006 में संशोधान किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-08 दिनांक 30.4.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-92 दिनांक 08.03.2017 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-09 दिनांक 30.4.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-96 दिनांक 08.03.2017 में संशोधन किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-10 दिनांक 30.04.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-99 दिनांक 08.03.2017 में संशोधन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014-11 दिनांक 30.04.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-115 दिनांक 08.03.2017 में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.2(30)वित्त/कर/2015-12 दिनांक 03.05.2017 जिसके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2017 के दौरान शिविर स्थल पर पंजीयन कार्य सम्पादन हेतु उप रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012-13 दिनांक 09.05.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.4(15)वित्त/कर/2014-55 दिनांक 14.07.2014 में संशोधन किया गया है;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012-14 दिनांक 09.05.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.4(15)वित्त/कर/2014-54 दिनांक 14.07.2014 में संशोधन किया गया है;
9. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012-15 दिनांक 09.05.2017 जिसके द्वारा भूमि नियमन के आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/2017-16 दिनांक 13.05.2017 जिसके द्वारा मनोरंजन कर एमनेस्टी स्कीम, 2017 लागू की गई है;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/2017-17 दिनांक 13.05.2017

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जिसके द्वारा विलासिता कर एमनेस्टी स्कीम, 2017 लागू की गई है;

12. अधिसूचना संख्या: एफ.14(8)वित्त/कर/2017-18 दिनांक 18.05.2017 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म 'जट्टू इंजिनियर' को मनोरंजन कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

13. अधिसूचना संख्या: एफ.2(30)वित्त/कर/2015-19 दिनांक 24.05.2017 जिसके द्वारा पंचायत पट्टों को रजिस्टर करने हेतु तहसीलदार/नायब तहसीलदार को प्राधिकृत किया गया है;

14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(42)वित्त/कर/2013-20 दिनांक 30.05.2017 जिसके द्वारा मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड़ द्वारा इकाई की स्थापना हेतु स्थानीय क्षेत्र में माल के आयात पर प्रवेश कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

15. अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-21 दिनांक 31.05.2017 जिसके द्वारा मैसर्स एच.पी.सी.एल. रिफाईनरी लिमिटेड़ के पक्ष में निष्पादित लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

16. अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-22 दिनांक 31.05.2017 जिसके द्वारा मैसर्स एच.पी.सी.एल. रिफाईनरी लिमिटेड़ के पक्ष में निष्पादित लीज डीड पर देय रजिस्ट्रेशन फीस में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-23 दिनांक 31.05.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(14)वित्त/कर/2017-92 दिनांक 08.03.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-24 दिनांक 31.05.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(14)वित्त/कर/2017-96 दिनांक 08.03.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

19. अधिसूचना संख्या: एफ.2(23)वित्त/कर/2017-25 दिनांक 01.06.2017

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जिसके द्वारा मुख्यमंत्री स्किल सब्सिडी स्कीम के तहत 2.00 लाख रुपये तक के ऋण से संबंधित इन्स्ट्रूमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

20. अधिसूचना संख्या: एफ.24(11)वित्त/कर/2017-27 दिनांक 07.06.2017 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म 'हिन्दी मीडियम' को मनोरंजन कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

21. अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2017-28 दिनांक 08.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटरयानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत कम्बाईन हार्वेस्टर यान को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है;

22. अधिसूचना संख्या:एफ.12(129)वित्त/कर/2011-पार्ट-29 दिनांक 22.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV के भाग (ख) में संशोधन किया गया है;

23. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-30 दिनांक 22.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के नीयत उपबंध दिनांक 22.06.2017 से प्रवृत्त किये गये हैं;

24. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-31 दिनांक 22.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 विरचित किये गये हैं;

25. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-32 दिनांक 22.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत समरूप माल और सेवा कर इलेक्ट्रोनिक पोर्टल के रूप में www.gst.gov.in को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया गया है;

26. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-33 दिनांक 22.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को जो केवल ऐसे कराधेय माल या सेवा या दोनों का प्रदाय करते हैं, ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार से छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

27. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-34 दिनांक 22.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत आयुक्त वाणिज्यिक कर, राजस्थान को राज्य कर आयुक्त, राजस्थान के रूप में नियुक्त किया गया है;

28. अधिसूचना संख्या:एफ.1 2 (7 9)वित्त/कर/2 0 1 4 -पार्ट-I I -3 5 दिनांक 28.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

29. अधिसूचना संख्या:एफ.12(79)वित्त/कर/2014-पार्ट-III-36 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

30. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-37 दिनांक 26.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-1(3) के अन्तर्गत नीयत कतिपय धाराओं को दिनांक 01.07.2017 से प्रवृत्त किया गया है;

31. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-38 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

32. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर2017-पार्ट-I-39 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत ब्याज की दर निर्धारित की गई है;

33. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-40 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(1) के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचियों में कर की दरें निर्धारित की गई हैं;

34. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-41 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत छूट प्राप्त माल की विभिन्न अनुसूचियों में कर की दरें निर्धारित की गई हैं;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

35. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-42 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत पैट्रोलियम कार्यों एवं कोल बेड मीथेन कार्यों के लिये अपेक्षित माल पर कर की आंशिक छूट प्रदान की गई हैं;

36. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-43 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-9(3) के अन्तर्गत माल की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का निर्धारण किया गया हैं;

37. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-44 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-54(3) के अन्तर्गत अधिसूचित वस्तुओं के संबंध में अनप्रयुक्त आगत कर का प्रतिदाय देय नहीं होगा;

38. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-45 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-55 के अन्तर्गत सीएसडी द्वारा जमा करवाये गये कर का 50 प्रतिशत प्रतिदाय के दावे के लिये अधिकृत किया गया है;

39. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-46 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत माल और सेवा के अन्तर्राज्यीय आपूर्ति पर प्रतिलोम प्रभार से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

40. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-47 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा टीडीएस कटौतीकर्ता को की गई पूर्तियों में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

41. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-48 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत सैकण्ड हैण्ड्स वस्तुओं का व्यापार

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

करने वाले पंजीकृत व्यवहारी द्वारा प्राप्त सैकण्ड हैण्ड वस्तुओं पर छूट प्रदान की गई है;

42. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-49 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत सेवाओं के प्रदाय के लिये कर की दरें निर्धारित की गई है;

43. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-50 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत सेवाओं के प्रदाय के लिये कर की दरें निर्धारित की गई है;

44. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-51 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-9(3) के अन्तर्गत सेवाओं की श्रेणियों, जिनमें प्रतिलोम प्रभार प्रणाली के अन्तर्गत देय कर का निर्धारण किया गया हैं;

45. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-52 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-7(2) के अन्तर्गत क्रियाकलापों तथा संव्यवहारों को माल की आपूर्ति एवं सेवाओं की आपूर्ति नहीं माना गया हैं;

46. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-53 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-54(3) के अन्तर्गत सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में अनप्रयुक्त आगत कर का प्रतिदाय देय नहीं किया गया हैं;

47. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-54 दिनांक 29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-55 के अन्तर्गत कुछ संगठनों एवं व्यक्तियों, जो कि उपार्जित अधिसूचित वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं या दोनों पदों पर देय कर के प्रतिदाय के दावों के लिये पात्र माना गया हैं;

48. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-55 दिनांक

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

29.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-9(5) के अन्तर्गत सेवाओं की श्रेणियों, जिनमें इलेक्ट्रोनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा देय कर का निर्धारण किया गया हैं;

49. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-56 दिनांक 30.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया हैं;

50. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-57 दिनांक 30.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत सीएसडी एवं यूनिट रन कैन्टीन्स द्वारा माल की आपूर्ति पर देय कर की छूट प्रदान की गई है;

51. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-58 दिनांक 30.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-10(1) एवं (2) के अन्तर्गत कम्पोजिसन लेवी की पण्यावर्त सीमा, दरों और अपवाद को निर्धारित किया गया है;

52. अधिसूचना संख्या: एफ.11(24)वित्त/कर/2016-60 दिनांक 01.07.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-3 के अन्तर्गत आरजीएसटी एक्ट, 2017 के उद्देश्यों हेतु कतिपय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है;

53. अधिसूचना संख्या: एफ.11(24)वित्त/कर/2016-61 दिनांक 01.07.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-3 के अन्तर्गत आरजीएसटी एक्ट, 2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा दायित्वों के निर्वहन के लिये वाणिज्यिक कर विभाग के कतिपय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है;

54. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-62 दिनांक 01.07.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

55. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-63 दिनांक 05.07.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

2017-पार्ट-1-40 दिनांक 29.06.2017 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

56. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-64 दिनांक 07.07.2017जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया हैं;
57. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-66 दिनांक 13.07.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-40 दिनांक 29.06.2017 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;
58. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-67 दिनांक 13.07.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-41 दिनांक 29.06.2017 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;
59. अधिसूचना संख्या: एफ.12(60)वित्त/कर/2017-68 दिनांक 19.07.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 के अन्तर्गत राजस्थान ऑथोरिटी फॉर एडवान्स रूलिंग का गठन किया गया हैं;
60. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-69 दिनांक 27.07.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-40 दिनांक 29.06.2017 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;
61. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-70 दिनांक 27.07.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-41 दिनांक 29.06.2017 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;
62. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-71 दिनांक 27.07.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया हैं;
63. अधिसूचना संख्या: एफ.2(36)वित्त/कर/2017-74 दिनांक 17.08.2017 जिसके द्वारा बीमार उद्यमों की अचल सम्पदा के हस्तान्तरण के साधन पर देय पंजीकरण की फीस पर छूट प्रदान की गई हैं;
64. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-75 दिनांक 17.08.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम,

2017 में संशोधन किया गया हैं;

65. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-76 दिनांक 18.08.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

66. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-77 दिनांक 22.08.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-49 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

67. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-78 दिनांक 22.08.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-50 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

68. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-79 दिनांक 22.08.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-51 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

69. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-80 दिनांक 22.08.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-55दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

70. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-81 दिनांक 30.08.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया हैं;

71. अधिसूचना संख्या: एफ.12(72)वित्त/कर/2017-82 दिनांक 06.09.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया हैं;

72. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-83 दिनांक 06.09.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2017 के लिये फॉर्म जीएसटीआर-३बी के विलम्ब से दाखिल करने पर विलम्ब शुल्क से छूट प्रदान की गई हैं;

73. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014पार्ट-84 दिनांक 13.09.2017 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

ड्यूटी पर देय ब्याज एवं दण्ड में छूट के संबंध में विशेष राहत योजना लागू की गई है;

74. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012-85 दिनांक 13.09.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-55 दिनांक 14.07.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

75. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-86 दिनांक 15.09.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-23(2) के अन्तर्गत कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के द्वारा हैण्डीक्राफ्ट माल की आपूर्ति के संबंध में रजिस्ट्रेशन में सशर्त छूट प्रदान की गई हैं;

76. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-87 दिनांक 15.09.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया हैं;

77. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-88 दिनांक 15.09.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-3(1) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा-51 द्वारा टीडीएस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया हैं;

78. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-90 दिनांक 21.09.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-49 दिनांक 29.06.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

79. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-91 दिनांक 21.09.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-50 दिनांक 29.06.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

80. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-92 दिनांक 21.09.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

धारा-11(1) के अन्तर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड़ को भारी जल और नाभिकीय ईंधन की आपूर्ति पर छूट प्रदान की गई हैं;

81. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-93 दिनांक 22.09.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.06.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

82. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-94 दिनांक 22.09.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-41 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

83. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-95 दिनांक 22.09.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-44 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

84. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-96 दिनांक 25.09.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-51 दिनांक 29.06.2017 के संबंध में अंग्रेजी अनुवाद बाबत् शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

85. अधिसूचना संख्या: एफ.2(42)वित्त/कर/2009-97 दिनांक 27.09.2017 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत अपनी सहायक कम्पनियों के पक्ष में आरवीपीएनएल द्वारा लीज किये गये पट्टे पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

86. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012-98 दिनांक 27.09.2017 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत यूएलबी द्वारा अपनी स्वयं की भूमि के निष्पादन हेतु संशोधित पट्टे/बिक्री के कार्य पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

87. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012-99 दिनांक 27.09.2017

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-55 दिनांक 14.07.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

88. अधिसूचना संख्या: एफ.2(11)वित्त/कर/2011-100 दिनांक 27.09.2017 जिसके द्वारा रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के खण्ड (डी) की धारा 88 की उपधारा-1 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत को पंचायत पट्टे के पंजीकरण के लिय व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है;

89. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-101 दिनांक 28.09.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-50 दिनांक 29.06.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

90. अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-103 दिनांक 29.09.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-21 दिनांक 31.05.2017 में संशोधन किया गया है;

91. अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-104 दिनांक 29.09.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-22 दिनांक 31.05.2017 में संशोधन किया गया है; एवं

92. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-105 दिनांक 29.09.2017 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री युनुस खान।

परिवहन विभाग

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्नांकित तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या:एफ.6(229)/परि/कर/मु./11/45774 दिनांक 16.10.2017 जिसके द्वारा जोधपुर नेटवर्क ऑफ पीपुल्स लिविंग विद एच.आई.वी. संस्थान, जोधपुर के एक वाहन को सशर्त कर मुक्त किया गया है;

(श्री युनुस खान)

2. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)/परि/कर/मु./95/24ई/45360 दिनांक 11.10.2017 जिसके द्वारा ग्रीन टैक्स में बढ़ोतरी की गई है; एवं

3. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)/परि/कर/मु./95/26ए/45346 दिनांक 11.10.2017 जिसके द्वारा वाहनों पर देय सरचार्ज में बढ़ोतरी की गई है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

ऊर्जा विभाग

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के ऊर्जा विभाग की निम्नांकित तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या:राविविआ/सचिव/विनियम-117 दिनांक 07.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग राविविआ (वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ऊर्जा क्रय और अधिप्राप्ति प्रक्रिया) विनियम, 2004 (इसके पश्चात् प्रधान विनियम के नाम से उद्धृत किये जाएंगे) में संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्या:राविविआ/सचिव/विनियम-118 दिनांक 07.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग राविविआ (अक्षय ऊर्जा बाध्यता) विनियम, 2007 (इसके पश्चात् प्रधान विनियम के नाम से उद्धृत किये जाएंगे) में संशोधन किया गया है; एवं

3. अधिसूचना संख्या:राविविआ/सचिव/विनियम-119 दिनांक 07.06.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग राविविआ (अक्षय ऊर्जा प्रमण-पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालन ढांचा) विनियम, 2010 (इसके पश्चात् प्रधान विनियम के नाम से उद्धृत किये जाएंगे) में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

प्रतिवेदन एवं लेखे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2016-17)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3) (एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री गोपाल कृष्ण।

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'ख' (क्रम संख्या 6 व 7)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति 'ख', 2017-2018, समिति के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित छठे एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति (क्रम संख्या-4)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2017-2018, समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया नियमावली के नियम 306 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गुलाबचन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी अनुमति से दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को कार्य सलाहकार समिति के 35वें प्रतिवेदन में दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को विचारार्थ लिये जाने वाले एक विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे प्रवर समिति के निर्दिष्ट किया गया था।

अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के 35वें प्रतिवेदन में दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को विचारार्थ लिये जाने वाले दूसरे विधेयक को भी प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे।

प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रभारी मंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017, श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हां।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय

(श्री अरुण चतुर्वेदी)
अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री जी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017, श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। श्री रमेश। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ

(श्री जोगाराम पटेल)
धोखा करने वाली पार्टी, किसानों के साथ अन्याय करने वाली पार्टी, किसानों के नाम से लोगों को बरगलाने वाला राजनैतिक दल जिस रूप में सुबह से आपके सामने पेश आ रहा है उससे लगता है कि वो किसानों के हितों की बात करना नहीं चाहते हैं। उनको यह पता है कि अगर विधान सभा के फ्लोर पर तर्क और वितर्क के साथ बात रखी जाएगी तो उनसे 56 साल का हिसाब मांगा जायेगा। ऐसी स्थिति में वो विधान सभा के फ्लोर पर न आकर के सिर्फ हा हो और जिस तरह का डांस यहां कर रहे हैं, राजस्थान की जनता उन्हें देख रही है और राजस्थान की जनता ने जैसा सबक पिछली बार इनको सिखाया है उससे कई गुना अधिक सिखायेगी।

यह जो बिल है संशोधन के रूप में जो लाया गया है राजस्थान राज्य विद्‌युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 इस पर मैंने अपना जनमत जानने का जो प्रस्ताव दिया है उसे मैं विथड्रा करने की अनुमति चाहता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: अच्छा तमाशा हो रहा है।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्‌युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 विधान सभा में, सदन में विचार के लिये लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्‌युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 से पहले उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 हम इस सदन में लेकर आये थे और यह जो 2016 का विधेयक लाने की आवश्यकता पड़ी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज किसानों की मांगों को लेकर के जो सदन में प्रतिपक्ष के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इनकी पिछली सरकार ने राजस्थान की विद्‌युत वितरण कम्पनियों पर बेतहाशा कर्जे का बोझ बढ़ा दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान की विद्‌युत वितरण कम्पनियां वेन्टीलेटर पर जाने लगीं और वेंटीलेटर पर नहीं, राजस्थान का वो आम उपभोक्ता जो सरकार पर भरोसा करके चलता है, कैसे बिजली उपलब्ध करायी जाए, यह एक चुनौती भरा सवाल खड़ा हो गया।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(14.00 बजे)

देश की बैंकों ने विद्युत कंपनियों को फाइनेंस करने से मना कर दिया। उन विकट परिस्थितियों में जब राजस्थान में सत्ता का बदलाव हुआ तो राजस्थान के उपभोक्ता को किस प्रकार से समुचित रूप से बिजली उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए राजस्थान की विद्युत वितरण कंपनियों को वेंटीलेटर से बाहर निकालकर, जो कि कांग्रेस राज के अभिशाप से ग्रसित हो गई थीं, उन अभिशप्त बिजली कंपनियों को किस प्रकार से सशक्त किया जाए, इसके लिए राजस्थान की सरकार ने संपूर्ण उत्तरदायित्व राजस्थान के किसान के हित में अपने ऊपर लेते हुए 2016 में एक उत्तरदायित्व का विधेयक पारित किया था।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका परिणाम यह हुआ कि आज राजस्थान की विद्युत वितरण कंपनियां वेंटीलेटर से बाहर निकलकर राजस्थान के किसान के हित में समुचित तरीके से काम कर रही हैं।

(14.01 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आज विद्युत वितरण कंपनियों को वेंटीलेटर पर पहुंचाकर राजस्थान के साथ इनजस्टिस करने वाले लोग उसी किसान के हितैषी बनकर सदन में घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आए हैं। राजस्थान इनके दोनों चरित्रों को देख रहा है। कल इनका चरित्र जब सत्ता में बैठे थे तब क्या था? आज जब यह विपक्ष में बैठे हैं तब किसान के हितों की बात पर किस प्रकार से हंगामा किया जाए, आज आपका चेहरा प्रतिपक्ष का नहीं राजस्थान में एक निर्वाचित हुल्लड़ ब्रिगेड का, राजस्थान की जनता के सामने जा रहा है। आपको सत्ता का विरोध करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी। एक हुल्लड़ ब्रिगेड के रूप में सदन में राजस्थान की जनता का समय और धन जाया करने के लिए आपको जिम्मेदारी नहीं सौंपी। जिम्मेदारी से भागकर आप राजस्थान के किसान की सहानुभूति हल्ला करके बटोर नहीं सकते। राजस्थान के किसान की आंखों में धूल झोंक कर आप सहानुभूति बटोरना चाहते हो। आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सदन ऑर्डर में नहीं है इसलिए इस पर ज्यादा नहीं बोलना। प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है कि देश भर की जितनी भी बिजली कंपनियां हैं, उज्जवला डिस्काम योजना, 'उदय' के माध्यम से किस प्रकार से उनको साउंड किया जाए, सुसज्जित किया जाए। जो कंपनियों को सहायता के आर्थिक प्रोविजन उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 में दिए थे, उनको 'उदय' के कारण विथड्रा किया है। इसी मकसद के कारण यह बिल सदन में पेश किया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था उसे वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री घनश्याम तिवाड़ी। (अनुपस्थित)

श्री नन्दकिशोर महरिया। श्री नन्दकिशोर महरिया। (अनुपस्थित)

श्री सुखराम विश्नोई। श्री सुखराम विश्नोई। (अनुपस्थित)

श्री धीरज गुर्जर। श्री धीरज गुर्जर। (अनुपस्थित)

श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 को मैंने जनमत जानने के लिए निवेदन किया था। मैं आपकी अनुमति से जो मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव था उसको विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: क्या हुआ?

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): बोल दिया।

श्री उपाध्यक्ष: यह इस तरह विथड्रा होगा नहीं। मैं सदन के सामने रखूंगा, सदन अगर चाहेगा तो विथड्रा होगा।

श्री रामहेत सिंह यादव।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी

(श्री रामहेत सिंह यादव)

हूं ...(व्यवधान)... मुझे मौका दिया है न माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का हृदय से आभारी हूं। किसान के हित की बात इस सदन में हो, कांग्रेस के माननीय सदस्य आप लोग तो उस स्वभाव के हो कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जब व्यवस्था दी कि आप किसान पर चर्चा करें। उसका समय निर्धारित करें तो उससे आप बैक हो गए। आप तो हल्ला करके इस हाउस की प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव किया था, मैं सदन की अनुमति चाहता हूं कि वह मुझे विथड्रा करने की अनुमति प्रदान करे।

श्री उपाध्यक्ष: डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में विद्युत कंपनियों के लिए 2000 में उस समय के नेता ने आश्वासन दिया था कि घाटा दूर करेंगे। लेकिन उस घाटे को 77 हजार करोड़ रुपए तक ले जाकर के छोड़ दिया। उस घाटे को ग्रहण करते हुए इस सदन की नेता ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान को बहुत बड़ी रिलीफ दी। हमें भी उन्होंने उत्तरदायित्व दिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के किसानों के लिए विद्युत के मामले में 2010 का वर्ष काला दिवस था। जब 6 गुना पैनल्टी के लिए वह सिविल लाइबिलिटी का एक्ट भारत सरकार ने पास किया। उसके कारण से लाखों किसानों के पेनल्टी लगी और वह वीसीआर में आए लेकिन फिर भी हमने उत्तरदायित्व ग्रहण किया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि 3 वर्ष पहले जो घाटा था, उसको हमने कम किया, फिर कम किया और इस वर्ष और कम करेंगे। इस उत्तरदायित्व को ग्रहण करने के लिए हमने यह स्वीकार किया है।

कांग्रेस के सदस्य किसानों के लिए आंसू बहा रहे हैं। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में किसानों पर जो भी इम्पोज हुआ, टैक्स इम्पोज हुआ, तो कांग्रेस ने किया है, कम किया है तो माननीय

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

भैरोंसिंह जी ने किया। हमारे नरेन्द्र मोदी जी ने कम किया। एक वर्ष में खाद के कट्टे के 800 रुपए कर दिए, 400 से 800 एक बार में कर दिए। तब राजस्थान का इनका ही सांसद कृषि मंत्री था। उसको भी हमने कम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इन्होंने 1976 में किसानों के गेहूँ का भाव डेढ़ रुपए बढ़ाया डेढ़ रुपए, डेढ़ पैसा किलो का, बनता ही नहीं है डेढ़ पैसा किलो का। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि कल उन्होंने डेढ़ सौ रुपए बढ़ाए हैं। डेढ़ सौ रुपए गेहूँ का भाव बढ़ाया है। इसी प्रकार से इमरजेंसी में इन्होंने किसानों पर लेवी थोपी। उस लेवी को जब जनता पार्टी में भैरोंसिंह जी आए तब समाप्त की।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से यह आज कर्जे के लिए आंसू बहा रहे हैं। मैं इनसे कहता हूं कि जितनी महंगाई इन्होंने किसानों के मद में बढ़ाई है, किसानों के इनपुट को इन्होंने जितना महंगा किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। इस कारण से मैं इनसे आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि किसानों पर स्वच्छता से बहस करें और जवाब सुनें। आज पूरी विधान सभा की बदनामी हो रही है। जनता में किस प्रकार से थू-थू हो रही है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इसको समाप्त करके किसानों पर बहस करें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया था, उसको विथड्रा करता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 आज सदन में पेश किया गया। मैं उसमें यह जो संशोधन किया जा रहा है, वह मूल एक्ट के अंतर्गत आरएपीडीआरपी, शहरों के वितरण ट्रांसफार्मरों का ऊर्जा अंकेक्षण 2 वर्ष के भीतर किया जाना था, जिसको हटाया जाना प्रस्तावित है। ऐसे कानून जो कि जनता के फायदे के लिए नहीं थे, उनको हमारी सरकार जनता के फायदे के लिए हटा रही है। यह बहुत ही

(श्री केसाराम चौधरी)

अच्छा काम है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

इसके साथ ही मूल एक्ट के सैक्शन 6 में स्पेशल फाइनेन्सिंग व्हीकल बनाना अपेक्षित था ताकि कम लागत पर उधार लेकर धन जुटाया जा सके। किन्तु वास्तविकता में यह प्रकाश में आया कि धन जुटाने के लिए अलग कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड का गठन करना था। जो जनता के लिए ठीक नहीं था। इस निगम का गठन करने के लिए कांग्रेस सरकार ने ग्यारहवीं विधान सभा में राजस्थान विद्युत मंडल को भंग करके कंपनियों में तब्दील किया। अपने आपको किसानों की हितैषी बताने वाली कांग्रेस ने विद्युत वितरण निगमों का गठन किया, 5 कंपनियों में बांटकर के 5 साल के पीरियड में 8 हजार करोड़ के कर्जे तक विद्युत निगम को पहुंचा दिया। हमने उसका विरोध किया।

इस बोर्ड को भंग मत करो और इन बिजली कम्पनियों को बनाकर इन्होंने जिस तरह से राजस्थान प्रदेश को घाटे में डाला और आज की स्थिति में यह जो खराब स्थिति बनी है उसको ठीक करने के लिए यह जो एक्ट लाए थे मगर उसकी आवश्यकता को देखते हुए इसको वापस लेने का जो प्रस्ताव है मैं इसके समर्थन में अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

कांग्रेस जिस बात को कहती है कि हमने इस बोर्ड बनाकर जनता के लिए भला किया, किसानों का भला करते, किसानों की भलाई के लिए कुछ काम करते तो आपको इस हालत में नहीं आना पड़ता। आज राजस्थान का किसान कर्ज माफी के लिए हाथ फैलाने वाला नहीं है, राजस्थान का किसान स्वाभिमानी है, आपकी तरह से कर्जा माफी नहीं चाहता, वह व्यवस्था को ठीक करना चाहता है, किसान को फसल का वाजिब मूल्य मिले। देश के माननीय प्रधान मंत्रीजी ने जो बात कही है, आने वाले 2022 तक राजस्थान के किसान की इन्कम दुगुनी करने का जो वादा किया है उसका निश्चित रूप से 2022 तक आप देखना, राजस्थान का किसान स्वाभिमानी किसान है, आपकी तरह से हाथ फैलाने वाला नहीं है, कटोरा लेकर भीख मांगने वाला किसान नहीं है। किसान को कर्ज माफी देकर आप एहसान नहीं करना चाहते, आज आप किसान का लाभ लेना चाहते है। किसान ने कभी भी आज दिन तक हाथ नहीं फैलाया, किसान धरती माता को भी अगर देता है

(श्री केसाराम चौधरी)

तो हाथ टेढ़ा करके धरती माता को सींचता है, और कहता है कि हे धरती मां, मैं तेरे ऊपर जो बीज की बुआई कर रहा हूं वह चोर-चकारी, चिड़ी, कमेड़ी, सकल का पेट भरकर मुझे भी देना, ऐसी अपेक्षा करने वाला किसान आपकी तरह भीख का कटोरा लेकर भीख नहीं मांगता, कर्ज माफी की मांग नहीं करता, वह कहता है मेरी फसल, मैंने उत्पादन किया है उस फसल का पूर्ण मूल्य मिले, बाजार भाव मिले, खाद सस्ती मिले। व्यवस्था को ठीक किया नहीं, 50 साल की राजनीति में आपने जिस तरह से देश में, किसान की माली हालत खराब की है। तो किसान आज मजबूर है और आज मोदीजी के दिए हुए आश्वासन पर विश्वास करता है, निश्चित रूप से किसान आने वाले समय में अपने आप को समृद्ध बनाने वाला किसान, देश को समृद्ध बनाने वाला किसान, बनकर इस देश की उन्नति में भागीदार बनेगा। आपकी तरह भीख का कटोरा लेकर कर्जा माफी की मांग नहीं करता, वह व्यवस्था को ठीक करने की मांग करता है, उसको बिजली समय पर मिले।

माननीय विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जब विद्युत संकट में राजस्थान आया, उस संकट से उबार कर किसान को छह घंटे, साढ़े छह घंटे बिजली देने की व्यवस्था करें। किसानों के कुओं में इस वर्ष पानी है, उस पानी की वजह से वह किसान इस राजस्थान प्रदेश को हरा भरा बनाने की चेष्टा करता है। माननीय विद्युत मंत्रीजी, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप निश्चित रूप से कहीं से भी बिजली खरीदें मगर किसान को साढ़े छह घंटे और रात में सात घंटे बिजली दें। कांग्रेस वालों, किसान को आप जो भय की बात करते हैं, आपने पाँच साल तक अपने राज में पाँच घंटे से ज्यादा एक मिनट भी बिजली नहीं दी, उसका प्रतिफल हुआ कि किसान गरीब से गरीब होता गया और भारतीय जनता पार्टी का शासन आते ही आपने साढ़े छह घंटे और सात घंटे बिजली दी, इसके लिए किसान आपका आभारी है। अब विद्युत संकट से उबार कर किसान को साढ़े छह घंटे और सात घंटे बिजली देने की माननीय मंत्रीजी यह घोषणा करें ताकि राजस्थान का किसान उत्पादन ज्यादा कर सके, अपने खेतों में फसल की सिंचाई करके उत्पादन को बढ़ा सके।

ऐसी अपेक्षा करते हुए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया,

(श्री केसाराम चौधरी)

इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी (अनुपस्थित)।

श्री भँवर सिंहजी (अनुपस्थित)।

श्री मनोज कुमारजी (अनुपस्थित)।

श्री हनुमानजी बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खीवंसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्‌युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 2013 में तब राजस्थान के अंदर चुनाव प्रचार में इन लोगों ने एक बात यह भी कही थी कि कम से कम बिल हम लाएंगे और फालतू के जितने भी कानून बने हुए हैं राजस्थान के अंदर उनको हम राजस्थान में खतम करेंगे लेकिन चार साल के अंदर जब भी विधान सभा का सत्र चलता है, यह कोई न कोई बिल यहां लेकर आ जाते हैं और उस बिल को पारित करवा लेते हैं और बहुत बड़ी शर्म की बात है कि जो काला कानून यह अफसरों को मजबूत करने के लिए लेकर आए थे उसमें सरकार को पहली बार चौथे साल में बैकफुट पर जाना पड़ा और उसे प्रवर समिति को सौंपना पड़ा और पूरे देश में राजस्थान की बदनामी हुई। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किस पर बोल रहे हैं, बिल पर बोलें। ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब बोल रहा हूं। इस पर आ गया, बिल पर आ गया हूं मैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार द्‌वारा ...(व्यवधान)...

श्री प्रद्‌युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये ...(व्यवधान)... ये ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप धरने में नहीं हैं? ...(व्यवधान)...

श्री प्रद्‌युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं इस सदन में हूं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप यह बताएं कि आप धरने में शामिल हैं या नहीं? ...(व्यवधान)...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपको कैसे? यह आपका डिपार्टमेंट है क्या? ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बहिष्कार किया है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। ...(व्यवधान)... कांग्रेस में दो ग्रुप बने हुए हैं, कुछ लोग धरने में है, कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान)... कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं। आप लोग धरने में शामिल नहीं हैं? पहले आप यह बताएं उसके बाद आप बोलने की बात करें। ...(व्यवधान)...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पूरा डिपार्टमेंट परव्यू में है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप धरने में शामिल नहीं हैं न? ...(व्यवधान)...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पूरे महकमे पर चर्चा हो सकती है। ...(व्यवधान)... पूरे महकमे के बारे में चर्चा हो सकती है यह अमेंडमेंट जो आप लेकर आए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अमेंडमेंट तक ही सीमित रहें। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): किसान के आप हितैषी बनना चाह रहे हो? ...(व्यवधान)... आप कैसे बोल रहे है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अच्छा अभी मालूम पड़ेगा जब बोलूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हां, बोल लो आप चाहे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, बोलो। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आप सबको ही कह रहा हूं, आप सबको यह गलतफहमी कैसे हुई कि एक दूसरे को पूछकर आप बोल सकते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं तो आपको ही पूछ रहा था।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप लोग बिलकुल शांति से एक बात पर विचार कर लीजिए। अगर आपको बोलना है तो बिल के जो विषय हैं और उसमें

(श्री उपाध्यक्ष)

आप सकारात्मक सुझाव दे सकते हैं तो दीजिए, आप पूरे तो बिल की बड़ाई करते हो और फिर कहते हो कि बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करो। कहीं तो हम इसके शुद्ध व्याकरण तक सीमित रहें। हरेक सदस्य जो खड़ा हुआ है, बिल के पक्ष में बोला है और यहां आप जनमत जानने के लिए कह रहे हैं। तो आप सैकंड या थर्ड स्टेज तक इंतजार क्यों नहीं कर सकते? ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): थोड़ी डांट और लगाओ, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रीजी, आपके मंत्री बैठे-बैठे बोल रहे हैं और बगैर इजाजत बोल रहे हैं।

And may this be noted in bold letters, if such indiscipline is there and exercised in this House, I'll reprimand even Ministers. यहां कोई चीज अगर आप कर रहे हैं, आप जनता की आवाज उठा रहे हैं तो आपको यह अधिकार है कि उठाएं लेकिन अगर आप अनुशासन को दरकिनार करके उठा रहे हैं, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इस संविधान ने अगर आपको अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी बताएं हैं।

सम्माननीय सदस्य, आप अपने विवेक से अपने व्याकरण को ध्यान में रखते हुए अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत प्रबंध उत्तरदायित्व बिल जो संशोधन का लेकर आए हैं इसमें अधिकारियों को इनकी जिम्मेदारियों एवं उत्तरदायित्व को कम किया जा रहा है, वैसे तो राजस्थान में बिजली कम्पनियां बनी थी आज से 16 साल, 17 साल पहले तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय घाटा 5 हजार करोड़ रुपए का था और 17 साल के अंदर यह घाटा बढ़कर 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया और हमेशा एक ही बात चलती है, एक बात हमेशा सरकार में बैठे लोग करते हैं या अधिकारी करते हैं कि राजस्थान का किसान बिजली चोरी कर रहा है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसान को तो आप पूरी बिजली माफ कर दो तो मुझे लगता है कि आठ-दस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा रेवेन्यू का लोस सरकार को नहीं होगा और वह भी दूसरी जगह से आप ले सकते हो लेकिन जो ज्यादा चोरी बिजली के मामले में होती है वह बड़े उद्योगपति, बड़ी फैक्ट्रियां और बड़े लोग वहां के एईएन और एक्सईएन से सांठगांठ करके चोरी करते हैं। तो मैं पहली मांग तो यह करूंगा कि 2000 से लेकर आज तक 17 साल के अंदर बिजली कम्पनियों को आपने कहां-कहां रियायत दी, कहां-कहां आपने अतिरिक्त, जैसे पिछली सरकार के टाइम 2003 से 2008 तक आपकी सरकार थी तो 10 हजार करोड़ रुपए फीडर रिनोवेशन, फीडर सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत दिए थे। बहुत बड़ा घोटाला उस समय हुआ और +++ के खिलाफ अखबारों में छपा और उसी +++ को आपने एमडी बना दिया जयपुर के अंदर। उस घोटाले की भी साथ में जांच होनी चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहूंगा।

वैसे तो राजस्थान की बिजली कम्पनियों को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के घाटे की ऑडिट है वह नहीं हो रही है आज तक और 2016 में इस बिल में जो एनर्जी ऑडिट के प्रावधान थे उनको हटाया जा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत खुद बिजली कम्पनियों ने स्वीकार किया है कि उनके पास मीटर व ट्रांसफार्मर की कितनी खरीद है इसका कोई लेखा जोखा उन लोगों के पास नहीं है।

लाखों करोड़ों, रुपये के ट्रांसफार्मर, मीटर चोरी हो जाते हैं और अपने आप दे दिये जाते हैं, बंदरबांट कर दी जाती है। स्टोर के माध्यम से पुन: चोरी करवाकर टेण्डरों के माध्यम से उसी माल की आपूर्ति ले ली जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को घाटे का दोषी बताया जाता है जबकि भिवाड़ी, वीकेआई औद्योगिक क्षेत्रों में करोड़ो-अरबों रुपये की बिजली चोरी करवायी जा रही है। इंजीनियरों की क्रीम पोस्टिंग भिवाड़ी, अलवर व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में मानी जाती है तथा अधिक बोली देने वालों को वहां पोस्टिंग दी जाती है। आरएफपीडीपी योजना में दो साल के भीतर समस्त फीडरों की एनर्जी ऑडिट का प्रावधान हटाया जा रहा है वह अपने आपमें अधिकारियों

(श्री हनुमान बेनीवाल)

के भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार तुरंत हाई कोर्ट की निगरानी में रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाकर एक लाख करोड़ के घाटे की पूरी जांच कराए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि अब रबी की सीजन राजस्थान में आ गयी है। आपने घोषणा-पत्र के अंदर एक बात की थी कि हम जब आएंगे तो सिविल लाइबिलिटी को खतम करेंगे। जितनी भी शीटें गलत तरीके से राजस्थान के किसानों की भरी हैं उन शीटों को भी हम खतम करेंगे, किसानों के जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको भी खतम करेंगे। जब आप विपक्ष में थे तब यह बात कहते थे और सत्ता पक्ष में आने से पहले आपने यह बात कही। अभी तो आपने विजिलेंस के नाम पर इतना डरा रखा है, कई जगह तो आरएसी की टुकड़िया लेकर आप जाते हो और किसानों के घरों में ऐसे घुसते हो जैसे पंजाब व कश्मीर में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सर्च आपरेशन चलाया जाता है। हमारे नागौर जिले के अंदर तो सबसे ज्यादा तकलीफ आप लोग दे रहे हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही मांग करूंगा कि आपने जो 6 घंटे या 7 घंटे बिजली देने की बात की थी कि खरीफ के अंदर 6 घंटे और रबी के अंदर 7 घंटे, अभी राजस्थान के किसान को 5 घंटे बिजली मिल रही है, 24 घंटे सिंगल फेस की जो बात आपने की थी वह गांवों में 5 घंटे से ज्यादा सिंगल फेस बिजली नहीं मिल रही है। स्कूल के अंदर गर्मी के अंदर बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां भी स्कूल टाइम के अंदर आप बिजली नहीं देते हो।

एक बहुत बड़ी समस्या मेरे इलाके की और राजस्थान की है, कनेक्शन देने में डार्क जोन की आड़ के अंदर रेवेन्यू आफिसर किसानों को लूट रहे हैं। कहीं डार्क जोन 2004 के अंदर लागू हुआ, कहीं 2009 के अंदर हुआ, कहीं 2011 के अंदर हुआ। मैं मंत्रीजी से यह चाहता हूं कि डार्क जोन के पहले के जितने भी ट्यूबवैल, कुएं खुदे हुए हैं उन किसानों का एफिडेविट लेकर उनको कनेक्शन जारी करें ताकि चोरी से निजात मिलें और सरकार को कम से कम 10 हजार करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू मेरे खींवसर क्षेत्र से आ जाएगा। आपको कनेक्शन नियमित करने चाहिए। अधिकारी भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं रेवेन्यू का। पटवारी 2004 या 2009 से लिखाने के लिए 2 लाख रुपये लेता

(श्री हनुमान बेनीवाल)

है। यही हालत ओसियां, लोहावट और जोधपुर जिले की है।

सबसे ज्यादा आंदोलन राजस्थान के अंदर कहीं चल रहे हैं तो बिजली के आंदोलन चल रहे हैं। मेरी सरकार से यह मांग है कि राजस्थान के किसान की पूरी बिजली माफ करनी चाहिए और घरेलू उपभोक्ताओं को भी 50 प्रतिशत छूट आपको देनी चाहिए। वैसे भी चुनावी साल है, निश्चित रूप से आप घोषणाओं पर घोषणाएं किये जा रहे हो, पूरी तो, पता नहीं, होगी या नहीं होगी। एक घोषणा यह भी कर दो कि किसान की बिजली माफ हो जाए। बिजली उत्पादन के अंदर वैसे ही राजस्थान की ठीक स्थिति है। आने वाले टाइम में ईश्वर की कृपा रही तो राजस्थान बिजली उत्पादन में एक नम्बर पर आ जाएगा। आप किसान हितों के लिए जो घोषणा-पत्र में बात लेकर आये थे, चाहे कर्ज माफी की हो, बिजली माफी की हो, गुजरात मॉडल की हमेशा बात करते हो, तो गुजरात में गुजरात सरकार ने टोल माफ कर दिया, आप भी राजस्थान के अंदर टोल मुक्त करो। रोजगार दो, बिजली के अंदर खाली पद पड़े हैं।

बिजली कंपनियों का जो भ्रष्टाचार है उसे रोकने के लिए मंत्रीजी को निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं नजर आएगा तो बिजली कंपनियों के अंदर, बिजली के अंदर भ्रष्टाचार होगा। किसान अकेला चोरी नहीं कर रहा है, इनके बड़े-बड़े अधिकारी जयपुर के अंदर 5-5 करोड़ की कोठी बनाकर बैठे हैं, दिल्ली के अंदर फ्लैट ले लिये। जब नौकरी में लगे तब उनके पास साइकिल नहीं थी, वे आज अरबों में खेल रहे हैं। उनके पास पैसा कहां से आया? मंत्रीजी, ऐसे लोगों की आप जांच भी कराएं।

किसान को राहत दें, पूरी बिजली दें और अवैध कनेक्शन के नाम पर आप जो विजिलेंस भेजते हो उसको भी बंद करें। मेरी आपसे मांग है कि राजस्थान के अंदर ये बिजली थाने होने ही नहीं चाहिए। इनको बंद करें। आप शीट भी भर रहे हो और मुकदमा भी दर्ज कर रहे हो। एक अपराध कोई व्यक्ति करता है तो उसको एक दण्ड मिलता है। आप एक अपराध के दो दण्ड देते हो। उस किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल में डालते हो और उसकी शीट भरकर पैसा भी वसूलते हो।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मेरे हिसाब से बिजली थानों की राजस्थान के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है। बिजली माफ होनी चाहिए, नहीं तो 2018 के अंदर चुनाव में जब आप जाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत के अंदर आ जाओगे। अब ज्यादा समय नहीं बचा। यह संशोधन बिल लाने के बजाय आप काम पर ध्यान दो और राजस्थान के किसान का भला करो।

दो दिन से यहां वैल में हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं तो कर्ज माफी की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी को मेरे हिसाब से कर देनी चाहिए ताकि आपके लिए ठीक रहेगा, आप लोगों को रिलीफ मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री झाबरसिंह खर्रा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत आज आम आदमी का अभिन्न अंग बन चुकी है। जिस प्रकार रोटी, कपड़ा, मकान, हवा और पानी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल हैं उसी प्रकार विद्युत भी अब मूलभूत सुविधाओं में शामिल हो चुकी है। जिस प्रकार विद्युत की कमी और उसकी बढ़ती लागत आम आदमी के लिए असहनीय हो रही है उसके लिए विद्युत उत्पादन से लेकर वितरण तक निरन्तर नियमों में, कानूनों में सुधार की आवश्यकता है और उसके अलावा सख्त निगरानी की आवश्यकता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विद्युत उत्पादन में सबसे सस्ती बिजली पनबिजली कहलाती है जो पानी से उत्पादित होती है। हिन्दुस्तान के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पन बिजली उत्पादन करने के जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे दुर्भाग्य से उनका सही तरीके से सदुपयोग नहीं कर पाये और इसकी वजह से हमें महंगी बिजली उत्पादित करने, चाहे वह कोयले से या दूसरे साधनों से हो, उत्पादन करने का कार्यक्रम हाथ में लेना पड़ा। इसके लिए जितने भी कानून और नियम बने हैं उसके बारे में मैं माननीय प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में विद्युत सुधार और फीडर सुधार के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, लेकिन उसका समुचित लाभ आम उपभोक्ता और बिजली कंपनियों को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

पाया। उसके मूल में जो कारण मैं समझ पाया हूं एकीकृत ठेका प्रणाली इसके लिए जिम्मेदार है। इसके बारे में भी ध्यान दें ताकि विद्युत के क्षेत्र में सुधार किया जा सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हजारों करोड़ रुपयों का ठेका हम एक कंपनी को देते हैं, वह 15-20 परसेंट नीचे में दूसरी छोटी कंपनियों को ठेका सबलैट करती है और वह सैकण्ड कंपनी भी छोटे-छोटे ठेकेदारों को 15-20 परसेंट का लाभ लेकर फिर ठेका सबलैट करती है। इसके अलावा हम बेरोजगार प्रशिक्षित लोगों को, गांव का समूह बनाकर पंचायत के आधार पर, पंचायत समिति के आधार पर कोई भी समूह बनाकर उन ठेकों को छोटे आधार पर छोड़ें तो बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और जो 40-50 परसेंट पैसा बीच के लोग, मध्यस्थ लोग खा जाते हैं उसकी भी सरकार और इन विद्युत कंपनियों को बचत होगी।

इसलिए मैं माननीय प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि यह सुधार की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहे और इसमें जितने भी लीकेज हो रहे हैं उन लीकेज का और अब तक जो सुधार के कार्यक्रम हुए उसमें जितना पुराना सामान हटाया गया और उसकी जगह नया सामान लगाया गया, वह पुराना सामान स्टोर में जमा हुआ या नहीं हुआ, इसकी भी जांच करवायी जाकर जो कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है उसको उजागर किया जाकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। विद्युत के क्षेत्र में निरन्तर कठोर निगरानी की आवश्यकता है।

मैं उम्मीद करूंगा कि इस संशोधन विधेयक के माध्यम से जो सुधार का प्रयास किया गया है वह निश्चित रूप से फलीभूत होगा और आगे भी इस सुधार प्रक्रिया को वर्तमान राज्य सरकार निरन्तर जारी रखते हुए आम उपभोक्ता को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में सक्षम बनेगी।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसके लिए सदन से अनुरोध करूंगा कि उसको मुझे वापस लेने की अनुमति दी जाए। जयहिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2017 पर चर्चा चल रही है। हालांकि यह बिल है यह डिस्ट्रीब्यूशन से सम्बन्धित है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब विद्युत का विषय आता है तो निश्चित रूप से सुधार की हर बात भी इसमें कहीं न कहीं की जाती है। जो-जो इश्यू लाये हैं उनमें समय-समय पर बदलाव भी करते आये हैं। एक कम्पनी हमने बनाई और हो सकता है कि सालभर बाद उस कम्पनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कहीं टैक्सेबल है, कहीं टैक्सेबल नहीं है लेकिन इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर लाना चाहूंगा कि कम्पनी लेवल पर हमारी पॉलिसी और जो विधेयक हम ला रहे हैं वो ठीक है लेकिन इसके साथ-साथ आज दिन तक कहीं न कहीं घाटे की समस्याओं या हम जिस प्रकार से सब्सिडी देते हैं उसको खाली आगे लाया जाता है पर इसके साथ दूसरी बातों पर विचार नहीं किया जाता है। जैसे पहले अधिकारियों ने लाया 'जिओ' और 'जिओ' का सालभर बाद 'डिओ' में वितरित किया तो 'जिओ' के लिए करोड़ों रुपये लगे, वो स्कीम किसने तैयार की, किन अधिकारियों ने उस पर क्या-क्या एक्सपेरिमेंट किए और अगर 'जिओ' सही था तो उसको रखना चाहिए था, 'जिओ' सही नहीं था तो 'डिओ' क्यों लाये। ऐसे ही जैसे पहले ट्रांसफार्मर पहले थे और उसके बाद स्टेण्डर्ड ट्रांसफार्मर हमने चैंज किये और पुराने ऐसे हैं जिनमें करोड़ों-अरबों रुपयों का कॉपर था, उनकी इतनी मजबूती थी उसके बाद में भी किया। लाते हैं, बराबर है लेकिन आखिर कहीं न कहीं हम इस प्रकार का जो भी एक्सपेरिमेंट करें वो फाइनल ऐसा करें कि आगे इसको वापस बदलने की जरूरत नहीं पड़े। इस पर हमें कहीं न कहीं विचार करना चाहिए, नहीं तो करोड़ों रुपयों का गैप है।

दूसरी बात, इन कम्पनियों के माध्यम से जो परचेजिंग पावर है उस पर कहीं न कहीं हमारी निगरानी होनी चाहिए। इसमें भी कई प्रकार के गैप होते हैं। अब आपके ट्रांसफार्मर, आपने कम्पनी को दिया, खराब हो गया, कम्पनी की वारंटी में है, दिया तो वो बदलकर नहीं देगा वो उसी को रिपेयर करके देगा। आपके लाने के 15 दिन बाद वापस वो खराब हो जाएगा। किसान लगाता है और 15 दिन वापस फिर उसको ऑफिस तक ले जाना पड़ता है जिससे किसान आगे-पीछे होता है और जो फसल है उसको अगर

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

चार दिन लेट पानी मिलता है तो फसल आधी हो जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन चीजों के बारे में भी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहूंगा कि ध्यान रखें।

निश्चित रूप से डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के हिसाब से आपने जो सोचा है, हमारी तीन कम्पनियां बनी हुई हैं उसके बाद में स्टेट की इस कम्पनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है वहां तक तो ठीक है पर इसमें और सुधार करके किसान हितकारी विद्युत विभाग कैसे बने यह करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसे एरिया में जहां पानी बहुत कम है वहां एक से डेढ़ बीघा में किसान खेती करता है और वहां अपनी विजिलेंस टीम जाती है और 50 हजार की पैनल्टी लगा देते हैं। मतलब एक से डेढ़ बीघा में क्या तो वो किसान खेती करता है तो वहां पर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो किसानों के हित में अधिकारी कैसे सोचे और जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, माननीय सदस्यों ने कहा है कि अगर रोकना है तो बड़े चोरों को रोको न। चोर की मां को पहले पकड़ें और छोटे-मोटे किसानों को हम तंग नहीं करें इसमें हमारी कहीं न कहीं थोड़ी सी किसानों के प्रति जवाबदेही रहती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार कांग्रेस ने इस विद्युत विभाग का बंटाढार किया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना के तहत इस कम्पनी को वापस जमाने की कोशिश की है और जमी भी है। आज इस आर्थिक संकट में से ऊपर उबरने की तैयारी में हम हैं और उससे काफी बाहर निकल चुके हैं तो आगे इस कम्पनी को और मजबूत बनाया जाए।

इन्हीं बातों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने जनमत जानने के लिए दिया है उसको आपकी इजाजत होगी तो वापस लेने की इजाजत चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बोल लूं? उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वैसे बिखराव तो स्पष्ट दिख ही गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां दिख गया, आप इसमें ही खुश रहो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मुझे कहना नहीं चाहिए, इससे बड़ी दुर्गति आपकी कभी नहीं हुई। इस पद पर भैरोंसिंह जी शेखावत रहे हैं और आप देखिये। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप अपनी सीट पर जाकर बोल सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? यह कैसे जवाब दे रहे हैं? नेता, प्रतिपक्ष जैसा गम्भीर व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़े व्यक्ति हैं ये। नेता, प्रतिपक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद है, आप उसकी गरिमा रखें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आप विराजिये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं बैठ जाऊंगा, मैं बैठूंगा लेकिन नेता, प्रतिपक्ष गरिमा रखेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह आपके नेतृत्व को चुनौती है। नेता, प्रतिपक्ष, यह आपके नेतृत्व को चुनौती है। यह धौलपुर के द्वारा आपके नेतृत्व को चुनौती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कोई चुनौती नहीं है। ये हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे। आपको तकलीफ हो रही है। आप हमारे बीच में मतभेद करने की जो चेष्टा कर रहे हैं उसमें आप सफल नहीं होंगे।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं तो इंटरवीन करूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपनी-अपनी बात को इस सदन में कहना और प्रतिरोध करने का आपका अपना प्रजातांत्रिक अधिकार है लेकिन अगर आप किसी बात को विवेकपूर्ण पूरे सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इतना अनुशासन तो आपको भी रखना पड़ेगा कि आसन आपको अनुशासन का पाठ न पढ़ाए। नेता, प्रतिपक्ष, मैं बड़े आदर से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभिव्यक्ति करने की आपकी कहीं मंशा जाग्रत हुई तो आपकी

(श्री उपाध्यक्ष)

कुर्सी वहां थी और वहां माइक भी था, आप वहां पधार जाते। जो भी एक परम्परा रही है, आदर सहित आसन भी आपसे निवेदन करता कि आप अपनी बात को अभिव्यक्त करें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): डूडी जी, आप बैठो एक बार। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो, आपके निर्देश शिरोधार्य हैं, आपने सही कहा है, कभी-कभी कुछ नियमों का ध्यान नहीं रहता है तो उसको आसन को भी इग्नोर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कहीं आपके आसन के प्रति न तो अनादर है, आपके प्रति हमारे मन के अन्दर पूर्ण आदर है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं। आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आप ही से निवेदन करता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता द्वारा अभिव्यक्त किया हुआ यह वाचन मैं अंकित कराऊं या न कराऊं। अगर अंकित कराऊं तो वैल में आकर किसी बात का कहना अनुचित है। यह मेरा आपसे निवेदन है कि आसन ने आपको बाध्य नहीं किया है यहां तक पधारने का, यह आपका स्वयं का निर्णय है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपके माध्यम से वो वाचन कराना चाहें तो करवाएं, मुझे, आसन को वहां कोई एतराज नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन आप लाये हैं वो अपनी जगह है। लेकिन आज राजस्थान के अन्दर बिजली की स्थिति है क्या, उपाध्यक्ष महोदय? यह भी किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान जो आज कर्ज में डूबा है उसको पूरी बिजली मिल रही होती तो शायद उसके कर्जे में कुछ कमी आती, ऐसा मेरा मानना है। आज पूरी बिजली मिल रही होती। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने एक भाषण दिया था इसी सदन में, इस साल दिया था या पिछले साल दिया था कि बिजली उत्पादन के मामले में राजस्थान सेल्फ सफिशिएंट है और हम दूसरे राज्यों को बिजली देने की स्थिति में आ गये हैं। आज स्थिति क्या है? दबी आवाज में आपके सदस्य भी कह रहे हैं कि आप किसान को पूरी बिजली दें। कांग्रेस के राज में तो अशोक गहलोत ने 98 पैसे यूनिट के अन्दर बिजली दी। आपने बढ़ाने की चेष्टा की, आपने उसको भी वापस ले लिया। लिया, यह सबको पता है। ... (व्यवधान)... एक मिनट

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रुक जाओ, एक मिनट प्लीज। मैं पाँच मिनट में अपनी बात खतम कर दूंगा। नेता महोदय की आज्ञा से बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के भाषण के उपरांत भी और यह भी कहा था कि हम दूसरे राज्यों को बिजली बेचने की स्थिति के अन्दर आज हैं। अगर मैंने गलत कहा है कि तो माननीय मंत्री महोदय मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज स्थिति क्या है? आज बारिश राजस्थान के पूर्वी हिस्से के अन्दर खासतौर से, आप पश्चिम के कुछ जिले छोड़ दें और उदयपुर डिवीजन को छोड़ दें तो बाकी राजस्थान के अन्दर बारिश बहुत कम हुई है।.......

और खास तौर से पूर्वी राजस्थान जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा, ये जिले आते हैं। बारिश की कमी की वजह से बाजरे की फसल बर्बाद हुई। हमारे जिले के अंदर वह आंकड़े हैं, उसमें 44 परसेंट रेनफाल कम है। धौलपुर जिले के अंदर 44 परसेंट रेनफाल की कमी है। सूखे की स्थिति बनी और बाजरा कई जगह सूख गया और उस सूरत में मैंने बराबर कहा। कुछ अधिकारियों से भी कहा कि भई, बिजली दे दो, बाजरा बच जाएगा। लेकिन रोना क्या है कि हम घाटे में आ जाएंगे। किसान को 98 पैसे यूनिट में जो पुरानी कांग्रेस सरकार ने बिजली दी। आपको घाटा है लेकिन किसान का घाटा तो आपको देखना पड़ेगा। एक तरह की असेंशियल सर्विस हो गई है। घाटे में आज आपका ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे घाटे में है, रोडवेज घाटे में है। अस्पताल आप देखें। शिक्षा देखें। यहां पर घाटे-मुनाफे का सौदा नहीं होता है। आप किसान को चार घंटे बिजली दे रहे हैं। आप पता लगा लें। मैं एफिडेविट देने को तैयार हूं। आप कहें जहां कहने को तैयार हूं कि धौलपुर जिले में चार घंटे बिजली आज भी मिल रही है और दिन की सप्लाई में ट्रिपिंग हो रही है। एक घंटे बिजली आई, फिर गई। जितनी देर गई, उसको भी काउंट कर लिया आपने बिजली के अंदर। तो आज कहां है बिजली? आप किसान को बिजली नहीं दे रहे हैं। किसान जो कर्ज में डूबा हुआ है, जिसकी हमारी पार्टी मांग कर रही है, उसका कर्जा माफ किया जाये तो उसके ऊपर तो कर्जा और बढ़ेगा इस हिसाब से तो मेरा आपसे यही अनुरोध है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आलू पैदावार जिस किसान ने आलू की पैदावार की। हमारे यहां आप आलू का भाव सुनकर ताज्जुब करेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ रुपये किलो, एक रुपये किलो आलू इस वक्त बिक रहा है। किसान बर्बाद हो रहा है। उसकी लागत नहीं निकल रही है। अब दूसरी फसल कैसे करेगा? गेहूं में इस साल हमारे जिले में जहां पानी है, 6-6, 7-7 पानी देने पड़ेंगे, तब गेहूं होगा। जमीन सूखी पड़ी हुई है। लोगों ने सरसों बो दी इस उम्मीद के अंदर कि सरसों उपज जायेगी। खेत के अंदर वह जल गई। अब थेवन करनी पड़ेगी, पलेवा करना पड़ेगा, बिजली नहीं है। कहां से बिजली आएगी? तो मेरा मंत्री महोदय, आपसे यह अनुरोध है, आप इसको देखें। आप जब तक इसको नहीं देखेंगे तो होगा क्या?

एक और है, रोज नये सर्कुलर निकलते हैं आपके डिपार्टमेंट से। पूर्व के अंदर आप सारे विधायकों को कम्पाइल करके हर महीने, दो महीने में सर्कुलर की कापी भेजते थे। हमको पता रहता था कि क्या हो रहा है। लोग आकर हमसे मिलते थे। हम उनको जाकर अवगत करा सकते थे कि भई, आज यह स्थिति है। आज यह स्कीम आई है। इसका आप लाभ उठाओ, लेकिन कोई जानकारी नहीं है। आज अख़बार में किसी कोने में छोटी सी खबर निकल गई, उसके बाद मालूम ही नहीं। आपके कार्यालय से महीने-दो महीने, भूले-भटके टेलीफोन करते हैं। आपके कार्यालय से टेलीफोन जाता है कि मैं विद्युत मंत्रीजी के यहां से बोल रहा हूं। बिजली की क्या समस्या है? बताते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं। सिर्फ एक खानापूर्ति हो रही है। आपके यहां से टेलीफोन जाते हैं कि बिजली की क्या स्थिति है लेकिन खानापूर्ति है। तो मेरा आपसे अनुरोध यह है कि इस महकमे को आप देखें। गहराई से देखें आज उस महकमे को।

आप ट्रांसफार्मर्स की बात कह रहे हैं। अब 72 घंटे में किसान का ट्रांसफार्मर बदल जाएगा। बदल रहा है कहीं ट्रांसफार्मर? कहीं जल गया ट्रांसफार्मर, वह गया पहले, जमा कराओ उसको आफिस में आकर। जेईएन के यहां जमा कराओ। फिर वह एईएन के यहां फेल्योर रिपोर्ट जाएगी। एस ई के यहां से अलाट होता है। तो आज मिल कहां रहा है किसान को? आज किसान की फसल तबाह हो रही है, किसान तबाह हो रहा है और आप

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उसका ट्रांसफार्मर वक्त से नहीं बदलवा रहे हैं।

फिर आपने थाने खोल दिये, जैसा नागौर से आने वाले माननीय सदस्य हनुमानजी कह रहे थे कि आपके थाने खुले हुए हैं। एक तरफ उनके ऊपर हैवी पैनल्टीज ठोक रहे हैं आप। उसकी मनमाने तरीके से, पता नहीं कितना पैसा आप उसके ऊपर दुगुना, चौगुना लगा रहे हैं किसान के ऊपर, मगर पुलिस थाने में पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। पैसा जमा करा दीजिये। आपने स्थिति क्या बना दी है आज किसान की? तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बिजली के मामले में सरप्लस है। आप 40,000 कनेक्शन देंगे। कनेक्शनों की हालत क्या है। आज तक कनेक्शन नहीं हुए हैं श्रीमान्। फसल सर के ऊपर है। लोगों को दो-दो, तीन-तीन महीने पैसा जमा कराये हो गये ट्रांसफार्मर के लिए, और आज दिन तक उनके कनेक्शन नहीं हुए हैं। स्थिति क्या है। आज उस महकमे को देखिये। आप यह अमेंडमेंट ले आओ, कुछ भी ले आओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक जमीन पर सुधार नहीं होगा। किसान की जब तक अनदेखी होगी, तब तक कोई काम चलने वाला नहीं है।

शोर्ट में मैंने अपनी बात कह दी। आपका बहुत धन्यवाद और अपने नेता महोदय को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने की इजाजत दी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने है "राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017"। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को देखकर हैरत में हूं। सन् 2016 में 31 मार्च को बहुत लम्बे-चौड़े वादे करके माननीय विद्युत मंत्रीजी ने 2016 का इसी अनुमान का राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व, उस वक्त वह विधेयक था, फिर वह 2016 का अधिनियम हो गया। जो वादे इस विधान सभा से और इस प्रांत की जनता से आपने किये, सन् 2016 के एक्ट में राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व में, माननीय मंत्रीजी, मैं पूछना चाहूंगा कि उन वादों से पीछे हटने का कारण क्या है? आप एक-एक करके वादे से हट रहे

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस बिल में? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल का कुल सार यह है। बिल शुरू होता है सैक्शन-2 से, "...धारा 2 का विद्‌यमान खण्ड (ज) हटाया जाएगा।"

अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आते हैं खण्ड-3 में तो धारा 4 का खण्ड (ग) में क्या हटा रहे हैं। "पुनर्संरचित त्वरित विद्‌युत विकास और सुधार कार्यक्रम में सम्मिलित कस्बों में दो वर्ष के भीतर-भीतर वितरण ट्रांसफार्मर स्तर ऊर्जा संपरीक्षा को क्रियान्वित किया जायेगा" यह लिखा था 2016 में और अब क्या लिख रहे हैं। यानी दो साल में हर कस्बे में विद्‌युत ट्रांसफार्मर कितनी बिजली दे रहा है, कितनी नहीं दे रहा है, उसकी त्वरित दो साल में इनको आडिट करनी थी। एनर्जी आडिट करना था आपको और किस दृष्टि से करना था। जो फाइनेंशियल री स्ट्रक्चरिंग आपने किया, पुनर्संरचित त्वरित विद्‌युतविकास और सुधार कार्यक्रम में सम्मिलित कस्बों में, उसमें सारे कस्बे सम्मिलित हैं। दो साल के भीतर-भीतर वितरण ट्रांसफार्मर स्तर ऊर्जा संपरीक्षा को क्रियान्वित किया जायेगा। दो साल में एक साल तो बीत गया माननीय मंत्रीजी। दो साल का वादा था कि सारे कस्बों के ट्रांसफार्मर्स की एनर्जी आडिट होगी। आप क्यों इससे हट रहे हैं? क्या कारण है? यदि दो साल में आप नहीं कर सकते हैं, आप तीन साल में करिये। आप तीन साल में नहीं कर सकते हैं, चार साल में करिये, पर हट क्यों रहे हैं? क्लाज को डिलीट करने का क्या कारण है? जो जिम्मेदारी आपने ली, आपके एक्ट से धारा-4 में आप पर आई खण्ड (ग) में, उसको आप कह रहे हैं कि हटाई जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने नोट किया होगा। खण्ड-2 में हटाई जायेगी। फिर खण्ड-3 में भी हटाई जाएगी।

मैं इस खण्ड का पार्ट सैकण्ड पढ़ रहा हूं। "विद्‌यमान खण्ड (छ) हटाया जायेगा और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगे पढ़ूं खण्ड-4, धारा-5 का संशोधन, धारा-5 में "(1)" हटाई जायेगी। फिर लिखा है, उप-धारा -(2) हटाई जायेगी। फिर खण्ड-5 में धारा (6) हटाई जायेगी। यह हटाने का, यानी जो कानून इस विधान सभा ने पास किया, आज आप उसको हटा रहे हैं। माफ करिये, यह जो आज ऐसा दिन है कि जब कुछ इस बिल पर माननीय

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सदस्य जो हमेशा बहुत विवरण से बोलते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। जो बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश डालते हैं। आज शायद मूड में नहीं थे कि वह बात कहें। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हाउस ऑर्डर में नहीं था।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, वो ठीक है हाउस ऑर्डर में नहीं था, पर मेरा निवेदन है कि आपने क्या हटाया मैं उसका ब्यौरेवार वर्णन करता हूं। आपने विद्‌यमान खंड-(छ) धारा - 4 का हटाया। खंड-(छ) धारा - 4 क्या है, 'खण्ड-(छ) यह कि स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर, इस अधिनियमन के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर, किसी राज्य अधिनियम द्‌वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी सरकारी कंपनी या किसी भी प्राधिकरण या निगम द्‌वारा जैसा राज्य सरकार द्‌वारा अधिसूचित किया जाये, संचालित किया जाता है।' लोड डिस्पेच सेन्टर अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष में बनाना था। 31 मार्च को आपने वादा किया था और अब अपन अक्टूबर में है माननीय मंत्री जी, डेढ़ साल हो गये और चूंकि आप लोड डिस्पैच सेन्टर नहीं बना सके। आप कह रहे हैं कि यह क्लॉज हटाया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा-31 की ओर आकर्षित करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़े से जल की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था आप करेंगे तो कृपा होगी। धारा-31(2), धारा-31"The State Government shall establish a Centre to be known as the State Load Despatch Centre for the purposes of exercising the power and discharging the function under this Act." यह सेन्ट्रल एक्ट माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2003 में बना और इसने सब राज्य सरकारों पर दायित्व डाला कि आप शीघ्रता से लोड डिस्पैच सेन्टर का निर्माण करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोड डिस्पैच सेन्टर के सैक्शन-2 में लिखा है लोड डिस्पैच सेन्टर को कौन ऑपरेट करेगा। एक गवर्नमेंट कंपनी ऑपरेट करेगी। "The State Load Despatch Centre shall be operated by a Government company or any authority or Corporation established or constituted by or under any State Act." यानी या तो कंपनी करेगी या प्राधिकरण करेगा या निगम करेगा। आपने सन् 2003 से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माफ

(श्री मानिक चन्द सुराना)
करेंगे यह कहने के लिए कि 2003 से 2008 भाजपा सरकार, 2008 से 2013 कांग्रेस सरकार और 2013 से 2016 भाजपा सरकार। इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत यह बेमाने है। यानी भारत सरकार ने जो निर्देश दिया कि आप स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर बनाएंगे, आपने इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के बावजूद वो तो इंप्लीमेंट नहीं किया और आपने 2016 में हमें कहा कि इस एक्ट के पास होने के एक साल के भीतर-भीतर हम लोड डिस्पेच सेन्टर के लिए कंपनी बनाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोड डिस्पेच सेन्टर का काम क्या है। सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा-32 और धारा-33 में विस्तृत विवरण है कि लोड डिस्पेच सेन्टर क्या करेगा। मैं संक्षेप में सदन के सामने निवेदन करता हूं कि राज्य लोड डिस्पेच सेन्टर शीर्ष संस्था होगी जो पॉवर सिस्टम के समेकित परिचालन को सुनिश्चित करेगी। माननीय विद्‌युत मंत्री महोदय, क्या आप जो हमारा पॉवर सिस्टम है उसको समेकित रूप से परिचालित नहीं करना चाहते? उसके लिए गवर्नमेंट कंपनी बनेगी, प्राधिकरण बनेगा, निगम बनेगा और वो तो मजबूरी में यह कहा गया कि जब तक यह नहीं बनता है आपका यूटिलिटी सेन्टर जो भी है काम करेगा। प्रसारण निगम काम करेगा। 2003 को कितने साल हो गये? 14 साल और 2016 को डेढ़ साल हो गये 31 मार्च को तो ये बिल जो आप लाये सन 2016 में और धारा-छ में आपने कहा कि स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर किसी राज्य अधिनियम द्‌वारा उसके अधीन स्थापित या गठित किसी सरकारी कंपनी या किसी भी प्राधिकरण या निगम, जो मैं पढ़ रहा हूं वो ही आपने लिखा है, (राज्य पारेषण उपयोगिता के भिन्न) द्‌वारा जैसा राज्य सरकार द्‌वारा अधिसूचित किया जाए, संचालित किया जाएगा। डेढ़ साल हो गया आपने यह बनाया नहीं और अब आप बिल लेकर आ गये कि इस क्लॉज को डिलीट किया जाता है। धारा-(झ) को डिलीट किया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोड डिस्पैच सेन्टर यदि आपने माननीय मंत्रीजी, सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा-32 और 33 नहीं देखी हो तो दुबारा गौर फर्मा लें। मैं उसके आगे और बताता हूं। धारा-32 (2) में स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर यह देखने का जिम्मेदार होगा कि पॉवर सिस्टम

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अधिकाधिक शिड्यूल किया जाता है व विद्युत के डिस्पैच सभी लाइसेंसेज के साथ व उत्पादन निगमों के साथ हुए इकरारनामों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ग्रिड के ऑपरेशन को मॉनिटर करना लोड डिस्पैच सेन्टर का काम है। स्टेट ग्रिड से विद्युत की कितनी तादाद प्रसारित की गयी है इसका हिसाब रखना उसका काम है। अन्तरराज्यीय प्रसारण का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना उस लोड डिस्पैच सेन्टर का काम है। आप इसको जो भारत सरकार ने लिखा और जिसको 2003 से 13 साल बाद आप एक्ट के रूप में लाये कि हम भी बनाएंगे और एक साल में बनाएंगे। अब आप उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल पास कराते वक्त आपने फर्माया था कि दो साल में टर्न अराउंड हो जाएगा। आपको याद हैं न कि बिजली की सारी कंपनियों में टर्न अराउंड दो साल में हो जाएगा। आप शायद भूल भी गये होंगे। आपका भाषण मेरे पास है। यह आपका कोट है, जिस तरह से आप लोगों ने बात की है हमारा इसमें इंटेंशन है, हमारी मुख्य मंत्रीजी का इंटेंशन है कि आने वाले दो साल में अगर हम चाहें और अगर हम सब मिल कर यह प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारा डिस्काम जिस तरह घाटा झेल रहा है उस घाटे से आने वाले समय में हम बाहर निकाल सकते हैं। लोड डिस्पैच सेन्टर की तो जरूरत है ही नहीं घाटे से बाहर निकालने के लिए। कोई हिसाब-किताब रखने की जरूरत नहीं कि किस उत्पादन कंपनी से क्या करार है और किस डिस्काम से क्या करार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको यह सलाह आपके यहां एक हाइपॉवर कमेटी जिसके माननीय प्रमुख शासन सचिव अध्यक्ष हैं और डिस्कॉम्स के चैयरमेन उसके मैंबर हैं। उसके कोई बड़े ओहदे वाले सैकेट्री भी हैं। क्या यह मुद्दा वहां तय हो गया कि लोड डिस्पैच सेन्टर को नहीं बनाना और उसके आगे मुख्यमंत्री महोदया के तहत एक हाइपॉवर कमेटी है जिसमें प्रमुख शासन सचिव सैकेट्री हैं और बड़े बिजली के अफसर उसमें मैंबर हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपके एक प्रमुख शासन सचिव के नीचे कमेटी है और एक मुख्य सचिव के नीचे कमेटी है, क्या उनकी राय है कि लोड डिस्पैच सेन्टर न बनाया जाए।

मैं निवेदन करता हूं कि सरकार भ्रमित न हो, अपने उत्तरदायित्वों से

(श्री मानिक चन्द सुराना)

भागे नहीं और उत्तरदायित्व आपने 2016 में लिया है आप उस उत्तदायित्व को आज भी निभाने का काम करें। आपसे नहीं निभता हो तो मुख्य मंत्रीजी को कह दीजिये। अपना इस्तीफा भेज दीजिये, ताकि वो किसी और सक्षम व्यक्ति को जो उसको क्रियान्वित कर सके, मैं बहुत तकलीफ के साथ आपको यह कह रहा हूं कि इसको हर हालत में आपको निभाना चाहिए। लोड डिस्पैच सेन्टर सेन्ट्रल एक्ट के तहत जो डाइरेक्शन है उसको मानना चाहिए और आपके खुद के 2016 के एक्ट के तहत जो डाइरेक्शन है उसको मानना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा-4 की बात मैंने की। अब धारा-5 और 6 दोनों हटायी जा रही है। धारा-5 क्या है, माननीय मंत्री जी, भारत सरकार ने कृपा करके और कृपा नहीं अपने विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए...

(15.00 बजे)

जितने डिस्काम्स हैं, उन डिस्काम्स की आर्थिक स्थिति से उनको उबारने के लिये उदय योजना लाये। 15 अक्टूबर को उदय योजना जारी की और उसी योजना के अनुकूल 27 जनवरी, 2016 को ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, भारत सरकार, राजस्थान सरकार और डिस्काम्स और उन समझौतों में जो डिस्काम के समझौते हैं, उन समझौतों में जो मूल बात लिखी गई वह यह है The Government of India, the State of Rajasthan and the DISCOMs have decided to enter into a tripartite MOU in order to improve the operational and financial efficiency of DISCOMs to enable financial turnaround of the DISCOMs." सन् 2016 में यह जो कुछ भी आप बिल लाये वह इस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिये आपने हाउस को कांफीडेंस में लिया और बहुत जिम्मेदारियां आपने अपने पर ली। उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें एक जिम्मेदारी धारा 5 में है जिसको यह हटा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, धारा 5 कहती हैं, आप शब्दों पर गौर फरमाएंगे, "राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय पुनर्सरचना योजना में परिचालन संबंधी और वित्तीय मानदंडों का प्रक्षेपपथ, रोडमैप, नियत समय सीमा के भीतर भीतर प्राप्त कर लिया जाये, समुचित अध्युपाय करेगी।" स्टेट गवर्नमेंट सारे एफटर्स करेगी, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के अनुकूल यह देखेगी कि ऑपरेशनल

(श्री मानिक चन्द सुराना)

एफिशिएंसी आई या नहीं। वित्तीय एफिशिएंसी, वित्तीय इकोनोमी आई कि नहीं आई। यही तो लिखा है धारा 5(1) में, आज इसको वापस लेने का कारण क्या है? आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। माफ करेंगे आप, जो सरकार एक साल पहले वादा करती है और अगले डेढ़ साल बाद उससे इंकार करती है, जरा अंदर झांक कर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं।

अब आप आइए धारा 5(2) पर, क्या कहा है, यह सब जिम्मेदारियां राज्य सरकार की है और आप राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारियों से हटाने का, विलोपित करने का प्रस्ताव आज इस बिल के माध्यम से लेकर आये हैं। "राज्य सरकार, वित्तपोषण साधन के माध्यम से राज्य वितरण अनुज्ञपित्धारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगी।" आप सीधे नहीं कराओगे, वित्तपोषण साधन के द्वारा, आप वित्तपोषण साधन का मतलब है राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना करते हैं, एज ए गवर्नमेंट कम्पनी। वह है धारा 6 में, तो आप धारा 6 को ध्यान में रखते हुए, धारा 6 में आपने कहा है कि इसको हटाना है। मतलब यह है कि राज्य सरकार वित्तपोषण साधन का गठन नहीं करना चाहती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ रहा हूं, "इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वित्तपोषण साधन के रूप में कार्य करने के लिए और राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए पूंजी जुटाने और/या कम लागत पर उधार लेने के लिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 18) के उपबंधों के अधीन राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड स्थापित करेगी।" यथाशक्य शीघ्र स्थापित करना था, यही शब्द हैं आपके। अब आप कह रहे हैं कि यह धारा 6 नहीं चाहिये, धारा 6 डिलीट करनी है।

अब आप आइए धारा 6 (2) पर, आपने जो जिम्मेदारियां ली कि हम उस कम्पनी को, जिस कम्पनी का नाम विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड है, इसको "राज्य सरकार 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक" यानी 6 साल तक" की कालावधि हेतु प्रत्येक

(श्री मानिक चन्द सुराना)

वित्तीय वर्ष के लिये वित्तपोषण साधन को निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगी।" क्या क्या करायेगी, राज्य द्वारा संग्रहीत विद्युत शुल्क के बराबर रकम आप उसको देंगे। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सारी आप उनको देंगे, उसके बराबर की रकम देंगे। विद्युत अधिनियम के अधीन संग्रहीत प्रशमनीय प्रभारों के बराबर रकम, यानी कम्पाउंडिंग फीस जितनी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में आप इकट्ठी करेंगे वह सारी आप उनको देंगे और तीसरी, ऐसी अन्य रकमें जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा मंजूर की जाए। तो आप धारा 5 (2) को हटाना चाहते हो क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, कंपाउंडिंग फीस और राज्य को उनको और जो मदद देनी थी, उससे आज आप इंकार कर रहे हैं। क्या मैं यह मानूं कि आपके शीर्षस्थ सारे डिस्काम्स के एमडीज ने, आपके प्रमुख शासन सचिव ने, आपके चीफ सैक्रेटरी की इस बिल पर उनकी सहमति हो गई है। मैं यह क्यों न मानूं और यह मानूं कि उस पर आपकी और माननीय मुख्य मंत्रीजी की सहमति हो गई है और सरकार अपने दायित्वों से भागना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप इससे आगे और देखें धारा 6 (3) "वित्तपोषण साधन, राज्य सरकार के अनुमोदन से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बाजार से निधियां जुटा सकेंगे।" क्यों नहीं जुटायेगा, आज भी जुटाने की जरूरत नहीं है क्या। "राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन जुटायी गयी निधियों के प्रतिसंदाय की प्रत्याभूति दे सकेगी।" आप गारंटी करेंगे जितना रुपया वह लेंगे उसके लिये और आखिर में धारा 6(5) में "राज्य सरकार के सामान्य या विर्निदिष्ट निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, वित्तपोषण साधन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायेगा।" यह वित्तीय सहायता आपको उपलब्ध करानी थी वितरण कम्पनियों को, वही है लाइसेंसी और आप न तो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाना चाहते हैं, न धारा 6(2) में जो जिम्मेदारी आपने ली है कि हम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी उनको देंगे, सारी कंपाउंडिंग फीस उनको देंगे, उसके अलावा और भी राज्य सरकार का धन उनको देंगे, सारी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी के निवेदन के साथ मेरा निवेदन है कि यदि आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे हैं तो इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द कीजिए और प्रवर समिति का अधिकार होगा कि आपके चीफ सैक्रेटरी को एग्जामिन करे, आपके प्रमुख शासन सचिव को एग्जामिन करे, आपके एमडीज को एग्जामिन करे कि इस बिल में आपकी हां है या ना है, क्या है? यदि उनकी बिना हां या ना के यह सब हो रहा है तो कौन है जो यह करवा रहा है, कौन है जो राज्य सरकार को अपने दायित्वों से भागने के लिये प्रेरित कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बिजली की स्थिति के बारे में आपको पूछा। उन्होंने धौलपुर की बात की, मैं मेरे क्षेत्र की बात आपको कहता हूं। मेरे क्षेत्र के लिये तो आपने स्पेशल प्रोग्राम बनाया था कि लूणकरणसर क्षेत्र को 5 घंटे बिजली देंगे। रूटीन में जो आप 6 घंटे देते हैं, उसमें 5 घंटे देंगे। मैंने प्रतिरोध किया, एडिशनल चीफ को कहा, मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा कि राजस्थान को 6 और लूणकरणसर को 5, यह नहीं हो सकता। खैर, कुल मिलाकर आपने वह 5 का आर्डर विथड्रा किया लेकिन जो बिजली आ रही है, ट्रिपिंग्स का हिसाब आप कर लें तो आपके 6 घंटे की बिजली साढ़े चार घंटे से ऊपर नहीं पहुंच रही है। आप इसकी एनर्जी आडिट करा लीजिए, आपके यहां तो रिकार्ड है कि किस मिनट गई, किस मिनट आई, फिर आप बता दें। लूणकरणसर में बहुत छोटा सा क्षेत्र है, आप हिसाब करके देखें साढ़े चार घंटे। राजस्थान भर में ट्रिपिंग्स को बाँध कर 6 घंटे बिजली देनी थी, जो आपकी घोषणा है उस घोषणा पर अमल कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में 80 परसेंट गांवों में अकाल है। आप फर्मा रहे थे कि 44 परसेंट पानी कम है।

मेरे यहां तो 80 परसेंट गाँवों में अकाल है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे यहां पर जो भी गिरदावरी हुई है, उस गिरदावरी को ध्यान से देखें और ऐसा न हो कि आनन-फानन में मेरे यहां पर जो 80 परसेंट अकाल है, उस अकाल को आप 30-40 परसेंट अकाल में परिवर्तित कर दें। आपका यह विषय नहीं है। इसलिए विद्युत में जो

(श्री मानिक चन्द सुराना)

स्थितियां हैं, उसमें साथ में अकाल की स्थितियों के संबंध में माननीय अमराराम जी को निवेदन किया है।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका एक कोट तो मैंने पढ़ दिया है। दो साल में टर्न अराउंड, आपने यह बात हमें 31 मार्च, 2016 को कही है। 2015-16 को क्या हाल है? कितना घाटा है? 2015-16 में 60 हजार करोड़ रुपया देने के बावजूद 5 हजार करोड़ का घाटा और 2016-17 भी घाटे से नहीं बचेगा। इस बार भी वितरण कंपनियों को 2 हजार करोड़ का घाटा होने की पूरी संभावना है।

माननीय मंत्री जी, यह जो फायनेंशियल री-स्ट्रक्चरिंग है, उसमें आप पर जो जिम्मेदारी है। पुराने विधेयक के खण्ड 5 एवं 6 व पुराने विधेयक की धारा 5,6 और धारा 4 में जो आपने 6 हटाया है। लोड डिस्पैच सेंटर को खतम करने का जो काम किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसा अनर्थकारी बिल, आपने हमसे जो वादा किया उनसे मुकरने का बिल इस सदन से पास न कराएं। आप बहुमत में हैं, आप चाहे जो कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि यदि विवेक संगत बात का कोई अर्थ है तो इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करिए, ताकि वहां पर इसकी पूरी समालोचना हो, पूरी आलोचना और इस पर पूरा विवेचन हो। उपाध्यक्ष महोदय, इसी निवेदन के साथ मैं मेरी बात को खतम करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम। मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्‌युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 के कुलक-अ के प्रस्तावित संशोधन के इस बिल की चर्चा के अवसर पर जिन भी माननीय सदस्यों ने इस पर अपना सुझाव दिया, मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और खास तौर पर लूणकरणसर से आने वाले और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का।

मैं समझता हूं कि पहली बात तो यह कि ये इस पूरे एक्ट को समझ नहीं पाए हैं। सरकार ने अपनी जो बात कही है, उस बात से सरकार कहीं भी बाहर नहीं निकल रही है। हमने जो बात कही है, उस बात पर आज भी हम स्टेंड हैं। सैक्शन- 4सी में यह कहा है कि इस अधिनियम को इसलिए

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

हम समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि उसमें आर.ए.पी.- डी.आर.पी. के तहत पूरे राजस्थान में खाली 83 टाउन को लिया गया था, जहां डिस्ट्रीब्यूशन ट्रासफार्मर पर हम इसकी एनर्जी की आडिटिंग करते हैं। आर.ए.पी.- डी.आर.पी. के तहत पूरे राजस्थान में 83 गांवों में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रासफार्मर की एनर्जी आडिटिंग करनी थी।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा अगर आप उजाला और उदय योजना को पढ़ें, उस योजना के तहत हमने यह कहा कि पाँच हजार से ऊपर आबादी वाले जितने भी गांव और क़स्बे हैं, उनमें जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रासफार्मर हैं, उन सब की हम एनर्जी आडिटिंग भी करेंगे, मानिटरिंग भी करेंगे, और काउंटिंग भी करेंगे। इसके तहत हमने इस बिल को वापस लेने की कोशिश की है। ऑलरेडी ही हमने इसे उदय योजना के तहत कवर किया है। मैं आपको आज भी विश्वास देता हूं और हमने यह कहा था कि आर.ए.पी- डी.आर.पी. के तहत 83 गांवों की अप्रैल, 2018 तक एनर्जी आडिटिंग करेंगे। मैं आज पूरे सदन को कह रहा हूं कि जून, जुलाई में पूरे राजस्थान में पाँच हजार के ऊपर जितने भी गांव हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रासफार्मर मतलब, उसकी मीटरिंग और एनर्जी आडिटिंग करके देंगे। आपने जो बात कही है। मैं समझता हूं कि आज इस सब्जैक्ट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आप काफी पढ़ते भी हैं।

आपने कहा कि रेस्पोंसिबिलिटी लागू होने के बाद आपने कुछ किया ही नहीं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में छीजत 30 परसेंट से ऊपर था। जो वार्षिक घाटा था, वह 15 हजार 645 करोड़ था। उस घाटे को पहले साल हमने कम करते हुए 12 हजार करोड़ किया, दूसरे साल हम 10 हजार करोड़ तक लेकर आए। गत वर्ष मुख्यमंत्री बिठुर योजना के तहत, पूरे राजस्थान में 11 के.वी. फीडर लगभग 20 हजार हैं। उनमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 11 हजार की फीडर की छीजत 40 परसेंट से ऊपर थी। मतलब, 20 हजार में से 11 हजार वे थे, जिनकी छीजत 40 परसेंट से ऊपर थी। प्रत्येक वर्ष छह-छह हजार फीडर्स के इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम हमने हाथ में लिया। पहले साल में पूरे राजस्थान

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

में 4.5 परसेंट की विद्‌युत की छीजत को घटाया है। मैं लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि अभी अगस्त तक हम 4.97 परसेंट छीजत को और कम लाए हैं। आप जो बात कह रहे हो ना कि टर्न अराउंड करोगे। अभी तो हमारा मात्र डेढ़ साल हुआ है। (व्यवधान) दो साल नहीं, दो साल से ज्यादा ही मान लो आप।

मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। यह बात भी सही है कि उदय योजना के तहत सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपए हमारे लिए है। उससे निश्चित रूप से हमारे डिस्कॉम के ऊपर इंट्रेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का लगभग पाँच-छह हजार करोड़ का फायदा हुआ है। लेकिन इसके साथ-साथ हमारे पास रेस्पोंसिबिलिटीज थी कि कंजूमर इंडेक्सिंग करनी है, 11 के.वी. फीडर मीटरिंग करनी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में एक भी ऐसा 11 के.वी. फीडर नहीं, जिसमें फीडर मीटरिंग नहीं है। मैं यह मानता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर इसकी मीटरिंग नहीं हुई है। हम आज भी इसके पीछे हटे नहीं है। आज भी मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जून-जुलाई तक पूरे राजस्थान में पाँच हजार से ऊपर के गांव जिनको थ्री फेज लाइन से जोड़ा हुआ है, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मीटरिंग करके देंगे। यह हम जुलाई तक करके देंगे। इससे आपको मालूम चलेगा कि प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर कितना लोस हो रहा है? आप तो बात ऐसी कह रहे हो जैसे पता नहीं हम इसके पीछे क्या कर रहे हैं? हमने ईमानदारी से काम किया है।

आप जो लाइट की बात कर रहो हो। मैं भी किसान हूं। मुझे भी इस बात का दुख है कि किसानों को पाँच घंटे बिजली दे रहे हैं। आप स्वयं जानते हैं कि पूरे राष्ट्र में आज की तारीख में कोल की बहुत बड़ी समस्या है। अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप तो कह रहे थे कि पॉवर एक्सेस है और पॉवर एक्सेस है मतलब आने वाले समय में आप तो बिजली दे सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तपती गर्मी में यानी मई-जून में 2 हजार मेगावाट के एक्सेस थर्मल थे, जो कि हमने बंद रखे थे। हमारे पास एवेलेबिलिटी थी, पर डिमांड नहीं थी। हमारे

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

पास बिजली की कमी नहीं है। अभी जो संकट चल रहा था, वह इसलिए चल रहा था क्योंकि हमारे पास कोयले की कमी थी और पूरे राष्ट्र में कोयले की कमी थी। केवल हमारे यहां ही 5 घंटे बिजली नहीं दे रहे थे। आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आस-पास के जितने भी स्टेट हरियाणा, पंजाब हैं, उनसे पूछ लें कि कोयले की कमी थी। बिजली तो कोयले से ही पैदा होगी। गर्मियों में विंड आता है। यह एक ऐसा टाइम है कि विंड भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में बरसात की कमी होने के कारण हाइडल में हमें जो बिजली मिलनी थी, वह बिजली हमको नहीं मिल सकी। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज या कल तक मैं वापस अपने अधिकारियों के साथ बैठकर, पिछले दिनों दिवाली का पर्व था। इसलिए मैं सुनिश्चित करना चाहता था कि दिवाली पर हम रोशनी चलाते हैं। हम चाहते थे कि पूरे राजस्थान में बिजली नहीं जाए। दिवाली से चार दिन पहले और आज दिन तक जो लोड सैंडिंग होती थी, उसे पूरे राजस्थान में शहर और गांव में नहीं होने दिया। मैं आपको आज कहता हूं कि आज हमारे पास कोल का भंडार स्थिर होने लगा है।

कल, परसों से, पूरे राजस्थान में, मैं अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उसको एनेलाइज करूंगा और वापस साढ़े छह और सात घण्टे बिजली किसानों को देंगे। हम कोई किसान विरोधी नहीं है। रेगुलेटरी ने दो बार बिजली के बिल बढ़ाए। एक बार 54 पैसे बढ़ाए, 100 रुपये फ्लेट रेट पर बढ़ाए, दूसरी बार 25 पैसे बढ़ाए, 35 रुपये बढ़ाए। मुख्य मंत्रीजी किसान विरोधी नहीं थी, एक झटके में उन्होंने वापस विथड्रा किया। 1700-1800 करोड़ रुपये सरकार भर रही है। किसानों को उसी रेट में हम लाइट दे रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बता रहे थे राजखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कि 98 पैसे में अशोक गहलोत जी दे रहे थे। आज हम भी 98 पैसे में ही बिजली दे रहे हैं। 2017 में भी, आज भी उसी रेट पर हम कायम है। जो भी बढ़ी हुई दरें थी वह सरकार ने अपने खाते में, अपने ऊपर लिया है।

मैं इस बात को भी मानता हूं कि आज कुछ ट्रान्सफार्मर्स और इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम होना था वह तीव्र गति से हम नहीं कर पाए,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

इसके कई कारण रहे। जीएसटी लागू हुआ, टेण्डर डिले हुए। जीएसटी जब तक क्लियर नहीं हुआ उसके कारण हम टेण्डर को आगे प्रोसेस नहीं कर सके। आने वाले महीने दो महीने में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में जितने भी आपके कनेक्शन है, जिसकी भी डिमांड जमा है, मैं मानता हूं कि तीन महीने हो गए, चार महीने हो गए, पर जीएसटी के कारण हम टेण्डर आगे जल्दी से कर नहीं पाए, उसके कारण इसका इलेक्ट्रिफिकेशन, पर दो महीने के अंदर- अंदर राजस्थान के जितने भी 65 हजार डिमांड भरे हुए हैं, सभी किसानों को हम बिजली देंगे। उसको हम कनेक्शन करके देंगे। हम किसी चीज से पीछे नहीं हट रहे हैं। कंज्यूम इन्डेक्शन की बात है, 100 परसेंट फीडर इलेवन की मीटरिंग हुई है, उससे हम एनेलाइज करते हैं 11 केवी फीडर मीटरिंग हुई है उसके कारण हम आपको बताते हैं कि गत वर्ष हमने साढ़े चार परसेंट छीजत कम की है। इस साल अगस्त तक हमने लगभग पाँच परसेंट छीजत कम किया है। आप समझे लगभग साढ़े नौ परसेंट छीजत, एक परसेंट छीजत को कम करना मतलब 400 करोड़ का डिस्काम को फायदा होना है। 9.5 परसेंट कम करना लगभग चार हजार करोड़ का डिस्काम को फायदा हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में, अगर सब सही चला, आप सबका सहयोग रहा तो निश्चित रूप से जो पाँच हजार करोड़ का घाटा गत वर्ष था आने वाले समय में, मैं आज भी उस पर कायम हूं कि अगर आप सबका सहयोग होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान डिस्काम नो प्रोफिट नो लोस पर आकर खड़ी होगी, यह आज मैं आपको कह रहा हूं। आज भी हम बात करें इस वर्ष दरें नहीं बढ़ाई हमने, किसी प्रकार की हमने बिजली आपूर्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि अगर यह ट्रिपिंग है, मैं आपकी एमआर रिपोर्ट मंगवाऊंगा अगर चार घण्टे बिजली किसी को मिली है और ट्रिपिंग के कारण उसको आगे नहीं बढ़ाई है तो उस अधिकारी के खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा। राजस्थान में सुनिश्चित करूंगा अगर ट्रिपिंग के बावजूद भी किसी को पाँच घण्टे बिजली नहीं मिली है तो उसे पूरी और साढ़े छह घण्टे हैं तो साढ़े छह घण्टे पूरी बिजली देंगे हम, सात घण्टे है तो सात घण्टे उसको पूरी बिजली देंगे। ऐसे कोई

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

अधिकारी जिसने इसकी पालना नहीं की है उसके खिलाफ दण्ड पूर्वक कार्यवाही करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि यह आरएपी डीआरपी, में खाली 83 गांव थे इसलिए इस रेस्पांसिबिलिटी बिल के तहत इसको विथड्रा करना चाहते है। उदय योजना के तहत पांच हजार ऊपर के गांव है, कस्बे हैं, उन सबको डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफार्मर, मीटरिंग करना चाह रहे हैं। मैं आज कह रहा हूं कि जुलाई से पहले पहले पूरे राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पाँच हजार से ऊपर गांव जो थ्री फेज से आज जुड़ा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइज के तहत इसको हम जोड़ेंगे।

दूसरी आपने बात की संशोधन एक्ट 4 (जी) स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर मैं मानता हूं कि स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर कम्पनी या निगम के माध्यम से इसका होना चाहिए। क्योंकि पूरे राजस्थान में इसकी शिड्यूलिंग और उसकी डिस्पैच, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइज लाइसेंस है, उस लाइसेंस के माध्यम से, उनको बिजली की कितनी जरूरत है, उसके कारण हमको कितनी बिजली, आज हमारे पास एवेलेबिलिटी कितनी है उसके तहत ही मैं आज बताना चाहूंगा यह इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, जो आपने खुद ने बताया 31-01-2001 एक/एक के तहत यह कह रहा है कि आपको इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत आपको वहां एसएलडीसी की एक कम्पनी फोर्म करके आपको करनी है। मैं आज भी इस बात पर, क्योंकि यह ऑलरेडी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत इसका प्रावधान है, इसलिए मैं इस रेस्पोंसेबिलिटी एक्ट से, इसको बाहर निकालता हूं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत ऑलरेडी इसको दिया हुआ है। हम इससे पीछे नहीं हटे है। अभी भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस कम्पनी को हम फोर्म करेंगे ताकि पूरे राजस्थान के लोड का डिस्पैच और इसकी शिड्यूलिंग हम सही ढंग से कर सकते हैं। आज भी पूरे राजस्थान में हमारा एक चीफ इंजीनियर का आदमी लगभग तीन, चार अधिशासी अधिकारी, अधीक्षण अधिकारी, 15 अधिशासी अधिकारी और 43 सहायक अभियंता लोड स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में 24 घंटे काम कर रहा है। तीन शिफ्ट में काम करते हैं ताकि राजस्थान में किसी प्रकार की एवेलेबिलिटी है, एवेलेबिलिटी और डिस्पैच में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

हो। अभी भी कमी है, निश्चित रूप से हम इसको बनाएंगे।

तीसरी आपने बात कही है राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम। रेस्पोंसिबिल बिल के तहत हमने एक फाइनेंसिंग व्हीकल, स्पेशल फाइनेंशियल व्हीकल के तहत हमने एक कम्पनी बनाने के लिए इस बिल में कहा। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे डिस्काम की जो माली हालत थी, 80 हजार करोड़ का लोन, कोई भी बैंक पैसे देने को तैयार नहीं। उदय योजना के तहत 60 हजार करोड़ रुपये सरकार ने अपने खाते पर लिए, 20 हजार करोड़ लोन हमारे पास शेष था उसके हमने बॉण्ड जारी किए। रिफाइनेंस करके 12 परसेंट, 14 परसेंट इन्टरेस्ट पर जो लोन ले रखा था उसको वापस रिशिड्यूल करके 9 रुपये, 9.5 रुपये, 10 रुपये तक उस ब्याज को लेकर आए। यह बात भी सही है कि कम्पाउण्डिंग का पैसा है या इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी का जो पैसा है, यह पैसा डिस्काम के माध्यम से गवर्नमेंट में जाता है, गवर्नमेंट से वापस इस कम्पनी में आता है। इस कम्पनी का यही था कि इस कम्पनी के माध्यम से हम नो इंटरेस्ट में, ब्याज से हमारा काम, आगे इसको चलाएं। पर जब हमारे डिस्काम की, हमने स्वयं ने हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारा है, हमने वापस बॉण्ड जारी किए है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कम्पनी है, इस कम्पनी के माध्यम से अगर पैसा, अगर हमने वापस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ली होती, कम्पाउण्डिंग का पैसा लिया होता, इस कम्पनी को हमने फार्म किया, डायरेक्टर्स बनाए होते, एम डी बनाया होता, इसका चैयरमेन बनाया होता तो इसकी एक कम्पनी और खड़ी होती जिसका खर्चा और बढ़ता। हम यह चाह रहे थे, खर्चा नहीं बढ़ाने के चक्कर में, हम खर्चा नहीं बढ़ाए, जो भी पैसा है, यह पैसा जो हमारे पास आता है, Which should have been taxable. इसलिए इस कम्पनी को बंद करना चाहते हैं। आज दिन तक इस कम्पनी को बनाने के लिए हमने खाली 31 हजार रुपये का खर्चा किया है जो हमारे बुक्स पर आज भी मेंटेन है। इस कम्पनी में और खाली वह भी कारपोरेट सैक्टर में, इस कम्पनी फोरमेंशन के लिए 31 हजार रुपये, 41 रुपये हमने खर्च किए हैं। अगर कम्पनी बनाई होती, इसके डायरेक्टर्स बनाए होते, इसके सीएमडी बनाए होते तो जो पैसा कम्पाउण्डिंग का आता, जो पैसा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत आता Which

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

have been taxable. इस टैक्स को बचाने के लिए ही हमने सोचा इस कम्पनी को, इस कम्पनी का उद्देश्य यह था कि लो इंटरेस्ट पर हम पैसा ले। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा डिस्काम, आपने स्वयं देखा है कि गवर्नमेंट ने उदय योजना के तहत जो पैसा लिया, हमने रिशिड्यूलिंग कर ली। जो पैसा 14 परसेंट पर आया था उसको सवा नौ परसेंट, साढ़े नौ परसेंट में रिशिडयूल कर ली। मैं समझता हूं कि अभी इस कम्पनी को रखना, इसमें और भी एक नया हाथ ही खड़ा होता, अलग से इसका खर्चा चलता। अलग से गाड़ी, पैट्रोल, इसके चैम्बर, इलेक्ट्रिसिटी, उसका और एक खर्चा होता। इसलिए हमने इस कम्पनी को, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन के सभी माननीय से यह कहना चाहूंगा कि हम जो यह संशोधन लाए हैं इसको पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किए जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाएं?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2, श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-2 में जो संशोधन है, खण्ड-2 का (ज) हटाने का, वह इस विद्युत वितरण कम्पनी से सम्बन्धित है, जो धारा 6 में आपने कहा है, 'वित्तपोषण साधन का गठन और कृत्य और सरकारी सहायता'।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कुछ उदय योजना की बात कही और कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात कही। मैं निवेदन करता हूं कि क्या आपने सन् 2016 में भूल की? आप कह रहे हैं कि डिस्कॉम्स घाटे में हैं, डिस्कॉम्स का रिशिड्यूलिंग हो गया। माननीय, 60 हजार करोड़ रुपये का ब्याज राज्य सरकार दे रही है। वह विधान सभा को मालूम है। जब 60 हजार करोड़ 2015-16 में दे दिये गये तो उन पर तो सिर्फ 20 हजार करोड़ रह गये। जो 20 हजार करोड़ रह गये, उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा है कि हमने 4 प्रतिशत कटौती विद्युत छीजत में घटा दी और फिर 5 प्रतिशत घटा दी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक सवाल के जवाब में माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है। मैंने पूछा कि नवम्बर, 2015 को छीजत कितनी थी, जयपुर, अजमेर, जोधपुर में। और नवम्बर, 2015 के मुकाबले, नवम्बर, 2016 में छीजत कितनी थी। नवम्बर, 2016 वह टाइम है, जबकि 31 मार्च, 2016 को आप भाषण दे चुके थे और 9 या 8 अप्रैल को यह नया एक्ट लागू हो गया था। अब आप देखिये, जयपुर डिस्कॉम, इसमें जरूर माइनस 3.46 घटा है, और अजमेर में 2.34 ही घटा है। जोधपुर में जितनी पहले छीजत थी, उससे 0.76 ज्यादा है। आपके सवाल के जवाब में आपने लिखा है कि कुल एवरेज 2015-16 में छीजत 23.74 थी, और 2016-17 में छीजत 21.92 और कुल 1.82 ही कम हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह नवम्बर, 2016 तक के तो फिगर्स हैं, आप नवम्बर, 2017 का बता दीजिये। ये नवम्बर, 2016 के फिगर्स हैं। आप 9 प्रतिशत कटौती विद्युत की करने की बात जो कह रहे हैं, वह किस आधार पर कर रहे हैं, यह आंकड़ा आपका है, मेरा नहीं है, मेरे घर का नहीं है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): जो बात आपने कही है कि मई से लेकर नवम्बर के बीच में जोधपुर डिस्कॉम में अचानक छीजत वापस बढ़ी है, पर मैं मार्च तक कह रहा हूं, 31 मार्च तक, 2017 की बात कर रहा हूं,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

उसमें हमने 2017 तक, हमने साढे चार प्रतिशत छीजत, तीनों डिस्कॉम्स में मिलाकर हमने छीजत को कम किया है। वह आपको बता दूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, कम का मतलब, 9 प्रतिशत किया क्या?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर इस विधान की कोई पवित्रता है, इस विधान सभा में दिये गये उत्तरों की कोई सैंक्टिटी है। आपका उत्तर है, मेरा नहीं है, मैं आपको डेट बता दूं, आपको कोई वहम् हो तो। 18 जुलाई, 2017 का, यह मेरा प्रश्न संख्या आप नोट कर लें, प्रश्न संख्या 4001, ऊर्जा विभाग, अतारांकित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4001, ऊर्जा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप हमको मुगालते में न रखें कि 9 प्रतिशत छीजत हमने कम कर दी है। एक प्रतिशत छीजत कम होने पर, मैंने आपसे पूछा भी है कि कितने रुपये की बचत होती है। तो आपने कहा है कि 375 से 400 करोड़ रुपये की बचत होती है, वृद्धि होती है, हमारी इन्कम में वृद्धि होती है। मैंने मान लिया पर, माननीय मंत्री महोदय, जब छीजत नवम्बर, 2016 तक 1.82 थी तो 2017 की 25 अक्टूबर को आज कैसे मान लें कि जो आप 9 प्रतिशत कह रहे हैं वह सही है। आप इस सदन को मुगालते में न रखें। आपके पास सारे आंकड़े हैं, तीनो डिस्कॉम्स के, अप-टू-डेट, इकट्ठे करें, नवम्बर, 2016 के बाद विद्युत में कितनी छीजत कम हुई है।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह (ज) हटाने का कारण यह बता रहे हैं कि रिशिड्यूलिंग हो गया। श्रीमान, यह बिल आप लाये, जिस पर विधान सभा में 31 मार्च, 2016 को बहस हुई। फिर यह बिल जो बना, यह बिल बन गया, मैं एक्जेक्ट डेट ही बताऊं आपको, यह बिल जो आपने 2016 में बनाया, यह 09 अप्रैल को गजट में जारी हुआ। अब 09 अप्रैल, 2016 से पहले ही 60 हजार करोड़ रुपये दे दिये गये, और 20 हजार करोड़ ही उन पर रहे। आज उन पर कोई 60 हजार करोड़ का बर्डन नहीं है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, पहले साल हमने 40 हजार करोड़ दिये हैं। दूसरे साल सरकार ने 20 हजार करोड़ दिये। दो साल में यह पूरा किया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): खैर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 2016 में सरकार की अक्ल कुछ और थी कि वित्त निगम चाहिये, विद्युत वितरण वित्त निगम चाहिये। चूंकि बना नहीं पाये, लिखा था कि यथाशक्ति बना देंगे, और डेढ़ साल में बना नहीं पाये तो अब कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको तो जरूरत नहीं होगी, लेकिन विद्युत वितरण वित्त निगम इसलिये चाहिये ताकि आप अपनी ये देयताएं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के पैसे उनको दो और आपकी कम्पाऊंडिंग फीस उनको दो। और भी आपको कोई उनको मदद देनी है तो आप उनको दो। आप डाइरेक्टली मदद देकर उनको बिगाड़ें नहीं। वित्त निगम जांच करेगा कि किसकी कितनी आवश्यकता है, किसको कितना रुपया देने से कितना लाभ हो सकता है। आखिर यह स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल व्हीकल है श्रीमान, और फाइनेंशियल व्हीकल का कोई मतलब होता है। आपने 2016 में यह सही किया और आपने भाषण में कहा था कि मैं फाइनेंशियल व्हीकल बनाऊंगा। आपके भाषण में है, आप अपना भाषण दुबारा देख लें। मैंने आपका पूरा भाषण रात को पढ़ा है कि फाइनेंशियल व्हीकल बनाना है। आज आप फाइनेंशियल व्हीकल बनाने से मना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अब कोई जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का सोमर्साल्ट जो सरकार ले रही है, ऐसी गुलाटी जो खा रही है, वह उचित नहीं है। न वह विवेकसंगत है, न वह उचित है। मैं यह धारा (ज) पर, जो आपने (ज) हटाया है, वित्त निगम नहीं चाहिये, जो धारा 6 से सम्बन्धित है, तो उपाध्यक्ष महोदय, जिस खण्ड-5 के द्वारा धारा 6 हटाई है, उस पर भी मैंने आपको निवेदन कर दिया है। इन्होंने खण्ड-5 के द्वारा धारा 6 हटाई है और धारा 6 में ही मूल वित्त पोषण साधन का ब्यौरा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने संशोधन आपको दिया है, वह संशोधन फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के अनुकूल है। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के अनुकूल होने के कारण मैंने यह संशोधन दिया है कि 'हटाया जायेगा' के स्थान पर 'वित्त पोषण साधन से धारा 6 की उप धारा 1 के निबन्धनों के अनुसार यथागठित राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अभिप्रेरित है', प्रस्थापित किया जाये।

खैर अब, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार हमेशा बहुमत होती है और

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अल्पमत में आते ही तो फिर सरकार नहीं रहती। मैंने मेरा विवेकसंगत निवेदन आपसे किया है। आप उस पर विचार करें। जो मैंने आपसे कहा है कि आपने जो दो कमेटीज बना रखी हैं, प्रमुख शासन सचिव के नीचे, मुख्य सचिव के नीचे, आप उन दोनों को अलग-अलग बुलाइये और उनसे पूछिये कि ये लोड-डिस्पैच सेण्टर, ये विद्युत वितरण निगम चाहिये कि नहीं चाहिये। लोड डिस्पैच सेण्टर आपने...।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मिनिट्स मांग लीजिये। मिनिट्स कहां हैं उनके?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मिनिट्स तो अपन कोई प्रक्रिया से मांगेंगे। लेकिन मंत्री महोदय से यह कह ही सकते हैं कि क्या उनकी सलाह हुई, या यह लॉ डिपार्टमेंट ने बना दिया। आपके किसी बड़े अधिकारी ने आनन-फानन में कह दिया और लॉ डिपार्टमेंट ने बना दिया और आपने इसको विधान सभा में पेश कर दिया। इसके बहुत दुष्परिणाम होंगे। आप विद्युत वितरण वित्त निगम नहीं बना रहे हैं, उसके बहुत दुष्परिणाम होंगे।

और आप अपनी उस बात से भी हट रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, कम्पाउंडिंग फीस और अन्य मदद वितरण कम्पनियों को देंगे। मैं इसी निवेदन के साथ जो मेरा यह संशोधन है, वह मैंने निवेदन कर दिया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर आप वोटिंग प्रक्रिया के अनुसार करवाएं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, Do you want to react to this?

प्रश्न यह है कि खंड-2 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-2 स्वीकार किया गया।

खंड-3, श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): Can we ask for division, Sir?

श्री उपाध्यक्ष: सर, मैं ....(व्यवधान)....

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वैल में बैठे हुए डिवीजन पर भाग नहीं ले सकते।

श्री प्रद्‌युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं तो खड़ा हूं। मैं और सुरानाजी तो हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मतलब, आप अभी इनके साथ नहीं हैं, यह तो साबित आप खुद ही कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराज जाएं। आप विराज जाएं। आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं खंड-3 का?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जी, मैं कर रहा हूं, खंड-3 का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह कहा, यदि मैंने सही सुना है कि पाँच लाख से ऊपर के जितने भी शहर, कस्बे हैं, गांव हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): पाँच हजार।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या? पचास हजार? पाँच हजार। उसके सारों की, ग्रामीण क्षेत्र में आप कह रहे हैं, यह संशोधन मेरा जो है, उसको जरा आप पढ़ें, उसमें शहरी क्षेत्रों का लिखा है आडिट का, आप सुन लें। दो वर्ष के भीतर-भीतर ट्रांसफार्मर स्तर ऊर्जा संपरीक्षा को त्वरित विद्‌युत विकास और सुधार कार्यक्रम में सम्मिलित कस्बों में दो वर्ष के भीतर-भीतर वितरण ट्रांसफार्मर स्तर ऊर्जा संपरीक्षा को क्रियान्वित किया जाएगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि विद्‌युत की बचत करनी है तो यह जो सारे कस्बों में जो पाँच हजार से ऊपर है, जब यह ड्‌यूटी है कि आप उसका ट्रांसफार्मर आडिट एनर्जी करें, सारे कस्बों के ट्रांसफार्मर्स की तो आप एक तरफ तो डिस्कॉम्स को अपनी आर्थिक स्थितियों से बाहर लाना चाहते हैं, छीजत कम करना चाहते हैं और इससे इनकार क्यों कर रहे हैं? आडिट एनर्जी करवाइये सब कस्बों में। आपका जो दायित्व बना है इस धारा में, आप उससे क्यों बाहर जाना चाहते हैं, यह बताइये, इसका कारण बताइये। कस्बों में लिखा है, कस्बों में। आपने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। मैं यह निवेदन करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य यह जो कह रहे हैं यह जो मैनेजमेंट रेस्पांसिबिलिटी बिल में इनको मतलब खाली 83 कस्बों को ही इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफार्मर मीटरिंग का प्रावधान रखा था। पर उदय योजना के तहत हमने लगभग पाँच हजार के ऊपर जितने भी कस्बे हैं, जिसको पूरे राजस्थान में हमने थ्री फेस से जोड़ रखा है, उन सभी को हम करने जा रहे हैं। यह सोचो कि हम इससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, हमने तो इसको और बैटर मतलब, इस रेस्पांसिबिलिटी बिल के तहत, हमने खाली 83 टाउन्स को ले रखा था, उससे अब मतलब, राजस्थान के पाँच हजार से ऊपर के जितने भी कस्बे हैं, उन सबके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मीटर्स के तहत उसकी एनर्जी आडिटिंग करने जाएंगे और जून और जुलाई तक हम इसको पूरा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खंड-3 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड-3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-3 स्वीकार किया गया।

खंड-4, श्री मानिक चन्द सुराना।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मुझे मेरी ड्यूटी करनी है, कोई कद्र करे या नहीं, बहुमत हो, अल्पमत हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा-4 में मैंने निवेदन किया है कि खंड-1 व खंड-2 में प्रयुक्त शब्द 'हटायी जायेगी' के स्थान पर- 'उदय योजना में वर्णित सभी प्रावधानों व वित्तीय पुनर्संरचना के प्रावधानों का हर तीन माह में परीक्षण किया जायेगा।' राज्य सरकार को क्या दिक्कत है इस बात को मानने में? आपने यदि वह धारा-4 में जो संशोधन आपने किया है, जो भी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

संशोधन किया है, आपको तीन महीने में उसकी आडिट एनर्जी करने में कहां दिक्कत है?

मैं यह कह रहा हूं कि- 'उदय योजना में वर्णित सभी प्रावधानों व वित्तीय पुनर्संरचना के प्रावधानों का हर तीन माह में परीक्षण किया जायेगा।' यह शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं। यदि आप वित्तीय पुनर्संरचना के प्रति बिलकुल फेथफुल हैं, ईमानदार हैं तो आपको इसमें कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। आप उदय योजना की बात कर रहे हैं, उदय योजना की मैंने तारीख दी। उदय योजना के लिए जो मैंने डेट दी है कि वह भारत सरकार ने 15 में ही कर दिया था और आपने यहां ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हो गया, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जो हुआ है, वह आपका 27 जनवरी, 2016 को हो गया। आप उदय योजना की बात बारबार क्यों ला रहे हैं? उदय योजना तो आपके पहले थी। 2016 में आप यह प्रावधान लाये क्यों एक्ट में? आप कह रहे हैं कि उदय योजना में है इसलिए जरूरत नहीं है तो 2016 में क्यों लाये? 2016 में किसने आपको यह सलाह दी कि यह प्रावधान उदय योजना में होते हुए भी आप ले आए। जब आप ले आए तो आप रखिए इसको। आप इस पर कायम रहिये और जब उदय योजना में है तो इसमें भी रखने में कहां दिक्कत है? एडिशनल यदि रिपीट होता है प्रावधान तो आपको दिक्कत कहां है?

इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप खंड-4 में जो मैंने संशोधन दिये, उसको आप स्वीकार करने की कृपा करें। यदि वित्तीय पुनर्संरचना के प्रावधानों का हर तीन महीने में परीक्षण किया जाएगा, यह बिलकुल सैल्यटेरी सिद्धांत रखा है कि तीन महीने से आडिट होता रहेगा हर चीज का तो निश्चित रूप से यह जो विद्युत की जो छीजत है, यह भी घटेगी और विद्युत कम्पनियों का मुनाफा भी बढ़ेगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

प्रश्न यह है कि खंड-4 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड-4 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-4 स्वीकार किया गया।

खंड-5, श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे संशोधन को मूव करता हूं और उनसे यह अर्ज करता हूं कि आज भी विद्‌युत वितरण निगम बनाने की आवश्यकता है और इसलिए आप धारा-6 में, धारा-5 के द्‌वारा जो, पुराने सैक्शन-6 में आपने जो संशोधन किया है, उसको आप विथड्रा करें और मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

प्रश्न यह है कि खंड-5 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड-5 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-5 स्वीकार किया गया।

खंड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

मंत्री महोदय।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

विधेयक का पारण

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्‌युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्मानित सदस्य बोलना चाहेंगे?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं-नहीं, मैं अब बैठूंगा। मैं सिर्फ सदन का ध्यान और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं। वैसे विधान सभा में जो बिल आते हैं, वह सदस्यों के लिये पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं माननीय मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि सन् 2016 का यह राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 जो पास आपने किया, जो अधिनियम हो गया और जिन प्रावधानों को आपने आज डिलीट किया है, यह बिल सारा डिलीट करने का बिल है। जो भी प्रावधान इनको इनकन्वीनिएंट लगा, वह प्रावधान इन्होंने हटा लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)... दादागीरी तो होगी खैर, यह जो आपका बहुमत है, यह आपको यह इजाजत देता है क्या कि 2016 में तो हमारा समय वह बिल पेश करके खराब किया और अब आप कह रहे हो कि विथड्रा कर रहे हैं। जो जिम्मेदारियां राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 में ली हैं, उससे आप भाग रहे हैं। यह मेरा आपसे स्पष्ट आरोप है और मेरा यह भी आरोप है कि शायद इस विधेयक को, जो सदन में पेश किया गया है, माननीय मंत्रीगणों ने भी पढ़ा नहीं है और पता नहीं कैबिनेट में भी पास हुआ है या सर्कुलेशन से पास हुआ है, मुझे नहीं पता। पर यह विधेयक पास करके 2016 में जो जिम्मेदारियां आपने लीं, उनसे आप भाग रहे हैं, उससे आप इंकार कर रहे हैं। इतना ही मेरा निवेदन है। ......(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय आप इजाजत दें तो मैं भी दो मिनट कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल कहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बोलने की इसमें इच्छा नहीं थी और मैं आज बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं श्रीमान् मानिकजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और दोनों बिल मेरे पास हैं और अगर इस बिल का, जो नया बिल आया है, उस बिल का उद्देश्य और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कारण पढ़ लिया जाये, यद्यपि आसन की व्यवस्था है कि उद्देश्य और कारण अंग नहीं होते हैं। अभी वह बिल मेरे हाथ में नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कौनसा बिल है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यही बिजली वाला जो दिया है। आप लोग इजाजत दो तो पढ़ लूंगा। उद्देश्य और कारणों का कथन - धारा 4 - ट्रांसफार्मर स्तर पर ऊर्जा वितरण के लेखों के लिये उपबन्ध करती है। इस आवश्यकता को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अधीन पुनरीक्षित किया गया है। इसलिये, धारा 4 के खण्ड(ग) में संशोधन करके इस आवश्यकता को हटाया जाना प्रस्तावित है। नम्बर दो- धारा 4 के खण्ड(छ) के तहत उपबंधितानुसार स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर स्थापित करने संबंधी समरूप उपबन्ध विद्युत अधिनियम, 2003 में है। तद्नुसार धारा 4 का खण्ड (छ) हटाया जाना प्रस्तावित है।

इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन वित्त पोषण साधन गठित करने का प्रयोजन कम लागत पर उधार लेकर निधियां जुटाना था। तथापि, अब यह बात सामने आई है कि ऐसा करना कर-क्षम नहीं होगा। इसलिए, धारा 5 की उप-धारा (2) और धारा (6) से संबंधित उपबन्धों को हटाया जाना प्रस्तावित है। यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये ईप्सित है।

उपाध्यक्ष महोदय, बात बहुत साफ है कि हमने डेढ़ साल पहले इस सदन में, इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को कुछ वादे किये थे। वह वादे हमने सैक्शन 4, 5 और 6 में किये थे। उन वादों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं इसीलिये उनको इससे डिलीट कर रहे हैं। तीन बात है - लोड, डिस्पैच और सेंटर। उदय योजना का प्रमुख था। उस लोड, डिस्पैच और सेंटर को हम हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? कितनी बिजली आयी, कितनी बिजली गयी और कितनी बिजली की लूट मची, इसका किसी के पास कोई हिसाब नहीं होगा। इसलिये उस सैक्शन को हटा दिया।

दूसरा सैक्शन, अब यह हटा रहे हैं वित्त पोषण निगम गठित करना। वह किसलिये हटा रहे हैं? वित्त पोषण के लिये, अगर हम यह बिल नहीं लाये होते तो हमारे पास जो फाइनेंस व्हिकल की बात कर रहे हैं, हम उस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

फाइनेंस व्हिकल राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम को हमने गठित किया है। अगर धारा (6) के तहत इस कानून को हम नहीं लाते तो हमारे वित्त निगम को पैसे कहां से मिलते। मतलब यह साफ है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो यह कहा कि हम धारा-6 क्यों ला रहे हैं, धारा-4 क्यों ला रहे हैं, यह उपाध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार का एक प्रयत्न है कि हम सम्पूर्ण राजस्थान की जनता को इस विधान सभा के माध्यम से धोखा देना चाहते हैं। क्यों लाये थे हम 2016 में और डेढ़ साल में हम क्यों वापस ले जा रहे हैं? क्यों नहीं हम जो बिजली पर टैक्स लगाते हैं या जो चीज हमें प्राप्त होती है, हम क्यों नहीं देना चाहते वितरण निगम बनाकर उसको। क्यों भारत सरकार का सारा पैसा इसमें आयेगा, पहले हमारे पास स्टेट के कंसोलिडेट फण्ड में रखेंगे और हमारी जब इच्छा होगी, तब देंगे। क्योंकि एक वर्ष में चुनाव है, तब तक उसको काम में ले लेंगे। यह उद्देश्य और कारण हैं, वह स्पष्ट हैं। उद्देश्य और कारण में मैं उन बातों पर अभी नहीं जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तैयारी करके आया था, लेकिन मेरा मन नहीं था, लेकिन माननीय मानिक जी बोले, यह वरिष्ठ सदस्य हैं, यह इतनी मेहनत करके आये हैं, इसलिये मैं इनके समर्थन में इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, जो दो बात कही है, उन दोनों बातों को अगर आप सदन के पटल पर रखेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपकी दो बड़ी कमेटियां बनी हुई हैं, उन दोनों कमेटियों की जो रिपोर्ट है और उनकी जो मिनिट्स हैं, उनको आप सदन में रखिये, उससे साफ हो जाएगा कि हम राज्य का हित चाहते हैं। उदय योजना भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है। वह योजना नहीं आती तो हमारा बिजली का ढांचा आज चरमरा जाता। उस योजना में अपन ने तीन प्रमुख बातें रखी थीं और उन तीनों से अपन पीछे हट रहे हैं और हटना भी चाहते थे तो गुपचुप में हट जाते, पब्लिक के सामने क्यों आये?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कोई कोर्ट में चला जाता तो क्या होता?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कोर्ट में कोई चला जाता तब क्या होता? जाता कोर्ट में कि आप वित्त पोषण निगम क्यों नहीं बना रहे हो?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उससे बचने के लिये बनाया। यह अधिकारियों का और यह बिजली का जो तंत्र है, वह इतना बड़ा लूट का तंत्र है और उपाध्यक्ष महोदय, सारी की सारी बात जाकर किसान पर पड़ती है। कुल 12 लाख 74 हजार कनेक्शन, उनमें 2 लाख 30 हजार में पानी कम हो गया, नहीं के बराबर है। और बिजली के बिल माफ करने की जब किसान मांग करते हैं तो इन ढांचों को खड़ा कर देते हैं। यह जो ढांचे का इतना बड़ा बोझ है, वह किसान की बिजली को माफ नहीं होने दे रहा है और यह उसी के लिये बिल है। इसलिये मैं सारे आंकड़े पेश नहीं करूंगा, बहुत समय हो गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र शब्दों से आग्रह करता हूं कि वह देखें कि सैक्शन-4, सैक्शन-5 और सैक्शन-6, यह तीनों हमने वादा किया था, भारत सरकार से त्रि-स्तरीय, जो हमारा समझौता था, उस समझौते में बैंकों के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से और राज्य की जनता से, उससे हम पीछे हट रहे हैं, उसको हम धोखा दे रहे हैं और हमने जो वादा किया था, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके लिये केवल अधिकारियों को न्यायपालिका के रास्ते से बचाने के लिये और उनकी चोरियों को, उनकी गलतियों को छिपाने का एक बिल है, इसके अलावा इस बिल में कुछ नहीं है, अत: इस पर आप विचार करें। बाकी तो जैसा मानिकजी ने कहा अपन सब समझते ही हैं कि आपने भी डांट लगायी थी। आप जनमत जानने के लिये तो देते हो और फिर पीछे हट जाते हो। हमारे यहां एक कहावत है- 'तांड़े कियां है, मतलब हांक क्यों रहा है? बोले सांड हूं और गोबर क्यों कर रहा है? गाय का जाया हुआ हूं, गाय का बेटा हूं। तो हमारी हालत तो वह हो रही है, तो पास तो होना ही है, लेकिन सैक्शन 4,5 और 6 के बारे में आप एक बार जानकारी कर लें। इतना ही विनम्र निवेदन है और मैं मानिक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने स्टडी करके इस पर बोला। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे इस बिल को वापस हम लेकर बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि लूणकरणसर से आने वाले जो हमारे

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

माननीय सदस्य हैं, इन्होंने यह बात कही कि जो राजस्थान राज्य विद्‌युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 में यह खाली टीएचसी, मतलब शेयर्स जो आर ए पी, डी आर पी में कवर थे, उसके साथ केन्द्र सरकार का जो पैसा आया था, उसके ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफर मीटरिंग की आडिट करने का प्रावधान था।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

(16.00 बजे)

उदय योजना के तहत राजस्थान में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पांच हजार से ऊपर जितने भी कस्बे हैं उन सभी गांवों, कस्बों को इससे और ज्यादा एक्सटेन्शन में जा रहे हैं। मानिक जी की जो बात है कि एनर्जी ऑडिटिंग होनी चाहिए कि बिजली कितनी आयी, कितनी गयी और आपके पास उसका कितना रिटर्न मिला है। आज राजस्थान का पांच हजार से ऊपर जो प्रत्येक जनसंख्या वाला गांव है, इसको आज हमने थ्री फेज से जोड़ा है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक सैकण्ड।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप मुझे कम्प्लीट करने दें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जब आप पांच हजार से ऊपर एनर्जी ऑडिट को राज़ी हैं तो कस्बों की दो साल में सारे ट्रांसफार्मर की ऑडिट एनर्जी होगी, इसमें कहां टकराव है कि आप इसको वापस ले रहे हैं? टकराव कहां है? वो एडीशनल बात कही गयी है, आप उसको क्यों विथड्रा करना चाहते हैं?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में धरना व नारे।)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं भी आज हाउस में बोल रहा हूं वो भी अंकित हो रहा है।

सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सैण्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत 2003 में जब आलरेडी प्रावधान है, उसमें कहा कि स्टेट लोड डिस्पैच सेण्टर का, मतलब आपके माध्यम, कम्पनी फार्म करनी है, उस एक्ट में आलरेडी प्रावधान है। तो उस एक्ट के तहत हमने रेस्पोंसिबिलिटी बिल में हम जो इसको लेकर आये उसको हम विथड्रा कर रहे हैं। और फाइनेन्शल व्हीकल के लिए इसलिए हम इसको खतम करना चाहते हैं

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

क्योंकि यह जो पैसा है, जो भी आपका कम्पाउंडिंग का पैसा आएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का पैसा आएगा यह कम्पनी फार्मेशन के बाद में It will be taxable. जो राज्य सरकार आज डाइरेक्टली हमको, ऊर्जा विकास निगम को देती है उसके माध्यम से आज जो पैसा डिस्कॉम में जाता है वो कम्पनी में अगर पैसा जाएगा तो वो पैसा टैक्सेबल होगा, इससे हमको इसकी हानि होनी है। दूसरी बात, यह कम्पनी का फॉर्मेशन इसलिए था हमारा कि इस कम्पनी के माध्यम से सस्ती दरों पर हम ब्याज पर पैसा ला सकें। परन्तु उदय योजना के तहत जब यह पैसा ऑलरेडी सरकार ने अपने खाते में लिया, इससे हमारी बैलेंसशीट सुधरी है और हमारे पास जो 20 हजार करोड़ का लोन था उसमें 12 हजार करोड़ को हमने रीबॉण्ड किया, एज ए लो इन्ट्रेस्ट पर लेकर आ गये। अभी डिस्कॉम स्वयं अपने कम इन्ट्रेस्ट पर ऑलरेडी पैसा ले रहा है। तो इसलिए हमको इस वित्त निगम को रखना अशेन्शली था।

सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं यह समझता हूं इसमें हमने, कोई सरकार ने छिपाने, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसको आप पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया गया।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री कालू लाल जी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 36)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 36वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव भी रखिये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक, बुधवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में हुई। समिति ने अपने 35वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाय:-

गुरुवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2017	1- अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2017-2018 (प्रथम संकलन) पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। 2- राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेंवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2017 : - पर विचार एवं पारण।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 36वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 36वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017, श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017 पर मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार।

वैसे यह विषय हिन्दुस्तान की हर असेम्बली में किसी न किसी रूप में आ रहा है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में भी इस सम्बन्ध में प्रकरण दर्ज हुए हैं। राजस्थान में पूर्व में दो अधिनियम प्रभाव में थे, एक "THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATION) ACT, 1956" और इसी के नाम से 1969 और अभी जो कारण, ऐम और ऑब्जैक्ट में जो बतलाया गया है और उस ऐम और ऑब्जैक्ट में जो एकमात्र आधार बतलाया गया है वो यह है "At present there are two laws declaring the offices of profit in the State which shall not disqualify their holders for being chosen, or for being chosen as, members of the Legislative Assembly viz. the Rajasthan Legislative Assembly Members (REMOVAL OF DISQUALIFICATION) ACT, 1956 (Act No. 7 of 1957) and the Rajasthan Legislative Assembly Members (Prevention of Disqualification) Act, 1969 (Act No. 5 of 1969). As a part of the State Government's initiative to consolidate multiple law on the same subject into one law, which proposed to be consolidated the above two Acts into the one single Act." तो तात्पर्य यह है कि दो एक्ट एक टाइम के थे जिसको कन्सोलिडेटेड कर के वन एक्ट बनाया जाए। लेकिन मेरा निवेदन है कि इसमें आइदर मिस्टेक से और इसी कारण से या इन्टेन्शली, ऐम और ऑब्जैक्ट में नहीं बताया गया है। दो बातें रह गयी हैं।

पहला सबसे महत्वपूर्ण यह है, यह 1969 वाले एक्ट के सैक्शन-2 के सब-क्लॉज (डी) में "The Office of the Pradhan and Pramukh, as defined in the Rajasthan Panchayat Samiti and Zila Prishad Act, 1959" के एक्ट नम्बर 37 में यानी प्रमुख और प्रधान भी डिस्क्वालिफाइड नहीं हो उनके प्रोफिट ऑफिस से, उसको प्रोटेक्शन दिया गया था और इस एक्ट में इसे नहीं लिया गया है, पर इसका कोई कारण नहीं बतलाया गया है। आवश्यकता नहीं है या उनके लिए जरूरी नहीं है या नये पंचायत एक्ट में उसको कोई प्रोटेक्शन दे दिया गया है? ऐसा कोई ऐम और आब्जैक्ट में नहीं बतलाया गया है।

(श्री जोगाराम पटेल)

इसलिए मेरा सब्मिशन यह है कि अगर प्रमुख और प्रधान, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और पुराने 1953 में परिभाषित हैं, अगर उनको प्रोटेक्शन की आवश्यक्ता है और इस एक्ट में इन्टेन्शली रखा गया है या बाई मिस्टेक रह गया है, यह कोई ऐम और आब्जैक्ट में नहीं बताया गया। ऐम और आब्जैक्ट में सिर्फ इतना बताया कि दो एक्ट को कंसोलिडेटेड करना है। पहला मेरा निवेदन यह है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपया यह बताएं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी या और किसी कारण से इसको रखा गया है?

सैकिण्ड, नया एक्ट जो अभी, बिल के ऑर्डिनेन्स है, इसके एफ में जो लैंग्वेज है और एट प्रजेंट जो एक्ट है, 1969 की जो लैंग्वेज है उसमें परिवर्तन किया गया है और इस परिवर्तन का कोई भी कारण नहीं बतलाया गया है। मेरा निवेदन है कि नये एक्ट में जो सैक्शन-2 का सब-क्लॉज (एफ) है "(f) The Office of a Chairman or a Vice-Chairman or the member of a Committee set up for the purpose of advising the Govt. or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an enquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter……."

अब जो लैंग्वेज है वो ओल्ड में दूसरी है। अब जो लैंग्वेज है any such matter के बाद …or for planning, coordinating or implementing any programme of the Govt. or any other authority." और जबकि उसमें है "…of any such matter provided that the holder of such an Office is not in respect of entitlement to any of the remuneration or any other compulsory allowances.

तो यह रेमुनरेशन और अलाउंसेज का अब क्या होगा? वह रहेंगे या नहीं रहेंगे? वह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? वह दोनों इसमें से या तो इंटेंशनली हटाए गए हैं या बाई मिस्टेक हटे हैं। वह दोनों इसमें नहीं हैं। इससे यह बहुत डिफिक्लिटी पैदा हो जाएगी कि यह जो रेमुनरेशन और अलाउंसेज जो इन कंपनी वालों को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और मैम्बर, जो इनको मिलेंगे, उनका क्या होगा? यह नहीं बताया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि 2014 में मध्य प्रदेश में ऐसा एक्ट आया, 2015 में दिल्ली में ऐसा ही एक्ट आया, 2012 में केरल में ऐसा ही एक्ट आया। 2005 में गोवा में ऐसा ही एक्ट आया। उससे

(श्री जोगाराम पटेल)

पहले हिन्दुस्तान के विभिन्न 28 स्टेट्स में ऐसे ही एक्ट प्रभाव में हैं लेकिन इन सबकी बाबत मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कलकत्ता और पंजाब, कलकत्ता में जब ऐसा ही एक्ट आया तो कलकत्ता हाई कोर्ट में इस संबंध में रिट हुई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने विशांक भट्टाचार्य बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स इसमें 01.06.2015 को उस एक्ट के बारे में काफी कमेंटस किए गए हैं। उसमें यह बिल की मार्फत जो पार्लियामेन्ट्री सैक्रेटरी वाला इश्यु है, उसको उन्होंने सही नहीं माना है। यह माना गया कि यह आर्टिकल 164 ए का वायलेशन है। इसमें डीबी का जजमेंट था। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा ही पंजाब का, जगमोहन सिंह भाटी के प्रकरण में भी ऐसा ही आब्जर्वेशन हुआ।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि हमको इस विषय में भी विचार करना पड़ेगा कि यह जो पार्लियामेन्ट्री सैक्रेटरी हैं, यह हमारे संविधान में प्रोवाइडेड नहीं हैं। हमारी प्रोसीजर बुक में प्रोवाइडेड नहीं हैं। यह प्रोटेक्ट भी करता है। मेरा साथ-साथ निवेदन यह भी है कि आर्टिकल 164 (1) ए जो 01.04.2004 को जो प्रभाव में आया है, उसमें यह कहा गया कि 15 परसेंट से ज्यादा टोटल मैम्बर्स ऑफ मिनिस्टर्स, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे। हालांकि यह कहा गया है कि पार्लियामेन्ट्री सैक्रेटरी है, वह मिनिस्टर की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। इसमें जो प्रोविजन्स दिए गए हैं, उसमें अलग-अलग इसलिए कहे गए हैं कि यह टोटल ही सी.एम. की डिसक्रिशंस पर है कि किसको अपोइंट करे और किसको नहीं करे। एक तो यह कारण बताया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके जो वर्क हैं, वह सी.एम. रैगुलेट करती है इसके पावर Parliamentary Secretaries are not on the same rank as a Minister and the C.M. can step up of any of the power at any time इनका ओथ और अफरमेशन जो होता है वह भी ऑनरेबल गवर्नर द्वारा नहीं होता है। यह जो सेवन्थ शिड्युल्ड कांस्ट्टियूशन बतलाए हैं, वह भी नहीं होता है। इनके जो वर्क हैं वह कांस्ट्टियूशनल वर्क डिफाइन भी नहीं हैं। इनकी पोस्ट भी कहीं एप्रोप्रिएट डिफाइन नहीं की गई है, 2 एक्ट, कांस्ट्टियूशन से पहले आए थे

(श्री जोगाराम पटेल)

1935 को और 1909 का, 35 वाले एक्ट में तो नहीं है लेकिन 1909 वाले एक्ट में पार्लियामेन्ट्री सैक्रेटरी उसमें भी डिफाइन थे। इसलिए मेरा सब्मिशन है, हालांकि यह उसमें नहीं आते हैं डिसक्वालिफिकेशन में कहीं नहीं आते हैं, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन दूसरे एक्ट में है। इसमें कोई एक्स्प्लेनेशन इस तरह से नहीं है। जनरल बताया गया है। इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि इसको भी इस मामले में लाकर के कंसीडर किया जाए। फ्यूचर में कहीं यह लिटिगेशन में नहीं उलझ जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में भी मेरा निवेदन था कि मैं इसमें आभार व्यक्त करुंगा मंत्रीजी का कि इन्होंने 2 एक्ट को कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाने का काम किया। लेकिन यह जो मेरे 4 निवेदन हैं, एक जिला प्रमुख और प्रधान वाला रह गया या इंटेंशनली रखा। दूसरा डी में जो अलाउंसेज और रेमुनरेशन उसको मिलते, उस वर्ड को हटाया गया है, यह किसलिए हटाया गया है? तीसरा, इस एक्ट की स्पिरिट जो थी, अनेक चीजें इसमें और जोड़ी गईं, लेकिन जोड़ने के बावजूद भी इसकी स्पिरिट को उस लैंग्वेज में नहीं लाया गया है, इसलिए भी मेरा निवेदन है, जैसा आई में चेयरमैन था, डायरेक्टर पहले नहीं था अब डायरेक्टर जोड़ा गया है। अनेक जगह पर यह जो जोड़े गए हैं, इसके बारे में भी माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करुंगा कि एम्स और ऑब्जेक्ट भले ही एक्ट का पार्ट नहीं हैं, लेकिन एम्स और ऑब्जेक्ट से उस एक्ट और ऑर्डिनेंस की भावना पता लगती है। उसका बेसिक आइडिया पता लगता है। उसके पीछे पता लगता है कि क्यों लाया जा रहा है। इसमें यह नहीं बताया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि इन सब का जवाब माननीय मंत्री महोदय देवें। वैसे यह एक्ट जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया 17 असेम्बली ने लाया है, लेकिन जैसा मेरा निवेदन है कि इस संबंध में अगर स्पष्टीकरण आ जाएगा तो सुविधा रहेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017 सदन में विचार के लिए

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लाया गया है। इस पर लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तारपूर्वक बात कही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं इस बिल के संदर्भ में बात करुंगा तो उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट है कि निरर्हता निवारण संबंधी 2 विधियां राजस्थान में प्रचलित थीं 1956, 1969, और जब एक ही विषय के बहुत सारे कानून हों, वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों लोकसभा में इस आशय पर टिप्पणी की कि जो विधियां प्रभावी नहीं हैं, उन विधियों को समाप्त कर दिया जाएगा। हमारे यहां पर एक ही विषय के 2 कानून प्रचलित थे। सरकार ने दोनों विधियों को मिलाकर के एक विधि बनाने का जो काम किया है, मैं समझता हूं कि वह स्वागत योग्य कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, उद्देश्यों और कारणों में इस चीज का उल्लेख तो कर दिया, एक ही विषय की बहु विधियों को समेकित करने की दृष्टि से यह कानून लाया गया, लेकिन दोनों विधियों में जो अलग-अलग क्लॉज थे, 1969 की विधि के क्लॉज इसमें समेकित करते समय इस कानून में से हटा दिए गए। अच्छा होता कि उद्देश्यों और कारणों में उसको स्पष्ट करते कि किन कारणों से इसमें जो कवर होते प्रधान और जिला प्रमुख, उनको हटाया या अन्य जो भी क्लॉज इसमें से हटाए, युक्तियुक्त कारण अगर उसमें देते तो मैं समझता हूं कि इस सदन की समझ में मामला आता कि आखिर यह सब हटाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों को एक करके नया कानून लाना, मैं समझता हूं कि इस समय देश में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी है, आप विद्वान हैं, मैं 2006 की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। इस देश में कौनसा लाभ का पद होगा और कौनसा पद लाभ का नहीं होगा और कौन पार्लियामेंट और असेम्बली के लिए एलिजिबल होगा। किसकी सदस्यता रहेगी, नहीं रहेगी। यह देश में बहुत गंभीर बहस छिड़ी। 2006 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के समय, बहस छिड़ने के बाद में नैतिकता के आधार पर सोनिया गांधी जी ने, जब लाभ का पद इसको मान लिया गया तो लोक सभा से अपना इस्तीफा दे दिया। लोक सभा से अपना

(श्री प्रहलाद गुंजल)
इस्तीफा देने के बाद, दुबारा लोक सभा के लिए निर्वाचित हो गई। लोक सभा के लिए निर्वाचित होने के बाद, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के संदर्भ में जो विधियां मौजूद थी, उन विधियों में संशोधन कर दिया गया कि अब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष लाभ का पद नहीं होगा। जिस पद से नैतिकता के आधार पर लोक सभा से इस्तीफा दिया और पुन: निर्वाचित होकर उस पद पर बैठ गई।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल देश के जेहन में उठ रहे थे कि आखिर हम चाहेंगे जिसको लाभ का पद मान लेंगे और जिसको चाहेंगे उसको नहीं मानेंगे। उसके बाद 2014 में अनुसूचित जाति, जनजाति आयोगों के अध्यक्षों को सेव करने के लिए, जो पार्लियामेंट के मैम्बर थे, भारत की पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया कि इन पदों पर बैठे हुए व्यक्ति लाभ का पद धारित व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। एक लंबी बहस सारे देश में छिड़ गई।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जब दिल्ली की विधान सभा ने 21 पार्लियामेंट सैक्रेटरीज के संदर्भ में बिल पास किया और उस बिल पर भारत के राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि दिल्ली की विधान सभा के अध्यक्ष इस विषय में अपना निर्णय देंगे। वहां पर इस विषय में कोई विधि स्पष्ट नहीं होने के कारण भारत की पार्लियामेंट ने एक जाइंट पार्लियामेन्ट्री कमेटी बनाई। जाइंट पार्लियामेन्ट्री कमेटी में 10 मैम्बर लोक सभा के, 5 मैम्बर राज्य सभा के, इस 15 सदस्यीय समिति पिछले 50 साल के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, पार्लियामेन्ट, असेम्बली के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले, तमाम का विवेचन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अयोग्यता संबंधी कोई भी स्पष्ट कानून इस मुल्क में नहीं है।

किसको लाभ का पद मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे, यह सभा के निर्वाचित सदस्यों की केवल योग्यता या अयोग्यता नहीं, उसकी प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ सवाल होता है। जब यह सवाल खड़ा किया जाता है कि अमुक व्यक्ति विधान सभा का सदस्य होने के बाद लाभ का दोहरा पद धारण करके कानून, मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, विधि-विधान को तोड़ रहा है, ऐसे में आज इस कानून की महत्ती आवश्यकता है, एक विस्तृत कानून, पूरे तौर तरीकों के साथ, विधि सम्मत कानून बनना चाहिए।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पार्लियामेंट का विधि विभाग, भारत सरकार का विधि मंत्रालय विचार कर रहा है, इन परिस्थितियों में यह जो कानून बना है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि केवल दो विधियों को जोड़कर समेकित विधि तक सीमित नहीं रहना चाहिए था, इसकी व्यापकता को विधि सम्मत तरीके से इस लेवल पर बनाया जाना चाहिए था कि भविष्य में इसकी ओर कोई अंगुली न उठाई जा सके, मेरा इस अवसर पर इतना ही कहना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, उसको मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सदस्यगण, अगर आप इजाजत दें, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं इस पर पाँच मिनट लूंगा। ...(व्यवधान)...

माफ कर देंगे क्या थोड़ी देर के लिए मुझे? ...(व्यवधान)...

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इस कानून को जो लेकर आए हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना प्रारम्भ करुं उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का ...(व्यवधान)... माननीय गोविन्द सिंहजी, एक मिनट, एक मिनट अलाउ ...(व्यवधान)... एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की पाँच लाइनें मैं पढ़कर जिसमें जे.चेलेश्वरम्, आरके अग्रवाल, अभय मनोहर सप्रे, जुलाई, 26, 2017 ...(व्यवधान)... इसमें इन्होंने लिखा है कि कोई भी विधान सभा, कोई भी विधान सभा यह कानून नहीं बना सकती कि जो कानून हमारे मंत्री लेकर आए हैं। 26 जुलाई, 2017 को भारत की सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने यह जजमेंट दिया, मैं पढ़ रहा हूं,

"Legislation would be wholly irrational way of contracting the scope of Article 194(3) and Entry 39 of List II. Such a construction would be enabling a Legislature to make a law, which has no rational connection with the subject matter of the entry. "The powers, privileges and immunities" contemplated by Article 194(3) and Entry 39 are those of the Legislature qua legislators."

"We are of the opinion that the Legislature of Assam lacks the competence to make the impugned Act. In view of the above conclusion, we do not see it necessary to examine the various other issues identified by us earlier in this judgment. The Writ Petition is allowed, the impugned Act is

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

declared unconstitutional."

संसदीय सचिव बनाने के लिए आसाम की विधान सभा ने एक कानून बनाया, आसाम की हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया उसके खिलाफ आसाम की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी चीफ मिनिस्टर को मिनिस्टर के लिए और विधायकों में से संसदीय सचिव, अवर संसदीय सचिव या किसी बोर्ड या कॉरपोरेशन का अध्यक्ष का पद बनाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है वह अनकान्स्टीटयूशनल है, उन्होंने कहा कि उनको ही नहीं, किसी भी विधान सभा को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यह भारत की सुप्रीम कोर्ट का 26 जुलाई का फैसला है जिसमें तीन जज थे। आज आप जो इसको लेकर आए हैं, केवल यह जजमेंट ही नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अटलजी के नेतृत्व में 2003 में जो 41वां संविधान संशोधन हुआ था, 164 में जिसमें 15 प्रतिशत सीमा तय की गई थी उसके भी खिलाफ है, 164 के, उसके भी खिलाफ है और इसके अलावा 26 जुलाई, 2017 को जून, 2015 में भी जो अभी आप सुना रहे थे माननीय लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, 2015 में भी कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि यह कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और आर्टिकल 164(1))(ए) को बाइपास करने का चोर दरवाजा है। तो राजस्थान की विधान सभा में इस चोर दरवाजे को पेश करना चाहते हैं? सारे नियम मेरे पास है, 2009 में ...(व्यवधान)... सुन लीजिए आप, 2009 में मुम्बई हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने भी इसको असंवैधानिक करार दे दिया। 2005 में भी हिमाचल हाई कोर्ट ने संसदीय सचिव पद को निरस्त करने के आदेश दिए और यहां तक कहा कि यह पद जब से लाया गया है तब से यह गैर कानूनी है और इसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 2016 में पंजाब के 18 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द की जा चुकी है, कानून बनाने के बाद। तेलंगाना में कोर्ट ने 6 संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर स्टे लागू कर दिया है, दिल्ली का केस तो सर्वविदित है, राष्ट्रपति महोदय ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने प्रणव मुखर्जी को मिलकर ज्ञापन दिया कि केजरीवालजी ने जो 21 संसदीय सचिवों को लाभ के पद से हटाकर संसदीय सचिव रखने का कानून बनाया है उस पर हस्ताक्षर नहीं करें। राष्ट्रपति ने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको माना नहीं, भारत के चुनाव आयोग को भेज दिया कि भारत का चुनाव आयोग उनकी सुन कर फैसला करे और उनकी सदस्यता समाप्त करे, उनकी सदस्यता समाप्त होने के कगार पर है।

पिछली कांग्रेस सरकार ने 2012 में जो बनाए थे तो हमारे दो मंत्री आदरणीय राजपाल सिंह जी और आदरणीय कालीचरणजी, ये लेकर राजस्थान के हाई कोर्ट में गए थे, अनुच्छेद 164(4) से बचने के लिए यह कानून बनाया गया है। ...(व्यवधान)... यह सारे हाई कोर्टों के निर्णय मेरे पास है। हिन्दुस्तान की आठ हाई कोर्ट ने फैसला किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है। आप जो कानून लेकर आए हो, वह आप तो सबके ऊपर हो क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जितने बढ़िया ढंग से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जानते हैं उतना अपन नहीं जानते। उनको इसका पूरा ज्ञान है तो उस हाई कोर्ट ने कहा है लेकिन आप तो एक नया ही काम लेकर आए हैं। वे तो केवल संसदीय सचिव तक ही थे आपने राज्य मंत्री, उप मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप मुख्य सचेतक, संसदीय सचिव, अवर संसदीय सचिव और राजस्थान विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता, मतलब क्या-क्या लिखा है इसमें आगे चलकर, मतलब यह कि जो 164(4) जिसमें साफ-साफ प्रावधान है कि 15 परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए, यह चोर दरवाजा अपन क्यों अपना रहे हैं? अभी 26 जुलाई को फैसला हुआ है। पहले हमने भी यह निर्णय किया था जब मैं कानून मंत्री था तो किया था, लेकिन उसके बाद में हाई कोर्ट के फैसले हो गए, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो गया, भारत के संविधान के अंतर्गत है, तीन जजों की बेंच के फैसले के आगे कुछ इसका हो नहीं सकता, फिर संविधान पीठ है, तो या तो राज्य सरकार संविधान पीठ में जाए और संविधान पीठ में जाकर काम करे और इस प्रकार का कानून हमारे से पास कराए जो कि कानून बनाने का हमको अधिकार नहीं है, जो संविधान की भावना के विपरीत है, उस प्रकार का कानून पेश करना ही इस सदन में पाप है इसलिए मैं आपके निर्देश की पालना करता हुआ, संक्षेप में मैंने अपना वक्तव्य दिया, मैं जनमत जानने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के इस प्रस्ताव को वापस नहीं लूंगा क्योंकि आपने निर्देश दिया था इसलिए मैंने ईमानदारी से इसको यहां पर रखा है, और मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर ले, हर कानून में हमारी धज्जियां उड़ाना कोई जरूरी नहीं है। ...(व्यवधान)...

अगर केजरीवाल माननीय मुख्य मंत्री हैं और आसाम का मुख्यमंत्री है तो आसाम के मुख्यमंत्री यदि संसदीय सचिव नियुक्त नहीं कर सकते और हमारी बीजेपी की मांग पर केजरीवाल साहब भी नियुक्त नहीं कर सकते तो फिर हमारे मुख्य मंत्रीजी के ऐसे कौनसे तारे लगे हुए हैं कि वो कर सकती हैं? ये कैसे कर सकती हैं? फिर वो कर सकती हैं तो फिर आप जैसा विद्वान और संसदीय कार्य मंत्री इसको पेश करे, यह कैसे हो सकता है? तो मुझे आज दुख है उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दो बहुत पुराने माननीय मंत्री हैं आज तो, हमारे मित्र भी हैं। (व्यवधान) ये दोनों लोग, इतने विद्वान हैं, इन दोनों के हाथ से यह कानून पेश हो रहा है, मैं समझता हूं इनकी यह मजबूरी है। गृहमंत्री जी ने जो कानून पेश किया, वह उनकी मजबूरी थी और संसदीय कार्यमंत्री ने जो कानून पेश किया है वह उनकी मजबूरी है। मजबूरी तो है, लेकिन संविधान अपने ऊपर है। आपकी मजबूरियों को तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है (व्यवधान) इनकी मजबूरी है वो मैं समझ रहा हूं और मेरी मजबूरी बोलने की है, वह आप समझ रहे हैं। इसलिए मैं जो अपनी बात थी कि इस विधान सभा का मैं मैम्बर हूं और विधान सभा का मैम्बर होने के नाते भारत के सर्वोच्च न्यायालय जिसका आदेश भारत का न्याय है, लॉ ऑफ लैण्ड है, उसके खिलाफ मैं इस सदन में कोई काम होने दूं और न बोलूं तो मेरी नैतिकता के विपरीत होगा, इसलिए मेरी नैतिकता के आधार पर मैंने यह बात आप लोगों के सामने रखी, आपकी मर्जी आये जैसा करो। मर्जी राज की, अर्जी हमारी और मर्जी राज की। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई। श्री देवेन्द्र कटारा। श्री रामहेतसिंह यादव। डॉ. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्षजी, यह ऐसा विषय है, हम सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

हुआ है (व्यवधान) कर्जा माफ करने के पक्ष में हैं सब लोग, चिन्ता मत करो, लेकिन विधि-विधान से किया जाएगा। आपके झूठे आंसुओं से नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हम सारी दुनिया में यह कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व हुआ है। मैं जब कॉलेज की क्लास में पढ़ाता था तो निगम, कॉर्पोरेशन के बारे में यह पढ़ाया करता था कि हारे हुए राजनेताओं की शरणस्थली निगम/कॉर्पोरेशन के चेयरमैन होते हैं, लेकिन आज जिस सदन में मैं सदस्य हूं उस सदन में राजनैतिक नैतिकता की कसौटी पर यह चीज कसी जानी चाहिए। मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि राजनैतिक नैतिकता नहीं कहती कि लोक सेवक का ढिंढ़ोरा पीटने वाले लोग यह प्रस्ताव पास करें कि एक मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति को भी दूसरी सुविधाएं चाहिए, ऐसी इस एक्ट में बू आती है, ऐसी भावना इसमें व्यक्त की जा रही है। निश्चित तौर पर जनता के सामने हम राजनैतिक नैतिकता को अगर ध्यान में रखेंगे तो इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वैसे मैं पार्टी अनुशासन में रहते हुए मेरा प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017 में जो संशोधन पेश किया है उसमें वर्तमान में राज्य के लाभ के उन पदों को जो उनके धारकों को विधान सभा के सदस्य होने या सदस्य के रूप में चुने जाने से निरर्हित नहीं करेंगे, घोषणा करने वाली दो विधियां हैं। 1956 में एक अधिनियम आया था और दूसरा 1969 में अधिनियम संख्या 5, एक विधि में उसी विषय पर बहुविधियों को समेकित करने की राज्य सरकार की पहल के एक भाग के रूप में उपरोक्त दो अधिनियमों को एकल अधिनियम के रूप में समेकित करने का जो प्रस्ताव लाये हैं, निश्चित रूप से कानून कोई भी बने, मगर कानून का सरल रूप होना चाहिए, हर कोई व्यक्ति उस कानून को समझ सके, सरलता से पढ़ने पर उसका ज्ञान हो सके, कानून ऐसे बनते हैं कि कानून वकील के अलावा कोई समझ भी नहीं पाता। इसलिए इन कानूनों में इतनी क्लिष्टता रहती है, उनकी भाषा भी इतनी

(श्री केसाराम चौधरी)

कठिन होती है। देश आजाद होने के बाद 70 साल हो गए, क्या सरल रूप में कानून नहीं बनाये जा सकते जिससे आम व्यक्ति उस बात का समझ सके कि इस कानून के दायरे में रहते हुए क्या मंशा है और क्या सरकार करना चाह रही है। इसलिए कानूनों को सरल रूप में लाना चाहिए। मैं तो इतना ही कहते हुए मैंने जो जनमत जानने को परिचालित करने का प्रस्ताव दिया है उसको मैं वापस लेता हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी। श्री मनोज कुमार। श्री धीरज गुर्जर। श्री घनश्याम। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017 पर चर्चा चल रही है। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने पहले इस राजस्थान की विधान सभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगलों व सरकारी सुविधाओं का जो राजशाही प्रावधान का बिल पास कराया गया था इसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगलों व सरकारी सुविधाओं के साथ-साथ और कई सुविधाएं भी थीं। घनश्याम जी तिवाड़ी ने इस बिल का उस समय भी विरोध किया और आज मैं पुन: इनको धन्यवाद दूंगा कि संविधान की मंशा के खिलाफ जो राजस्थान की विधान सभा के अंदर सदस्यों को दोहरा लाभ और दोहरे लाभ के पदों का जो बिल आप लोग पास कराने जा रहे हो, गृह मंत्री जो बिल लेकर आये थे जिस तरह से उसे प्रवर समिति को भेजा, एक बार आपको इसे भी प्रवर समिति को भेजना चाहिए। राजस्थान की जनता देख रही है कि आप किस तरह से रोज, यह चुनावी साल है और निश्चित रूप से संसदीय सचिव का संविधान में कोई प्रावधान भी नहीं है। राजनैतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति राजकोष पर अनावश्यक भार है। संसदीय सचिवों के तो कमरों की लड़ाई होती है, मैं रोज देखता हूं कि मुझे यह कमरा दे दो, वो कमरा दे दो। इसका गलत मैसेज जनता के अंदर भी जाता है। सचिवालय में जब इनके कमरे उपलब्ध नहीं है, ये गनमैन की लड़ाई लड़ते रहते हैं, ये पीए की लड़ाई लड़ते रहते हैं। ऐसे पदों से आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मुझे तो लगता है कि चुनावी साल है और 15 परसेंट

(श्री हनुमान बेनीवाल)

का तो कोटा खतम करके आपने संसदीय सचिव बना दिये, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके खिलाफ। अब विधायकों के अंदर बगावत दिख रही है राजस्थान के अंदर, उस बगावत से कैसे निपटा जाए। इसलिए कहीं न कहीं उनका एडजस्टमेंट आप चोर रास्ते से करना चाहते हो और सारी सीमाएं तोड़ना चाहते हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन करूंगा कि जिस तरह से सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी आत्मा की आवाज से भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए इस बिल का विरोध किया और साथ ही साथ फूलचन्द जी भिण्डा ने भी आज आत्मा की आवाज से इस बिल का विरोध किया। भिण्डा जी आज पहली बार लय और ताल के अंदर नजर आये।

मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं और बंगलों को वापस लेने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वहीं राजस्थान सरकार अनैतिक व असंवैधानिक प्रावधान को शामिल करके पूर्व मुख्यमंत्रियों के बिल पारित करा रही है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन अभी वर्तमान मुख्य मंत्रीजी के पास जो बंगला है उस पर पिछली कांग्रेस सरकार के टाइम एक करोड़ रुपये खर्च हुए थे और इस बार तो 10 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च कर दिया तो महल की तरह बन गया। यह तो परमानेंट हो गया कि मुख्यमंत्री रहें या न रहें, लेकिन राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई, आप यहां बैठे-बैठे बिल पास कराते रहोगे, इतने मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इतने मुख्य मंत्रियों को आप रखोगे कहां पर, यह बताओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल के स्कोप में रखा हुआ है? मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं कि यह बिल के स्कोप में लिखा हुआ है कि मुख्य मंत्रीजी के बंगले पर कितना पैसा खर्च हुआ? ये नियमों में आ जाएं, हम उत्तर दे देते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नियमों में भी आ जाऊंगा मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इस प्रकार की बात कह देना, मैं समझता हूं कि इनका स्वभाव बन गया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं कह रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की इतनी लंबी लाइन हो जाएगी कि आप इनको कहां बंगले दोगे, फिर ये मंत्रियों के लिए कर देंगे, फिर विधायकों के लिए कर देंगे। फिर आम आदमी कहां रहेगा जयपुर, दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर पूर्व प्रधानमंत्रियों का कर दोगे तो फिर आप दूसरे लोगों का क्या भला करोगे? उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इस बिल को भी आप, जिस तरह उसमें बैकफुट पर गये हो, आपकी, सरकार की हार हुई है, आप प्रवर समिति के अंदर इस बिल को भेजो, इसको पारित मत कराओ, यह काला कानून है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री झाबरसिंह जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाभ के पदों के सम्बन्ध में बिल आज सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। आजादी के बाद 1952 से जब से लोकतांत्रिक प्रणाली शुरू हुई है तब से लेकर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जब तक सदन की कुल संख्या के 15 प्रतिशत तक मंत्रिमण्डल गठन का प्रावधान नहीं बना उससे पहले तक इस बात को लेकर कहीं कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की सरकार में संसद में विधान मण्डलों के कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत तक मंत्री स्तर की नियुक्ति का प्रावधान जब से किया है उसके बाद से इन बातों को लेकर कई प्रकार की बातें आई हैं और उन्हीं सब के निवारण के लिए समय-समय पर सम्बन्धित विधान सभाओं ने और न्यायपालिका ने जो भी निर्णय किए हैं ये लोकतांत्रिक प्रणाली में एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। राजस्थान में भी इसको दूर करने के लिए यह संविधान संशोधन का जो प्रारूप प्रस्तुत हुआ है, आगे चलकर जैसा भी समय के साथ और कोई आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार उसके अनुरूप आगे भी इसमें समय-समय पर जो भी संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन होंगे, करती रहेगी। मैं सदन से जो संशोधन प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था उसको वापस लेने की अनुमति चाहूंगा। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित। मंत्री महोदय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय इस बिल के पास होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्यसूची सम्पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) विधेयक, 2017

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) विधेयक, 2017 पर विचार कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की व्याख्या कई विद्वान माननीय सदस्यों ने अलग-अलग रूप में की। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बड़े अंदाज से की, 'कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना', लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ वैधानिक सवाल खड़े किए और खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने वो ही आधा-अधूरा कागज पढ़ दिया जो सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उन्हें अभी-अभी दिया और कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपने विचार रखे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा था कि सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य की स्मरण शक्ति कुछ कमजोर हो गई। आप वर्ष 2006 के अन्दर राजस्थान के विधि मंत्री थे और विधि मंत्री के रूप में जो संशोधन, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा, उस संशोधन की प्रस्तुतिकरण से लेकर उसके पारण तक सब में आपकी अहम भूमिका रही। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह इस बिल के उद्देश्य और कारणों के कथन में स्पष्ट लिखा गया कि इस बिल का मूल उद्देश्य यही था कि दो बिल हैं जो राजस्थान विधान सभा के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता पर पोस्ट ऑफ प्रोफिट के साथ जुड़े हुए हैं। पहला बिल राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अधिनियम, 1956 आया और दूसरा राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1969 आया। इन दोनों बिलों के अन्दर उन पदों का जिक्र है जिन्हें पोस्ट ऑफ प्रोफिट के आधार पर कोई भी माननीय सदस्य अगर धारण करता है तो उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, ये दो बिल हैं 1956 और 1969 के, इन दोनों बिलों के उद्देश्य एक हैं और राज्य सरकार का मकसद रहा है, मुख्य मंत्रीजी की प्रारम्भ से ही यह इच्छा रही है कि राज्य के अन्दर अधिनियमों की संख्या को सीमित किया जाए, जो मल्टीपल लैजिस्लेशन हो गया एक ही विषय पर, उन्हें एक किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान की सरकार ने 248 ऐसे अधिनियम जो अपनी उपयोगिता खो चुके थे या प्रासांगिकता खो चुके थे उनके निरसन का प्रस्ताव भी इसी विधान सभा से पारित करवाया, 235 विनियोग विधेयकों का निरसन भी इसी विधान सभा ने किया। चूंकि, उपाध्यक्ष महोदय, यह मूल बिल, इस बिल का सम्बन्ध इस विधान सभा के 200 माननीय सदस्यों से है तो इस बिल पर माननीय सदस्यों के सुझाव आ जाएं इसके लिए एक बार नहीं, खुले दिमाग से इस पर चर्चा हो तो दो बार राज्य सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय ने विधान सभा के माननीय सचिव महोदय के माध्यम से सभी 200 माननीय विधायकों को पत्र लिखा। पहला पत्र लिखा 25.11.2016 को और दूसरा पत्र 15.12.2016 को लिखा। फिर सचिव, विधान सभा ने दो बुलेटिन भी 02.12.2016 और 21.12.2016 को जारी किये। उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक माननीय सदस्य, निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने जरूर अपना सुझाव दिया। उसके अलावा एक भी माननीय सदस्य ने इस बिल पर, चूंकि इस बिल का सीधा सम्बन्ध 200 माननीय सदस्यों से था, अपने सुझाव नहीं दिये। अगर सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य माननीय सदस्य सुझाव पूर्व में दे देते तो निश्चित तौर पर इस बिल को जब पुन: प्रस्तुत कर रहे थे तो आपके सुझावों को उसमें सम्मिलित करने की कोशिश करते।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जो संविधान का 91वां संशोधन हुआ था और उसके अन्दर जो आर्टिकल 164 में संशोधन करके 164 (ए) (1)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इन्सर्ट किया गया था उसमें निश्चित तौर पर विधान सभा के सदस्यों के 15 प्रतिशत संख्या तक मंत्रियों को बनाये जाने की बात कही गई थी। पर, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो वर्तमान विधेयक हम लेकर आये हैं इसका सम्बन्ध न तो मंत्रियों की नियुक्ति से है, न संसदीय सचिव की नियुक्ति से है बल्कि यह केवल यह घोषित करता है कि यदि कोई विधान सभा सदस्य संसदीय सचिव नियुक्त हो जाता है तो वह लाभ के पद के आधार पर अयोग्य नहीं होगा इसलिए इस विधेयक का संविधान के 91वें संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिन न्यायिक निर्णयों की यहां बात कही गई, संसदीय सचिवों के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों का जो निर्णय आया है वो संसदीय सचिवों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, उनके वेतन-भत्तों के सम्बन्ध में है, उनकी निर्योग्यता के सम्बन्ध में इस बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, अगर इस बिल की मूल प्रस्तावना पढ़ ली जाए और उस मूल प्रस्तावना को मैं उद्धृत करना चाहूंगा- राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017 लाभ के कतिपय पद उनके धारकों को, राज्य की विधान सभा के सदस्य होने या सदस्य के रूप में चुने जाने से निरर्हित नहीं करते, यह घोषणा करने के लिए विधेयक है। उसमें आगे लिखा है- विधियों को समेकित और संशोधित करना समीचीन है। इसके बाद इसमें जो निरसन का सैक्शन 4 में है उसमें साफ लिखा है- राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता निराकरण) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं.7) और राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम सं. 5) इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं। यानी दो बिल जो आज पूर्व में इन्फोर्स थे उन दोनों बिलों को कंसोलिडेट करते हुए एक नया बिल दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यहां इस बात की चर्चा लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने की कि आपने इसमें 1969 के बिल के अन्दर जो प्रावधान था उसमें पंचायत समिति के प्रधान और जिला प्रमुख, इन पदों को पोस्ट ऑफ प्रोफिट में शामिल नहीं किया गया था।.......

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यानी 1969 का कानून यह कहता है कि कोई भी माननीय सदस्य विधान सभा के सदस्य के साथ-साथ प्रधान और प्रमुख का पद भी धारण कर सकता है परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, अधिनियम संख्या-13 की धारा-21 के प्रावधान की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 आया और इसका आधार था 73वां और 74वां संशोधन, उसमें यह प्रावधान था कि अगर कोई विधायक प्रधान और प्रमुख का पद धारण करता है तो 14 दिनों के अंदर-अंदर उसे एक पद से त्याग-पत्र देना पड़ता है। इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया क्योंकि पहले से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में इस प्रकार का प्रावधान था और इसी प्रकार का प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-42 में है। इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राजस्थान विधान सभा के जो माननीय सदस्य हैं, इनके पास सार्वजनिक जीवन का अनुभव है। समस्याओं की मौलिक जानकारी भी है और ये माननीय सदस्य जब किसी कमेटी या किसी आयोग के अध्यक्ष बनते हैं और सरकार को गुड-गवर्नेंस के लिए कोई सलाहकारी कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर इनको स्टेटस भी दिया जाता है। कहीं राज्य मंत्री का, कहीं उप मंत्री का और इनकी आवश्यकता भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो राजस्थान विधान सभा निरर्हता निवारण अधिनियम, 1956 आया है। उसको इसलिए लाया गया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि उसमें विभिन्न लाभ के पदों का उल्लेख किया गया था और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आर्टिकल 191 की तरफ दिलाना चाहता हूं। आर्टिकल-191 में जो डिस्क्वालिफिकेशन आफ मैम्बर है, उनका उल्लेख किया गया था और उसके अंदर कुछ केटेगरी बताई गई थी कि ये-ये लोग किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर संविधान के अनुसार डिस्क्वालीफाई घोषित होने पर, दिमाग से पागल होने पर, दिवालिया होने पर या भारतीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नागरिक नहीं होने पर तथा यदि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि से डिस्क्वालीफाई हो जाये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अब इसी में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल-191 के अंदर जो स्पष्टीकरण दिया गया था, उस स्पष्टीकरण में यह कहा गया था, "इस खण्ड के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति, केवल इस कारण से भारत सरकार की या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद का धारण करने वाला नहीं समझा जायेगा कि वह संघ या ऐसे राज्य का मंत्री है।" यानी इसमें मंत्री पद का उल्लेख किया गया था और उस समय इसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री, सरकारी सचेतक, उप सचेतक, संसदीय सचिव और नेता प्रतिपक्ष, इनका उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए 191 के स्पष्टीकरण में मात्र मंत्री पद होने के लिए यह उचित समझा गया कि माननीय सदस्यों की सदस्यता को प्रभावित किये बिना, लाभ के पदों में इनको परिभाषित कर दिया जाये कि ये लाभ के पद नहीं है और इसीलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह 1969 का कानून आया और उसके अंदर जो शामिल किया गया कि इसमें प्रधान और प्रमुख भी रह सकते हैं। राजस्थान में कई उदाहरण हैं। शीशरामजी ओला 1960 से 1978 तक, 18 साल तक जिला प्रमुख रहे। खेतसिंहजी राठौड़, घासीलाल जी, मैं बात करूंगा तो लम्बी चौड़ी बात हो जायेगी। इसके अलावा अन्य उन बातों का भी जिक्र किया गया। जिस तरह राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी इसमें शामिल माना गया कि इसको पोस्ट आफ प्रोफिट नहीं माना जाये। जीवन बीमा निगम अधिनियम के अंदर काम करने वाले को नहीं माना जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1969 के अंदर जब ये दुबारा संशोधन लेकर आये, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने उस समय कोलायत से निर्वाचित हमारी विधायिका श्रीमती कान्ता खतूरिया, जिसको राज्य सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर सरकारी वकील नियुक्त कर दिया था और सरकारी वकील को लाभ का पद मानते हुए उनके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खिलाफ एक रिट पिटीशन की। उस समय तत्कालीन सरकार राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर प्रिवेंशन आफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, 1969 लेकर आई और उसके अंदर सरकारी प्लीडर, विशेष सरकारी प्लीडर, अधिवक्ता, सरकार द्वारा नियुक्त पैनल लायर, इनको उससे बाहर किया गया और मैं समझता हूं, उसके बाद लम्बे समय पर इस बारे में कोई विवाद नहीं हुआ और 2006 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक विवाद हुआ। उत्तर प्रदेश में वहां की राज्य सभा सदस्या थी जया बच्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने जया बच्चन को 14.07.2004 को फिल्म डवलपमेंट कौंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया और उस पर कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति महोदय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। राष्ट्रपति महोदय ने चुनाव आयोग को इसको रैफर किया और चुनाव आयोग की अभिशंसा पर राष्ट्रपति महोदय ने जया बच्चन की सदस्यता राज्य सभा से समाप्त की। उस पर जया बच्चन सर्वोच्च न्यायालय में गईं और सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह कहकर जया बच्चन की और उसकी रिट याचिका खारिज की कि उन्होंने वेतन तो नहीं लिया, पर अन्य सुविधा ले ली।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जिक्र किया, इस जया बच्चन की सदस्यता खतम होने के बाद देशव्यापी जो बहस चली, उसी का परिणाम रहा कि श्रीमती सोनिया गांधी, जो उस समय नेशनल एडवाइजरी कौंसिल की चेयरमैन भी थीं और लोक सभा की सदस्य भी थीं और उन्हें केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। जब यह सारा मामला चला और इसके बारे में रिट याचिकाएं होने लगीं तो श्रीमती सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देने के बाद पुनः, उस समय लोक सभा ने एक बिल बनाया और उसके अंदर नेशनल एडवाइजरी कौंसिल की अध्यक्ष रहते हुए भी उन्हें वापस लाभ के पद से अलग कर दिया और वह वापस उसी पद पर आकर बैठ गईं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह जो बिल लेकर आये हैं। इस बिल के अंदर 2006 के अंदर सांगानेर से आने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वाले माननीय सदस्य जब विधि मंत्री थे, इन्होंने जिस बिल को पायलट किया, उस बिल के अंदर 1956 के अंदर जो बिल था, उसकी धारा-3(ग) को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया गया था और संशोधित करके यह एक धारा 3(3)(ग) जोड़ी गई थी, जिसमें लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी मामले में जांच करने या उसके संबंध में आंकड़े इकट्ठे करने के लिए प्रयोजन के लिए, या सरकार किसी अन्य प्राधिकरण या किसी कार्यक्रम की योजना बनाने, समन्वय या क्रियान्वित करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लाभ के पद को उन पद से मुक्त किया गया, लाभ का पद नहीं माना गया।

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिल लाया गया है, इसके पीछे मूल बात एक ही है कि जो मल्टीपल लेजिस्लेशन है, उसको सरकार कम करना चाहती है और 1956 और 1969 दोनों बिलों का कंसोलिडेट रूप इसमें लिया गया है और जो फैसले आप बता रहे हैं, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मूल एक्ट की धारा 3(इ) में जो प्रावधान थे, उसके संदर्भ में वर्तमान विधेयक की धारा 3(एफ) के बारे में जो अंतर बताया गया है, यह 2006 के अंदर ही इसमें संशोधन हो गया था और 2006 के अंदर भी धारा 3(इ) को इसमें इन्सर्ट कर दिया गया था। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अंदर कोई नये प्रावधान नहीं किये गये हैं। इस बिल का मूल उद्देश्य यही है कि जो मल्टीपल लेजिस्लेशन है, उसको एक किया जाये और इनको सबको सम्मिलित करके इस बिल को प्रस्तुत किया गया है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको पारित किया जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड (2) से (4), कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) से (4) स्वीकार किये जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड (2) से (4) स्वीकार किये गये।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्रीजी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक ही लाइन कहनी है कि मैंने जो विधि मंत्री के रूप में पेश किया था, उसके बाद 16 जुलाई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों का फैसला हो गया...

(17.00 बजे)

इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों का फैसला लॉ ऑफ लैंड है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहे घनश्याम तिवाड़ी हो, चाहे राजेन्द्र राठौड़ हो किसी का भी फैसला ठीक नहीं है और यह 91वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 164 में किये गये संविधान संशोधन को बदलने का चोर दरवाजा है और कुछ नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है वो बिलकुल बेबुनियाद है और मैं निवेदन करूं कि जिस फैसले का ये जिक्र कर रहे हैं उस फैसले का संबंध संसदीय सचिवों की नियुक्ति से है। इसमें नियुक्ति का मतलब नियुक्त तो हो गये, हम तो उनको अयोग्य घोषित नहीं हो इसके लिए पोस्ट ऑफ प्रोफिट की डेफिनेशन में डालने का काम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: और कोई सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017 पारित किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.01 बजे गुरुवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

प्रदेश में छात्र संघ चुनावों में लिंगदोह समिति के नियमों की पालना

32. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि लिंगदोह कमेटी के नियमानुसार विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के पोस्टार/साइन बोर्ड सरकारी भवनों पर लगाना प्रतिबन्धित है? यदि हां, तो इसका उल्लघंन किये जाने पर क्या कार्यवाही करने के प्रावधान हैं?

(2) सरकार द्वारा गत वर्षो में उक्त के उल्लघंन पर तीन किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के अनुसार छात्रसंघ चुनावों में उम्मीरदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो कितनी? क्या इसके उल्लंघन पर किसी प्रत्याशी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। लिंगदोह समिति की सिफारिश संख्या 6.7.15 के अनुसार सिफारिश का उल्लघन करने पर उम्मीदवार उसकी उम्मीदवारिता खो सकेगा या उसे निर्वाचित पद से भी वंचित किया जा सकेगा। (परिशिष्ट-1)

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। लिंगदोह समिति की सिफारिश संख्या 6.6.1 के अनुसार प्रति उम्मीदवार अधिकतम 5000/- रुपये अनुसार व्यय की अनुमति है (परिशिष्ट-2)। राज्य सरकार के संज्ञान में इस प्रकार का प्रकरण नहीं आया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौमूं में निर्माण श्रमिकों का पंजीयन

33. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में निर्माण श्रमिक पंजीयन योजना संचालित है? यदि हां, तो उक्त योजना में अब तक कितने निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है? विधानसभावार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) यह भी सही है कि उक्त योजना के तहत चौमूं विधान सभा क्षेत्र में भी निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में किस-किस का पंजीयन किया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में चौमूं विधान सभा क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों को भी लाभ दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कब-कब कितना लाभ दिया गया? ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत निर्माण श्रमिक का पंजीयन किया जा रहा है।

राज्य में 31.8.2017 तक 1728359 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन हुआ है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का डाटा (समंक) विधानसभावार संधारित नहीं किया जाता है। राज्य में दिनांक 31.8.2017 तक पंजीकृत हिताधिकारियों की जिलेवार एवं पंचायत समितिवार संख्या परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का डाटा (समंक) ग्राम पंचायतवार संधारित नहीं किया जाता है। चौमूं विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली पंचायत समितियों में किये गये पंजीयन का विवरण निम्न प्रकार है

पंचायत समिति का नाम	पंजीकृत हिताधिकारी
पंचायत समिति, चौमूं	1481
पंचायत समिति, गोविन्दगढ़	6724
योग	8205

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

कुल 8205 पंजीकृत हिताधिकारियों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। चौमूं विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उक्त दोनों पंचायत समिति के क्षेत्र में कुल 884 हिताधिकारियों को लाभान्वित किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में न्याय आपके द्वार अभियान में निस्तारित प्रकरण

34. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्व अभियान वर्ष 2017 न्याय आपके द्वार में किस-किस जिले में कितने-कितने प्रकरणों का निष्पादन किया गया है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान में कितनी राजस्व नकलें ग्रामीणों को प्रदान की गयी है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अभियान के दौरान कितने प्रकरणों का यथाइन्द्राज दुरूस्ती, खाता विभाजन, खातेदारी अधिकार प्रदान करना, स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण, इजराय के प्रकरण, नामान्तरण अपील के प्रकरण, पत्थरगढ़ी के प्रकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी के प्रकरण व सीमाज्ञान के प्रकरणों का निस्तारण किया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अभियान में ऐसे 5 जिले जिनमें सर्वाधिक प्रकरण निपटाए गए हैं व ऐसे 5 जिले जिनमें सबसे कम राजस्व प्रकरण निपटाए गए हैं, का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त अभियान में जिन कार्यों का निपटारा किया गया वे सब कार्य नियमित प्रक्रिया के तहत तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय समय में निस्तारित नहीं किए जा सकते हैं? यदि हां, तो अभियान से पूर्व तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय द्वारा नियमित कार्यों को नहीं निपटाने के क्या विशेष कारण रहे? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त अभियान के दौरान स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण, इजराय के

(श्री मानिक चन्द सुराना)

प्रकरण व नामान्तरण अपील के जो न्यायिक प्रकरण निपटाए गए हैं, उनमें क्या विपक्षी पक्षकारों को अभियान की तारीख की तामील करवा दी गयी थी या प्रकरणों में इकतरफा फैसला कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के तहत कुल निष्पादित प्रकरणों की संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के तहत ग्रामीणों को प्रदान की गई नकलों की संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के दौरान इन्द्राज दुरूस्ती, खाता विभाजन, खातेदारी अधिकार प्रदान करना, स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण, इजराय के प्रकरण, नामान्तरण, अपील के प्रकरण, पत्थरगढ़ी के प्रकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार के निस्तारित प्रकरणों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) उक्त अभियान में जिन जिलों में सर्वाधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया उनके नाम झालावाड़, अजमेर, नागौर, पाली एवं भीलवाड़ा तथा जिन जिलों द्वारा सबसे कम प्रकरणों का निस्तारण किया गया उनके नाम जैसलमेर, करौली, दौसा, प्रतापगढ़ एवं बीकानेर है।

(5) राजस्व अभियान के तहत निपटाये गये कार्यों को तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय समय के दौरान भी निस्तारित किये जाते है लेकिन उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के पास उक्त कार्यों के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी रहता है, जिसके कारण राजस्व वादों के प्रकरण लम्बित रहते है तथा वादी / प्रतिवादीगणों की सहमति के अभाव में राजस्व प्रकरणों का निपटारा नहीं हो पाता है। काश्तकारों की सुविधा के दृष्टिगत राजस्व कैम्पों का आयोजन किया जाता है।

(6) उक्त अभियान के दौरान स्थाई निषेधाज्ञा, इजराय व नामान्तरण अपील के जिन न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया है उनमें विपक्षी

(राज्य मंत्री, राजस्व)

पक्षकारों को शिविर के स्थान व दिनांक के विवरण सहित नोटिस तामील करवाये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापकों के रिक्त पद

35. श्री कैलाश चौधरी (बायतू): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा में अध्यापकों के अधिकांश पद रिक्त हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रारम्भिक शिक्षा में पद रिक्त होने के कारण शिक्षा की नींव कमजोर हो रही है? यदि हां, तो सरकार प्रारम्भिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या कदम उठा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:

पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	प्रतिशत रिक्तियां
वरिष्ठ अध्यापक	19028	8964	10064	52.89
अध्यापक लेवल- II	57814	38133	19681	34.04
अध्यापक लेवल- I व अन्य समान पद	126052	101138	24914	19.76
शारीरिक शिक्षक	8035	4181	3854	47.96
महायोग	210929	152416	58513	27.74

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

हाल ही में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 7550 तृतीय श्रेणी अध्यापक पद से द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर पदोन्नतियां की गई है, जिनके पदस्थापन हेतु दिनांक 25.10.2017 से काउंसलिंग कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित अध्यापकों द्वारा सुचारू रूप से शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। साथ ही बी.एड. में अध्ययनरत लगभग 95000 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह का इन्टर्नशिप कार्यक्रम के द्वारा राजकीय विद्यालयों में 5 माह तक शिक्षण कार्य कराया जाता है। इस प्रकार वर्तमान में प्रथम चरण में 42000 बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा इन्टर्नशिप कार्यक्रम के तहत राजकीय विद्यालयों में सितम्बर, 2017 से जनवरी, 2018 तक शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। शेष 53000 बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा द्वितीय चरण में जनवरी, 2018 से सत्रान्त तक शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता हेतु / मजबूती प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न तरह की योजनाऐं / कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। यथा- नि:शुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार, एसआईक्यूई कार्यक्रम, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, मिड-डे-मील, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां, कक्षा-01 से ही अंग्रेजी विषय का अध्यापन, प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा, जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, टीचर परफोरमेन्स अप्रेजल, शाला सिद्धी कार्यक्रम (स्कूल मानक एवं मूल्यांकन) क्वालिटी मोनेटरिंग टूल्स, जिला स्कूल सलाहकार समिति बैठक आदि।

राजकीय विद्यालयों के कक्षा-7 व 8 की योजना अनुसार उच्च अंक प्राप्त करने वाले नियमित विद्यार्थियों एवं राष्ट्रीय, राज्य स्तर के सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद, स्काउट एवं गाइड विद्यार्थियों को योजना अनुसार चयनित कर शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाया जाता है एवं कक्षा 8 के प्रारम्भिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

वाले विद्यार्थियों में राज्य स्तरीय मैरिट के 6000 राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी तथा प्रत्येक जिले से न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले राजकीय विद्यालयों के जिला स्तरीय मैरिट के 100-100 विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किया जाता है।

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार एवं उन्नयन हेतु विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है एवं अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का सतत् निरीक्षण, गुणवत्ता सुधार प्रभावी परिवीक्षण, रीडिंग कैम्पेन व सम्बलन के माध्यम से विद्यालयों का सतत् निरीक्षण कर शिक्षा में सुधार के प्रयास किये जा रहे है। इसी के साथ जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि न्यून है उनके सुधार हेतु शिक्षकों द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे है तथा राजकीय विद्यालयों में नामांकन अभिवृद्धि हेतु प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष अनामांकित बालकों को नामांकित किये जाने के प्रयास किये जा रहे है।

(3) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने हेतु भर्ती संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसके अन्तर्गत शिक्षक भर्ती 2012 के तहत लगभग 5000 एवं शिक्षक भर्ती 2013 के अन्तर्गत लगभग 8000 पदों की भर्ती व पदस्थापन जिला परिषदों द्वारा करवाया जा रहा है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2016 अन्तर्गत 15000 पद विज्ञापित किये गये, जिसमें से अध्यापक लेवल-। के 7500 पदों पर नियुक्ति / पदस्थापन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा लेवल -।। के 7500 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 26.09.2017 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये है, जिसमें से टीएसपी क्षेत्र के 1455 पदों पर भर्ती हेतु वर्गवार अन्तिम कट-ऑफ जारी कर दी गई है। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-। एवं लेवल-।। के कुल 25000 रिक्त पदों पर भर्ती की स्वीकृती प्रदान की गई है, जिसके अन्तर्गत फरवरी 2018 में अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान रज्जुमार्ग अधिनियम, 1996 के तहत अनुज्ञप्ति की अवधि

36. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान रज्जुमार्ग अधिनियम, 1996 प्रदेश में लागू किया गया है? यदि हां, क्या इसमें संशोधन भी किए गए? हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रज्जु मार्ग के लिये अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के लिये अवधि का निर्धारण किया गया है? यदि हां, तो कितनी अवधि तक के लिए अनुज्ञप्ति जारी की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान रज्जुमार्ग अधिनियम, 1996 में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है।

(2) राजस्थान रज्जुमार्ग अधिनियम, 1996 एवं नियम, 2000 में अनुज्ञप्ति की अवधि के निर्धारण हेतु प्रावधान नहीं है, परन्तु अनुज्ञप्ति अवधि का निर्धारण अनुज्ञापन प्राधिकारी (जिला कलक्टर) द्वारा किया जाता है।

परबतसर में राजकार्य में बाधा के दर्ज मुकदमे

37. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकार्य में बाधा के मुकदमें में कौनसी धारा लगाई जाती है? प्रदेश में गत 3 वर्षों में राजकार्य में बाधा के कितने मुकदमें दर्ज किये गये तथा उक्त में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में प्रदेश में राजकार्य में बाधा के मुकदमों में कितने लोगों को कहां-कहां गिरफ्तार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में गत 3 वर्षों में राजकार्य में बाधा के कितने मुकदमें दर्ज किये गये और उनमें क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकार्य में बाधा संबंधी घटनाओं के मुकदमें में धारा 186, 332, 353 भा.द.स. लगाई जाती है। राज्य में वर्ष 2014 से 30 सितम्बर 2017

(गृह मंत्री)

तक राजकार्य में बाधा संबंधी कुल 5803 मुकदमें दर्ज किए गए, जिनका मुकदमें एवं की गई कार्यवाही का जिलावाइज एवं मुकदमावाइज विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) उक्त मुकदमों में कुल 13228 लोगों को गिरफ्तार किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' के कॉलम संख्या 8 पर अंकित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में गत 3 वर्षो में राजकार्य बाधा के कुल 12 मुकदमें दर्ज किये गये, जिनमें 23 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, जिनका थानावाइज विवरण परिशिष्ट 'ब' पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत जारी विद्युत कनेक्शन

38. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन सुलभ करवाने हेतु दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना आरम्भ की गई है? यदि हां, तो इसकी क्या शर्तें व नियम निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में अब तक कितने कनेक्शन दिये जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन देने हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना दिनांक 03.12.2014 को आरम्भ की गयी थी। राज्य के लिए इस योजना की स्वीकृति दिनांक 06.08.2015 को जारी की गई। उक्त योजना में पूर्व की स्वीकृत विद्युतीकरण योजना (12वां प्लान) के शेष कार्य भी सम्मिलित किये गये हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शर्ते व नियमों सहित सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के बांदीकुई/बसवा ब्लॉक में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वां प्लान) के तहत 158 बी.पी.एल एवं 225 ए.पी.एल. परिवारों को घरेलू कनेक्शन जारी किये गये हैं। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ए.पी.एल एवं बी.पी.एल. परिवारों को विद्युतीकरण के पश्चात् घरेलू विद्युत कनेक्शन दिया जाना एक तहत प्रक्रिया है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में उक्त योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति मकराना में स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत सर्वे

39. श्री श्रीराम भींचर (मकराना): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत पंचायत समिति मकराना में कितने गांवों का सर्वे किया गया व कितने गांव सर्वे से वंचित रहे? सूची विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंचायत समिति मकराना में स्वच्छ भारत मिशन में सर्वे से वंचित रहे गांवों का पुन: सर्वे कराकर जनता को लाभ दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत पंचायत समिति मकराना में सम्पूर्ण 133 गांवों का सर्वे किया गया था। पंचायत समिति मकराना में कोई भी गांव सर्वे से वंचित नहीं रहा है। पंचायत समिति मकराना की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति मकराना में कोई भी गांव सर्वे से वंचित नही रहा है। अत: पुन: सर्वे का कोई औचित्य नही है। पंचायत समिति मकराना की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोलायत के चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पद

40. श्री भवंरसिंह (कोलायत): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित नियम एवं मानदंड़ों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोलायत के उप-स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ व चिकित्सकों के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत कार्मिकों व चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति अन्य स्थानों पर की गयी है? यदि हां, तो किन-किनकी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था सुधारने हेतु उक्त प्रतिनियुक्तियों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हेतु पृथक से कोई नियम एवं मानदंड निर्धारित नहीं है। राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिनियुक्ति नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधानसभा क्षेत्र कोलायत के उप-स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सिंग, पैरा मेडिकल स्टाफ व चिकित्सकों के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधानसभा क्षेत्र कोलायत के अन्तर्गत संचालित चिकित्सा संस्थानों से 3 कार्मिकों को कार्य व्यवस्था के तहत अन्यत्र कार्य सम्पादन हेतु लगाया गया है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) उक्त आदेश प्रशासनिक दृष्टि से जारी किये गये है। जिनको निरस्त करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार

41. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर जिले के भिवाड़ी, टपूकड़ा, खुशखेड़ा व नीमराणा आदि में चल रहे छोटे-बड़े उद्योगों एवं फैक्ट्रियों में अलवर जिले के कितने स्थानीय युवा रोजगार पर लगे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए बानसूर विधान सभा क्षेत्र के बहरोड़ नीमराणा व कोटपूतली के नजदीकी क्षेत्र में एवं बानसूर में कोई उद्योग या फैक्टरी लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले के भिवाड़ी, टपूकड़ा, खुशखेड़ा, नीमराणा आदि में स्थापित अनिवार्य रिक्ती ज्ञापन अधिनियम 1959 एवं नियम 1960 के तहत जिला रोजगार कार्यालय अलवर में पंजीकृत निजी क्षेत्र की अधिनियमित एवं गैर अधिनियिमत उद्योग द्वारा प्रेषित विवरणियों के अनुसार जून 2016 तक 75,580 कार्मिक कार्यरत है।

(2) राज्य सरकार स्वयं उद्योग स्थापित नहीं करती है, अपितु निजी उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बानसूर विधान सभा क्षेत्र में उद्योग स्थापना करने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार द्वारा प्रचलित योजनाओं में पात्रता के आधार पर सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में अनियमितताओं की जांच

42. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर द्वारा आयोजित कराये गये 2 शैक्षणिक सत्रों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में कितने-कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों शैक्षणिक सत्रों में किस-किस कोर्स/डिग्री में कितने-कितने

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

विद्यार्थी उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण एवं विषयों में बैक लगाकर अगली कक्षा में भेजे गये? परिणाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा भारी अनियमितता किये जाने के कारण प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में से राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का सबसे निम्न स्तर का परिणाम रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त संबंध में विद्यार्थियों द्वारा बार-बार विश्वविद्यालय के अधिकारियों की लापरवाही एवं अनियमितताओं की शिकायतें किये जाने के उपरान्त भी सरकार द्वारा परीक्षा परिणाम के न्यूनतम रहने एवं अधिकांश विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण किये जाने के सम्बन्ध में कब-कब जांच की गयी व इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर द्वारा आयोजित कराये गये 2 शैक्षणिक सत्रों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या संलग्न परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 के कॉलम संख्या-01 में अंकितानुसार है।

(2) उक्त दोनों शैक्षणिक सत्रों 2015-16 एवं 2016-2017 में सभी कोर्स/डिग्री में उत्तीर्ण, अनुतीर्ण एव विषयों में बैक लगाकर अगली कक्षा में भेजे गये विद्यार्थियों की संख्या संलग्न परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 के कॉलम संख्या क्रंमशः 02, 03, 04 एवं 05 में अंकितानुसार है।

(3) जी नहीं।

(4) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की लापरवाही एवं विसंगतियों तथा कम अंक प्राप्त होने से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया था। किन्तु प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कार्यवाही लम्बित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ में श्रमकारी हितनिधि योजना के तहत पंजीयन

43. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में श्रमकारी हितनिधि योजना का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के कितने व्यक्तियों का पंजीयन किया गया? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना से उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को, कितनी राशि वितरित कर लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना में उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऑफ लाईन पंजीयन किया गया है? यदि हां, तो कितने लोगों का? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त योजना में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ऑफ लाईन पंजीयन को ऑन लाइन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम,1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित बीओसीडब्ल्यू बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) निर्माण श्रमिकों का पंजीयन अधिनियम में उल्लेखित पात्रतानुसार किया जाता है एवं पात्रतानुसार पंजीकृत श्रमिक सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की पंचायत समितिवार सूची निम्न प्रकार है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

क्र.सं.	**पंचायत समिति**	**पजीयन**
1.	शेरगढ़	2170
2.	बालेसर	4590
3.	सेखाला	3871
	कुल	**10631**

(3) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार है

क्र.स.	**पंचायत समिति**	**लाभान्वित**	**सहायता राशि**
1.	शेरगढ़	2	-
2.	बालेसर	281	रु. 3209000/-
3.	सेखाला	54	रु. 480000/-
	कुल		**रु. 3689000/-**

(4) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ मे किये गये ऑफ लाइन पंजीयन का पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	**पंचायत समिति**	**पजीयन**
1.	शेरगढ़	1393
2.	बालेसर	2758
3.	सेखाला	1100
	कुल	**5251**

(5) जी हां। सभी ऑफलाइन पंजीयन को विभाग के पोर्टल पर अपलोड किये जाने के निर्देश दिये हुए है। पंचायत समिति क्षेत्र के पंजीयन हेतु विकास अधिकारी अधिकृत है उनके द्वारा किये गये ऑफलाइन आवेदनो का रिकोर्ड श्रम विभाग के जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का उन्हें ऑनलाइन कराने के व्यवस्था की गई थी। पंचायत समिति शेरगढ़ एवं सेखाला के समस्त ऑफलाइन आवेदनों को ऑनलाइन किया जा चुका है। पंचायत समिति बालेसर के 1100 ऑफलाइन आवेदन लम्बित हैं जिन्हें ऑनलाइन किया जाना प्रक्रियाधीन हैं। दिनांक 1.9.2016 से ऑफलाइन पंजीयन की व्यवस्था बन्द कर दी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले की रोहट तहसील में सामुदायिक कार्यों हेतु भूमि का आबंटन

44. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की रोहट तहसील के किस-किस गांव में शमशान घाट, पशु स्वास्थ्य-उप स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी विद्यालय हेतु भूमि की आवश्यकता है?

(2) उक्त प्रयोजनार्थ भूमि के प्रकरण, कितने-कितने समय से, किस-किस स्तर पर व किन-किन कारणों से लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरणों का निस्तारण कितनी-कितनी अवधि में कर दिया जायेगा?

(4) क्या यह सही है कि राजकीय एवं सामुदायिक कार्यों हेतु भी भूमि आबंटन की प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब होता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु कोई समय सीमा निर्धारण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की रोहट तहसील में शमशान घाट हेतु 5, पशु स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 8, स्वास्थ्य व उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु-0, आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु-0 तथा सरकारी विद्यालय हेतु 4 ग्रामों में भूमि की आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव प्राप्त हुए है। विवरण परिशिष्ट-1 में वर्णित प्रपत्र-अ अनुसार संलग्न है।

(2) उक्त प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन के लम्बित प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-1 में वर्णित प्रपत्र-ब संलग्न है।

(3) भूमि आबंटन के लम्बित प्रस्तावों मे शीघ्र कमी-पूर्ति करवाई जाकर नियमानुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

(4) राजकीय एवं सामुदायिक कार्यों हेतु भूमि आबंटन की प्रक्रिया राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणर्थ बिना कब्जें की सरकारी कृषि भूमि के

(राज्य मंत्री, राजस्व)

आबंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही एंव जांच के दौरान रही कमियों की पूर्ति होने के पश्चात् शीघ्र भूमि आबंटन की कार्यवाही संपादित की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सपोटरा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

45. श्री रमेश (सपोटरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को अध्यापकों एवं अन्य कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति/ए.पी.ओ. करने एवं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में नियुक्ति का अधिकार है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, सपोटरा, जिला करौली द्वारा विभागीय कार्मिकों, अध्यापकों को प्रतिनियुक्त, ए.पी.ओ. एवं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक मैं नियुक्ति करने के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब एवं किसकी अनुमति से?

(3) क्या यह भी सही है कि संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध सरकार को अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी एवं उन पर सरकार द्वारा कब-कब एवं क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जिला परिषद् द्वारा भी संबंधित अधिकारी के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया एवं आरोप पत्र जारी किये गये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यकाल में जारी आदेशों एवं प्राप्त शिकायतों की जांच कराकर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को अध्यापकों एवं अन्य कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति करने तथा एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में नियुक्ति किये जाने का अधिकार नहीं है, परन्तु विशिष्ट प्रशासनिक कारणों/शिकायतों के आधार पर किसी भी शिक्षक/कार्मिक को आदेशों की प्रतीक्षा में (एपीओ) कर आगामी प्रशासनिक प्रक्रिया सम्पादन के क्रम में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी को सुपुर्द कर सकता है।

(2) श्री लखन लाल मीना, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सपोटरा (करौली) द्वारा 01 जनवरी 2017 से अब तक किसी भी विभागीय कार्मिक अध्यापक को प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाने के तथा एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में नियुक्त किये जाने के आदेश जारी नहीं किये गये है।

उक्त अवधि में ग्रीष्मावकाश के दौरान कार्यालय कार्य सम्पादन एवं कार्य को पूर्ण करने हेतु सहयोग बाबत 04 शिक्षकों को लगाये जाने के एवं 01 अध्यपिका को निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये जाने पर आदेशों की प्रतीक्षा में (एपीओ) किये जाने के आदेश जारी किये गये है, का विवरण परिशिष्ट- 'क' पर संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त बीईईओ, सपोटरा के द्वारा शिक्षण व्यवस्था के संबंध में जारी किये गये आदेशों का विवरण परिशिष्ट- 'ख' पर संलग्न है।

(3) जी हां। ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति सपोटरा (करौली) के विरुद्ध प्राप्त शिकायत तथा उन पर सक्षम स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट- 'ग' पर संलग्न है।

(4) जी हां। जिला परिषद करौली में 11.08.2017 को आयोजित साधारण सभा में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के क्रियान्वयन के संबंध में श्री लखन लाल मीना, बीईईओ, सपोटरा के नियम विरुद्ध कार्य करने तथा उच्च अधिकारियों के निदेशों की पालना नही करने के संबंध में सर्व सम्मति से निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया, तदुपरान्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली ने अपने पत्रांक जीपक/पंचायत/2017-18/1650-53 दिनांक 06.10.2017 के द्वारा शासन सचिव, एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया है, तथा

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012 में बरती गई अनियमितता एवं लापरवाही के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली के पत्रांक जीपक/संस्था/डीईसी/17/108 दिनांक 05.05.2017 द्वारा श्री लखन लाल मीना, बीईईओ, सपोटरा के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के नियम 17 के अन्तर्गत ज्ञापन, आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किये जा चुके है, जिसकी कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली के स्तर पर विचाराधीन है।

(5) श्री लखन लाल मीना, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सपोटरा(करौली) के द्वारा अनियमित रूप से की गई प्रतिनियुक्तियों के संबंध मे जारी आदेशों/शिकायतों की जॉच पर अग्रिम निर्णय/कार्यवाही जिला कलेक्टर (जिला सतर्कता समिति) करौली स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगापुर सिटी के पुलिस थाना कोतवाली के नवीन भवन का निर्माण

46. श्री मान सिंह (गंगापुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी स्थित पुलिस कोतवाली का भवन वर्ष 1942 का बना हुआ है तथा जगह-जगह से जर्जर हो चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस कोतवाली का नया भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गंगापुर सिटी अपराध की दृष्टि से भरतपुर संभाग का दूसरे नंबर का क्षेत्र है तथा यहां वर्तमान में नफरी की कमी है? यदि हां, उक्त स्थान पर नफरी की कमी कब तक पूरी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गंगापुर सिटी में एक नया थाना खोलने व महुकलां व उदेई मोड पर स्थित पुलिस स्टेशन/चौकी में सब इंसपेक्टर स्तर का थानाधिकारी लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि गंगापुर सिटी के पुलिस थाना कोतवाली के प्रशासनिक भवन की स्थिति अच्छी नहीं है। पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी का भवन का निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त होने पर क्षेत्र की आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

(2) अपराध पंजीकरण की दृष्टि से गंगापुर सिटी, भरतपुर रेंज के थानों में वर्ष 2015 में तीसरे स्थान पर तथा वर्ष 2016 में दूसरे स्थान पर है। नफरी की स्थिति निम्नानुसार है-

थाना गंगापुर सिटी मय अधीनस्थ चौकियों सहित

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
पुलिस निरीक्षक	01	01	शून्य
उप निरीक्षक	04	02	02
सहायकउप निरीक्षक	15	09	06
हैड कानिस्टेबल	04	04	शून्य
कानिस्टेबल	41	41	शून्य
योग	65	57	08

रिक्त पदों पर पुलिस कार्मिकों की उपलब्धता होने पर थानों में पूर्ति की जाएगी।

(3) डॉ. परमेश चन्द्र, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित राज्य उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं, क्षेत्र की आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों एवं नफरी की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए गंगापुर सिटी में नया पुलिस थाना खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

महुकलां व उदेई मोड़ पर स्थित पुलिस चौकी में उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी का पद स्वीकृत है। वर्तमान में पुलिस चौकी उदेई मोड़ पर उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी पदस्थापित है। पुलिस चौकी महुकलां पर जिले में उप निरीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति होने पर महुकलां पर उप निरीक्षक पदस्थापित किया जाएगा।

जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायतों में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशनों की स्थापना

47. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायत बादियाला व धामस्या में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से व सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त दोनों ग्राम पंचायतों में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सब-स्टेशन विद्युत निगमों द्वारा स्वीकृत किये जाते है, राज्य सरकार द्वारा नहीं। जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायत बादियाला व धामस्या में नये 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाये जाने प्रस्तावित हैं। उक्त सब-स्टेशनों के लिए आवश्यक भूमि आबंटन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि आबंटन के पश्चात प्रस्तावों के साध्य होने पर स्वीकृत कर संसाधनों की उपलब्धतानुसार वरीयता से आगामी वर्षों में निर्माण संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) उपरोक्त खण्ड संख्या 1 के अनुसार।

जहाजपुर में विधायक कोष से अनुशंसित कार्य

48. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सांसद/विधायक स्थानीय निधि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुशंषित कार्यों के संबंध में माननीय सदस्यगणों से अनुशंषा प्राप्त होने के पश्चात प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति जारी होने एवं यूसी/सीसी जारी किये जाने के संबंध में विभागीय गाइडलाइन की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(श्री धीरज गुर्जर)

(2) उक्त स्वीकृतियां एवं सीसी जारी करने के संबंध में क्या विभाग द्वारा दायित्वाधीन प्राधिकारियों के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई समयबद्ध कार्य योजना जारी करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 30 सितम्बर, 2017 तक विधायक स्थानीय निधि विकास कार्यक्रम के तहत अनुशंषित कार्यों के संबंध में कब-कब अनुशंषाएं प्राप्त हुई, कब-कब एएस, टीएस व एफएस जारी की गई? क्या सरकार विलम्ब के लिये दोषी प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) किन-किन प्रकरणों में टीएस जारी करने में 15 दिन से अधिक का विलम्ब हुआ है? क्या सरकार उक्त विलम्ब के लिए संबंधित विकास अधिकारी, सरपंच, सचिव एवं तकनीकी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्तमान में कितने कार्यों की यूसी/सीसी प्राप्त होना शेष है? विलम्ब के कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि अनेक ग्राम पंचायतों ने एफएस जारी होने एवं राशि प्राप्त होने के बावजूद भी 15 दिन बाद तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया ह? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विलम्ब के लिए संबंधित प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सांसद तथा विधायकगणों द्वारा सांसद/ विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत कार्यों की अनुशंषा प्राप्त होने के पश्चात प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने की गाइडलाइन परिशिष्ट-1 एवं 2 पर अवलोकनीय है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति हेतु 75 दिवस एवं

(ग्रामीण विकास मंत्री)

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 40 दिवस निर्धारित हैं। यूसी/सीसी जारी किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय गाइडलाइन ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 का बिन्दु संख्या 20 परिशिष्ट-3 पर अवलोकनीय है। जिसके अनुरूप सम्बन्धित कार्यकारी संस्था से कार्य पूर्ण होने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात 30 दिवस की अवधि में सम्बन्धित कार्य का सक्षम स्तर से मूल्यांकन कर यूसी/सीसी जारी किये जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां। स्वीकृतियां जारी करने के सम्बन्ध में निर्धारित समय सीमा परिशिष्ट-1 एवं 2 पर अवलोकनीय है। सी सी जारी करने से सम्बन्धित समय सीमा ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 20 के अनुसार है जो परिशिष्ट-3 पर अवलोकनीय है।

(3) भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा 01.01.2014 से अब तक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत अनुशंषित कार्यो के सम्बन्ध में प्राप्त अनुशंसा दिनांक, जारी प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां दिनांक परिशिष्ट-4 के अनुसार अवलोकनीय है।

विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को निर्देशित कर दिया गया है।

(4) कुल 96 कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियां जारी करने में 15 दिन से अधिक का विलम्ब हुआ है जो कि संलग्न परिशिष्ट-4 के कॉलम संख्या 10 के अनुसार अवलोकनीय है।

योजना की दिशा निर्देशिका के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त अधिकतम 20 दिवस में तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने का प्रावधान है। तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने में हुए विलम्ब के लिये संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को निर्देशित कर दिया गया है।

(5) कुल 94 पूर्ण कार्यों में यूसी सीसी प्राप्त होना शेष है जो कि विलम्ब के कारण सहित परिशिष्ट-4 के कॉलम संख्या 12 एवं 13 पर अवलोकनीय है

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(6) जिन ग्राम पंचायतों ने एफएस जारी होने एवं राशि प्राप्त होने के बावजूद भी 15 दिन बाद भी अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया है उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट-4 के कॉलम संख्या 14 पर अवलोकनीय है।

विलम्ब के लिये संबंधित दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के खिलाफ जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को निर्देशित कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली के भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र

49. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मावली में धारता, गन्दोली, खेडा, धुणीमाता, जुनावास, मावली ग्राम पंचायत, लदाना, खरताणा, कालाखेत, ढुढिया, चगेड़ी, धोलीमगरी व नुरड़ा के उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन अभी तक नहीं बनाए गए हैं?

(2) क्या सरकार उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में उप स्वास्थ्य केन्द्र लदाना, खरताणा, ढुढिया, चगेड़ी, धोलमगरी का भवन निर्माण करवाया जा चुका है।

(2) जी हां। उप स्वास्थ्य केन्द्र धारता, गन्दोली खेड़ा, धूणीमाता, जुनावास, मावली ग्राम पंचायत, नुरड़ा के लिए भूमि चिन्हित कर पट्टा प्राप्त हो चुका है।

आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण पर विचार किया जाएगा। रिकार्ड के अनुसार कालाखेत नाम से कोई उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नही है।

रीको औद्योगिक क्षेत्र बाप में उद्यमियों को भूमि का आबंटन

50. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री पब्बाराम)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उपखण्ड क्षेत्र बाप में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु भूमि अवाप्ति/आबंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है? यदि हां, तो वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय स्थिति क्या है?

(3) क्या आबंटित भूमि का सीमांकन कर भूमि संबंधित विभाग को सुपुर्द कर दी गई है? यदि हां, तो विभाग द्वारा आबंटित भूमि पर प्लाट काटकर उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को कब तक आबंटित कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उपखण्ड क्षेत्र बाप में रीको द्वारा 200 बीघा राजकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा चुका हैं। इसके अतिरिक्त बाप उपखण्ड क्षेत्र के ग्राम सियामाली एवं बड़ी सीड में भी रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

(2) बाप में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 200 बीघा राजकीय भूमि निगम के पक्ष में दिनांक 14.02.2011 को निगम के पक्ष में आवंटित होकर निगम द्वारा 9 लाख 13 हजार रुपये राजकोष में दिनांक 10.07.2012 को जमा करवाकर कब्जा निगम द्वारा प्राप्त कर लिया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र बाप में कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल 47.11 एकड़ भूमि पर विभिन्न आकार के कुल 103 भूखण्ड नियोजित किये जा चुके है तथा मौके पर रीको द्वारा सभी आधारभूत सुविधाएं यथा औद्योगिक भूखण्डों का चिन्हिकरण डीमार्केशन लगाना औद्योगिक क्षेत्र के बाह्य बाउण्ड्री पीलर स्थापित करना, 5.83 किलोमीटर पावर लाइन की स्थापना करना, 400 पीएससी पोल, स्ट्रीट लाइट, 200 टयूबलर पोल मय फिक्सचर लगवा कर विकास हेतु कुल 440.29 लाख राशि का खर्च किया जा चुका है।

(3) रीको के पक्ष में आवंटित उक्त 200 बीघा राजकीय भूमि का कब्जा राजस्व विभाग द्वारा रीको को मौके पर दिनांक 10.07.2012 को सुपुर्द किया जा चुका है। उद्योग विभाग द्वारा आवंटित उक्त भूमि पर

(उद्योग मंत्री)

रीको द्वारा कुल 103 भूखण्ड नियोजित किये जा चुके है। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र बाप में कुल 98 औद्योगिक भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध है एवं 5 भूखण्डों का आवंटन (2000 वर्गमीटर के 2 भूखण्ड, 1500 वर्गमीटर के भूखण्ड एवं 700 वर्गमीटर का 1 भूखण्ड) किया जा चुका है।

शेष उपलब्ध भूखण्डों हेतु आबंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन राज्य सरकार की एकल खिड़की अनुज्ञापन प्रणाली वेबपोर्टल www.swes. rajasthan. gov.in के माध्यम से किया जा सकता है।

नवलगढ़ में साइंस पार्क की स्थापना

51. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ कस्बे में साइंस पार्क की स्थापना की स्वीकृति जारी की गयी थी? यदि हां, तो कब? स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के नवलगढ़ कस्बे में साइंस पार्क की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक कितनी राशि का प्रावधान किया गया तथा उसके मुकाबले कितनी राशि व्यय कर कौन-कौन से कार्य पूर्ण किये गये और कौन-कौन से कार्य अब तक अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्य को पूर्ण नहीं किये जाने के क्या कारण रहे और उक्त कार्यों को अब कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पार्क में स्वीकृत कार्यों को पूर्ण नहीं करने व चालू नहीं करने के कारण आम जनता को इस पार्क का लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 06.06.2012 को जारी की गई थी, स्वीकृति आदेश की प्रति (परिशिष्ट-अ) संलग्न हैं।

(2) नवलगढ़ कस्बे में साइंस पार्क की स्थापना के लिये वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक स्थापना मद में राशि रु. 456.49 लाख का प्रावधान किया

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री)

गया है। विभाग द्वारा अब तक राशि रु. 333.49 लाख का व्यय किया जा चुका हैं। जिसका विवरण (परिशिष्ट-ब) पर संलग्न हैं।

माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं में रास्ता निकालने का वाद लम्बित होने के कारण इलेक्ट्रीकल कन्ट्रोल रूम व सर्विस गेट का कार्य अपूर्ण है। प्रकरण में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात आवश्यक कार्यवाही कर दी जाएगी।

(3) जी नहीं। जनता द्वारा अवलोकन हेतु साइंस पार्क में उपलब्ध सुविधाओं, संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त पद

52. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के आई.टी.आई में अनुदेशकों और समूह अनुदेशकों सहित अन्य कर्मचारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 3 वर्षों में प्रदेश में कितने नये आई.टी.आई खोले गये तथा कितने नये ट्रैड कहां-कहां खोले गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 3 वर्षों में आई.टी.आई. उत्तीर्ण कितने विद्यार्थियों को सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और निजी संस्थानों में रोजगार उपलब्ध करवाया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राजकीय आई.टी.आई. में अनुदेशकों के 1632, समूह अनुदेशकों के 75 एवं अन्य कर्मचारियों के 393 पद रिक्त हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

(2) वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक कुल 67 राजकीय आईटीआई खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में राज्य

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

के सात केन्द्रीय कारागृहों क्रमंश अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, अलवर एवं उदयपुर में राजकीय आईटीआई खोले जाने की एवं बहरोड़ (अलवर) में राजकीय आईटीआई खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई। तथा राजकीय आईटीआई में स्वीकृत नये ट्रैड का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) विगत तीन वर्षों में आईटीआई उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सरकारी क्षेत्र में 2073 व निजी क्षेत्र में 19718 (कुल 21791) को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नवीन जिले बनाने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट

53. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नवीन जिलों के गठन एवं पुनर्गठन के प्रस्तावों पर विस्तृत परीक्षण कर नए जिले स्थापित किए जाने के संबंध में रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो कब व उक्त समिति में कौन-कौन सदस्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो अब कब तक उक्त समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जयपुर जिले में सांभर को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 9(37)राज-1/2012 दिनांक 20.01.2014 द्वारा राज्य में नये जिलों की पुनर्गठन / सजृन के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए श्री परमेश चन्द, आई.ए.एस. (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया था। समिति में निम्नांकित सदस्य थे-

(राज्य मंत्री, राजस्व)

1	श्री परमेश चन्द, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष
2	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राज. अजमेर (आदेश दिनांक 15.09.2014 से सम्मिलित)	सदस्य
3	प्रमुख शासन सचिव, सदस्य सचिव	सदस्य सचिव
4	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग या उनका प्रतिनिधि जो विशिष्ठ शासन सचिव के स्तर से नीचे का न हो।	सदस्य
5	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	सदस्य
6	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जो विशिष्ठ शासन सचिव स्तर से नीचे का ना हो।	सदस्य

(2) उच्च स्तरीय समिति की समग्र अभिशंषा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(3) माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2014-15 में की गई बजट घोषणा संख्या 196 के अनुसार राज्य में विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों को सहसीमान्त क्षेत्राधिकार कर प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार पुनर्गठन / सृजन किये जाने संबंधी प्रकरण उच्च स्तरीय समिति में विचाराधीन है। उच्च स्तरीय समिति की अभिशंसा रिपोर्ट प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

टोंक के रा.उ.मा.वि. सिटी नं. 12 में नवीन ऐच्छिक विषय खोलने की कार्ययोजना

54. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय टोंक में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिटी नं 12 में कला संकाय में ऐच्छिक विषय उर्दू, भूगोल एवं चित्रकला ही स्वीकृत हैं?

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालय में ऐच्छिक विषय हिन्दी एवं संस्कृत

(श्री अजीत सिंह)

भी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अतिरिक्त विषय खोले जाने के निर्धारित मानदण्डानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिटी नं. 12 में छात्र संख्या उपलब्ध होने पर विद्यालय में हिन्दी एवं संस्कृत विषय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रायसिंहनगर में मदिरा की दुकानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

27. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कितनी अंग्रेजी व देशी शराब की दुकानें आबंटित की गयीं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कितनी शराब की दुकानों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में भा. नि.वि.म. की 1000 दुकानें एवं देशी मदिरा की 6640 दुकानें आबंटित की गयी हैं। जिनका जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर उलब्ध है।

(2) वित्तीय वर्ष 2017-18 में विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में स्वीकृत भा. नि.वि.म. की 04 दुकानें एवं देशी मदिरा की 77 दुकानें स्वीकृत होकर संचालित हैं।

उक्त क्षेत्र की संचालित मदिरा दुकानों के संबंध में 19 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें 18 शिकायतें निराधार पाई गयी एवं भा.नि.वि.म./बीयर वर्कशॉप विजयनगर दुकान पर एम.आर.पी.से अधिक राशि लेने के संबंध में प्राप्त होने पर अनुज्ञाधारी के विरुद्ध अभियोग संख्या 1 दिनांक 06.04.2017 पंजीकृत किया गया है। विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 व 3 में अंकित है।

दिनांक 14.10.2017 से 16.10.2017 तक वृत रायसिंहनगर में विशेष आबकारी धावें एवं मदिरा दुकानों के निरीक्षण किये गये जिसमें मदिरा अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध 10 अभियोग एवं अवैध मदिरा के 04 अभियोग पंजीकृत किये गये जिसका विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिकराय में महिला महाविद्यालय खोलने की योजना

28. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिकराय में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में तहसील स्तर पर महिला महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिकराय विधान सभा क्षेत्र में निजी क्षेत्र में 04 महाविद्यालय (2 सहशिक्षा 2 महिला) संचालित है तथा राजकीय क्षेत्र में एक सहशिक्षा का महाविद्यालय संचालित है।

S. no.	Name of Private College	College Address	Tehsil	SDO	District
1.	Shri Balaji Mahila Mahavidyalaya	Mehindipur Dist. Dausa	Sikrai	Sikrai	Dausa
2.	Mehant Kishorepuri College of Management and Technology	Ghata Mehindipur Balaji Teh. Sikrai Dausa	Sikrai	Sikrai	Dausa
3.	Shri Krishna Mahila Mahavidyala	Sikanda State Hiway 25 Bandikui, Dausa	Sikrai	Sikrai	Dausa
4.	Shri R K College	Bhujpura, Teh-Sikrai, Dausa	Sikrai	Sikrai	Dausa

निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर विधान सभा क्षेत्र सिकराय पर राजकीय महिला महाविद्यालय प्रारम्भ किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) वर्तमान में प्रदेश में तहसील स्तर पर राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है।

प्रदेश की सीमेन्ट कम्पनियों द्वारा नॉन ट्रेड सीमेन्ट की सप्लाई

29. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितनी सीमेंट कंपनियां कब से स्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में स्थित सीमेंट कंपनियों द्वारा गत वित्तीय वर्ष में ट्रेड व नॉन ट्रेड के नाम पर किस-किस कंपनी द्वारा कितनी मात्रा में सीमेंट अन्य राज्यों में भेजी गयी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ट्रेड व नॉन ट्रेड सीमेंट सप्लाई के नियम क्या हैं? क्या प्रदेश स्थित सीमेंट कंपनियों द्वारा उक्त नियमों की पालना की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या गत तीन वर्षों में सरकार के पास सीमेंट कंपनियों द्वारा नियमों की अवहेलना कर नॉन ट्रेड के नाम से सीमेंट सप्लाई कर टैक्स की चोरी किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां,तो उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा सीमेंट कंपनियों द्वारा बिना आधार नॉन ट्रेड के नाम पर टैक्स की चोरी रोकने हेतु कार्यवाही की जाती है? यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 64 सीमेंट इकाइयां है जिनकी सूची परिशिष्ट- अ पर संलग्न हैं।

(2) प्रदेश में स्थित सीमेंट कंपनियों द्वारा गत वित्तीय वर्ष (2016-17) में ट्रेड व नॉन ट्रेड के नाम पर जिन कंपनियों द्वारा अन्य राज्यों में सीमेंट भेजी गई है, की सूची परिशिष्ट- ब पर संलग्न हैं।

(3) राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 एवं राजस्थान जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 में ट्रेड व नॉन ट्रेड सीमेंट सप्लाई का कोई पृथक से नियम प्रावधित नहीं है। यह एक विपणन प्रक्रिया है। ट्रेड व नॉन ट्रेड सीमेंट

(उद्योग मंत्री)

सप्लाई पर बनने वाली कर राशि व्यवहारियों द्वारा नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाती है।

(4) नॉन ट्रेड के नाम से सीमेंट सप्लाई की कोई टैक्स चोरी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(5) कर चोरी की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत व्यवसायी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डिग्गी (मालपुरा) में अतिरिक्त सब डिवीजन कार्यालय की स्थापना

30. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड मालपुरा में लगभग 42000 बिजली के उपभोक्ता हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम डिग्गी में एक अतिरिक्त सब डिवीजन कार्यालय खोलने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कलमण्डा में एक नवीन सब ग्रिड स्टेशन (जीएसएस) खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड मालपुरा में 36297 नियमित तथा 5433 पी.डी.सी. उपभोक्ता है। इसी वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट घोषणा में माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा विद्युत वितरण निगमों में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि के मद्देनजर संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन कर आवश्यकतानुसार नये उपखण्ड और वृत कार्यालय खोले जाने की घोषणा की गयी है। इसकी अनुपालना में स्थापित कार्यालयों का पुनर्गठन किया जाना प्रक्रियाधीन है। उक्तानुसार उपखंड मालपुरा के ग्राम

(ऊर्जा मंत्री)

डिग्गी में एक अतिरिक्त सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में भी उचित निर्णय लिया जाएगा।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ग्राम पंचायत कलमण्डा में सब स्टेशन बनाना तकनीकी एवं वित्तीय रूप से साध्य नहीं है। ग्राम कलमण्डा की विद्युत व्यवस्था वर्तमान में स्थापित 33/11 के.वी. सब स्टेशन डिग्गी से जा रही है जिसे परिवर्तित कर मात्र 8.0 कि.मी. दूर स्थित 33/11 के.वी. सबस्टेशन तिलाज से विद्युत सप्लाई जोड़ने का प्रस्ताव स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति पर है। कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति की जा सके।

लिपिक-वर्गीय कर्मचारियों के अस्थाई स्थानान्तरण के नियम

31. श्री दर्शन सिंह (करौली): क्या प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) लिपिक वर्गीय सेवा नियमों के अन्तर्गत जिला संवर्ग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का अस्थाई स्थानान्तरण न्यूनतम एवं अधिकतम कितनी अवधि के लिए एक जिले से अन्य जिले में किया जा सकता है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) अस्थाई स्थानान्तरण एक जिले से अन्य जिले में किन परिस्थितियों एवं कारणों से किए जाने का प्रावधान है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अस्थाई रूप से स्थानान्तरित कार्मिक राजकीय आवास सुविधा गृह पैतृक जिले में उपभोग कर सकेगा अथवा अस्थाई स्थानान्तरित जिले में? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) अस्थाई स्थानान्तरण की सेवा नियमों में क्या परिभाषा उल्लेखित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिक वर्गीय "राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 से शासित होते हैं। जिला संवर्ग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के अस्थाई स्थानान्तरण के संबंध में उक्त नियम 1999 के

(प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री)

नियम 37 के उप नियम (1) के परन्तुक (पंचम) एवं उसके खण्ड (प्रथम) एवं (द्वितीय) में उल्लेख किया हुआ है। जिसकी प्रति संलग्न है। इसके अतिरिक्त अस्थाई स्थानान्तरण की अवधि के संबंध में नियमों में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार इस में भी संबंध में उक्त नियम 1999 में कोई उल्लेख नहीं है।

(3) इस विभाग से संबंधित नहीं है।

(4) इस संबंध में उक्त नियम 1999 में कोई उल्लेख नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों को देय अनुदान

32. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में विभाग द्वारा कितनी दुकानें संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खादी इकाइयों द्वारा निर्मित किस-किस वस्तु पर कितना-कितना अनुदान दिया जाता है तथा अनुदान दिए जाने का आधार क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सिवाना मुख्यालय पर संचालित विभाग की दुकान को विगत पांच वर्षों में क्या-क्या सामग्री प्राप्त हुई एवं कितनी सामग्री बेची गयी तथा इससे सरकार को कितनी आय प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले में तीन दुकानें संचालित की जा रही हैं। बाड़मेर में स्टेशन रोड पर एक दुकान व रानी गांव व चौहटन गांव में 1-1 उपबिक्री केन्द्र संचालित है।

(2) जी नहीं। खादी इकाइयों द्वारा निर्मित वस्तु पर खादी बोर्ड द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता है।

(3) जी नहीं। सिवाना मुख्यालय पर खादी बोर्ड की दुकान संचालित नही है।

राजस्थान आजीविका मिशन में मुख्य ऑपरेटिंग ऑफिसर की नियुक्ति

33. श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्तमान में राजस्थान आजीविका मिशन के मुख्य ऑपरेटिंग ऑफिसर को पूर्व में भ्रष्ट आचरण के कारण हटाया गया था? यदि हां, तो उक्त अधिकारी को पुन: 10 वर्ष पश्चात् सात गुणा पारिश्रमिक पर रखे जाने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में सरकार द्वारा सदन में अतिरिक्त मुख्य सचिव से जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे? यदि हां, तो उक्त निर्देशों पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभागीय पत्र क्रमांक 35 दिनांक 05 जुलाई, 2017 के द्वारा शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग से टिप्पणी चाही गयी थी ? यदि हां, तो प्राप्त टिप्पणी व उस पर दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त वर्णित टिप्पणी का प्रशासनिक सचिव द्वारा अब तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन दोषी है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त मुख्य ऑपरेटिंग ऑफिसर को उक्त पद से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा वर्तमान में राजस्थान आजीविका मिशन मुख्य औपरेटिंग ऑफिसर को पूर्व में भ्रष्ट आचरण के कारण नहीं हटाया गया था।

श्री जयपाल कौशिक राज्य सरकार की संस्था अरावली में कार्यवाहक कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे जिनके विरुद्ध विभागीय अनियमितता बरतने के संबंध में की गई जांच के पश्चात उनसे तत्कालीन

(ग्रामीण विकास मंत्री)

कार्यकारी निदेशक अरावली का चार्ज अन्य अधिकारी को दिनांक 06.07.2005 को दिया गया था। श्री कौशिक द्वारा व्यक्तिगत कारणो से अपना त्याग पत्र 26.09.2005 को दिया गया था जो कि तत्कालीन अध्यक्ष महोदय माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय द्वारा 20.10.2005 द्वारा स्वीकार किया गया था। जो कि परिशिष्ट 'अ' पर अवलोकनीय है।

(2) श्री जयपाल कौशिक का चयन मुख्य परिचालन प्रबन्धक के पद पर वित्त विभाग से अनुमत मासिक मानदेय पर प्रमुख शासन सचिव द्वारा अनुमोदित समिति जिसमें शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बाहय विषय विशेषज्ञ टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंसेस के प्रोफेसर, कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि तथा विभागीय अधिकारी सम्मिलित थे द्वारा किया गया था।

(2) जी हां। 14वीं राजस्थान विधानसभा बजट सत्र के विभागीय मांग संख्या 28 अन्तर्गत कटौती प्रस्ताव की अनुपालना में दिनांक 27 मार्च 2017 को सदन में चर्चा के दौरान प्रतिउत्तर में माननीय मंत्री महोदय ग्रावि एवं पंरावि द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में पूरे कार्यवाही वृतान्त के आधार पर जहां जांच करवाने की आवश्यकता है वहां जांच करवाने हेतु कहा गया। जिसके क्रम में विभाग द्वारा दिनांक 18.10.2017 को श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जो कि आगामी 3 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर अवलोकनीय है।

(3) जी हां। माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक 35 दिनांक 05.07.2017 के माध्यम से शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग से टिप्पणी चाही गई थी। प्राप्त टिप्पणी एवं उस पर दिनांक 30.09.2017 तक, की गई कार्यवाही पत्रावली की प्रति जो कि परिशिष्ट 'स' पर अवलोकनीय है।

(4) उक्त वर्णित टिप्पणी का प्रशासनिक सचिव द्वारा उत्तर दिनांक 05.10.2017 को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(5) प्रकरण में विचाराधीन जांच में समस्त तथ्यों के मद्देनजर विचारोपरान्त निर्णय लिया जाना विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा नगर धौलाई (जयपुर) में भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही

34. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में स्थित विधान सभा नगर, धौलाई मानसरोवर के भूखण्डों पर भू-माफियाओं द्वारा बने हुए भूखण्डों की बाउण्ड्री तोड़कर एवं खाली भूखण्डों पर कब्जा किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि भू-माफियाओं द्वारा खसरा नं. 152 से 154 में स्थित भूखण्ड संख्या ई-307 से 312, ई-317 से ई 319, ई-361 से ई-372 एवं ए-17, ए-39 व ए-40 पर बनी हुई बाउण्ड्री को तोड़कर तारबन्दी कर कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त भू-माफियाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

(3) उक्त के संबंध में अब तक कुल कितनी शिकायतें (एफ.आई.आर.) भूखण्डधारियों द्वारा थाना मुहाना सांगानेर, जयपुर में दर्ज करवाई गयी है? शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? शिकायतों, एफ.आई.आर. की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जयपुर दक्षिण के मुहाना में स्थित धौलाई एवं मानसरोवर के भूखण्डों पर भू-माफियाओं द्वारा बने हुए भूखण्डों की बाउण्ड्री तोड़ कर एवं खाली भूखण्डों पर कब्जा नहीं किया जा रहा है। इन पर काश्तकार द्वारा कोर्ट से स्टे लिया हुआ है।

(2) खसरा नं. 152 से 154 में स्थित भूखण्ड संख्या ई-307 से 312, ई-317 से ई 319, ई-361 से ई-372 एवं ए-17, ए-39, ए-40 में कोई

(गृह मंत्री)

बाउण्ड्री को तोड़ कर तारबन्दी कर कब्जा नहीं किया हुआ है। उक्त खसरा नं. पर माननीय न्यायालय से स्टे हैं। भूखण्ड संख्या ए-39 के सम्बन्ध में दो परिवाद प्राप्त हुए है जिसकी जांच से मामला झूठा पाया गया। परिवाद प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं।

(3) उक्त के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा भूखण्ड संख्या ए-39 के सम्बन्ध में दो परिवाद थाना मुहाना पर दिये जिसकी जांच की गयी तो मामला झूठा पाया गया। काश्तकार ने उक्त खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में सोसाइटी के पदाधिकारियो के विरुद्ध मु.न. 866/13 तत्कालीन थाना जे.डी ए में दर्ज करवाया था जिसमें सोसाइटी के पदाधिकारी रविदत्त शर्मा व राकेश शर्मा के विरुद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भा.द.स. का जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर चालान पेश न्यायालय किया गया।

(4) शिकायत प्राप्त होने पर भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने वाले कर्मचारियों/ अधिकरियों के विरुद्ध कानि. से पुलिस निरीक्षक स्तर की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाती है एवं आरपीएस व उससे उच्च स्तर के अधिकरियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ जिले में ऊंट तस्करी के दर्ज प्रकरण

35. श्रीमती द्रोपती (पीलींबंगा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में हनुमानगढ़ जिले में कितने तस्करी के प्रकरणों की सूचना पुलिस को मिली व कितने प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में आवारा गौवंश तस्करी के कितने प्रकरण वर्ष 2014 से जनवरी, 2017 तक प्राप्त हुए व सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है। गत दो वर्षों में हनुमानगढ़ जिले में ऊंट तस्करी के 12 प्रकरणों की सूचना मिली है, जिनमें 12 मुकदमें दर्ज किए गये हैं जिनमें 12 प्रकरणों में मुल्जिमान के खिलाफ चालान पेश न्यायालय किये गये हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट- अ पर अंकित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में आवारा गौवंश तस्करी के वर्ष 2014 से जनवरी, 2017 तक कुल 13 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें 09 प्रकरणों में चालान व 04 प्रकरणों में नतीजा एफ.आर. दिया गया है। जिनका विवरण परिशिष्ट ब पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रत्येक जिले में सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

36. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किऐ गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर व नहीं, तो क्या सरकार ऐसे केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों को प्रतिवर्ष कितना बजट किन-किन मद में उपलब्ध करवाया गया? कितना बजट खर्च किया गया? क्या-क्या कार्य किये गये एवं इनसे कितनी महिलाओं व बालिकाओं को क्या-क्या लाभ मिला? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने थाने हैं? उनमें से कितने थानों में महिला अधिकारी कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

(5) क्या सरकार राजस्थान पुलिस एकेडमी में संचालित अस्पताल को बड़े स्तर पर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उक्त अस्पताल में क्या कार्य करवाए गये, कितना बजट खर्च किया गया एवं भविष्य में इसके लिये क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार सुराज संकल्प पत्र में किए वादे के अनुसार पुलिस कार्मिकों के वर्तमान मानदेय भत्तों को अन्य राज्यों के समान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो तो क्यों नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। महिलाओं की आत्मरक्षा हेतु अधिकांश जिलों में महिला पुलिसकर्मियों द्वारा स्कूल एवं कालेजों में जाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु बजट का कोई प्रावधान अपेक्षित नही है।

(3) जी हां। सरकार प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कर रही है। राज्य में कुल 861 स्वीकृत पुलिस थाने हैं। जिनमें से 815 पर 2801 महिला अधिकारी/कर्मचारी पदस्थापित हैं। शेष 46 पुलिस थानों पर महिला अधिकारी/कर्मचारी के पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किये गये है। निर्देश का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) राज्य में कुल 861 स्वीकृत पुलिस थाने हैं। जिनमें से 815 पर 2801 महिला अधिकारी/कर्मचारी पदस्थापित हैं। शेष 46 पुलिस थानों पर महिला अधिकारी/कर्मचारी के पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) जी नहीं। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर से राजकीय चिकित्सालय के विकास के सन्दर्भ में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वर्तमान में 10 बैड की सुविधा उपलब्ध है और प्रतिदिन एक या दो मरीज ही अस्पताल में भर्ती होते हैं, ऐसी स्थिति में जबकि उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा हैं तो बैड क्षमता में वृद्धि स्वीकृत करना उपयुक्त नहीं होगा।

(गृह मंत्री)

(6) पुलिस कार्मिकों के वर्तमान मानदेय भत्तों को अन्य राज्यों के समान करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच करवाने की योजना

37. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार पुलिसकर्मी को अन्य विभागों के कर्मचारियों की तर्ज पर अवकाश व वेतन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जयपुर कमिश्नरेट की तर्ज पर पूरे प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की जांच करवाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य पुलिस में तैनात कार्मिकों के कठिन व लम्बी ड्यूटी के मद्देनज़र अन्य राज्य कर्मचारियों की अपेक्षा कानिस्टेबल से निरीक्षक तक को वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन एवं कानिस्टेबल से पुलिस उप निरीक्षक तक को 15 आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 25 आकस्मिक अवकाश का लाभ दिया जा रहा है।

(2) कार्यदक्षता बनाये रखने एवं स्वास्थ्य दुरूस्त रखने हेतु समय-समय पर पुलिस कार्मिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशानिर्देश परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सामान्य चिकित्सालय बाड़ी को आबंटित बजट में वृद्धि

38. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के मुख्यालय बाड़ी में

(श्री गिर्राज सिंह)

वर्ष 2013 से सामान्य चिकित्सालय संचालित है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि अभी तक सामान्य चिकित्सालय बाड़ी के लिये 30 शय्या के अनुसार ही बजट आबंटित किया जा रहा है?

(2) क्या सरकार वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुये उक्त सामान्य चिकित्सालय को 100 शय्या के आधार पर बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.06.2012 द्वारा राजकीय चिकित्सालय बाड़ी (धौलपुर) में शय्याओं को 75 से बढ़ाकर 100 किया गया था। तद्नुसार आदेश दिनांक 10.09.2013 द्वारा उक्त चिकित्सालय का पदनाम परिवर्तित कर सामान्य चिकित्सालय तथा प्रभारी अधिकारी का पदनाम परिवर्तित कर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी किया गया था। उक्त चिकित्सालय को 100 शय्याओं के अनुसार सामान्य चिकित्सालय मद एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मद में बजट आबंटित किया जा रहा है।

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाड़ी के बजट को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के बजट में हस्तान्तरित कर सामान्य चिकित्सालय मद में बजट आवंटित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सा केन्द्रों का पी.पी.पी. मोड पर संचालन

39. **श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रदेश के राजकीय चिकित्सा केन्द्रों को पी.पी.पी. मोड पर चलाने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो उक्त योजना कब प्रारम्भ की गयी तथा योजना को कितने चरणों में पूरा किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन के लिए निजी संचालकों को किस प्रकार भुगतान किया जाएगा व केन्द्रों पर कार्यरत राजकीय कर्मचारियों का समायोजन किस प्रकार होगा तथा इनके स्थान पर

(श्री भवानी सिंह राजावत)

निजी कर्मचारियों की नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के प्रथम चरण में किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों को पी.पी.पी. मोड पर चलाने हेतु चयन किया गया तथा अब तक कितने स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन पी.पी.पी. मोड पर प्रारम्भ कर दिया गया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पी.पी.पी. मोड पर देने की योजना दिनांक 22.04.2016 को प्रारम्भ की गयी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पी.पी.पी. मोड पर देने के चरण निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(2) पी.पी.पी. मोड से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सेवा प्रदाता द्वारा एस.ओ.ई. (स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेनडीचर) संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इसकी जांच की जाती है। जांच के उपरान्त देय राशि को खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत राजकीय स्टाफ को नजदीक के चिकित्सा संस्थान पर रिक्त स्थान के अनुसार विकल्प भरवाकर, यथा संभव पदस्थापन किया जाता है। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्टाफ की नियुक्ति योग्यतानुसार सेवा प्रदाता द्वारा की जाती है।

(3) निदेशालय के ई निविदा क्रमांक चिप्र/ पीपीपी/ 2015/574 दिनांक 28.12.2015 के तहत अब तक कुल 55 पीएचसी को पीपीपी मोड पर दिया जा चुका है, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है तथा ई-निविदा क्रमांक चिप्र/ पीपीपी/2017/29 दिनांक 11.08.2017 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले की तहसील शाहपुरा में सैटेलाइट चिकित्सालय

40. डॉ. मंजू बाघमार (जायल): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. मंजू बाघमार)

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में स्थित चिकित्सालय को वर्ष 1985 में सैटेलाइट चिकित्सालय के रूप में चिन्हित किया गया था? यदि हां, तो तत्संबंधी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम करने के लिए सैटेलाइट व्यवस्था लागू की गई थी? ओर एक निश्चित परिधि में सही सैटेलाइट को चिन्हित किया जाता है? यदि हां, तो ऐसी परिधि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि शाहपुरा (भीलवाड़ा) के अस्पताल को सैटेलाइट में चिन्हित करने के बाद भी सैटेलाइट हेतु स्वीकृत/कार्यशील पदों को कभी भी नहीं भरा गया व उक्त पद वर्तमान में भी रिक्त हैं? यदि हां तो उक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

(4) क्या यह भी सही है कि इस बारे में वर्ष (1) 1985 (2) 1991 (3)2001 (4)2011 और (5)2017 में भी सैटेलाइट के लिए निर्धारित मानदण्ड के आधार पर पदों पर नियुक्तियां की ही नहीं गई? यदि हां, तो उक्त पांचों वर्षों की कटऑफ वर्ष मानते हुए उस वर्ष के स्टाफ व अन्य कर्मचारियों का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि शाहपुरा अस्पताल के सैटेलाइट करेक्टर को कभी भी व्यवहारिक रूप में पूरा नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.11.1984 के द्वारा शाहपुरा (भीलवाड़ा) में 50 शय्याओयुक्त सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाने की पदों सहित स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। मेडिकल कॉलेजो से सम्बद्ध चिकित्सालयों के रोगी भार को कम करने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाते है। इस हेतु परिधि निर्धारित नहीं है।

(3) सैटेलाइट चिकित्सालय शाहपुरा (भीलवाड़ा) में चिकित्सकों के 16

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पद स्वीकृत है। वर्तमान में 15 पदों पर चिकित्सक कार्यरत है एवं 1 पद रिक्त है।

अराजपत्रित संवर्ग के 34 पद स्वीकृत है, जिनके विरुद्ध 63 कार्मिक पदस्थापित है। (विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

पदोन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्पेशियलाइजेशन कोर्स पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव शीघ्र लगाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

अराजपत्रित संवर्ग के रिक्त पदों को नियमानुसार भरा गया है। सैटेलाइट चिकित्सालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा) में चल रहे रिक्त पदों में से सहायक रेडियोग्राफर के पदों को भरने के संबंध में अधीनस्थ, मंत्रालयिक चयन बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति जारी कर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। साथ ही फार्मासिस्ट व नेत्र सहायक के रिक्त पद नियमानुसार भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) सैटेलाइट चिकित्सालय शाहपुरा (भीलवाड़ा) में वर्ष 1985, 1991, 2001, 2011 एवं 2017 (5 वर्ष) में नवनियुक्त पदस्थापित किये गये चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल तथा मंत्रालयिक संवर्ग में नियुक्तियां की गई जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। चिकित्सालय में सैटेलाइट चिकित्सालय के अनुरूप ही बजट आबंटन किया जाता है।

सैटेलाइट चिकित्सालय के अनुरूप मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत 450 दवाईयां एवं मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना के अन्तर्गत 56 प्रकार की जांचे तथा अन्य उपकरण आदि भी उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सैटेलाइट चिकित्सालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा) में धरना

41. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सैटेलाइट चिकित्सालय, शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा में सितम्बर माह के प्रथम पखवाड़े में कतिपय मांगों को लेकर

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

स्टाफ व बाहरी लोगों द्वारा चिकित्सालय परिसर में धरना दिया गया था? यदि हां, तो यह धरना कितने दिन व कब से कब तक चला? उक्त धरने में चिकित्सालय के स्टाफ, उनके रिश्तेदार और कौन-कौन लोग शामिल हुए तथा कौन-कौन बाहरी लोग थे?

(2) क्या चिकित्सालय परिसर में धरना देने की स्वीकृति चिकित्सालय के प्रभारी से ली गयी थी? यदि नहीं, तो प्रभारी द्वारा इस धरने को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गये?

(3) क्या धरने को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया था? यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या धरने के बारे में चिकित्सालय प्रभारी द्वारा उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट दी गयी थी? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) चिकित्सालय प्रभारी द्वारा धरने में भाग लेने वाले चिकित्सालय स्टाफ के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सैटेलाइट चिकित्सालय, शाहपुरा (जिला भीलवाड़ा) के परिसर में सितम्बर माह के प्रथम पखवाड़े में 5-7 बाहरी व्यक्तियों द्वारा धरना दिया गया था। यह धरना दिनांक 08.09.2017 से 10.09.2017 तक चला था। धरने में कोई भी चिकित्सालय स्टाफ एवं उनके रिश्तेदार शामिल नहीं थे।

(2) जी नहीं। धरनार्थियो द्वारा प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा को ही प्रस्तुत किया गया था। उप खण्ड अधिकारी ने पत्र दिनांक 08.09.2017 के द्वारा पुलिस उप अधीक्षक, शाहपुरा तहसीलदार, शाहपुरा एवं सीआई पुलिस थाना, शाहपुरा को सूचित कर दिया था।

चिकित्सालय प्रभारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा को दूरभाष पर सूचित कर दिया गया था।

(3) चिकित्सालय प्रशासन द्वारा उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा को सूचित कर दिया गया था, स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया गया था। उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा पुलिस उप अधीक्षक, शाहपुरा एवं सी.आई. पुलिस थाना शाहपुरा को सूचित कर दिया गया था।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) जी नहीं। केवल 5-7 व्यक्ति ही एकत्रित होने के कारण, राजकीय सम्पति को नुकसान पहुंचने एवं उपद्रव होने की कोई आंशका नहीं थी। साथ ही उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा को सूचित कर दिया गया था। इसलिए विभागीय उच्चाधिकारियों को सूचना नहीं दी गयी।

(5) उक्त धरने में कोई भी चिकित्सालय स्टाफ शामिल नहीं था।

मेडिकल कालेज जोधपुर के सम्बद्ध अस्पतालों में बायो-मेडिकल वेस्ट का निस्तारण

42. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि मेडिकल कालेज, जोधपुर के सम्बद्ध अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु इन्सीनरेटर खरीदे गये थे परन्तु अब तक इन्हें काम में नहीं लिया गया है? यदि हां, तो उक्त उपकरणों का समुचित उपयोग कर बायोमेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण की समयबद्ध कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। मेडिकल कालेज जोधपुर के सम्बद्ध अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु इन्सीनरेटर नही खरीदे गये हैं।

बड़ी चौपड़ी पंचायत सीतौड़ (सवाई माधोपुर) में वर्षा जल के निकासी की कार्ययोजना

43. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बड़ी झौपड़ी ग्राम पंचायत सीतौड़ तहसील बामनवास में वर्षा के पानी की समुचित निकासी नहीं होने के कारण मुख्य रास्तों में काफी मात्रा में महीनों तक पानी भरा रहने से यहां के निवासियों को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो सरकार द्वारा पानी की निकासी हेतु सड़क को उंचा तथा नालियों का निर्माण कब तक करवा दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बड़ी झौपड़ी में वर्षा के पानी की निकासी

(श्री अजीत सिंह)

के पर्याप्त प्रबंध नहीं होने के कारण वातावरण दुर्गन्धमय बना रहता है तथा ग्रामवासियों को अनेक बीमारियां होने का खतरा बना रहता है? यदि हां, तो सरकार उक्त समस्या का समाधान कब तक करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बड़ी झौपड़ी ग्राम पंचायत सीतौड़ में उक्त रास्ते पर 10 वर्ष पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सीसी रोड बनाई गयी थी जो वर्तमान में नीचे पड़ गयी है तथा नाली निर्माण नहीं होने के कारण आम रास्ते में पानी भरा रहता है। ग्राम पंचायत सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर पुन: सड़क निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग की एनओसी एवं वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता पर ही ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा सकता है।

(2) मुख्य सड़क के पास पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कुछ दुर्गन्धमय रहता है जिसे ठीक करने के प्रयास वित्तीय संसाधनो के अनुसार किये जा रहे हैं।

गांव के शेष भाग में ग्राम पंचायत द्वारा सड़कों के साथ नाली भी निर्मित की जा रही है, अत: वहां पर कोई समस्या नहीं है।

पंचायत समिति शाहपुरा व बनेड़ा (भीलवाड़ा) में विकास कार्यों पर व्यय राशि

44. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पंचायती राज संस्थाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व अन्य स्त्रोतों से आमदनी होती है तथा प्राप्त आमदनी को विभिन्न विकास कार्यक्रमों में व्यय किया जाता है?

(2) वर्तमान में यथा दिनांक 1 अक्टूबर, 2017 को

(1) जिला परिषद, भीलवाड़ा

(2) पंचायत समिति शाहपुरा एवं बनेड़ा

(3) शाहपुरा व बनेड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में व्यय हेतु कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध है?

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

(3) जिला परिषद, भीलवाड़ा, पंचायत समिति शाहपुरा व बनेड़ा एवं इन पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धन को कब तक व्यय किए जाने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, पंचायती राज संस्थाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाती है व अन्य स्त्रोतों से आमदनी होती है तथा प्राप्त आमदनी को विभिन्न विकास कार्यक्रमों मे व्यय किया जाता है।

(2)

क्र. सं.	नाम कार्यालय	01 अक्टूबर 2017 को अवशेष राशि	ग्राम पंचायतों में खर्च हेतु उपलब्ध धन राशि
1	जिला परिषद भीलवाड़ा	150.54 लाख	-
2	पंचायत समिति शाहपुरा	263.21 लाख	लाख (ग्राम पंचायतवार सूची संलग्न है)
3	पंचायत समिति बनेड़ा	382.13 लाख	लाख (ग्राम पंचायतवार सूची संलग्न है)

(3) जिला परिषद, पंचायत समिति शाहपुरा एवं बनेड़ा पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धन राशि को दिनांक 31.03.2018 तक विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय किये जाने की योजना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत महापुरा (जयपुर) में जारी आवासीय पट्टे

45. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत महापुरा पंचायत समिति सांगानेर जिला जयपुर द्वारा शिवानन्द कालोनी में आवासीय पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब? जारी पट्टों की सूची मय प्लॉटधारी का नाम, प्लॉट संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जारी पट्टों पर आपत्तियां भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब व आपत्तियों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत महापुरा पंचायत समिति सांगानेर जिला जयपुर द्वारा शिवानन्द कालोनी में जारी किये गये आवासीय पट्टों की सूची मय प्लॉटधारी का नाम, प्लॉट संख्या (भूखण्ड संख्या) सहित विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत महापुरा में दिनांक 05.06.2017 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जो ग्राम पंचायत, महापुरा में प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शाहपुरा विकास खण्ड में जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत कराये गये कार्य

46. श्री सुखाराम (मेड़ता): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जलग्रहण एवं भूसंरक्षण विकास कार्यक्रमों में एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा विकास खण्ड में IWMP-04 एवं IWMP-20 परियोजनाओं के विकास/निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई हैं? यदि हां, तो कब-कब, कितनी-कितनी धनराशि की कौन-कौनसी परियोजनाओं की स्वीकृतियां जारी की गई?

(2) क्या उक्त योजनाओं में एरेबल एरिया ट्रीटमेन्ट, नोन एरेबल एरिया ट्रीटमेन्ट, नाला ट्रीटमेन्ट एवं उत्पादन मद, किस-किस जगह/गांव में कार्य सम्पन्न कराये गये, प्रत्येक पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई, कितना क्षेत्रफल लाभान्वित हुआ और उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र कब प्राप्त हुआ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दोनों योजनाओं में कितने-कितने वृक्ष, रतनजोत व पेड़-पौधे, किस-किस इकाई में लगाये गये और उनका स्त्रोत क्या था? क्या नर्सरी से या व्यापारी से या किसानों से प्राप्त किये गये या अन्य स्त्रोत से प्राप्त किये गये व इस हेतु कौन-कौनसी सामग्री, कहां-कहां से खरीदकर लगाई गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनाओं में अधिकांश रतनजोत के पेड़ों का ही प्रयोग होना दर्शाया गया है जबकि ऐसे पेड़ों का उत्पादन इस

(श्री सुखाराम)

क्षेत्र में नहीं होता है और धरातल पर रतनजोत के कोई पेड़ उगाये ही नहीं गये हैं?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त जलग्रहण परियोजनाओं के कार्यों का भौतिक सत्यापन स्वतंत्र एजेन्सी मैल्ड (Monitoring Evalution Learning & Documentation) के द्वारा 25 प्रतिशत भौतिक सत्यापन मय फोटोग्राफ्स किया गया, एन.आर.एम के अन्तर्गत सम्पादित किये गये कार्यों का न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा जो कार्य 2.50 लाख रुपये या इससे अधिक लागत के है उनका 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराया गया है और उनकी उपयोगिता व भौतिक सत्यापन ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से कराया गया है? यदि हां, तो इनकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या भी सही है कि उपरोक्त जलग्रहण परियोजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण, जिला परिषद, भीलवाड़ा द्वारा भी सामाजिक अंकेक्षण कलेण्डर के अनुसार सम्पादित कराया गया है और जिसमें ग्राम सभा द्वारा उप समिति जलग्रहण द्वारा भी कराये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन के साथ ही उस कार्य पर की गई व्यय राशि का भी सत्यापन कराया गया है? यदि हां, तो तत्संबंधी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या महालेखाकार अंकेक्षण दल द्वारा भी दोनों परियोजनाओं का ऑडिट किया जा चुका है एवं विशेष जांच दल द्वारा परफॉरमेन्स ऑडिट किया जा चुका है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विकास कार्यक्रमों में एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा विकास खण्ड में आई.डब्ल्यु.एम.पी 4 एवं आई.डब्ल्यु.एम. पी 20 परियोजनाओं के विकास/निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई थी।

परियोजनावार, दिनांकवार जारी की गई स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट-1 ए एंव 1 बी पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त दोनो परियोजनाओं में एरेबल एरिया ट्रीटमेन्ट, नोन एरेबल एरिया ट्रीटमेन्ट, नाला ट्रीटमेन्ट, एवं उत्पादन मद में सम्पादित किये गये

(पंचायतीराज मंत्री)

कार्यों पर कार्यवार व्यय की गई राशि, लाभान्वित क्षेत्रफल एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण 2A (i,ii,iii,iv) एंव 2B (i,ii,iii,iv) पर संलग्न है।

(3) उपरोक्त दोनो परियोजनाओं मे रतनजोत के पौधे नहीं लगाये गये है। परियोजना आई.डब्ल्यू.एम.पी 4 एवं आई.डब्ल्यू.एम.पी 20 में वानिकी व फलदार पौधे लगाए गये है। फलदार पौधे उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रमाणित नर्सरी से लिये गये है तथा वानिकी पौधे वन विभाग की नर्सरी से लिये गये है। अन्य सामग्री क्रय की गई व स्त्रोत का परियोजनावार विवरण परिशिष्ट-3 ए व 3 ब पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। आई.डब्ल्यू.एम.पी 4 एवं आई.डब्ल्यू.एम.पी 20 परियोजनाओं में रतनजोत के पेड़ न तो खरीदे गये है, एंव न ही लगाये गये है। अत: उक्त दोनों परियोजनाओं में अब तक रतनजोत के कोई पेड़ नही लगाये गये है।

(5) जी हां। यह भी सही है कि जलग्रहण परियोजना आई.डब्ल्यू.एम.पी 04 के कार्यों का भौतिक सत्यापन स्वतंत्र एजेन्सी मैल्ड (Monitoring Evalution learning and Documentation) के द्वारा 25 प्रतिशत भौतिक सत्यापन मय फोटोग्राफ्स किया गया। एन.आर.एम. के अन्तर्गत सम्पादित किये गये कार्यो का न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा जो कार्य 2.50 लाख रुपये या इससे अधिक लागत के कार्यों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया गया, इसके अलावा 40 प्रतिशत पूरा करने के लिये कुछ कम राशि के कार्यों का भी सत्यापन किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट-4 ए पर संलग्न है। जलग्रहण परियोजना आई.डब्ल्यु.एम.पी 20 अन्तर्गत 45 प्रतिशत तक व्यय राशि नही होने के कारण मैल्ड द्वारा मूल्यांकन नही हुआ है।

उक्त दोनों परियोजनाओं में कार्यों की उपयोगिता व भौतिक सत्यापन ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से भी कराया गया है इसके अलावा भी राज्य सरकार के आदेशों के तहत अन्य विभाग के अधिकारियों व तृतीय पार्टी के द्वारा भी कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट-4 बी व 4 सी पर संलग्न है।

(6) जी हां। यह भी सही है कि उपरोक्त जलग्रहण परियोजनाओं को सामाजिक अंकेक्षण, जिला परिषद भीलवाड़ा द्वारा भी कलेण्डर के अनुसार

(पंचायतीराज मंत्री)

सम्पादित कराया गया है जिसमें ग्राम सभा द्वारा उप समिति जलग्रहण द्वारा भी कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन के साथ ही उस कार्य पर की गई व्यय राशि का भी सत्यापन कराया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट-5 ए एवं 5 बी पर संलग्न है।

(7) जी हां। महालेखाकार अंकेक्षण दल द्वारा परियोजना आई.डब्ल्यू.एम.पी 4 एंव आई.डब्ल्यू.एम.पी 20 में सम्बन्धित ऑडिट जिला परिषद भीलवाड़ा के साथ समेकित ऑडिट 2015-16 तक किया जा चुका है। अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

राज्य सरकार ने विशेष जांच दल द्वारा कोई विशेष जांच व परफोरमेन्स आडिट नही करायी गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की सम्पत्तियों के विक्रय की कार्ययोजना

47. श्री रमेश (सपोटरा): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्थान पर्यटन विकास निगम की कुछ सम्पत्तियों के विक्रय की योजना है? यदि हां, तो किस-किस संपत्ति की एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2014 से मई, 2017 के मध्य सरकार द्वारा उक्त संपत्तियों के संचालन हेतु कितनी राशि प्रतिवर्ष व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रस्तावित संपत्तियों के संचालन हेतु जनवरी, 2014 में कुल कितने कार्मिक/अधिकारी कार्यरत थे एवं जनवरी, 2014 से मई, 2017 के मध्य उनकी संख्या में कितनी कमी/वृद्धि की गयी एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त संपत्तियों पर रोडवेज बसों एवं अन्य वाहनों का ठहराव बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रमेश)

(5) सरकार को उक्त संपत्तियों से जनवरी, 2009 से अप्रैल, 2017 तक कितनी आय हुई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पर्यटन विकास निगम को घाटे से उबारने/आर्थिक दृष्टि से सुदृढ किये जाने हेतु निगम के अध्याधीन 15 परिसम्पत्तियों का श्रेणीवार निस्तारण किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विक्रय प्रक्रिया से निस्तारित की जाने वाली सम्पत्तियों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा उक्त सम्पत्तियों के संचालन हेतु व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) प्रस्तावित सम्पत्तियों के संचालन हेतु प्रश्नगत माह-वर्ष की स्थिति में इन इकाइयों मे पदस्थापित राजस्थान पर्यटन विकास निगम के कार्मिकों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(4) उक्त सम्पत्तियों में से मोटल बहरोड़ में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ठहराव कर रही 15 बसों में से दिनांक 03.11.2016 से 8 बसों का ठहराव बन्द कर दिया था किन्तु दिनांक 27.07.2017 से राजस्थान राज्य पथ परिवहन द्वारा पुन: मिडवे बहरोड़ पर 8 बसों का ठहराव शुरू कर दिया गया है।

अन्य सम्पत्तियों पर रोडवेज बसों एवं अन्य वाहनों का ठहराव बन्द नहीं किया गया है।

(5) राजस्थान पर्यटन विकास निगम को इन सम्पत्तियों से हुई आय का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कुलपतियों के विरुद्ध अनियमिमता के दर्ज प्रकरण

48. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चार वर्षों में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार, भर्ती प्रक्रिया एवं वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरण भ्रष्टाचार

(श्री प्रताप सिंह)

निरोधक ब्यूरो में दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो उक्त प्रकरणों में कौन-कौन से विश्वविद्यालयों में किन-किन अधिकारियों, कर्मचारियों तथा शिक्षकों के विरुद्ध कौन-कौन से प्रकरण दर्ज हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विश्वविद्यालयों में कितने कुलपतियों के विरुद्ध शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए परिवाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दर्ज परिवाद संख्या -एच-2705/2017 दिनांक 16 अगस्त, 2017 में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त प्रकरण की जांच कब तक पूरी कर दी जायेगी? क्या उक्त परिवाद पर एफआईआर दर्ज हुई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में चार वर्षों (वर्ष 2013 से वर्ष 2017) में विश्वविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, भर्ती प्रक्रिया एवं वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में कुल 22 प्रकरण (अभियोग) दर्ज हुए है।

विश्वविद्यालयों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में अंकित है, जिसमें प्रकरण संख्या, अभियुक्त का नाम, पद, विश्वविद्यालय का नाम एवं वर्तमान स्थिति है।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में चार वर्षों में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं अन्य के विरुद्ध 24 परिवाद एवं 2 प्राथमिक जांच दर्ज हुई है। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' एवं 'ग' में अंकित है।

(3) ब्यूरो में परिवाद संख्या एच-2705/2017 दिनांक 16.08.17 कुलपति प्रो. विनोद कुमार शर्मा, सदस्य डा. नाथूलाल सुमन, प्रो. ताराशंकर शर्मा, प्रो. लालचन्द शर्मा, डॉ. राजधर मिश्र एवं कुल सचिव, जगदगुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर एवं अन्य के विरुद्ध प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायत का ब्यूरो स्तर पर परीक्षणोपरांत बिना कोई जांच किए सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवालय, राजभवन जयपुर को ब्यूरो के पत्र क्रमांक 8537-38 दिनांक 17.08.17 को मूल ही विभागीय स्तर पर कार्यवाही करने एवं यदि जांच से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत पाया जाए तो मूल परिवाद व जांच रिपोर्ट ब्यूरो को

(भ्रष्टाचाार निरोधक ब्यूरो मंत्री)

अग्रिम कार्रवाई हेतु भिजवाने हेतु लिख कर भेजा गया है।

अत: इस परिवाद पर ब्यूरो में कोई एफआईआर पंजीबद्ध नहीं की गयी है। यदि महामहिम राज्यपाल सचिवालय में विभागीय स्तर की जांच से इस परिवाद पर पी.सी.एक्ट 1988 के अन्तर्गत मामला बनना पाया जाता है तो उनके द्वारा मूल परिवाद एवं जांच रिपोर्ट ब्यूरो में प्रेषित करने के उपरांत अग्रिम विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत अवकाश

49. श्री कुंजीलाल (बामनवास): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2014 से सितम्बर, 2017 की अवधि में आकस्मिकता, बीमारी या अन्य कारणों से अवकाश उपभोग करने के उपरांत उपस्थित हुए राजस्व विभाग के किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों का चार माह से अधिक का अवकाश राजस्व विभाग/ राजस्व मण्डल द्वारा वित विभाग के अनुमोदन एवं स्वीकृति से स्वीकृत किया? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश किन-किन आधारों पर स्वीकृत हुए? उक्त के संबंध में अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2014 से सितम्बर, 2017 की अवधि में आकस्मिकता, बीमारी या अन्य कारणों से अवकाश उपभोग करने के उपरान्त उपस्थित हुए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का चार माह से अधिक अवकाश राजस्व विभाग के द्वारा वित्त विभाग के अनुमोदन एवं स्वीकृति से स्वीकृत नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न के बिन्दु-1 के उत्तर के अनुसार सूचना अपेक्षित नहीं है।

ग्राम शोभागपुरा (उदयपुर) में मन्दिर माफी दर्ज भूमि

50. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि देवमूर्ति एक शाश्वत अवयस्क है और उसके स्वामित्व की भूमि किसी के द्वारा किसी भी तरीके से अंतरित नहीं की जा सकती?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री नृसिंह द्वारा मीठारामजी स्थान देह शहर उदयपुर ठिकाना गुलाबबाग के पास रावजी का हाटा, उदयपुर के स्वामित्व व आधिपत्य की गांव शोभागपुरा, तहसील-गिर्वा, जिला-उदयपुर में स्थित कुल किता 21 रकबा 3.5700 हैक्टेयर भूमि के बारे में एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय-उप जिला कलक्टर, गिर्वा में चला था तथा जिसका प्रकरण संख्या 2/07 है?

(3) क्या न्यायालय के निर्णय द्वारा देवमूर्ति को उसके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि से वंचित कर दिया गया है?

(4) क्या सम्पूर्ण निर्णय व अन्य संबंधित दस्तावेजों की तथ्योंवार तनकियों से यह प्रकरण वादी व प्रतिवादियों की मिलीभगत का परिणाम होने की आशंकाओं को जन्म नहीं देता है ?

(5) क्या इस वाद में देवमूर्ति की ओर से विभाग द्वारा पैरवी में पूरी सावधानी नहीं बरती गयी और इसी कारण निर्णय के विरुद्ध अपील भी नहीं की गयी?

(6) क्या सरकार विधि विशेषज्ञों द्वारा निर्णय का अध्ययन करा न्याय के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नान्तर्गत भूमि पुन: देवमूर्ति के स्वामित्व व आधिपत्य में लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। श्री नृसिंह द्वारा मीठारामजी स्थान देह शहर उदयपुर ठिकाना गुलाबबाग के पास रावजी का हाटा, उदयपुर के स्वामित्व व

(राज्य मंत्री, राजस्व)

आधिपत्य की गांव शोभागपुरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में स्थित कुल 21 किता रकबा 3.5700 हैक्टयर भूमि के बारे में एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय उप जिला कलक्टर गिर्वा में चला था जिसका प्रकरण सं. 2/07 वाद था।

(3) न्यायालय उप जिला कलक्टर, उदयपुर ने अपने यहां विचाराधीन प्रकरण सं. 2/07 में दिनांक 17.04.2007 को निर्णय पारित कर वादी श्री नृसिंह द्वारा मीठारामजी का वाद खारिज किया गया एवं प्रतिवादी सं.1 मगना पिता उंकार डांगी निवासी शोभागपुरा का काउन्टर वाद स्वीकार कर प्रतिवादी सं.1 को खातेदारी घोषित किया गया।

उप जिला कलक्टर गिर्वा उदयपुर के निर्णय दिनांक 17.04.2007 के विरुद्ध तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर द्वारा मा. भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के यहां अपील सं. 208/2007 की गई। इस अपील में आरएए न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2008 को निर्णय पारित करते हुए उप जिला कलक्टर गिर्वा, उदयपुर के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.2007 को अपास्त किया गया।

आरएए के निर्णय दिनांक 19.05.2008 के विरुद्ध मगना पुत्र उंकार डांगी द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में दो अपील प्रकरण सं. 5085/2008 एवं 5086/2008 प्रस्तुत की इस पर न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अपने निर्णय दिनांक 22.07.2009 द्वारा आरएए के निर्णय दिनांक 19.05.2008 को निरस्त करते हुये उप जिला कलक्टर गिर्वा के निर्णय दिनांक 17.04.2007 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये।

राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 22.07.2009 के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में राज्य की ओर से सिविल रिट सं. 5755/2011 प्रस्तुत कर रखी है, जो अभी विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि मा. न्यायालय के आदेश दिनांक 25.10.16 द्वारा इससे सम्बद्ध 3 अन्य रिट्स को प्रथम दस प्रकरण में लिया गया है।

(4) राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 22.07.2009 के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में राज्य की ओर से सिविल

(राज्य मंत्री, राजस्व)

रिट सं. 5755/2011 प्रस्तुत कर रखी है, जो अभी विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि मा. न्यायालय के आदेश दिनांक 25.10.16 द्वारा इससे सम्बद्ध 3 अन्य रिट्स को प्रथम दस प्रकरण में लिया गया है।

(5) प्रकरण में देवस्थान विभाग पक्षकार नहीं था। जिससे देवस्थान विभाग की पैरवी में कोई भूमिका नहीं रहीं थी।

(6) राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 22.07.2009 के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में राज्य की ओर से सिविल रिट सं. 5755/2011 प्रस्तुत कर रखी है, जो अभी विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि मा. न्यायालय के आदेश दिनांक 25.10.16 द्वारा इससे सम्बद्ध 3 अन्य रिट्स को प्रथम दस प्रकरण में लिया गया है।

ग्राम सांवली (मौजमाबाद) में भू. पू. जागीरदार की पुनर्ग्रहित भूमि

51. श्री हीरालाल निवाई (निवाई): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के तहत ग्राम सांवली तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में भू.पू. जागीरदार श्री मोहन सिंह पुत्र श्री धूल सिंह की भूमि पुनर्ग्रहित की गयी है? यदि हां, तो पुनर्ग्रहित भूमि के खसरे एवं भूमि के रकबे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भू.पू. जागीरदार के नाम खुदकाश्त भूमि भी दर्ज थी? यदि हां, तो भूमि के खसरे एवं रकबे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भू.पू. जागीरदार की पुनर्ग्रहित भूमि पर वर्तमान में कौन-कौन काबिज है अथवा किन-किन को सरकार द्वारा आबंटित की गयी है, उनके नाम, वर्तमान खसरा नं. एवं रकबे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भू.पू. जागीरदार की भूमि में से कई खसरे मकबुजा ठिकाना के नाम से भी दर्ज थे? यदि हां, तो मकबुजा ठिकाना के नाम से दर्ज भूमि का पुनर्ग्रहण किस नियम के तहत किया गया व उक्त मकबुजा ठिकाना के नाम से दर्ज भूमि को किन-किनको आबंटित

(श्री हीरालाल निवाई)

किया गया? खसरा नं., आबंटी के नाम एवं रकबे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जागीरदार श्री मोहन सिंह पुत्र धूलसिंह की कोई भूमि पुनर्ग्रहित नहीं की गयी है।

(2) जी हां। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) सूचना शून्य है।

(4) जी हां, जागीरदार की भूमि मकबुजा ठिकाना के नाम दर्ज थी, उसमें से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत भूमि 2 व्यक्तियों के नाम दर्ज की गई है। शेष भूमि राजकीय भूमि दर्ज है। नाम दर्ज की गयी भूमि एवं राजकीय भूमि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगें पूरी करने की योजना

52. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में राज्य के मंत्रालयिक कर्मचारी हडताल पर रहे थे? यदि हां, तो कब व कितने दिन? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य के मंत्रालयिक कर्मचारियों की कोई मांगें थी? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा हड़ताल खतम करवाने के लिये कर्मचारियों से वार्ता की गयी थी? यदि हां, तो वार्ता किन-किन मांगों पर हुई और सरकार ने किन-किन मांगों पर अपनी सहमति दी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार मंत्रालयिक कर्मचारियों से हुई सहमति के अनुसार मांगों को पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी मांगों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के अधीनस्थ विभागों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी दिनांक 08.08.2017 से 27.08.2017 तक सामूहिक अवकाश पर रहे।

(2) मंत्रालयिक कर्मचारियों का मांग पत्र परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा गठित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति एवं राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के मध्य समझौता वार्ता हुई। समझौते की प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(4) मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ एवं मंत्रिमण्डलीय उप समिति के मध्य दिनांक 27.08.2017 को वार्ता के दौरान 9 बिन्दुओं पर सहमति हुई, जिनमें से 7 बिन्दुओं (बिन्दु सं. 2 से 8) पर कार्यवाही की जा चुकी है। सहमति के बिन्दु संख्या 1 के संबंध में परीक्षण कर समुचित निर्णय लिया जाएगा। सहमति के बिन्दु सं. 9 के संबंध में समिति का गठन किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली में श्रमिक कार्ड योजना में पंजीकृत श्रमिक

53. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में श्रमिक कार्ड योजना के प्रारम्भ से 30 सितम्बर, 2017 तक कितने कार्ड बनाये गये? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में श्रमिक कार्ड योजना के प्रारम्भ से 2 अक्टूबर, 2017 तक कितने कार्ड धारकों ने योजना का लाभ प्राप्त किया? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र मावली में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के अन्तर्गत 30 सितम्बर 2017 तक कुल 3395 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों (कार्डधारकों) के नाम व पते सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

ऑनलाइन पंजीयनों में पंजीयन आवेदन स्वीकार होने तथा पंजीयन शुल्क जमा होने के पश्चात् स्वत: ही सिस्टम द्वारा ऑन लाइन पंजीयन

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

कार्ड प्राप्त करने की सुविधा दी गयी है।

(2) विधानसभा क्षेत्र मावली में श्रमिक कार्ड योजना के प्रारम्भ से अब तक 148 निर्माण श्रमिकों को उदयपुर श्रम विभाग द्वारा तथा 251 निर्माण श्रमिकों को मावली पंचायत समिति द्वारा लाभान्वित किया गया है। लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट-2 एवं 3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ जिले में संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र

54. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने एवं खोलने के क्या मानदण्ड एवं नियम निर्धारित हैं? मानदण्डों एवं नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान में कितने और कौन-कौनसे कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं और उनमें क्या-क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाऐं एवं अनुदान दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित तीनों योजनाओं (1. पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) 2. नियमित कौशल प्रशिक्षण योजना (RSTP) 3. रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम ((ELSTP) में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने एवं खोलने की प्रक्रिया (मानदण्ड) एवं नियम परिशिष्ट 'अ-1' 'अ-2' 'अ-3' पर संलग्न है।

(2) हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान में 6 कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रशिक्षण

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

केन्द्रों को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता अपितु निर्धारित दर से भुगतान किया जाता है। योजनावार भुगतान की प्रक्रिया एवं दर का विवरण परिशिष्ट 'स-1' 'स-2' 'स-3' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डाईट, शाहपुरा (भीलवाड़ा) में रिक्त पद

55. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) संचालित हैं?

(2) उक्त संस्थान में गत पांच वर्षों में किस-किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया? प्रशिक्षणों की समयावधि व प्रशिक्षण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त संस्थान में आचार्य, व्याख्याता, शिक्षक, मंत्रालयिक कर्मचारी व अन्य स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने भरे हुए हैं व कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में उक्त संस्थान में पदस्थापित स्टाफ का नाम व योग्यता व पदस्थापित अवधि तथा उन्हें दिए गए उत्तरदायित्व सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में विगत पांच वर्षो में दिये गये प्रशिक्षण तथा उनकी समयावधि का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न हैं।

(3) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में वर्तमान में सम्पूर्ण कार्मिकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न हैं।

(4) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में वर्तमान में कार्यरत सम्पूर्ण कार्मिकों का नामवार, योग्यता व कबसे

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

पदस्थापित है तथा उनको दिये गये उत्तरदायित्व का विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आर.पी. की नियुक्ति के मानदण्ड

56. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुंनूं): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत ब्लॉक शिक्षा कार्यालयों में आर.पी. (संदर्भ व्यक्ति) नियुक्त करने के क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? निर्धारित मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) ब्लॉक शिक्षा कार्यालय, आमेर में कितने आर.पी. कब से नियुक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय में नियुक्त सभी आर.पी. निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते है? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा पूर्व में इसकी जांच करवाई गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा आर.पी. की नियुक्ति हेतु न्यूनतम 5 वर्ष के शिक्षण कार्य का अनुभव निर्धारित है? यदि हां, तो उक्त ब्लॉक में नियुक्त सभी आर.पी. की नियुक्ति के समय प्रस्तुत किये गये अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त ब्लॉक में एक आर.पी. प्रोबेशन काल में ही नियुक्त किया गया एवं एक को पांच साल के शिक्षण कार्य के अनुभव के निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करने के बिना ही नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो क्यों एवं किस आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार निर्धारित अनुभव अथवा मानदण्डों को पूरा नहीं करने वाले नियुक्त आर.पी. को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयो में संदर्भ व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति हेतु वर्ष 2015 की मानदण्ड प्रति परिशिष्ट '1' एवं संशोधित मानदण्ड दिनांक 31.08.2016 की प्रति परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(2) ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय,आमेर में संदर्भ व्यक्ति के पद पर वर्तमान में 02 प्रतिनियुक्ति से एवं 01 पद पर पूर्व लोक जुम्बिश कार्मिक पद विरुद्ध कार्यरत है। विवरण परिशिष्ट '3' पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि वर्ष 2015 में चयनित एवं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित दो व्यक्ति तत्समय विज्ञप्ति में प्रकाशित मानदण्ड को पूरा नहीं करते है। सरकार द्वारा पूर्व में इनकी जॉच नहीं करवायी गयी।

(4) जी हां। तत्समय निर्धारित मानदण्ड में संदर्भ व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति हेतु न्यूनतम 5 वर्ष से शिक्षण कार्य का अनुभव निर्धारित है। ब्लॉक में प्रतिनियुक्ति संदर्भ व्यक्तियों के अनुभव प्रमाण-पत्र पृथक से प्राप्त नहीं किया जाता है। प्रार्थियो द्वारा पंजीयक पत्र में स्वय द्वारा अभिकथन अंकित किया जाता है।

(5) जी हां। यह सही है कि पूर्ण पात्रता नहीं रखने वाले दो आवेदक व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर अनुशंषा सूची में शामिल हुए। प्रतिनियुक्ति सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत जारी किया गया। प्रतिनियुक्ति आदेश क्रमांक एफ.19(6) शिक्षा-2/2010 दिनांक 30.07.2015 परिशिष्ट '4' संलग्न है।

(6) जी हां। आमेर ब्लॉक मे निर्धारित मानदण्ड पूरा नहीं करने वाले दो संदर्भ व्यक्तियो को राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के आदेश क्रमांक 8018 दिनांक 17.10.2017 द्वारा मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त करने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश परिशिष्ट '5' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) जिला भीलवाड़ा में चयनित शिक्षक-शिक्षिकाओं की योग्यता

57. डॉ. मंजू बाघमार (जायल): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. मंजू बाघमार)

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संपादन किया जाता है? यदि हां, तो गत 10 वर्षों में ऐसे कितने कार्यक्रम कब-कब किस-किस उद्देश्य हेतु कहां-कहां पर आयोजित किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए शिक्षक/शिक्षिकाओं के चयन की योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं? यदि हां, तो गत दस वर्षों में उक्त कार्यक्रमों हेतु चयन किए गए शिक्षक/शिक्षिकाओं व अन्य की योग्यताओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त तरह चयन करने में पक्षपात भी किया गया है? यदि, नहीं तो किस-किस शिक्षक/शिक्षिका का बार-बार चयन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखे।

(4) क्या उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वालों को भत्ता, यात्रा व्यय आदि लेने का भी प्रावधान है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रमों में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंडगेट, शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा की अध्यापिका श्रीमती मधुबाला शर्मा (लेवल-प्रथम) का लगातार करीब-करीब सभी कार्यक्रमों में चयन किया गया है? यदि हां, तो कब-कब और उन्हें अब तक कितना भत्ता, यात्रा भत्ता व अन्य क्या-क्या भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि श्रीमती मधुबाला शर्मा (लेवल-प्रथम) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंडगेट, शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा में मूलरूप से पदस्थापित है? यदि हां, तो उसने गत 10 वर्षों में उक्त विद्यालय में कितनी उपस्थिति दी और उनको वेतन आदि का 10 वर्षों में कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट),शाहपुरा (भीलवाड़ा) द्वारा विगत 10 वर्षों मे कब-कब, किस-किस उददेश्य से एवं कहां-कहां विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये गये का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(2) प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षको के चयन का कोई स्थायी आधार नहीं होता है वरन जिस प्रशिक्षण में जिस प्रकार के शिक्षक की जरूरत होती है, उस प्रकार के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को आदेशित कर दिया जाता है। जैसा-भाषा के शिक्षक के लिये भाषा पढ़ाने वाले का तथा कला शिक्षा के लिये कला शिक्षा पढाने वाले आदि। संदर्भ व्यक्तियों तथा अनुसंधान व डर्फ से संबंधित अनुसंधाताओ की प्रतिनियुक्ति डाईट द्वारा सीधे ही की जाती है। जिला शिक्षा अनुसंधाता वाकपीठ (DERF) डर्फ की वर्ष में 3 कार्यगोष्ठितां होती है जिनमें सदस्य अनुसंधाता शिक्षक व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य भाग लेते है। इसमें उनका शिक्षक एवं कार्य का अनुभव सर्वोपरि है।

(3) प्रशिक्षणों में शिक्षको/शिक्षकाओ के चयन में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रशिक्षण में शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां डाईट द्वारा सीधे नहीं की जाकर संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से की जाती है। संस्थान द्वारा संदर्भ सेवाओं के लिये संदर्भ व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति की जाती हैं।

(4) जी हां। प्रशिक्षण/कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सहभागियों/संदर्भ व्यक्तियों को निर्धारित मानदण्डानुसार मानदेय/यात्रा भत्ता देय है, का विवरण परिशिष्ट 'ख-1 से 3' पर संलग्न हैं।

(5) जी हां। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) शाहपुरा, भीलवाडा द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में चयनित श्रीमती मधुबाला शर्मा (लेवल-प्रथम), राउप्रावि कुण्ड गेट, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा को दिये गये प्रशिक्षण एवं उनको चुकारा किये गये भत्ता, यात्रा भत्ता व अन्य भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(6) जी हां। श्रीमती मधुबाला शर्मा (लेवल-प्रथम) विगत 10 वर्षों में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंडगेट, शाहपुरा, भीलवाड़ा में 1599.5 दिवस तक उपस्थित रही।

श्रीमती मधुबाला शर्मा सत्र 2008-2009 से सितम्बर, 2017 तक वेतन आदि के पेटे रु. 4059287/- का भुगतान किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया।

बीकानेर में समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद

महोदय,

बीकानेर जिले में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11-10-2017 से सर्मथन मूल्य पर मूंगफली की खरीद शुरु की राज्य सरकार द्वारा जिले में बीकानेर, श्रीडूंगरगढ़, नोखा, लूणकरणसर में खरीद केन्द्र शुरु किए है। जबकि बीकानेर प्रवास पर आए सहकारिता मंत्री महोदय ने जिले में 14 सर्मथन मूल्य खरीद केन्द्र शुरु करने की घोषणा की थी। इसके बावजूद आज दिनांक तक जिले में 5 खरीद केन्द्र शुरु हुए हैं जबकि बीकानेर मूंगफली की बम्पर पैदावार होती है। इसके अलावा खरीद केन्द्र पर एक किसान की 24 क्विंटल 85 किलो ही मूंगफली खरीद की जा रही है। जबकि बीकानेर जिले में करीब-करीब प्रत्येक किसान के पास 25-30 बीघा भूमि है और मूंगफली की औसत पैदावर 7-8 क्विंटल बीघा होती है। इस प्रकार एक किसान के खेत में 200 से 250 क्विंटल मूंगफली की पैदावार होती है। जिसमें से मात्र 24.85 क्विंटल की सरकारी खरीद होने से शेष मूंगफली उसे बाजार में सीधे बेचनी पड़ती है। सरकारी सर्मथन मूल्य 4450/- रुपये प्रति क्विंटल है जबकि वो ही मूंगफली किसान को बाजार में 3000-3200/- रुपये प्रति क्विंटल बेचनी पड़ती है। साथ खरीद केन्द्र किसान को गिरदावरी सिल्प, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड व बैंक खाता ऑनलाइन करवाना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बीकानरे जिले में 14 सर्मथन खरीद केन्द्र जिसमें 5 तो चल रहे हैं शेष 10 सर्मथन खरीद केन्द्र मय बीकानेर गौण मंडी, श्रीकोलायत व बज्जू मे भी सर्मथन खरीद केन्द्र शुरु किए जाने व 24.85 क्विंटल की बाध्यता हटाने व दस्तावेजों में गिरदावरी स्लिप व बैंक खाता नम्बर आनलाइन करवाने की व्यवस्था शुरु करवाई जाए ताकि जिले के किसानों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

भंवर सिंह भाटी

(कोलायत)

भाखड़ा, इन्दिरा गांधी एवं गंगनहर क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण

महोदय,

श्री गंगानगर जिले में स्थित गंगनहर के 45 आरडी बालेवाला हैड से लेकर 368 आरडी खखा हैड तक लगभग 600 क्यूसेक पानी व्यर्थ जमीन में चला जाता है। लगातार क्लोजर लेने के बाद भी कोई सुधार नही हुआ है। इसी प्रकार इन्दिरा गांधी नहर में भी लगभग 3000 क्यूसेक पानी का लोसेसे है।

अत: इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से किसानों के हित में मैं मांग करती हूं कि आने वाले क्लोजर में गंग नहर के पंजाब क्षेत्र में लगे सभी पीआरवी बन्द किये जाएं, क्षतिग्रस्त लाइनिंग की मरम्मत की जाए, गंगनहर की सभी नहरों में पानी वितरण की असमानता को दूर किया जाए, नहरी क्षेत्र में न्यायालय में लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाये तथा नहरी क्षेत्र की अन्य समस्याओं का निराकरण किया जाये ताकि राजस्थान सरकार द्वारा चलाये जा रहे जल स्वावलम्बन कार्यक्रम का भी उद्देश्य पूरा हो सके।

श्रीमती सोना देवी
(रायसिंह नगर)

भीलड़ी समदड़ी जोधपुर रेल मार्ग पर अंडरब्रिज के स्थान पर समपार फाटक बनाया जाना

भीलड़ी समदड़ी जोधपुर रेल मार्ग के आस-पास स्थित गावों के ग्रामीण की सुविधा को लेकर रेलवे की ओर से बनाये अन्डरब्रिज बारिश के बाद जी के जंजाल बन गये है, इनमें पानी का भराव व कई दिनों तक निकासी नही होने पर बन्द आवागमन पर आस-पास के गावंवासियों को अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। रेल लाइन के उपर से गुजरते लोगों, पशुओं पर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

जोधपुर बाड़मेर व समदड़ी भीलड़ी रेलमार्ग आमान परिवर्तन कार्य को लेकर रेलवे ने बड़ी संख्या में मानव रहित रेल फाटक बन्द करके अन्डरब्रिजों का निर्माण करवाया गया। लोगों की सुविधा देने की बजाय और अधिक दुविधाएं हो गई। इन ब्रिजों के अन्दर 4 माह तक 20 से 30 फीट तक

पानी भरा रहता है। जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। सभी लोगों के खेत निवास स्थान से पटरी के विपरीत दिशा में है, जिसके कारण आने जाने मे असुविधा रहती है। वर्तमान में रेलवे द्वारा पातों का बाड़ा, चारणों का बाड़ा, जेठन्तरी एवं मोकलसर में करोड़ों रुपये लगाकर अन्डरब्रिज बनायें गये है, जिनके कारण लोगों को सुविधा के बजाय दुविधा मिलती है। इन ब्रिजों के अन्दर से भरे हुए पानी को बाहर निकालने का कोई प्रणाली नहीं बनाई गई है।

मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन रहेगा कि उक्त समस्या के निजात हेतु भारत सरकार रेलवे मंत्रालय को प्रस्ताव पारित कर पत्र दिया जावे कि उपरोक्त रेल मार्ग पर अन्डरब्रिज की बजाए मानव रहित फाटक लगाया जावे तथा प्रस्तावित अन्डरब्रिजों को न बनाकर समपार फाटक ही लगाये जावे।

हमीर सिंह भायल
(सिवाना)

नई मण्डी घड़साना के छप्पर खोखा वालों को दुकानों का आबंटन

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद मुझे आपनें नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र की तहसील घड़साना में छप्पर खोखा वालें गरीब परिवारों की लम्बे समय से मांग है की नई मण्डी में मण्डी ए.डी.एम की खाली पड़ी भूमि में गरीब परिवारों को दुकान आबंटन कि जाएं। क्योंकि घड़साना में छप्पर खोखा वालो की संख्या बहुत है। इन छप्पर खोखा वालों से मण्डी मे अव्यवस्था रहती है। आये दिन चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। वर्ष 1996 मण्डी ए.डी.एम द्वारा सर्वे करवाकर छप्पर खोखा वालों का चयन किया गया था। जिनकों मण्डी ए.डी.एम द्वारा 2013 में 156 छप्पर खोखा वालों को दुकानों के लिए 8X12 का भूखण्ड आबंटन किया गया है। जिसमें आबंटी द्वारा स्वयं दुकान का निर्माण कर कोई भी कार्य कर सकता है। आबंटन के समय पात्र व्यक्ति की सूचि में से 12 पात्र व्यक्तियों को दुकानों का आबंटन नही किया गया, जो कि आज दुकान के अभाव में इधर-उधर भटक रहें है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पात्र व्यक्तियों द्वारा बार-बार दुकानें आबंटन करने की मांग की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि पात्र 12 व्यक्तियों को पुन: सर्वे करवाकर दुकाने आबंटन की प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर छप्पर खोखा वाले गरीब परिवारों को राहत प्रदान करें। ताकि उन गरीब परिवारों को राहत मिल सकें।

श्रीमती शिमला बावरी

(अनूपगढ़)

पीपलखूंट के ग्राम रोहनीया व पृथ्वीपुरा के बीच पुल का निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दक्षिणी राजस्थान जिला प्रतापगढ़ के पंचायत समिति पीपलखूंट में 31 ग्राम पंचायतें है, जिसमें ग्राम पंचायत रोहनीया के गांव

1. रोहनीया, ठाकरा राणपुर, भमेड़ी, माडली कुल 5 गांवों की आबादी 9074 है।
2. उस आबादी जनसंख्या को मध्यप्रदेश से आ रही भुंडवाई नदी उक्त आबादी जनता को अपनी पंचायत समिति पीपलखूंट आवागमन में रोक लगा रही है क्योंकि यह भुदवाई नदी ग्राम पंचायत रोहनीया के 5 गांवों के व पंचायत समिति पीपलखूंट के बीच में होकर पानी बहता रहता है।

अत: मेरा नियम 295 के तहत प्रस्ताव राजस्थान की विधान सभा में प्रस्तुत कर निवेदन है कि मध्यप्रदेश से आने वाली भुंडवाई नदी पर गांव रोहनीया व गांव पृथ्वीपुरा के बीच पुल का निर्माण कराया जाकर ग्राम पंचायत रोहनीया की जनता को पंचायत समिति व तहसील पीपलखूंट कार्यालयों में आने जाने की सुविधा किये जाने का प्रस्ताव करता हूं।

धन्यवाद।

नवनीत लाल नीनामा

(घाटोल)

मुकन्दरा टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत विस्थापितों को राजकीय सहायता

महोदय,

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र स्थित मुकन्दरा टाइगर रिजर्व के 1600 परिवारों को वन विभाग द्वारा विस्थापित किया जाना है, जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रारूप मुख्य/सवेंदनशील बाघ वासंस्थलों से ग्राम पुन:स्थापन योजना में भारत सरकार के द्वारा मिलने वाले पैकेज वर्तमान समय के अनुसार काफी कम हैं, यदि राजस्थान सरकार भी उक्त पैकेज में सहायता करती है, तो ग्रामीण उक्त विस्थापित सहमत होंगे एवं तभी विस्थापन होना संभव हो सकेगा।

मैं वर्तमान पैकेज के अतिरिक्त केन्द्र व राज्य सरकार से निम्न पैकेज की मांग करती हूं-

1. खातेदार कृषकों कृषि भूमि के बदले कृषि भूमि अन्यत्र स्थान पर दी जावे एवं भूमिहीन परिवारों को भी भूमि दी जावे।
2. प्रत्येक परिवार के प्रति 18 वर्ष के सदस्य को 20 लाख रुपये का मुआवजा राशि दी जावे।
3. परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए।
4. 1600 परिवारों को विस्थापन करने हेतु बिना स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जानकारी मे लाये ही विभाग द्वारा भेजे गये, पूर्व के ग्राम लखावा नगर निगम कोटा के वार्ड नंबर-06 के प्रस्ताव जो भूमि रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, को निरस्त कर वार्ड संख्या-04 में स्थित वन विभाग की भूमि पर चिन्हित हजारों स्थित रिक्त भूखंडो पर मुकन्दरा टाईगर रिजर्व आवासीय कालोनी का नामकरण कर भूखंड आबंटित किये जाए। ग्रामीणों को नये भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से मुआवजा व सुविधाएं मिले।

अत: उक्त समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र निदान कर मुकन्दरा टाइगर रिजर्व के कार्यों मे आ रही बाधाओं को दूर करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल

(रामगंजमण्डी)

कोटा शहर में जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण व चिकित्सा स्टाफ में वृद्धि

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत राज्य सरकार का ध्यान कोटा शहर के एक ज्वलन्त मुद्दे की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों से पूरे प्रदेश से मौसमी बिमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कोटा शहर में सैकड़ों की संख्या में लोगों की डेंगू, स्वाइन फ्लू जैसी घातक बीमारियों से मृत्यु हो चुकी है। कोटा संभाग में केवल एक ही PCR मशीन होने से स्वाइन फ्लू के रोगियों की जांच समय पर नही हो पायी। जिससे स्वाइन फ्लू के रोगियों को समय पर जो उपचार जो मिलना चाहिये था नही मिल पाया। सरकारी अस्पतालों में स्वाइन फलू की दवांइया नहीं मिल पायीं। कोटा संभाग के सबसे बड़े न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल के ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स व खून के अन्य किसी कम्पोनेन्ट के लिए कम्पोनेन्ट सेपरेशन युनिट नहीं है, जिससे कोटा और आस-पास के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को प्लेटलेट्स और कम्पोनेन्ट के लिए एम.बी.एस ब्लड बैंक में जाना पड़ता है। जहां मरीजो का भारी दबाव होने के कारण प्लेटलेट्स बनने की प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। इस ओर ध्यान देकर कोटा संभाग के सबसे बड़े न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल के बल्ड बैंक में कम्पोनेन्ट सेपरेशन युनिट की शीघ्र स्थापना किये जाने की आवश्यकता हैं। आमजन के लिए एस.डी.पी. नि:शुल्क नहीं हैं एस.डी.पी. के लिए ब्लड बैंकों में मरीजो से 7 हजार रु. लिये जाते है। चूंकि इस वक्त पूरे कोटा जिले में डेंगू एक महामारी की तरह फैल चुका है आमजन इससे पीड़ित है। जिसको देखते आमजन के लिए सरकारी ब्लड बैंकों में एस.डी.पी. को नि:शुल्क किया जाना चाहिए। कोटा शहर में अस्पतालों में इन बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि मरीजों को बैड तक मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। कोटा शहर के न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल एवं अन्य अस्पतालों में आने वाले मरीजों को भर्ती कर उनके उपचार की समुचित व्यवस्था की जाएं। जिन-जिन अस्पतालों के वार्डो में पर्याप्त जगह है वहां पर अतिरिक्त बैड लगाकर मरीजों का उपचार किया जाना चाहिए। यदि समय रहते ही मौसमी

बीमारियों पर नियन्त्रण के प्रयास किये जाते तो इन बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सकता था। इसी दिशा में मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध है कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए वर्षा पहले मलेरिया उन्मूलन विभाग संचालित था जिसे बन्द कर दिया गया है। इस विभाग को यदि पुन: चालू किया जाए तो मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाये जा सकते है।

मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध है कि कोटा शहर में इन घातक बीमारियों पर नियंत्रण के गंभीरतापूर्वक प्रयास किये जाए, न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी और नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ायी जाये और अस्पताल के ब्लड बैंक में कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट की स्थापना की जाएं।

संदीप शर्मा
(कोटा दक्षिण)

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में झण्डा एवं स्वामी विवेकानन्द मूर्ति खरीद प्रक्रिया मे गंभीर भ्रष्टाचार

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मैं सरकार का ध्यान जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में की जा रही गंभीर प्रकृति की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की और आकृष्ट करना चाहती हूं कि-

1. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति की खरीद 9,81,000 रु. में एवं राष्ट्रीय ध्वज 11,34,000 रु. में की गई है और उक्त खरीद प्रक्रिया में नियमों का गलत उपयोग कर बिना निविदा प्रक्रिया के ही कोटेषन प्राप्त कर मनमर्जी से हितबद्ध फर्मों को बेजा लाभ पंहुचाया गया है। उक्त मूर्ति को खुले बाजार की मौजुदा दरों से लगभग तीन गुना ज्यादा दरों पर खरीदा गया है।
2. उक्त प्रकरण में तत्कालीन कार्यवाहक विश्वविद्यालय अभियन्ता द्वारा RTPP ACT 2012 के नियम 35 एवं RTPP ACT 2012 के नियम 28 "मात्र अकल्पित घटनाओं (unforeseen events) के द्वारा हुई अत्यावश्यकता को देखते हुए उपापन संस्था की यह राय हो कि

खुली प्रतियोगी बोली लगाने वाली रीति या किसी अन्य रीति को अंगीकृत कर उपापन की विषय वस्तु उपयोगी रूप से प्राप्त नही की जा सकती, या उपापन की विषय वस्तु में पशुधन, कपास, तिलहन या ऐसी अन्य कृषि उपज अन्तर्वलित है, जिनकी कीमतों में निरन्तर उतार-चढ़ाव होता है और उपापन संस्था की राय में कपापन की विषय वस्तु को खुली प्रतियोगी बोली लगाने वाली रीति या किसी अन्य रीति को अंगीकृत कर उपयोगी रूप से प्राप्त नही किया जा सकता। उक्त नियम केवल मात्र अकल्पित घटनाओं के द्वारा हुई अत्यावश्यकता में ही नियमानुसार खुली प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया में छूट देता हैं।

उक्त प्रकरण में राष्ट्रीय ध्वज एवं स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति की खरीद का विषय किसी भी दृष्टि से अकल्पित घटनाओं के द्वारा हुई अत्यावश्यकता की श्रेणी मे नहीं आता है। अत: उक्त नियम का उक्त प्रकरण में उपयोग पूर्णतया गलत है।

उक्त प्रकरण से विश्वविद्यालय की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और त्वरित कार्यवाही नही होने से लिप्त दोषियों के होंसले बुलन्द हो रहे है। अत: मेरा निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विशेष प्राथमिकता से त्वरित और ठोस कार्यवाही करवाई जाए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास
(सूरसागर)

तिजारा में औद्योगिक इकाइयों द्वारा दूषित पानी छोड़े जाने से फसलों का नुकसान

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उल्लेख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा में औद्योगिकी क्षेत्र भिवाड़ी, चौपानकी, खुशखेड़ा-टपूकड़ा, कमालपुरा-सलारपुर में स्थापित उद्योगों द्वारा दूषित पानी उद्योगों से बाहर आवासीय आबादी क्षेत्र एवं किसानों के खेतों में झोड़ा जा रहा है। यह दूषित पानी पहले किसानो के खेतो से होते हुए हरियाणा सीमा में जाता था लेकिन हरियाणा सरकार ने दूषित पानी को हरियाणा सीमा में घुसने पर रोक लगा दी है। इससे यह

दूषित पानी सड़कों व किसानों के खेतों में भरा हुआ है। इससे आमजन का सड़को से जाना बहुत ही मुश्किल है। इससे किसानों की फसल खराब हो रही है साथ ही बीमारिया फैलने का खतरा भी हैं। इसका एक कारण यह भी है कि क्षेत्रिय पर्यावारण अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भिवाड़ी, तह. तिजारा जिला अलवर की मेरे द्वारा भी मंत्री महोदय से शिकायत की गई कि उक्त अधिाकरी की कार्यशैली ठीक नहीं है। माननीय प्रभारी मंत्री श्री गजेन्द्र खींवसर जी के सामने भी आम लोगो ने इनके भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायत की थी।

अत: माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस समस्या पर ठोस कार्यवाही कर क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भिवाड़ी, तह. तिजारा जिला अलवर को अन्यत्र स्थानान्तरण, औद्योगिक इकाइयों को दूषित पानी को खुले मे नहीं छोड़ने के लिये पाबन्ध करने के साथ-साथ दूषित पानी निकासी व निराकरण और उक्त उद्योगों के खिलाफ जांच कर कानूनी कार्यवाही कराई जाए।

मास्टर मामन सिंह यादव
(तिजारा)

दौसा में 132 एच.टी. लाइन की शिफ्टिंग

महोदय,

दौसा सिविल लाइन में जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला जज के निवास तथा उससे सटी आबादी के ऊपर होकर 132 H.T. लाइन गुजर रही है, जिससे जान-माल का खतरा होने की पूरी संभावना बनी रहती है। सिविल लाइन में सघन वृक्षारोपण भी है जिससे पेड़ों से टच होने का खतरा भी बना रहता है। उक्त H.T. लाइन से वर्षाकाल में कुछ मकानों में यदा-कदा विद्युत प्रवाह भी हो सकता है, जिससे कभी भी बड़ा हाइसा हो सकता है। इस लाइन को जनहित में शिफ्ट कराया जाना नितान्त आवश्यक है। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब की जाए। इस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

श्रीमती गोलमा
(राजगढ़-लक्ष्मणगढ़)

जमवारामगढ़ में अनावृष्टि/सूखे से फसल नष्ट होने के कारण किसानों को उचित मुआवजा

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में अनावृष्टि/सूखे के कारण किसानों की फसल नष्ट होने से उनको उचित मुआवजा दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्षा नहीं होने से मूंगफली, ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ आदि फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, जिससे किसानों का अपने परिवार का पालन पोषण करना एवं पशुपालन करना दोनों ही मुश्किल हो गया है तथा किसानों के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है एवं पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कर पाना भी मुश्किल हो गया है।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं आपदा राहत मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में मांग कर निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के हित को घ्यान में रखते हुए विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में अनावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर किसानों को शीघ्र उचित मुआवजा दिया जाए तथा पशुओं के लिए पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाए।

साथ ही मैं माननीय आपदा राहत मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र मे सूखे की स्थिति को देखते दुए विशेष पैकेज स्वीकृत कर अकाल राहत के कार्य चालू कराएं ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

जगदीश नारायण

(जमवारामगढ़)

पांच हार्स पावर के सोलर प्लांट में दी जा रही सब्सिडी सीधे किसान के खाते में डालना

महोदय,

मै प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत इस बात का विशेष उल्लेख करता हूं कि 5 हॉर्स पॉवर की सोलर पॉवर

प्लांट के लिए राज्य सरकार द्वारा कम्पनियों के खातों में सीधे 60 प्रतिशत सब्सीडी दी जा रही है और इस हेतु 5 हॉर्स पॉवर के सोलर पॉवर प्लॉट का मूल्य 4,50,000/- रुपये मानकर कम्पनियों को सब्सीडी दी जा रही है।

5 हॉर्स पॉवर के सोलर पॉवर पर जहां कम्पनियों को 4,50,000/- रुपये कीमत मानकर रुपये 2,70,000/- सब्सीडी दी जा रही है, वहां 5 हॉर्स पॉवर सोलर पॉवर प्लांट बाजार में किसानों को 2,50,000/- रुपये में ही उपलब्ध है।

5 हॉर्स पॉवर के सोलर पॉवर प्लांट पर दी जा रही सब्सीडी 4,50,000/- रुपये मानकर दी जा रही है, उसे तत्काल बाजार मूल्य के अनुसार 2,50,000/- रुपये किये जाने की त्वरित आवश्यकता है और सोलर प्लांट की सब्सीडी बजाय कम्पनियों के खाते में डालने के सीधे किसानों के खातें में डाले जाने की महत्ती आवश्यकता है। ऐसा किये जाने से 5 हॉर्स पॉवर के सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया में दस गुना की वृद्धि होगी तथा एक तरफा जहां डिस्कॉम की विद्युत बचत होगी, वहीं दूसरी तरफ किसानों की विद्युत आवश्यकता सोलर पॉवर से बीसों सालों के लिए स्वत: पूरी हो जाएगी।

5 हॉर्स पॉवर के सोलर पॉवर प्लांट पर राज्य सरकार को 2,27,000/- रुपये की सब्सीडी सीधे कम्पनियों के खातें में दी जा रही है, जबकि किसानों को सीधे सब्सीडी देने पर राज्य सरकार को 5 हॉर्स पॉवर की सोलर पॉवर प्लांट मात्र 1,50,000/- रुपये की सब्सीडी ही किसानों को उपलब्ध करानी पड़ेगी तथा 5 हॉर्स पॉवर का सोलर प्लांट लगाने में किसानों का महज 1,00,000/- रुपया खर्च होग।

राज्य सरकार के अक्षय ऊर्जा विभाग व विद्युत मंत्रीजी का मैं विशेष उल्लेख द्वारा ध्यान आकर्षित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार के स्तर से त्वरित कार्यवाही की जाकर सोलर पॉवर प्लांट कम्पनियों की लूट को तत्काल बंद करें व किसानों के खाते में पॉवर प्लांट खरीदने पर सीधा अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था करें।

मानिक चन्द सुराना
(लूणकरणसर)